सप्तम माला खंड 1 अंक 1

गुरुवार 17 दिसंबर 1981

26 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 19, गुरूवार, 17 दिसम्बर, 1981/26 अग्रहायण 1903 (शक)

विषय		
बंगलादेश के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 371 से 376	...	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 377 से 384 और 386 से 390	...	19-25
अतारांकित, प्रश्न संख्या 4190, से 4201, 4203 से 4250, 4252 से 4341, 4343 से 4374 और 4376 से 4429	...	25-177
श्री सत्यनारायण जाटिया, संसद सदस्य पर पुलिस द्वारा कथित हमला किये जाने के बारे में	...	177-182
श्री प्रकाश चन्द सेठी, श्री जैलसिंह तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में निर्णय	...	183-484
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	185-186
संकलन समिति		
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के बारे में सरकार से प्राप्त उत्तर दर्शाने वाला विवरण	...	187
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		
दूसरा प्रतिवेदन	...	187

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

बीजिंग में हुई भारत-चीन वार्ता, इजराइल द्वारा गोलान हाइट्स को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल किये जाने और पौलैंड में स्थिति के बारे में वक्तव्य

श्री भीष्म नारायण सिंह ... 187-189

सदस्य की रिहाई ... 189

सदस्यों के वैयक्तिक स्पष्टीकरण

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 192

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ... 192-193

कार्य मन्त्रणा समिति

24वां प्रतिवेदन ... 193-196

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

(1) चीनी विकास निधि विधेयक ... 196

(2) चीनी उपकर विधेयक ... 196

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के दावों पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह ... 197

(दो) रानी गंज रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार और आसनसोल रेलवे स्टेशन का विकास

श्री अजित कुमार साह ... 197-198

(तीन) तामिलनाडु में लघु उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों का कथित अनियमित आवंटन

श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम ... 198

(चार) बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गोआ के कालिजों के शिक्षकों के भत्तों में असमानता

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 198-199

(पाँच) राजस्थान में एक नलकूप निगम स्थापित किये जाने की मांग

श्री राजेश पायलट ... 199

(छः) मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चम्बल डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित किये जाने की मांग

श्री माधव राव सिंधिया ... 200

(सात) साबुत उड़त या उड़द की दाल का मूल्य स्थिर करने के लिये मध्य प्रदेश के उत्पादकों द्वारा उसका निर्यात करने की अनुमति दिये जाने की मांग

डा. बसंत कुमार पण्डित ... 200-201

(आठ) "मेरी आवाज सुनो" फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिए मांग

श्री गुलाम नबी आजाद ... 201

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल) 1981-82

श्री योगेन्द्र मकवाना ... 202

श्री एम. एम. लारेंस ... 203-206

श्री बी. के नायर ... 206-211

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 211-215

श्री जेवियर अराकल ... 214-220

श्री जगपाल सिंह ... 220-221

श्री संतोष मोहन देव ... 221-224

श्री के. मायातेवर ... 224-230

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ... 230

श्री जैनुल बशर ... 231-234

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 234-237

श्री पी. एम. सईद ... 237-239

श्री जयपाल सिंह कश्यप ... 239-240

श्री के. टी. कोसलराम ... 240-242

श्री चित्त बसु ... 242-244

श्री जी. एम. बनातवाला ... 244-247

श्री चन्द्रजीत यादव ... 247-248

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 248-250

श्री ई. के. इम्बीचीबावा ... 250-251

श्री योगेन्द्र मकवाना ... 251-258

श्री आर. वेंकटरामन ... 258-259

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1981—पुरःस्थापित

विचार करने का प्रस्ताव

श्री आर. वेंकटरामन ... 259-260

खण्ड 2, 3 और 1

पास करने का विचार

श्री आर. वेंकटरामन ... 260

लोक सभा

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1981/26 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बांग्ला देश के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से, भारत यात्रा पर आये हमारे माननीय अतिथि, बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष महामहिम मिर्जा गुलाम हफीज एवं बांग्ला देश संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष अनुभव हो रहा है । प्रतिनिधि मण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. श्री अताउर रहमान खान, साँसद
2. श्री अहमद नाजिर, सांसद
3. श्री अब्दुल मंसूर अहमद, सांसद
4. श्री शुधानगशु शेखर हाल्दर, सांसद
5. बेगम रबिया चौधरी, सांसद
6. श्री मौजेम हुसैन, सांसद

यह प्रतिनिधिमंडल कल रात ही यहां पहुंचा है और 25 दिसम्बर, 1981 तक भारत में रहेगा । इस समय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विशेष कक्ष में बैठे हैं । हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद एवं लाभप्रद रहे । उनके माध्यम से हम बाँग्लादेश संसद, सरकार व वहाँ के मित्रजनों को अपनी शुभकामनायें भेजते हैं ।

एक माननीय सदस्य । एक हाल्दर यहां है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहने वाला था । आपने मेरी जबान से शब्द छीन लिये हैं । मैंने कहा, हाल्दर साहब भाईचारा कायम है ?

प्रो. मधु दण्डवते : एक सदस्य दो सदनों का सदस्य कैसे बन सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : दुनिया में अजूबे तो कभी-कभी होते हैं। इसी को अजूबा कहते हैं। श्री नामग्याल।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : प्रश्न संख्या 380 भी साथ ले लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : दोनों प्रश्न साथ-साथ ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह अलग प्रश्न है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विकलांग बच्चे

*371. **श्री पी. नामग्याल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसार में 14 करोड़ विकलांग बच्चे हैं, जिनमें से 9 करोड़ एशिया में हैं;

(ख) क्या विकलांग बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए हमारे देश में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है तथा विकलांगता को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए एवं ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संसार अथवा एशिया में विकलांग बच्चों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1981 की जनगणना के एक भाग के रूप से पूर्णतया नेत्रहीन, पूर्णतया गूंगे, पूर्णतया अपंग व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 24वें (1969-70) तथा 28वें (1973-74) के राउन्डों में विकलांग व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण किए थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में नमूने के अपर्याप्त साइज के कारण बच्चों के संबंध में आँकलन प्रस्तुत नहीं किए थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अपने 36वें राउन्ड में विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण कर रहा है। इसलिए इस समय विकलांग बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) (1) स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत विकलांगता का पता लगाने तथा आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

(2) पोलियो के कारण हुई विकलांगता को पोलियों के टीकों द्वारा दूर करने के लिए

एक गहन कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विटामिन "ए" और ट्राकोमा के कारण हुई दृष्टि रोग/नेत्रहीनता को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें विटामिन "ए" की प्रोफाइलेक्सिज खुराकें और ट्राकोमा के उपचार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(3) बच्चों में आमतौर से कुष्ठ रोग के कारण हुई विकलांगता नहीं है। फिर भी, कुष्ठ रोग की शीघ्र जांच/परख और उपचार जिससे कि इसके कारण बड़ी आयु में उभरनी वाली विकलांगता को रोका जा सके, के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक कार्यक्रम है।

(4) पोषण और बच्चों के देखभाल की दूसरी सेवाएं भी निरूपण उपायों के रूप में कार्य करती है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी सेवाएं जिसमें, पूरक पोषण प्रतिरक्षण, छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं स्तन-पान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य-जाँच और संबंधित सेवा योजनाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से, शहर की गंदी बस्तियों, आदिवासी और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष पोषाहार योजना के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(5) शिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारत सरकार अध्ययन और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए नवीं कक्षा से पी. एच. पी. स्तर तक अध्ययनरत विकलांग बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत, कुशल अध्यापकों, उपर्युक्त कमरों और चिकित्सीय सुविधाओं, पुस्तकों और स्टेशनरी उपलब्ध कराने, परिवहन खर्च की वापसी आदि सुविधाओं की सहायता से विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है। केन्द्र द्वारा 100% खर्च की पूर्ति की जा रही है। यूनिसेफ की सह-भागिता में, सरकार, विकलांग व्यक्तियों के अध्यापकों के लिए अल्प कालिक अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। कुछ केन्द्रों में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में ब. एड. शुरू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार, देहली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नेत्रहीन बच्चों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र चला रही है।

(6) सहायक यंत्र एवं उपकरण की योजना के अन्तर्गत, आय मानक के आधार पर 1500 रु. मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्वैच्छिक और दूसरी एजेंसियों को सरकार सहायता देती है। विकलांगों (जिसमें अपंग सम्मिलित हैं) को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान कराने के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को उनकी परियोजनाओं के कुल 90% खर्च के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

(7) दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता, श्रवण बाधिता और मानसिक बाधिता के क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए सरकार चार राष्ट्रीय संस्थानों का विकास भी कर रही है। दृष्टि बाधितों और अस्थि विकलांगों के लिए क्रमशः देहरादून और कलकत्ता में राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं। जब ये पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे, अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास सेवाएं प्रदान करने में ये देश में सर्वोपरि होंगे। इसके अतिरिक्त,

विकलाँगों के पुनर्वास के लिए सहायक यंत्रों में अनुसंधान के तत्वाधान में, विकलांगों के लिए संस्थान और मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए आदर्श स्कूल देहली में तथा आंशिक रूप से बधिर बालकों के लिए स्कूल, हैदरावदाद में सरकार चला रही है। सरकार द्वारा अपंगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना भी आरम्भ किया जा चुका है।

श्री पी. नामग्याल : हाल ही में "बालक विकलाँगता" पर हुए एक सम्मेलन में यह बताया गया था कि प्रत्येक दस बच्चों पर एक बच्चा विकलाँग है तथा ससार भर के कुल 1400 लाख विकलाँग बच्चों में से एशिया में सबसे अधिक 900 लाख बच्चे विकलाँग हैं, उत्तरी अमरीका में 60 लाख, यूरोप में 110 लाख, लैटिन अमरीका 130 लाख तथा अफ्रीका में 200 लाख विकलाँग बच्चे हैं। आपने अपने उत्तर में बताया है कि भारत में विकलांग बच्चों की संख्या मालूम नहीं है और न ही अब तक इस संबंध में कोई सर्वेक्षण ही किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु कोई नमूना सर्वेक्षण करना चाहेगी ताकि विकलांगता को रोकने इसके कारणों का पता लगाने तथा विकलाँग बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए समुचित उपाय किये जा सकें।

श्रीमती शीला कौल : इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि भारत., एशिया या विश्व में विकलाँग बच्चों की संख्या क्या है। जो कुछ भी जानकारी हमारे पास है वह अस्थाई आंकड़ों पर आधारित है। परन्तु जुलाई से राष्ट्रवार नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है जो दिसम्बर के अन्त तक अर्थात् इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा। तत्पश्चात् विकलांगों की आयु, लिंग, व्यवसाय के बारे में तथा अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी। यह बात सही है कि विकासशील देशों में विकलाँग बच्चों की सख्या अधिक है।

श्री पी. नामग्याल : इसी सम्मेलन में, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि बच्चों में विकलाँगता मुख्यत: खाने-पीने की आदतों, उनके पालन-पोषण के तरीके, चिकित्सा सेवाओं की स्थिति मुख्यत:, ग्रामीण क्षत्रों में, तथा अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से आती है। उपर्युक्त बातों को देखते हुये, सरकार का बच्चों में विकलाँगता को रोकने तथा विकलांग बच्चों को शिक्षित करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है? इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1981-82 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

श्रीमती शीला कौल : वच्चों तथा बड़ों के विकलांग होने के अनेक कारण हैं। विकलांगता कई प्रकार की होती है जैसे दिमागी खराबी नेत्रहीन हो जाना, वहरा हो जाना आदि। हम इनके कुछ कारण जानते हैं। बच्चों में दिमागी खरावी होने का एक कारण है, गर्भवती स्त्री का कुपोषण आनुवंशिकता भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि माननीय सदस्य इन विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को रोकने के कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यहां जिला स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में "क्षेत्र उपचार सेवा" उपलब्ध है। जुलाई 81 तक, 1071 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ये सेवा उपलब्ध हो चुकी थी। इसके वाद पोलियो भी व्यक्तियों को विकलाँग वनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "पोलियो निरोध कार्यक्रम" के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य 1981-82 में 20 लाख वच्चों को,

1982-83 में 30 लाख, 1983-84 में 40 लाख तथा 1984-85 में 50 लाख बच्चों को पोलियो को रोकने की दवायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कुष्ठ रोग विकलांगता का एक अन्य कारण है। इसके लिये हमने कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसका लक्ष्य है छठी योजना के अन्त तक इस रोग को 50 प्रतिशत तक कम करना। हम 2000 शताब्दि तक इस रोग को पूर्णतया समाप्त कर देंगे।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था है। इस कार्य के लिए, सरकार वित्तीय सहायता तथा उपकरण प्रदान करती है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 65.17 रुपये की राशि दी है। यह राशि 31 ऐसी संस्थाओं को बांट दी गई है जो सहायता एवं उपकरण प्रदान करने का कार्य करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों न हम कुष्ठ रोगियों के लिये पृथक पुनर्वास केन्द्र स्थापित कर दें ताकि उनकी देख भाल की जा सके ?

श्रीमती शीला कौल : हमारे यहां ऐसे केन्द्र है···

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ लोगों को इधर-उधर भीख मांगते हुए देखते हैं। इस बारे में भी कुछ किया जाना चाहिये। हमें कम से कम इस प्रकार के व्यक्तियों को इन हरकतों से रोकना चाहिये।

श्रीमती शीला कौल : हम सबको यह देखना है कि यह सब कुछ क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगी।

श्रीमती शीला कौल : जी, हां।

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष जी, जन्म से लेकर मृत्यु तक इन विकलांगों को शिक्षा मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय होते हुए रेल मन्त्रालय और अन्य मंत्रालयों की यात्रा करनी पड़ती है। इतनी लम्बी यात्रा के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार पार्लियामेंट की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायेगी जो मानीटरिंग और कोआर्डिनेशन का काम देखे और सरकार को संचालन में मदद करे ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम शुरू कर दिया है इस विषय में इसलिये पार्लियामेंटरी कमेटी की मैं आवश्यकता नहीं समझती। वैसे आप मालिक हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री जी ने अपने लम्बे चौड़े स्टेटमेंट में बताया कि गर्भवती माताओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक तत्व दिये जाते हैं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिये तरह तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं खासतौर से गन्दी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रो और ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जिनका जिक्र आपने अपने स्टेटमेंट में किया है, इन शहरों में अनुसूचित जातियों के लिये जो यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान या ग्रान्ट देने का मंत्री जी ने कोई क्राइटीरिया बनाया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्रीमती शीला कौल : हम मदद देते हैं उन संस्थाओं को जो हमसे मांगती हैं और काफी तादाद में हम ऐसी संस्थाओं को पैसा बांटते भी हैं 1980-81 में···

अध्यक्ष महोदय : वह क्राइटीरिया पूछते हैं कोई मापदंड हो तो वह बताइये।

श्रीमती शीला कौल : जो आर्गेनाइजेशन्स इस तरह का काम करती आयी हैं, कुछ अर्से तक जिन्होंने लगातार काम किया है और जिनके बारे में हमें जानकारी होती है कि यह सही आर्गेनाइजेशन्स हैं और सही काम करती हैं और कुछ अर्से से कर रही हैं तो उनको हम देते हैं।

: श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सही आर्गेनाइजेशन तो सभी मानी जायेंगी जो भी सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र देंगी।

श्रीमती शीला कौल : ऐसी बहुत सी ऐप्लीकेशन्स स्टेट गवर्नमेंट की मार्फत आती हैं और जब वह ओ. के. कर देती हैं तभी हम उनको देते हैं।

रेलवे प्रशिक्षुता योजना

*372. **श्री एम. एम. लारेंस :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इंजीनियरिंग के ऐसे स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की जिन्होंने रेलवे प्रशिक्षुता योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लिया है, उपयुक्त नौकरी दिये जाने और इस उद्देश्य के लिए रिक्त पदों में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिये लम्बे समय से चली आ रही माँग के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जिन इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों ने प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन रेलों पर अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, वे रेलों पर भर्ती के लिए अन्य बाहरी उम्मीदवारों के साथ साथ रेल सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रवरणों में उपस्थित हो सकते हैं, बशर्ते वे इस प्रकार की भर्ती के लिए आयु तथा अन्य शर्तें पूरी करते हों। उन्हें रेलों पर उपयुक्त पदों पर सीधे समाहित करने तथा इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों के कोटे का कुछ प्रतिशत निर्धारित करने के अनुरोध पर विचार किया गया है, परन्तु इसे स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

श्री एम. एम. लारेंस : महोदय, पहले ऐसे कुछ क्लर्कों को, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, नौकरी में खपा लिया गया था। इसी प्रकार, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इन व्यक्तियों को नौकरी में खपाने से क्यों झिझक रही है जिन्होंने इस प्रशिक्षण को पाने में इतना समय और धन खर्च किया है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार, भारतीय रेलवे में इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को अप्रेंटिसशिप की पेशकश की जा रही है। परन्तु उन्हें नौकरी में खपाया नहीं जाता। इस सम्बन्ध में निर्धारित पद्धति है। इन इन्जीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को अप्रेंटिसशिप के बाद रेल सेवा आयोग का सामना करना पड़ता है। जहाँ रिक्तियां होती हैं वहां रेलवे सेवा आयोग का सामना करने के बाद उन्हें खपा लिया जाता है। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि अप्रैल, 1977 में, तत्कालीन मंत्री ने कुछ लिपिकीय गैर दस्तकारों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी में खपा लिया था। परन्तु बाद में किन्हीं श्री टी. सी. पीटर जो इंजीनियरी स्नातक थे तथा अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त थे, ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर दी थी। अब यह मामला न्यायाधीन है।

श्री एम. एम. लारेंस : क्या सरकार कम से कम मौजूदा व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, नौकरी में खपाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने भी यही कहा है। प्राशिक्षु अधिनियम के अनुसार अप्रेंटिसशिप के बाद उन व्यक्तियों को सीधे ही नहीं खपाया जा सकता। इसके लिये उन्हें रेल सेवा आयोग का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे ने ही उन्हें प्रशिक्षण और 'शाप फ्लोर' पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। अतः रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से आये किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को नियुक्त करने की बजाय हमें खुशी होगी कि ऐसे प्राशिक्षु इन्जीनियरी स्तानकों को नियुक्त किया जाये जिन्होंने रेलवे 'वर्क फ्लोर' से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में देखने से पता चलता है कि रेलवे जो एप्रेनटिसशिप देता है, उस पर वह कुछ खर्च करती है, लेकिन जब एप्रेनटिसशिप की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो उन लोगों को भी फ्रेश पास किए हुए उम्मीदवारों के साथ एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है और कहा जाता है कि वे भी रेलवे सर्विस कमीशन के सामने जाएं। रेलवे एक व्यक्ति को पहले एक प्रिलिमिनरीं टेस्ट लेने के बाद एप्रेनटिसशिप में लेती है, वह हर आदमी को नहीं लेती है, और वह उसकी ट्रेनिंग पर खर्च करती हैं। उसके बाद यदि उसको भी फ्रेश उम्मीदवारों के साथ काम्पीटीशन फेस करना है, तो यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे उस पर खर्च क्यों करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग पर खर्च किया गया है और जिस पर खर्च नहीं किया गया है क्या उन दोनों के बारे में अलग अलग विचार होगा या एक ही तरह से विचार होगा।

श्री मल्लिलार्जुन : जब रेलवे एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को स्टाइमेंड दे कर ट्रेनिंग देती हैं, तो वह और मजबूत बन जाता है और इस लिए जब वह रेलवे सर्विस कमीशन के सामने जाता है, तो वह आसानी से पास हो कर हमारे पास आ सकता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जब रेलवे एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देती है, उस पर पैसा खर्च करती है, तो बाद में उसको फ्रेश ग्रैजुएट्स के साथ काम्पीटीशन में बैठने के लिए लिए क्यों कहा जाता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जब रेलवे सर्विस कमीशन के सामने फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पीयर होते हैं, तो उनके कम्पेरिजन में एप्रेनटीसशिप करने वाले इन्जीनियरिंग ग्रैजुयेट आसानी से पास हो सकते हैं और वे ले लिए जाते हैं। जहां तक खर्च का सवाल है, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा थ्रु आउ। इण्डिया हर डिपार्टमेंट में 1962 में एप्रेनटीसशिप एक्ट लागू किया गया था। वह केवल रेलवे तक परिमित नहीं है। उस कानून में वह नहीं बताया गया है कि जो लोग एप्रेनटिसशिप करते हैं, उनको इमीडिट्ली एवजार्व कर लिया जाए। एप्रेनटिसशिप तो देते हैं, लेकिन अगर वैकेन्सी हो, तो प्रोसीड्युर के मुताबिक आने पर उन लोगों को एवजार्व कर लेते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : पहले एक व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं और उस पर पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद भी उसको ओपन काम्पीटीशन में फ्रेश आदमियों के साथ आना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं बता रहा हूं कि जिस ग्रेजुएट पर रेलवे का पैसा खर्च हुआ, जिसको रेलवे की ट्रेनिंग मिली, हम उसको खुशी से लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पैसे अपनों पर खर्च होते हैं। कोई खास बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप भी यही कह रहे हैं।

श्री केदार पांडे : एप्रेन्टिसशिप की ट्रेनिंग जो टैकनीकल लोग हैं, ओवरसीयर्स हैं, टैकनीकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको दी जाती है। अब यह कहना कि उनको ट्रेनिंग दी गई है इस लिये डायरेक्ट क्यों नहीं रख लेते ऐसा नहीं है, उनको भी रेलवे सर्विस कमीशन के सामने एपिअर होना होगा।। वहां उनका केस काफी आसान होता है, उनकी प्रिफरेंस भी मिल जाता है, लेकिन उसी के थ्रू उन को आना होगा, डायरैक्ट रिक्रूटमेन्ट का कहीं भी ला नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : फिर उन पर पैसा क्यों खर्च करते हैं ?

श्री केदार पांडे : ट्रेनिंग से उनके सिलैक्शन में उनको सुविधा हो जाती है, उनकी नींव मजबूत होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मंत्री जी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये थी कि केन्द्रीय प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ता की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह कुछ प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दें। परन्तु दुर्भाग्यवश वे प्रशिक्षुओं को नौकरी देने के लिये बाध्य नहीं हैं। अब आपने उन्हें यह भी नहीं बताया।

श्री केदार पांडे : मैंने पहले ही कहा है कि उनको नौकरी देना आबलीगेशन नहीं है। उन्हें रेल सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होना चाहिये, चाहे हम प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न है कि मंत्री जी के कथन को ध्यान में रखते हुये, क्या रेल मंत्रालय अथवा रेलवे बोर्ड ने रेल सेवा आयोग को कोई स्पष्ट सलाह या निदेश दिये हैं कि वे उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें जिन्होंने अप्रेंटिसशिप पाठ्यक्रम पास कर लिया है।

दूसरे, यह कि क्या वे हमें बता सकते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों की क्या प्रतिशतता है जो रेलवे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रेल सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित हुये हैं और उन्हें नौकरी में खपा लिया गया है ?

श्री मल्लिार्जुन : मैं प्रशिक्षु अधिनियम के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं। इस पर पुनः बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रश्न के अन्य दो पक्षों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड रेल आयोग के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप उन्हें प्राथमिकता देते हैं। क्या आप मुझे बता सकते है ?

श्री मल्लिकार्जुन : आप में मेरी बात सुनने का धैर्य है। हम उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। परन्तु जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रेलवे प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आयोग के समक्ष उपस्थित होता है, तो अवश्य ही उसके पास होने की अधिक आशा होती है।

दूसरे जहां तक माननीय सदस्य श्री यादव द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न का सम्बध है, हमने

भारत सरकार के सभी विभागों में धन व्यय किया है। न केवल भारतीय रेलवे में बल्कि सभी विभागो में ऐसे प्रशिक्षुकों को वजीफा दिया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। ऐसे प्रशिक्षुकों की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने रेल सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन किया था और जिन्हें वास्तव में नौकरी में खपा लिया गया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय मेरे पास ऐसे प्रशिक्षुकों की प्रतिशतता नहीं है जो रेल सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा

*373. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख रूप से आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्राइमरी और हायर सैकेन्ड्री स्कूलों में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) प्राथमिक स्तर पर या तो प्रमुख से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों अथवा किन्ही अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से कोई **रोजगारोन्मुखी** व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। जहां तक उच्चतर माध्यमिक स्तर का सम्बन्ध है, जिन राज्यों ने 10+2 पद्धति को स्वीकार कर लिया है, उनमें से कुछ राज्यों में व्यावसायिक पाठ्क्रमों की व्यवस्था करने के लिए शुरूआत की गई है। क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये क्षेत्र-वार सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा तथा क्योंकि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा उपस्कर की व्यवस्था भी करनी होगी, अत: या तो प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों या अनुसुचित जन-जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों अथवा अन्य क्षेत्रों में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यापक पैमाने पर उपलब्ध कराने में समय लगेगा।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न केवल आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बाहुल्य क्षेत्र में विशेष रूप से दी जाने वाली रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि विशेष रूप से इन लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह सच है कि केन्द्र द्वारा तथा राज्यों की सरकारो के भरसक प्रयत्नों के बावजूद इन वर्गों के छात्रों में स्कूल छोड़ने के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। स्कूल छोड़ने के प्रतिशत में वृद्धि को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अनेक सिफारिशें की हैं। मैं उनमें से केवल एक ही पढ़ना चाहूंगा :—

"कार्यक्रम उनकी गुंजायमान सांस्कृति में संवर्धन और उनके वातावरण को बनाये रखने में सहायक होना चाहिये।"

इस सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछ सकता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में विशेषकर उच्चत्तर माध्यमिक

और विश्वविद्यालय स्तर पर, पढ़ाई छोड़े जाने के प्रतिशत को कम करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने बताया है, प्राथमिक स्कूल में 1 से 5 तक की कक्षायें होती हैं और वहाँ हमारे पास इन बच्चों के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उन्हें हाथ से कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रकार उनमें श्रम की गरिमा का उत्साहक भरा जाता है। तत्पश्चात्, जब हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर आते हैं, यानी10 वीं के बाद, तो हमारे यहाँ 10+2 की पद्धति की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत छात्रों को नियमित पाठ्क्रम पढ़ाये जाते हैं। यदि वे कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें व्यावसायिक पाठ्क्रम भी पढ़ाये जाते हैं जिन्हें कि वे ले सकते हैं। यदि वे अध्ययन जारी रखना चाहते हैं और डिग्री कोर्स करना चाहने हैं तो वे वैसा भी कर सकते हैं। वे + 1 पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद व्यावसायिक कार्य भी कर करते हैं। किन्तु आदिवासी क्षेत्रों में अथवा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, जहाँ स्कूल हैं, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि अन्य स्कूलों में दिया जाता है।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री महोदया ने जो कुछ भी कहा है वह सरकार की एक आम नीति है कि माध्यमिक स्तर के बाद 10+2 का फार्मूला अपनाना होगा। किन्तु मेरा प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के छात्रों के बारे में है। निस्सन्देह सरकार द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं किन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद, यह एक वास्तविकता है कि उन प्रयत्नों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री महोदय ने पहले ही बता दिया है कि कुछ राज्यों ने इस फार्मूले को अपना लिया है जबकि कुछ अन्य राज्यों ने इस फार्मूले को नहीं अपनाया है। जिन राज्यों ने इस फार्मूले को नहीं अपनाया उन राज्यों के बारे में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने इस बात के लिए क्या कदम उठाए हैं कि उन राज्यों द्वारा इन छात्रों के हित में यह फार्मूला अपनाया जाय ?

श्रीमती शीला कौल : यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने 10+2 की प्रणाली स्वीकार कर ली है और कुछ ने ऐसा नहीं किया है। किन्तु हम उन्हें ऐसा करने हेतु फुसला रहे हैं, कह रहे हैं और अनुरोध कर रहें हैं। हम आशा करते हैं कि बाद में जब उनके द्वारा स्वतः ही आधारभूत ढाँचा तैयार किया जायेगा तो वे इस +2 के कार्यक्रम को अपना लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है जब कि व्यावसायिक एवं ..

अध्यक्ष महोदय : प्राइमरी स्तर तक।

श्री राम विलास पासवान : जैसा हमारे सेठी जी ने हवाला दिया है, शिड्यूल्ड कास्टस् कमिश्नर की रिपोर्ट को देखें तो जो तकनीकी शिक्षा के डिपार्टमेंट का मामला है, वह उसमें बिल्कुल निल जाता है। खास कर के जो प्रधान मंत्री का डिपार्टमेंट है या और दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग नहीं मिलेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट के तो शायद कुछ मिल भी जायं लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के तो बिलकुल नगण्य हैं। इसलिए जब तक आप स्पेशल सेल बना कर उनको तकनीकी शिक्षा नहीं देंगे तब तक सौ वर्ष या 200 वर्ष

तक भी रिजर्वेशन रखें तब भी उनका कोटा कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक ही कलम से उस की जान मार देंगे कि चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते अतः इन्हें अनारक्षित समझा जाएगा।

तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप डेफिनिट एश्योरेंस दीजिए, हम लोगों को बतलाइए कि टेकनिकल शिक्षा के मामले में आप क्या उनके लिये करने जा रहे हैं जिससे कि पाँच साल या दस साल के बाद कोई ऐसा डिपार्टमेंट न बचे जिसे यह कहने का मौका मिले कि सूटेबल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं···(व्यवधान)··· आपको मालूम ही नहीं है तो आप समझेंगे क्या ? जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई।

श्रीमती शीला कौल : मैंने अभी पहले कहा था कि हमने स्टेट्स को लिखा है···

श्री राम विलास पासवान : स्टेट्स को लिखेंगे ? यह आप का काम है। आप के जो डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके लिए आप टेकनिकल शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रही हैं ?

श्रीमती शीला कौल : आप मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर दोबारा सवाल करिएगा। पहले एक दफा सुन लीजिए।

ऐसा है कि हमने लिखा है स्टेट्स को कि वह अपने एरियाज में जहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्राविजन करें और वहां से हमको यह इत्तिला मिली है कि वह चाहते हैं कि हम पहले इन बच्चों को पढ़ा लें जिससे कि टेकनिकली क्वाफिाइ करने में उनको आसानी हो इसलिए इस तरीके का एक सिलेबस बनाया गया है जिसमें इनकी क्वालिफिकेशन बढ़ा कर आगे इनका इस्तेमाल हो सके।

श्री राम विलास पासवान : कहां किया है ? किसी स्टेट की एग्जाम्पल बतलाइए जहाँ हो।

श्रीमती शीला कौल : वह भी है मेरे पास। ऐसे इंस्टीच्यूशंस आन्ध्र प्रदेश ने खोले हैं, गुजरात ने खोले हैं। इसी तरह कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वैस्ट बंगाल, दिल्ली और पांडिचेरी में इस तरह के इंस्टच्यूशस हैं।

श्री भेरावदन के गधावी : जहां तक केन्द्रीय सरकार की शिक्षा नीति का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि कमजोर वर्गों, विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारे पास केन्द्रीय विद्यालय हैं, किन्तु वे बड़े शहरों महानगरों में हैं और केवल वे ही हरिजन और आदिवासी जो उन शहरों में रहते हैं अपने बच्चों को उनमें भेज कर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए एक बड़ा भाग जो गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है वहाँ शिक्षा प्राप्ति की इस सुविधा से वंचित रह जाता है और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाता। यही कारण है कि हमें संविधान में गारंटी के बावजूद हरिजनों और आदिवासियों, विशेषकर आदिवासियों का कोटा न भरे जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का केन्द्रीय विद्यालय पद्धति के आधार पर, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल स्थापना का प्रस्ताव है, ताकि हरिजन और आदि आदिवासी तथा अन्य पिछड़े वर्ग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

श्रीमती शीला कौल : यह प्रश्न केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में है। यद्यपि यह पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं फिर भी उत्तर दूंगी। केन्द्रीय स्कूलों की किसी क्षेत्र विशेष में स्थापना करने के बारे में कुछ नियम होते हैं। मैं समझती हूं कि, सभी सदस्य इन नियमों की जानकारी रखते होंगे। शुरू-शुरू में केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सेवाओं में कार्य कर रहे लोगों के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह साधारण व्यक्ति हो अथवा हरिजन अथवा अनुसूचित जनजाति का हो, यदि वह केन्द्रीय सरकार की सेवा में है, तो उसका बच्चा इस स्कूल में दाखिला ले सकता है। ये स्कूल उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ सार्वजनिक उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय हों और उन कर्मचारियों के बच्चे इन स्कूलों में जा सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का यह मानदण्ड है। यदि कहीं पर केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यकता होती है, और ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो निश्चित ही वहां केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी ···(व्यवधान)

श्री भेरावदन के. गधावी : मेरा प्रश्न केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धित नहीं है।

मुडखेड-आदिलाबाद लाइन

*374. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्रों तथा तापीय बिजलीघरों को कोयले की ढुलाई को सुगम बनाने के लिये मुडखेड–आदिलाबाद लाइन को घुघुस अथवा चनाका तक बढ़ाने के लिये निरन्तर मांग की जा रही है,

(ख) क्या सरकार ने इस लाइन का सर्वेक्षण किया है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन को छठी योजना में सम्मिलित करने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक मांग की गई है।

(ख) जी हां, महाराष्ट्र सरकार की ओर से।

(ग) जी नहीं।

श्री उत्तम राठौर : जनता तथा सरकारों की माँगों से निबटने के रेलवे के अपने रास्ते हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि उसे राजूरा तथा चन्द्रपुर क्षेत्र से कोयले को हैदराबाद के रास्ते पारली वैजनाथ ले जाना है और यदि इस लाइन को आदिलाबाद से घुघुस लेजाया जाता है तो उसके लिए कोयले का ले जाना आसान रहेगा और इस प्रकार लागत भी कम लगेगी। उन्होंने इस लाइन के सर्वेक्षण पर भी पैसा खर्च किया है। उन्होंने इस सर्वेक्षण पर लगभग 10 से 15 लाख रुपये खर्च किए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइन को छठी योजना में शामिल करने में क्या कठिनाई है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह सच है कि 1976 में मुदखेद से आदिलाबाद तक एक सर्वेक्षण किया गया था किन्तु इसे लाभप्रद नहीं पाया गया। इसलिए इसे छोड़ दिया गया। तथापि, निरंतर माँग और इसके अतिरिक्त, सीमेंट संयंत्र आदि लग जाने के कारण अब यह निर्णय पर लिया गया है कि रमणी मुदखेद आदिलाबाद के बीच गेज बदल दिया जायेगा और

आदिलाबाद से पीपलकुटी तक एक नई लाइन का सर्वेक्षण किया जायेगा। इसका दोबारा सर्वेक्षण होना है और अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अगले वर्ष किया जायेगा और इसे छठी योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

एशियाई लोग ब्रिटेन में जातीय रोष के शिकार

*375. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में 'एशियन मेन विकटिम्स आफ यू. के. रेसियल रैथ" (एशियाई लोग ब्रिटेन के जातीय रोष के मुख्य शिकार) शीर्षक प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंगलैंड और वेल्स में जातिवाद की भावना से प्रेरित अनुमानतः 7000 घटनायें एशियाई और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ प्रतिवर्ष घटित होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनमें उल्लिखित अध्ययन का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है; और

(ग) इस अध्ययन के अनुसार ब्रिटेन में प्रति वर्ष अनुमानतः कितने भारतीय और उनके परिवार के सदस्य जातीय रोष के शिकार होते हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) जो लोग जातिवाद की भावना से प्रेरित घटनाओं के शिकार हुए थे, उनकी जाति का पता लगाने पर यह पाया गया कि ऐसे प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में श्वेतों की संख्या का अनुपात 1.4 अश्वेतों का 51.2, एशियाइयों का 69.7 और अन्य जाति के व्यक्तियों का 11.3 है।

विभिन्न कारणों से जातीय दंगों की सभी घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में नहीं दर्ज कराई जाती फिर भी यह अनुमान है कि इंगलैंड और वेल्स में इस समय प्रति वर्ष जातीय विद्वेष से प्रेरित लगभग 7,000 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस सम्बंध में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जातीय अल्पसंख्यकों और विशेषतया एशियाइयों (भारतीय, पाकिस्तानी और बंगलादेशी) को जातिवादी आक्रमणों का अधिक सामना करना पड़ा है। अध्ययन में इस बात के अलग से आंकड़े नहीं दिए गए हैं कि कितने भारतीय इन घटनाओं के शिकार हुए हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एशियाइयों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं का असामान्य रूप से उच्च अनुपात है। स्वाभाविक है कि ब्रिटेन में तर्कसंगत भेदभाव की इन घटनाओं और संभवतया नव-नाजियों का इनसे संबंध होने के कारण हम भारत में अत्यधिक क्षुब्ध और बहुत उत्तेजित हैं, विशेषकर जबकि ब्रिटेन की आर्थिक उत्पादकता में बंगलादेश वासियों, पाकिस्तानियों तथा भारतीयों का योगदान सर्व विदित है। इसके बावजूद हमें 'पाकिबाशिंग' जैसी गालियों तथा हिंसक घटनाओं का लक्ष्य बनाया जाता है।

मेरा प्रश्न यह है कि ब्रिटेन में जातीय प्रतिकूलताओं तथा जातीय भेदभाव को दूर करने

के लिए हाल ही में 11 दिसम्बर को ब्रिटेन के गृह सचिव श्री विलियम ह्वाईटला ने एक बड़ा नया कदम उठाने की घोषणा की है। ह्वाइटला ने कहा है : कि वे जातीय भेदभाव का सामना करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के हक में हैं लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भेदभाव बरतने वाले पक्ष से भेदभाव किया जाए।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने प्रतिकूल भेदभाव की बात कही है। संभवतया उसका अभिप्राय यह है कि ऐसा करते समय किसी अन्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या ब्रिटेन के गृह सचिव ने प्रतिकूल भेदभाव की जो बात कही है वह इस बात का प्रमाण नहीं है कि तथाकथित प्रभावी कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही इस प्रश्न पर पूर्वाग्रह हैं ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि : (क) भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार को यदि कोई सुझाव दिए हैं तो वे क्या हैं ? और

(ख) प्रोफेसर डेविड डोनिग्टन जो सप्लीमेंटरी बेनीफिट्स कमीशन, ब्रिटेन के चेयरमैन हैं, ने कहा है कि दंगे राजनीति प्रेरित नहीं हैं बल्कि आर्थिक कारणों से हैं। प्रोफेसर डोनिग्टन की इन प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप तथ्य प्रकट हुए हैं। अब तथ्य अकाट्य हैं; वे धार्मिक हैं। वे प्रकट हो गये हैं और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्थिति क्या है। श्री ह्वाइटला ने स्वयं अपने प्राक्कथन में कहा है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"यह अरोप गंभीर था और यह आवश्यक था कि हम सच्चाई आदि का पता लगायें।"

और तत्पश्चात वह कहता है :

"यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और मैंने महसूस किया है कि इसे पूर्ण रूप में प्रकाशित करना सहायक होगा।"

उसने आगे यह भी कहा है :

"लेकिन अध्ययन ने स्पष्टतया यह दर्शाया है कि जातीय हमलों के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता न्यायोचित है। जातीय प्रेरित हमले, विशेषकर एशियाइयों पर, हमारी प्रत्याशा से अधिक हो रहे हैं और ऐसे संकेत हैं कि वे बढ़ रहे हों।"

अत:, ये सभी तथ्य उसके द्वारा बताए गए हैं और उसने कुछ उपाय भी सुझाए हैं जिन्हें वह करना चाहता है। मैं उन्हें नीचे उद्धृत करता हूं :

"स्थानीय स्तर पर जातीय हमलों की घटनाओं के बारे में सूचना का पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों, जिनकी इस क्षेत्र में विशिष्ट जिम्मेदारी है, द्वारा एकत्र करना;

"इस समस्या की गम्भीरता को समझने में अब तक असफल रहने का मुख्य कारण तत्सबन्धी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध न होना है;

"इस बात का पता लगाया जाने की जरूरत है कि सभी क्षेत्रों में पुलिस, स्थानीय प्राधिकारियों और नैतिक अल्प संख्यकों के बीच सम्पर्क बनाए रखने के लिए किस प्रकार की सुस्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए;

"पुलिस अधिकारिधों को प्रशिक्षण देना जिससे कि उनमें जातीय हमलों की संवृत्ति तथा अल्प संख्यकों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के प्रति अधिक प्रवणशीलता विकसित हो। इस

प्रशिक्षण में अल्प संख्यकों को कक्षाओं में शामिल करने की ओर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए;

"पुलिस अधिकारियों के लिए कार्य प्रशिक्षण में नैतिक अल्प संख्यकों द्वारा पुलिस की सहायता करना और सामुदायिक नेताओं को अपराध तथा कानून के बारे में पुलिस द्वारा स्थिति स्पष्ट कराने सम्बन्धी व्यवस्था करना।;

इसके अतिरिक्त, मुझे नम्बर की शायद 11 तारीख को श्री व्हाइटला से मिलने का अवसर मिला था। उन्होंने सर्वप्रथम इस रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया जो कुछ दिनों के भीतर ही उन्हें प्रस्तुत की जा रही थी. जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि एशियाई मूल के व्यक्तियों की पुलिस बल में बड़ी संख्या में भरती करना बहुत उपयोगी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके द्वारा किये गये भरसक प्रयत्नों के बावजूद एशियाई मूल के व्यक्ति पुलिस बल में भरती होने के लिए आगे नहीं आ रहे थे।

अब हमें इनमें से कतिपय बातों पर विचार करना है। रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। हम भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। नैतिक समूहों के प्रतिनिधि भी इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अब जबकि तथ्य प्रकट हो गए हैं, उसके द्वारा पहले ही सुझाए गए उपायों के अलावा अनेक अन्य उपायों पर विचार करना संभव होगा। अतः, मैं समझता हूं कि यथा समय इन उपायों के बारे में बताया जाएगा और उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री माधव राय सिंधिया : मैं यह समझ लूं कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप अभी इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। ब्रिक्सटन दंगों के बाद जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उससे दूसरे दिन ब्रिटेन के एक "न्यूज आव दा वर्ल्ड" नामक साप्ताहिक पत्र ने किए गए अपने एक **'विचार** सर्वेक्षण' के परिणामों को इस शीर्ष के साथ प्रकाशित किया : कृपया हमें घर भेजिए। "फ्रोक सही कहता है" विचार सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, पूछताछ किए गए काले लोगों में से 47 प्रतिशत लोग अपने मूल देश को लौटना चाहते थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और यदि यह सच है तो क्या भारत सरकार भारतीय मूल के ऐसे लोगों को भारत में पुनर्स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : वास्तव में, जिस ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है वह रिपोर्ट के निष्कर्ष में अन्तर्विष्ट है. मैं उसे पढ़कर सुनता हूं :

"(क) अनेक जातीय घटनाएं युवा गिरोहों द्वारा की जाती हैं।

(ख) जातीय हमलों के कारण नैतिक अल्प संख्यक डरे-डरे रहते हैं और अपने भविष्य के बारे में आशंकित रहते हैं।

(ग) एशियाई समुदाय की प्रायः यह धारणा है कि वह निरन्तर जातीय उत्पीड़न के अभियान का शिकार है और उसे अशंका हैं कि यह उत्पीड़न भविष्य में और भी अधिक बढ़ेगा।

ये सभी बातें उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में स्वीकार की गई हैं। हमें कोई अन्य विचार सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं है। इन कठिनाइयों और कुल मिलाकर स्थिति जो निश्चय ही गम्भीर है, को ध्यान में रखते हुए उपाय सुझाए जा रहे हैं और मैं निश्चय ही माननीय सदस्यों

से अनुरोध करूंगा कि वे भी इन सदस्यों की ओर ध्यान दें और यदि उनसे कोई सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच करने तथा ब्रिटेन सरकार को भेजने में हमें प्रसन्नता होगी।

श्री चित्त बसु : महोदय, जिस अध्ययन की ओर ध्यान दिलाया गया है उसमें यह भी बताया गया है, जो मैं उद्धृत करता हूं :

"कामन्स संयुक्त समिति के अनुरोध पर जातिवाद के विरुद्ध किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि :

(एक) खेत लोगों की तुलना में रशियाई लोगों के उत्पीड़ित किए जाने की संभावना 50 गुना अधिक थी।

(दो) काले लोगों पर हमले किए जाने की संभावना 36 गुना अधिक थी।

निष्कर्ष में उन्होंने यह भी कहा है कि जातीय हमले किसी की भी आशा से परे बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने भी अपने उत्तर के दौरान यह बात स्वीकार भी की है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता विधेयक के पारित हो जाने से इस तनाव में और वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप एशियाइयों, विशेषकर भारत बंगला देश तथा पाकिस्तान मूल के लोगों के लिए और अधिक परेशानी पैदा हो जाएगी। यदि सरकार का मूल्यांकन यह है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ब्रिटेन सरकार से कहा है कि वह कुछ उपाय करे ताकि यह स्थिति एक खतरनाक मोड़ पर न पहुंचे ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, मैंने नये राष्ट्रीयता अधिनियम के बारे में अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। वह एक कानून बन गया है। लेकिन ऐसा है कि यह वास्तव में एक वर्ष अथवा इतनी ही अवधि के बाद प्रवृत्त होना है। हमने ब्रिटेन सरकार के साथ अनेक चर्चायें की हैं सभा को मालूम है कि एशियाई समुदाय तथा हमारे द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप तथा उनके साथ हुई हमारी चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वे कतिपय संशोधन करने के लिए सहमत हो गये हैं। उन्होंने काफी हद तक कठिनाइयों को दूर कर दिया है लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ किया जाना है वह सब कुछ कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही अनुरोध किया है, यह एक सतत प्रक्रिया है और हम क्रियाशील हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : एशियाइयों के जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा के लिय कतिपय अल्प-कालिक उपाय शीघ्र करने की जरूरत है। विभिन्न रिपोर्टें सामने आई हैं जिनकी ओर यहां ध्यान दिलाया गया है तथा जिन्हें पढ़ा गया है।

मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जहाँ तक एशियाई समुदाय के लोगों की रक्षा का प्रश्न है, ब्रिटिश और भारतीय समाचार पत्रों ने एक चीज की ओर ध्यान दिलाया है और वह है वहां की स्थानीय पुलिस का रवैया। वहाँ की पुलिस इन लोगों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रही है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। इसीलिए एशियाई समुदाय को इस तरह से आतंकित किया जा रहा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान मामले के इस पक्ष की ओर दिलाया है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैंने गृह सचिव की प्रस्तावना से यही तो पढ़ा था जिसमें यह ध्यान दिलाया गया है कि पुलिस वह नहीं कर रही है जिसकी उससे उपेक्षा है, कुछ पहल करने की कमी है जिसे दूर करने के बारे में उन्होंने बताया है कि कुछ कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, विदेश मन्त्री · (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, विदेश मन्त्री ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन में काले रंग के लोगों पर हमलों के बारे में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस मामले को उठाया था और इस विषय पर यू. के. की प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इन राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में द्विपक्षीय मामले नहीं उठाये जाते हैं। यह वि य कार्यसूची में नहीं था किन्तु आपको स्मरण होगा जब ब्रिटिश प्रधानमन्त्री भारत आयीं थीं तो उनमें इस विषय पर बातचीत हुई थीं। संसद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने केन्द्रीय सरकार में बयान दिया था और इस मामले पर दोनों सरकारें समय-समय पर बातचीत करती रही हैं। बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक ऐसा मामला है जिससे राष्ट्रमण्डल देशों के बीच सम्पूर्ण सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। इन लोगों को राष्ट्रमण्डल का नागरिक समझा जाता है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अनुपूरक प्रश्न यह था कि क्या प्रधान मन्त्री ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी ? स्वयं प्रश्न में समस्या को द्विपक्षीय रूप दिया गया है। इसमें मेरा दोष नहीं है।

प्रो. के. के. तिवारी : अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि स्थिति में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के राष्ट्रीयता विधेयक में कुछ उपाय किए गए हैं। दूसरी ओर वह यह कहते हैं कि भारतीय नागरिकों पर हमलों की संख्या और उन्हें अपमानित करने के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय प्राधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को अपना कड़ा विरोध प्रकट किया है और अपनी पूरी अप्रसन्नता के बारे में बता दिया है क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस बिगड़ती स्थिति को रोकने में असमर्थ रही है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, हम ब्रिटिश सरकार के साथ यह मामला उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह एक निरन्तर चलने वाला मामला है।

श्री आर. एन. राकेश : एक सवाल करने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहुत सारा समय लग गया है। इस पर डिस्कशन करवा दिया था और आपको समय दूंगा, तो औरो को भी देना होगा।

श्री आर. एन. राकेश : एक सवाल करने दीजिए, मान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। आप भी मेरी बात को मना कीजिए।

श्री आर. एन. राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति है कि एशियाई लोगों के प्रति ब्रिटेन में जो जाति-भावना है, उसके बारे में यहाँ के लोगों की भावना को उन तक पहुंचाया जाए, तो उसको यू. एन. ओ. या

संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की जरूरत पड़ गई और उस समय आपसे यह पूछा जाए कि आप हिन्दुस्तान में जातिवाद से पीड़ित हैं तो आप उसका क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

बीड़ियों पर सांविधिक चेतावनी छापना

*376. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री भीखा भाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ियों के बंडलों पर यह सांविधिक चेतावनी मुद्रित कराने का है कि "बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारिक है"; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। चूंकि यह मामला राज्य-सूची के विषयों में आता है, इसलिये राज्य सरकारों को अपेक्षित कार्यवाई करने की सलाह दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने यह माना है। आपने इसको स्टेट सब्जेक्ट बताकर स्टेट्स को एडवाइज्ड कर दिया है। जब आपने उनको यह सलाह दी है तो केन्द्रीय सरकार अपने यहाँ इसको लागू क्यों नहीं करती है ? क्या कारण है ? दूसरे, हिन्दुस्तान में बीड़ी पीने वालों की हैल्थ को कितना-कितना नुकसान होता है और इससे क्या बीमारी होती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : महोदय, जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है, यह मामला राज्य सूची में आता है और संसद इस पर कोई कानून बनाने के लिये समक्ष नहीं है। अतः हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं किन्तु हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे 1975 के अधिनियम की तरह अपने कानून अधिनियमित करें या संकल्प पारित करें।

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह क्या उत्तर दिया है ? यह उत्तर कुछ नहीं है। आप अपने यहाँ इसको लागू क्यों नहीं करते हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री वी. शंकरानन्द : स्थिति यह है कि बीड़ी उद्योग स्वयं संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं ? अतः संघ राज्य क्षेत्रों का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री मूलचन्द डागा : इसका आन्सर क्यों नहीं है ? इस कानून को केन्द्रीय सरकार अपने यहाँ, यानी यूनियन टेरीटरीज में क्यों नहीं लागू करती है ?

श्री वी. शंकरानन्द : मेरे मित्र ने बात नहीं समझी है। प्रश्न संघ राज्य क्षेत्र या राज्य का नहीं है, यह राज्य-सूची का मामला है और जब यह विषय समवर्ती सूची या संघ सूची में नहीं है तो हम कोई कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं। अतः जब हम इस बारे में कोई कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं तो संघ राज्य क्षेत्र या राज्य का प्रश्न कहाँ उठता है ?

आचार्य भगवान देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि बीड़ी पीने से कौन-कौन-सी बीमारी पैदा हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप काहे को उनका इम्तिहान लेने लगे हैं ?

श्री कर्ण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह माना है कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है हालांकि कामतौर पर ऐसा नहीं माना जाता है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) जिन राज्यों को उन्होंने सुझाव दिया था उनमें से कितने राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और (ख) क्या मंत्री महोदय को पता है—क्योंकि मुझे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विधेयक संसद में रखने का सम्मान प्राप्त है—कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने इस सभा द्वारा पारित विधेयक का मखौल बनाकर रख दिया है। चेतावनी पढ़ी ही नहीं जाती है। चमकदार विज्ञापनों में चेतावनी के शब्द बहुत नगण्य होते हैं। सिगरेट विज्ञापनों पर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। यह एक तमाशा हो गया है और सिगरेट कंपनियों को होने वाले लाभ के एवज में इस देश का स्वास्थ्य गम्भीर खतरे में पड़ गया है। इस बारे में मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री वी. शंकरानन्द : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न है, विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे गये थे परन्तु उत्तर केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने दिया है; किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इस बारे में संकल्प पारित करना इस समय न तो व्यवहार्य है और न ही इससे किसी प्रकार की सहायता मिलने की आशा है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं राज्य सरकारों से प्राप्त हो रही हैं।

जहां तक सिगरेटों का सम्बन्ध है, हालांकि प्रश्न सिगरेटों से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बिलकुल सही है कि यह विधेयक तमाशा बनकर रह गया है : आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में इस कानून को सख्ती से लागू किया जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में घाघरा पर सड़क पुल बनाये जाने का प्रस्ताव

*377. **श्री राम नगीना मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में घाघरा पर एक सड़क पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है उसमें से कितनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय गोरखपुर-बलिया मार्ग पर तुरतीपर के पास घाघरा नदी के पुल के निर्माण से

है। यह मार्ग एक राज्य की सड़क है। इसलिए प्रस्तावित पुल से उत्तर प्रदेश सरकार सम्बन्धित है। लेकिन इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वेक्षण और जांच पड़ताल का काम कराने के लिए 9.77 लाख रुपये की ऋण सहायता का अनुमोदन किया है। यह सूचना मिली है कि उक्त राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण कार्य के लिए एक अनुमान स्वीकृत कर दिया है और राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से सर्वेक्षण कराने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी है।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को सुविधायें

*378. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम के क्षेत्राधिकार में न आने वाले मार्शलिंग यार्डों, लोको शेडों और खराब लाइनों तथा वर्कशापों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की कार्य दशा सुधारने के लिये अपेक्षित सुविधाओं का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी कार्यदशा सुधारने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कितनी अवधि के भीतर कार्यान्वित होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) से (ग) विन्यास यार्डों, लोकों शेडों, मरम्मत लाइनों आदि सहित विभिन्न स्थापनाओं में नियोजित रेल कर्मचारियों की कार्य-दशा की ओर रेलें समय-समय पर ध्यान देती रहती हैं और इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। यह प्रक्रिया रेलवे के कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिए किये जाने वाले सतत प्रयासों का अंग है।

हिजिली टाइडल नहर और उड़ीसा तटीय नहर का सुधारा जाना।

*379. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास डिजिली टाइडल नहर और उड़ीसा तटीय नहर को सुधारने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन नहरों की सुधारने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क), से (ग) : केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में डिजिली टाइडल कनाल और उड़ीसा कोस्ट कनाल के सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों और अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के मुख्य इन्जीनीयर और प्रशासक द्वारा कनाल का संयुक्त रुप से निरीक्षण किया जाना था। इस कनाल के पश्चिम बंगाल वाले भाग का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो चुका है और आशा है, उड़ीसा वाले भाग में यह निरीक्षण

जनवरी, 1982 में शुरू किया जाएगा। इस संयुक्त निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा इन कनालों के सुधार के लिए प्रस्ताव बनाए जाएंगे।

"क" और "ख" श्रेणी के पदों में विकलांगों के लिए आरक्षण

*380. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण के बारे में 17 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6963 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण की सुविधा "क" और "ख" श्रेणी के पदों के सम्बंध में भी देने का निर्णय किया है ; और

यदि हां, तो क्या सभी वर्गों के उम्मीदवारों और सभी श्रेणियों के पदों के लिए पदों का आरक्षण न केवल प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उपलब्ध है बल्कि बाद में होने वाली पदोन्नतियों के लिए भी है, और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्ष और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) श्रेणी (क) और (ख) के कुछ प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने से सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख)- इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन ग और घ श्रेणियों के 3 प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियो के लिए आरक्षित हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण केवल आरम्भिक नियुक्ति के किया जाता है। अन्य गैर-आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की तरह वे भी पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

आल इण्डिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन, पुणे से प्राप्त ज्ञापन

*381. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को। अप्रैल, 1957 के बाद भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में आल इण्डिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन, पुणे से दिनांक 15 सितम्बर, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त ज्ञापन में उठाई गई प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) (क) जी हां।

(ख) उसमें 1-4-1957 को या उसके बाद राज्य रेलवे भविष्य निधि (अन्शदायी) योजना के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को कुछ तदर्थ राहत देने की मांग की गयी है।

(ग) इस समय वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके उपर्युक्य मांग की जाच की जा रही है।

खजुराहो

*382. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्या" में

"सेवियर्स आफ खजुराहो" (खजुराहों के उद्धार (शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष जानकारी प्राप्त कारीगरों का एक दल ऐतिहासिक तथा विश्वविख्यात मंदिरों की सुरक्षा के लिये मूलतत्वों के विरूद्ध कठोर परीक्षा कर रहा है ;

(ग) क्या मूलत: बने 85 मंदिरों में से बचे 22 मन्दिरों पर मूल तत्वों के लगातार प्रभाव के अमिट चिन्ह पड़ गये हैं ;

(घ) क्या श्रृंगारिक मूलर्तिकला तथा सौन्दर्य के इन प्राचीन प्रतीकों को सुरक्षित रखने में कलाकृति ध्वंसन के व्यापक रूप में व्याप्त आशंका, विशेषकर युवा और गर-जिम्मेदार लोगों द्वारा कलाकृति ध्वंसन की आशंका एक लगातार सिर दर्द बनी हुई है ; और

(ड.) यदि हां, तो लगभग एक हजार वर्ष पूर्व बनाये गये खजुराहों के मंदिरों को यथासंभव सुरक्षित रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) जी हां, ।

(ग) से (ड.) राष्ट्रीय महत्व के रूप में संरक्षित अधिकांश मन्दिरों पर वातावरणीय मूल तत्वों के प्रभाव के कारण कालदोष के चिन्ह दिखाई देते हैं ।

तथापि, संरचनात्मक और रासायनिक अभिक्रिया के जरिये इन स्मारकों पर बराबर ध्यान दिया जाता है ।

युवा और गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कलाकृति-ध्वस किये जाने के उदाहरण विरले ही हैं । मन्दिरों की सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर के क्षेत्र में वाड़ लगा दी गयी है और इन मन्दिरों में अहर्निश पहरे व निगरानी की व्यवस्था है ।

उलट गये रेलवे वैगनों का उपयोग

*383. **श्री राम अवध** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत से रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे लाइनों के पास बहुत से उलट गये रेलवे वैगन पड़े हुए हैं और इनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं । रेल की पटरी के पास केवल थोड़े से माल डिब्बे पड़े हुए हैं ।

(ख) अपरिहार्य मामलों में यातायात पुन: चालू करने के सम्बन्ध में लाइनों की निकासी के लिए इन माल डिब्बों को पटरियों से अलग कर दिया गया है । ये माल डिब्बे उनकी हालत के आधार पर पुन:स्थापन और मरम्मत के लिए रद्द किये जाने और निपटान के लिए पड़े हुए हैं । गतायु बेकार स्टाक का निपटान करने के लिये निर्धारित स्थानों पर भी माल डिब्बे पटरी से अलग कर दिये जाते हैं और अन्तिम निपटान के लिए खड़े कर दिये जाते हैं ।

जी. टी. एक्सप्रेस के तीन टायर वाले शयनयान डिब्बे में आग लगने के कारण

*384. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5/6 जुलाई को जी. टी एक्सप्रैस के तीन टायर वाले शयनयान डिब्बे में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) आग लगने के परिणामस्वरूप यात्रियों को किस हद तक हानि हुई; और

(ङ) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) और (ङ) 6-7-1981 को जब 16 अप जी. टी एक्सप्रैस मध्य रेलवे के करोंदा और अपासोड स्टेशनों के बीच चल रही थी, दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे में आग लग गई। गाड़ी रोक दी गई और प्रभावित डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया गया।

आग से किसी को चोट नहीं आई।

जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह मालूम देता है कि आग आपराधिक अपराध के कारण लगी। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

(घ) हानि की मात्रा का निर्धारण पदेन दावा आयुक्त द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर किया जायेगा।

226 अप तथा 265 डाउन जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रैस गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाना

*386. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 266 अप तथा 265 डाउन जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रैस गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस महत्वपूर्ण गाड़ी को अहमदाबाद तक कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन 1-4-1981 से भिलड़ी के रास्ते 265/266 जोधपुर-भिलड़ी गाड़ी और 65 ए/66 ए भुज-अहमदाबाद तेज सवारी गाड़ी के साथ जोधपुर और अहमदाबाद के बीच श्रू सवारी डिब्बों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इस प्रकार जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी यात्रा की व्ययवस्था हो गई है। बहरहाल, इस गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

आसनसोल स्टेशन का विस्तार

*387. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसनसोल स्टेशन में पर्याप्त जगह न होने के कारण 305 अप तथा 306 डाउन आसनसोल एक्सप्रैस, सामान्य तौर पर 17 यात्री डिब्बों के बजाय 12 यात्री डिब्बों से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार 17 यात्री डिब्बों के साथ रेल गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महोदय, 305/306 हावड़ा-आसनसोल एक्सप्रैस 13 डिब्बों के सामान्य भार के साथ चलती है, क्योंकि आसनसोल स्टेशन पर स्टेबलिंग लाइन पर केवल 13 डिब्बे ही खड़े किये जा सकते हैं।

(ख) और (ग) स्टेशन यार्ड के ढांचे में थोड़ा परिवर्तन करके स्टेबलिंग क्षमता को बढ़ाकर वहाँ 15 डिब्बे खड़े करने की व्यवस्था करने का विचार है।

रेलवे पुलिस बल का विस्तार

*388. **डा. वसन्त कुमार पंडित :**

श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें रेलवे पुलिस बल का विस्तार करने पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें 50 : 50 के आधार पर लागत वहन करने पर सहमत नहीं हुई हैं, यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे ने सरकारी रेलवे पुलिस पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत व्यय वहन करने का निर्णय किया है;

(घ) क्या रेलवे तथा राज्य सरकारों का रवैया रेलवे पुलिस बल के विस्तार में बाधा डाल रहा है; और

(ङ) रेलों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) राज्य सरकारों को अपनी राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या की पुनरीक्षा करने और जहां अपर्याप्त समझा जाये वहां उसमें वृद्धि करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप राजकीय रेलवे पुलिस के 6020 अतिरिक्त पद पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनके लिये रेलवे ने अपनी सहमति दे दी है।

कालेजों की अनायोजित वृद्धि पर रोक

*389. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि ऐसे अनेक अर्थक्षमता रहित कालेज हैं जिनमें ठीक सुविधाएं नहीं हैं और यह कि कालेजों की अनायोजित वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यही नीति रही है कि उच्च शिक्षा की नई संस्थाओं की स्थापना पर नियंत्रण होना चाहिए, परन्तु उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित कर लेने के बाद ही स्थापित किया जाना चाहिए।

दुमका-सेठिया लाइन

*390. **डा. सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुकमा और सेठिया के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मंदारहिल-दुमका-सैथिया रेल लाइन के भाग के रूप में दुमका से सैथिया तक रेल लाइन के लिए पहले किये गये सर्वेक्षणों से पता चला था कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी। इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाई नहीं की गई।

सेवा रिकार्डों की जांच और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करना

4190. **श्री डूगर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** सेवा रिकार्डों की जांच और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2611 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपयुक्त उत्तर के (ख), (ग) और (घ) भागों में उल्लिखित उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके सेवा रिकार्ड आवश्यक सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये वेतन और लेखा अधिकारी के पास अभी तक नहीं भेजे गये हैं;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके रिकार्ड अधूरे हैं तथा उन्हें ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) शेष अधिकारियों के सेवा रिकार्डों के सत्यापन कार्य को पूरा करने तथा उन्हें अगली कार्यवाही के लिये वेतन तथा लेखा अधिकारी के पास भेजने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जिन अधिकारियों के सेवा रिकार्ड संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी के पास अभी तक नहीं भेजे गये हैं उनके नाम विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिन अधिकारियों के सेवा रिकार्ड अपूर्ण हैं उनकी सूची विवरण-2 पर है। इन अधिकारियों के सेवा रिकार्डों को पूरा करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के सेवा-रिकार्डों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और वेतन एवं लेखा-अधिकारी (सचिवालय) द्वारा उनके सेवा रिकार्डों में इस आशय का प्रमाण-पत्र रिकार्ड करने के बाद उन्हें आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

विवरण-1

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन अधिकारियों की सूची जिनके सेवा रिकार्ड सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए वेतन एवं लेखा-अधिकारी के पास अभी तक नहीं भेजे गये हैं ।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1.	श्री डी. आर. शर्मा	वरिष्ठ वास्तुकार
2.	श्री डी. एम. चड्ढा	सहायक महानिदेशक
3.	श्री शिव दयाल	उपनिदेशक प्रशासन
4.	श्री एस. डी. मतांगे	वास्तुकार
5.	श्री बी. सी. मिस्त्री	वास्तुकार
6.	श्री डी. आर. चावला	सांख्यकीविद्
7.	श्री के. देवाराजन	सांख्यकीविद्
8.	श्री एम. सी. जैन	अनुभाग अधिकारी
9.	श्री एस. पी. कठपालिया	अनुभाग अधिकारी
10.	श्री एस. के. चौधरी	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
11.	श्री जे. सी. हाडा	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
12.	श्री एच. टी. कंसारा	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
13.	श्री वी. आर. मैंकर	तकनीकी अधिकारी
14.	श्री डी. एन. ढींगरा	वरिष्ट वैयक्तिक सहायक
15.	श्री एम. सी. वाली	अनुभाग अधिकारी
16.	श्री आई. पी. माथुर	अनुभाग अधिकारी
17.	श्री एच. सी. वर्मा	अनुभाग अधिकारी
18.	श्री एल. पी. नथानी	अनुभाग अधिकारी
19.	श्री एच. आर. बट्टा	अनुभाग अधिकारी
20.	श्री पी. एस. सरना	आशुलिपिक
21.	श्री बी. एल. भाटिया	आशुलिपिक
22.	श्री बी. आर. गुप्ता	सहायक
23.	श्री एच. डी. जोशी	सहायक
24.	श्री पी. सी. गुलाटी	सहायक
25.	श्री एस. एस. गुलाटी	सहायक
26.	श्री के. आर. रामचन्दानी	सहायक
27.	श्री एम. आर. गुप्ता	सहायक
28.	श्री ए. पी. चौधरी	सहायक
29.	श्री आर. डी. निमेश	सहायक
30.	श्री वी. एस. शर्मा	सहायक

1	2	3
31.	श्री एल. एन. चोपड़ा	सहायक
32.	श्री डी. एस. नेगी	सहायक
33.	श्री एस. एम. भटनागर	सहायक
34.	श्री कृष्ण लाल	सहायक
35.	श्री आर. डी. तिवारी	सहायक
36.	श्री वीनसेंट काजूर	सहायक
37.	श्री पी. सी. गुप्ता	सहायक
38.	श्री मनफूल सिंह	सहायक

विवरण-2

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन अधिकारियों की सूची जिनकी सेवा पंजियां अपूर्ण हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री डी. आर. शर्मा	वरिष्ठ वास्तुकार
2.	श्री डी. एस. नेगी	सहायक
3.	श्री टी. डी, तिवारी	सहायक
4.	श्री एम. आर. गुप्ता	सहायक
5.	श्री एल. एन. चौपड़ा	सहायक
6.	श्री वी. काजूर	सहायक
7.	श्री बी. आर. गुप्ता	सहायक

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 31 और 34 की मरम्मत

4191. **श्री ये. के. राय** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पश्चिमी बंगाल में बरहामपुर और सिलीगुड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 वर्षों से टूटीफूटी स्थिति में है जिससे उत्तर बंगाल तक यह महत्वपूर्ण मार्ग वास्तव में वाहनों के उपयोग के लायक नहीं रहा,

(ख) यदि हां, तो इस समय किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी दूर तक हालत अत्याधिक खराब है,

(ग) गत दो वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 की मरम्मत पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी मरम्मत की गई,

(घ) क्या यह सच है कि इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई तथा पूरी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का जांच करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। यह यातायात के योग्य है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए नियत धनराशि के अलावा बाद में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत और विशेष मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 1980–81 और 1981–82 (अब तक) में क्रमशः कुल 50.53 लाख व 4.79 लाख रुपये विचाराधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य प्रायः पूरा हो चुका है। इसके अलावा बरहामपुर और सिलगुड़ी के बीच इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को चौड़ा करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1980-81 और 1981–82 (अब तक) में क्रमशः कुल 182.10 लाख रुपये और 246.06 लाख रुपये के अनुमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन कार्यों पर काम हो रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

'पाक सस्पेक्टेड आफ डाइवरटिंग प्युअल फार बाम्ब' शीर्षक से समाचार

4192. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "पाक सस्पेक्टेड आफ डाइवरटिंग फ्युअल फार बाम्ब" (पाकिस्तान द्वारा बम बनाने के लिए ईंधन के प्रयोग की आशंका) शीर्षक समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के बारे में पाकिस्तान सरकार को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। पाकिस्तान ने यह आश्वासन दिया है कि नाभिकीय हथियार बनाने का उनका कोई विचार नहीं है। आशा है कि पाकिस्तान अपने इस आश्वासन का पालन करेगा।

उड़ीसा में जन स्वास्थ्य केन्द्र

4193. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान उड़ीसा में कुल कितने जन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में किन-किन स्थानों पर इस अवधि के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे जन स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते समय ऐसे जन स्वास्थ्य केन्द्र को खोलने के मामले में राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान पिछड़े माने गये जिलों में कुल कितने जन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने का विचार किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में 314 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 1979-80 और 1980-81 में कोई नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया था। 1981-82 के दौरान राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो राज्य क्षेत्र के अधीन है के अन्तर्गत 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जिसमें से तीन आदिवासी क्षेत्रों में होंगे) खोलने का प्रस्ताव है। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहां खोले जाने हैं, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) अब अन्य क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मुकाबले जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से 20,000 जन संख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है।

(घ) और (ङ) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (10 जनजातीय क्षेत्रों में) खोलने का विचार है।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना

4194. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव कब से लम्बित है; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक किया जाना है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार का पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसके अतिरिक्त नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों के भी विचाराधीन हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त ऐसे प्रस्ताव तथा जिनके बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, उनसे सम्बन्धित ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) तमिलनाडु सरकार से, तमिल भाषा में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए, तंजावूर में एक तमिल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अगस्त 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर, आयोग द्वारा नये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्रों की स्थापना करने के लिए गठित स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाना है। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने तंजावूर में तमिल विश्वविद्यालय की स्थापना करके सितम्बर 1981 में एक अध्यादेश जारी किया है।

(2) जम्मू और काश्मीर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव सितम्बर 1980 के शुरू-शुरू में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया था। आयोग ने नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से संशोधित

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है। संशोधित प्रस्ताव अभी जम्मू और काश्मीर सरकार से प्राप्त होना है।

(3) गुजरात सरकार ने जुलाई 1979 में उत्तरी गुजरात में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह इसके लिए प्रदान किए जाने वाले संशोधनों से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना और ब्यौरे उपलब्ध करे। गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना अब प्राप्त हो गई है। उनके प्रस्ताव पर आयोग द्वारा गठित नये विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालीय स्नातकोत्तर केन्द्रों से सम्बन्धित स्थायी समिति द्वारा अब विस्तार किया जाना है।

(4) महाराष्ट्र के कोंकन क्षेत्र में, एक नया तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मई 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आयोग ने इस प्रस्ताव को, सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार से एक परियोजना रिपोर्ट तथा प्रारूप विधेयक तैयार करने तथा उन्हें आयोग को भेजने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार से ये अभी प्राप्त होने हैं।

नीलाचल एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाया जाना

4195. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि सप्ताह में तीन बार चलाई जाने वाली अत्यन्त तेज रफ्तार वाली नीलाचल एक्सप्रैस को प्रति दिन चलाया जाये,

(ख) क्या राज्य की जनता की ओर से तथा संसद सदस्यों की ओर से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इसी बारे में सरकार से अनुरोध किया गया है,

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) इस पर कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) 175/176 नीलाचल एक्सप्रैस की आवृत्ति बढ़ाना मार्गवर्ती खण्डों पर फालतू लाइन क्षमता के अभाव के साथ-साथ कोचिंग स्टाक की कमी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

अन्दुल स्टेशन पर रेल लाइन के साथ-साथ मार्ग

4196. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान, जोरहाट ग्राम पंचायत, ग्राम और डाकघर, जोरहाट, जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) की अन्दुल स्टेशन से कर्मचारी आवास और वेस्ट कैबिन तक, रेल लाइन के साथ-साथ रास्ते कों बढ़ाये जाने के बारे में 20 जुलाई, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो वहां पर गाँव वाले रास्ते से जुड़ेगा, जिससे लोगों और बच्चों को बहुत सुविधा होगी, और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित पैदल पथ पर 1.2 लाख रुपये लागत आयेगी और इसे औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता क्योंकि स्टेशन तथा वैकल्पिक पहुंच मार्ग उपलब्ध है।

नदी की नौगम्यता की जांच करने के लिए गंगा पर 'रिवर क्राफ्ट' आरम्भ करना

4197. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फरक्का और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी पर वहां नौगम्यता का पता लगाने के लिए यातायात के लिए 'रिवर क्राफ्ट' आरम्भ करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : चैनल का रेखांकन करने, बालूचरों की स्थिति और नदी के टर्मिनलों के सम्भावित स्थलों का पता लगाने के लिए जलीय सर्वेक्षण करने का काम जारी है। इस जलमार्ग पर माल के यातायात के प्रोत व लक्ष्य स्थलों, उसकी रीति व उसके परिणाम की सम्भावनाओं और इसके लिए अभीष्ट सुविधाओं का अध्ययन भी परामर्शकों की एक फर्म द्वारा कराया जा रहा है ? आशा है कि इनकी रिपोर्ट, जनवरी 1982 के अन्त तक मिल जाएगी। इस अध्ययन के पूरे हो जाने के बाद फरक्का और इलाहाबाद के बीच के भाग में माल को रखने उठाने की सुविधाओं और जलयानों के बारे में कार्यवाही शुरू की जाएगी।

खानपान विभाग में कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियां

4198. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) रेलवे के खान-पान विभाग में अस्थाई और स्थाई कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है,

(ख) क्या खान-पान विभाग में समान कार्य के लिए भिन्न स्थानों पर भिन्न ग्रेड दिए जा रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनके वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है,

(घ) क्या कर्मचारियों ने इस विषमता को दूर करने के लिए कोई आन्दोलन आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार का उन्हें कहां तक स्वीकार करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कालीवाड़ी/मन्दिर मार्ग नई दिल्ली में सी. जी. एच. एस. की डिस्पेंसरी खोलना

4199. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीवाड़ी/मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बने बहु मंजिले फ्लैटों को ध्यान में रखकर वहाँ एक सी. जी. एच. एस. की डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति क्या है और कहाँ और कब यह डिस्पेन्सरी कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यह औषधालय कब और क्यों खोला जायेगा, इसका निर्णय इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही होगा।

चित्तरंजन लोको मोटिव वर्क्स में नैमित्तिक कर्मचारियों की जांच

4200. **डा. सरदीश राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में नैमित्तिक कर्मचारियों की वर्ष 1976 से वर्षवार कितनी बार जांच हुई है,

(ख) क्या प्रत्येक अवसर पर नैमित्तिक कर्मचारियों के साथ रेलवे इन्स्टीट्यूट को-आपरेटिव सोसायटीज, कैन्टीनों आदि के कर्मचारियों की भी जांच की गई थी और रेलवे बोर्ड के निदेश के अनुसार उन्हें चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में खपा लिया गया था,

(ग) यदि हां, तो क्या अब उस निदेश को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड के निदेश का पालन करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन : (क) दो बार, अर्थात् 1979 और 1980 में।

(ख) रेलवे इंस्टीट्यूट कोआपरेटिव सोसायटिज, कैंटीनों, आदि के कर्मचारियों की जांच 1979 में की गयी थी, 1980 में नहीं। रेलवे कोर्ड के निदेशों के अन्तर्गत हर बार, जब नैमित्तिक श्रमिकों की जाँच की जाती है, ऐसे कर्मचारियों की जांच करने की बाध्यता नहीं है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यात्री तथा माल गाडियों का डीजलीकरण

4201. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले से चलने वाली गाड़ियों को डीजल तेल से चलाये जाने के क्या लाभ हैं;

(ख) कितनी यात्री तथा माल गाड़ियाँ डीजल तेल से चलने लगी हैं; और

(ग) वर्ष 1981-82 के लिये लक्ष्यों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल रेल इंजन भाप रेल इन्जनों से अधिक सक्षम हैं क्योंकि इनकी कर्षण क्षमता अधिक है, इनकी रफ्तार अधिक होती है और ये जल्दी रफ्तार पकड़ सकते हैं। भाप रेल इंजनों, जिन्हें पानी भरने तथा कोयला भरने के लिये बार-बार रोकना अपेक्षित होता है, की तुलना में डीजल रेल इन्जनों की सर्विसिंग की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। डीजल रेल इंजनों की परिचलन की दूरी-सीमा भी बहुत अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप

परिचालन संबन्धी अधिक लचक प्राप्त होती है और इससे माल गाड़ियों का शू चालन अनुमेय हो जाता है। इस प्रकार डीजलीकरण से लाइन क्षमता और कोयले की खपत में पर्याप्त बचत होती है और परिचलन में सुधार आता है। इसके अलावा, अधिक यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों में भाप रेल इन्जन उत्तरोत्तर अलाभप्रद होते जा रहे हैं।

(ख) 1-11-81 को, बड़ी लाइन के 280 डीजल रेल इन्जन तथा मीटर लाइन के 102 डीजल रेल इन्जन यात्री यातायात के लिए आवंटित किये गये हैं। माल भाड़ा यातायात के लिए बड़ी लाइन के 1172 डीजल रेल इन्जनों तथा मीटर लाइन के 350 डीजल रेल इन्जन रखे गये हैं। इन रेल इन्जनों द्वारा कर्षित वास्तविक माल गाड़ियों की संख्या यातायात के पैट्रन तथा इनमें लगने वाले डिब्बों आदि पर निर्भर करेगी। बहरहाल, 1980-81 में बड़ी लाइन पर 64 प्रतिशत तथा मीटर लाइन पर 66 प्रतिशत माल गाड़ियां डीजल रेल इन्जनों द्वारा चलायी गयी थीं।

(ग) 1981-82 के दौरान उपलब्ध मुख्य लाइन के अतिरिक्त डीजल रेल इन्जनों को यात्री तथा माल गाड़ियों के लिये निर्धारित करना परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, तात्कालिकता आदि पर निर्भर करेगा। इस संबंध में 1981-82 में बड़ी लाइन के 87, मीटर लाइन के 15 तथा छोटी लाइन के 7 डीजल रेल इन्जनों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

परादीप बंदरगाह पर लौह अयस्क का भंडार

4203. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के परादीप बंदरगाह पर इस समय कितना लौह अयस्क जमा हो गया है,

(ख) क्या यह सच है कि बंदरगाह अधिकारियों ने उड़ीसा की धायत्री तथा अन्य लौह अयस्क खानों से ट्रकों के द्वारा भेजे गए अयस्क की मात्रा को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार का विभिन्न पोषक खानों से ट्रकों द्वारा परादीप बंदरगाह भेजे गए लौह अयस्क को वहां प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय परादीप पत्तन से लगभग 6 लाख टन कच्चे लौह का भंडार है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) विभिन्न खानों से कुछ लौहालाकर परादीप पत्तन में भण्डार किया जा सकता है।

मीटर गेज जोन बनाया जाना

4204. **श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज जोन बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा एक रेलवे सुधार समिति का गठन कर

दिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मीटर आमान जोन के सृजन सहित रेलवे मंडलों/जोनों के सृजन/समायोजन के बारे में विचार करेगी। समिति की सिफारिशें मिलने पर आगे की कार्यवाई की जायेगी।

मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि

4205. **श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में मधुमेह रोगियों की संख्या का पता लगाने और इस रोग के बिगड़ने के कारणों का पता लगाने के लिये हाल में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस रोग को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत के बड़े-बड़े राज्यों के अस्पतालों तथा औषधालयों में 1974-77 के दौरान जितने रोगियों का डायबिटीज मेलिटस का उपचार किया गया उनके आंकड़ों से उनमें किसी प्रकार की वृद्धि का संकेत नहीं मिलता।

(ख) नहीं। 1976 और 1977 के दौरान पांच से दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में स्थित इतने ही औषधालयों में जितने रोगियों का उपचार किया गया उनकी संख्या के आधार पर ग्रामिणों में व्याप्त रुग्णता पर किये गये एक तदर्थ सर्वेक्षण से भी यही पता चलता है कि कुल रोगियों के मुकाबले में डायबिटीज के रोगियों की संख्या जो 1976 में 0.18 प्रतिशत थी, घटकर 1977 में 0.15 प्रतिशत हो गई।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

"केवल महिलाओं के लिए" बसों का अधिक संख्या में चलाया जाना

4206. **श्री राम लाल राही : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "केवल महिलाओं के लिये" बसों की अधिक संख्या में चलाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी बसें केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं और ऐसी चलाई जाने वाली महिलाओं की अतिरिक्त बसों की सख्या कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम यथासंभव केवल महिला यात्रियों के लिये बसें चलाया करता है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम 93 यूनीवर्सिटी स्पेशल ट्रिपों के अलावा विभिन्न रुटों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं की सुविधा के लिए 44 लेडी स्पेशल ट्रिपें चला रहा है।

वाराणसी तथा गोहाटी में अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करना

4207. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी तथा गोहाटी में अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है,

(ख) क्या नए कार्यालय केवल मात्र हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेंगे, और

(ग) यदि हां, तो मन्त्री द्वारा उक्त कार्यालयों के खोले जाने की संभावित तारीख की घोषणा कब की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। क्षेत्रीय कार्यालय पटना के एक शाखा कार्यालय को वाराणसी में और गोहाटी में अलग से एक क्षेत्रीय कार्यालय के खोले जाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) इन कार्यालयों का एक काम नौचालन योग्य नदियों/चैनलों का जलीय सर्वेक्षण करवाना है।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस लिए इन कार्यालयों के खोले जाने की संभावित तारीख के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

कलकत्ता बन्दरगाह की तलकर्षण राजसहायता

4208. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने अपने एक पहले के फैसले में यह निर्णय किया था कि तलकर्षण राजसहायता की 50 प्रतिशत राशि बंदरगाह के चूकसूदा ऋण प्रभारों की वसूली की ओर कलकत्ता बंदरगाह न्यास के लिए काटी जाए और यह भी निर्णय किया गया था कि कुल तलकर्षण लागत का दो तिहाई अंश कलकत्ता बंदरगाह के लेखे में डाला जाए तथा शेष एक तिहाई अंश हल्दिया डाक के बंदरगाह के नाम डाला जाए,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय के उल्लंघन में कुल तलकर्षण लागत 50 प्रतिशत की वसूली चूक ऋण प्रभारों की वापसी अदायगी के रूप में की गयी थी, और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) निकर्षण और नदी अनुरक्षण पर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किये गये खर्च के संबंध में आर्थिक सहायता को स्वीकृति के बारे में सरकार के अन्धतन आदेश यह है कि 1976-77 से 1980-81 तक निकर्षण और नदी अनुरक्षण के कार्य पर वास्तविक खर्च के 80 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति की जाय और आर्थिक सहायता की स्कीम को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 1982 या जब तक गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय राजयमार्ग नहीं घोषित कर दिया जाता इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए आगे जारी रखा जाय। इसके अलावा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को निकर्षण और नदी अनुरक्षण दोनों ही मामलों में और हल्दिया की ओर जाने वाली चैनल के अनुरक्षण और निकर्षण के बारे में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा न चुकाये गये ऋणों के आधार पर तब तक संम्पजित किया जाय जब तक ये ऋण पूरी तरह चुकता नहीं कर

दिये जाते हैं और न चुकाये गये ऋणों पर भारी ब्याज नहीं लगाया जाय। इसके अनुसार ही कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को अदायगी की जा रही है।

हैंडलिंग ठेके देने में नियमों-का उल्लंघन

4209. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेण्डर की शर्तों के अनुसार एकल पार्टी बातचीत की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या डी. आर. एम./ए. एल. डी. ने एकल पार्टी बातचीत के द्वारा हैण्डलिंग ठेके दिये हैं; और

(ग) इस प्रकार से कौन-कौन से ठेके दिये गये और नियमों का इस प्रकार उल्लंघन करने के क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना रेल प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

5 अप/ 6 डाउन, 1 अप/2 डाउन तथा 81 अप/82 डाउन मेल एक्सप्रेसगाड़ियों का रानीगंज पर स्टाप बनाना

4210. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय ने 5 अप/6 डाउन अमृतसर मेल, 1 अप/2 डाउन कालका मेल, 81 अप/82 डाउन वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये रानीगंज स्टेशन पर स्टाप बनाने के लिये एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में 9 मई, 1981 को उनको मिले प्रतिनिधि मंडल को दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री श्री मल्लिकार्जुन : (क) और (ख) रानीगंज में उपर्युक्त गाड़ियों के ठहरावों के प्रस्ताव की जाँच करने का आश्वासन दिया गया था। इस पर विचार किया जा चुका है और वहां के लम्बी दूरी के यातायात की वर्तमान मात्रा और रानीगंज में 14 जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान ठहरावों को देखते हुए इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

सीरामपुर में फ्लाई ओवर

4211. **श्री अजित बाग** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरामपुर स्टेशन पर जी. टी. रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण कब तक आरंभ किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) इस बारे में रेलवे ने अब तक कितनी प्रगति की है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सेरमपुर स्टेशन पर वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक रेलवे तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने नवम्बर, 1981 में ही प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल का संशोधित संरेखन भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे फाटक संख्या 323

4212. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे फाटक संख्या 323 के बारे में जो इस समय रात्रि के समय बन्द रहता है, सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इसे रात्रि के समय खुला रखा जाना चाहिए और इसे चौकीदार वाले फाटक के रूप में समझा जाना चाहिए,

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय का विचार फाटक गेट खोलने और बन्द करने के लिए गेट मैन नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : शाहजहाँपुर में समपार सं. 323 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप, 1967 में इस समपार को वर्तमान नियमों के अनुसार बन्द कर दिया गया था। बहरहाल, राज्य सरकार के अनुरोध पर और उन्हीं के खर्च पर एकमात्र तथा विशेष मामले के रूप में इस समपार को 16 घंटे के लिए, अर्थात् सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, खुला रखा जा रहा है। यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण इस समपार को रात के समय भी खुला रखने के लिए विशेष रूप से अनुरोध करें और अतिरिक्त फाटक पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए सहमत हों, तो इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

4213. **श्री विजय कुमार यादव** :
श्रीमती कृष्णा साही : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों के राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत मई में जेनेवा में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में इस मामले में क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ग) देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन तथा जेनेवा में हुई उक्त बैठक के निर्णय पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के राज्यवार अद्यतन आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पिछली मई में जनेवा में हुई विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में कुष्ठ रोग पर कोई विशेष निर्णय, संकल्प नहीं किया गया।

(ग) (1) छठी योजना में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों को तेज करने के लिए भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिक घटकों और अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(2) कम से कम अवधि में संक्रामक रोगियों को असंक्रामक बनाने के लिए संक्रामक

रोगियों का इलाज करने हेतु जिलावार आधार पर बहुऔषधीय विधान के क्षेत्रीय परीक्षण तेज कर दिए गये हैं ताकि लोगों में इस रोग के फैलने को रोका जा सके।

(3) इसके अलावा कुष्ठ रोग के उन्मूलन की कार्यनीति तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल गठित किया गया है। इस कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

भारत में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र	1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाखों में)	1971 की जनगणना के अनुसार रोगियों की अनुमानित संख्या	कुष्ठ रोग की प्रति हजार व्यापकता दर
1. आंध्र प्रदेश	435.03	6.28	14.45
2. असम	146.25	0.12	0.82
3. बिहार	563.53	3.39	6.02
4. गुजरात	266.98	0.54	2.02
5. हरियाणा	100.37	0.01	0.10
6. हिमाचल प्रदेश	34.60	0.15	4.34
7. जम्मू व कश्मीर	46.17	0.05	1.08
8. कर्नाटक	292.99	1.74	5.94
9. केरल	213.47	0.75	3.51
10. मध्य प्रदेश	416.54	0.32	0.77
11. महाराष्ट्र	504.12	2.80	5.55
12. मणिपुर	10.73	0.06	5.59
13. मेघालय	10.12	0.06	5.93
14. नागालैंड	5.16	0.05	9.69
15. उड़ीसा	219.45	2.37	10.80
16. पंजाब	135.51	0.02	0.15
17. राजस्थान	257.66	0.10	0.39
18. सिक्किम	2.09	0.0016	7.66
19. तमिलनाडु	411.99	7.83	19.01
20. त्रिपुरा	15.56	0.10	6.43
21. उत्तर प्रदेश	883.41	1.63	1.90
22. पश्चिम बंगाल	443.12	3.80	8.58
23. अण्डमान व नीकोबार	1.15	0.01	8.70
24. अरूणाचल प्रदेश	4.68	0.01	2.14
25. चण्डीगढ़	2.57	—	—

1	2	3	4	5
26.	दादर व नागर हवेली	0.74	0.001	1.35
27.	दिल्ली	40.66	0.01	0.25
28.	गोवा दमन व दीव	8.58	0.05	5.83
29.	लक्षद्वीप	0.32	0.01	31.25
30.	मिजोरम	3.32	0.01	3.01
31.	पांडिचेरी	4.72	0.19	40.25
	भारत	5481.59	32.527	5.93

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी की गति

4214. **श्री केयूर भूषण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का चालन-समय कम करना मार्गवर्ती ठहरावों को समाप्त किये बिना व्यावहारिक नहीं है, जिससे विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने लगेंगी।

केन्द्रीय विद्यालय और दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में अध्यापकों के बीच समानता

4215. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों के समान घोषित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को वे सब सुविधाएं आदि दी जा रही हैं जो दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों को दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वेतनमानों और प्रवरण ग्रेडों आदि के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापक दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के अध्यापकों के बराबर हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों तथा विनियमों द्वारा अभिशासित हैं और न कि दिल्ली प्रशासन के।

राजस्थान में समेकित बाल विकास परियोजना पर खर्च की गई जिलावार राशि

4216. **आचार्य भगवान देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1980 और 1981 के दौरान समेकित बाल विकास परियोजना पर जिलावार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप जिलावार कितने-कितने बच्चों को लाभ मिला।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1980-81 के दौरान और 1981-82 में अब तक, राजस्थान में विभिन्न समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए प्रदत्त अनुदान राशि और उससे लाभ प्राप्तकर्ता बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :–

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना		स्वीकृति का वर्ष	प्रदत्त राशि		जुलाई 1981 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार लाभ प्राप्तकर्ता बच्चों की संख्या	
ब्लाक	जिला		1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान	पूरक पोषाहार	अव्यवहारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा
1	2 3	4	5	6	7	8
1.	गढ़ी बाँसवाड़ा	1975-76	1,70,500	2,52,000	8,148	3,445
2.	छाबड़ा कोटा	1975-76	2,88,000	1,50,000	3,912	1,935
3.	पिंडवाड़ा सिरोही	1978-79	1,70,500	2,24,800	4,793	3,653
4.	छोटी सदरी चित्तौड़गढ़	1978-79	1,70,500	1,60,000	1,629	1,629
5.	गंगापुर सवाई माधोपुर	1979-80	2,88,000	2,16,000	6,377	3,218 (अक्तू. 81)
6.	धौलपुर भरतपुर	1979-80	2,88,000	2,40,000	7,200	—
7.	राजसमंद उदयपुर	1979-80	2,88,000	2,16,000	स्थापन की अवस्था ने	
8.	चाकसू जयपुर	1980-81	1,28,000	2,21,500		
9.	छोटन बाड़मेर	1980-81	1,28,000	2,26,000		
10.	राजगढ़ अलवर	1980-81	1,28,000	2,12,000		

कालम 5 और 6 में दिये गये आंकड़ों में, पूरक पोषाहार पर हुआ व्यय, जो कि राज्य सरकार वहन करती है, सम्मिलित नहीं है।

आसनसोल के रेलवे शिक्षकों की माँगें

4217. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे शिक्षक संघ आसनसोल से दिनांक 10 सितम्बर, 1981 का पत्र तथा किसी संसद सदस्य से दिनांक 17 सितम्बर, 1981 का पत्र मिला है जो अर्जित अवकाश सुविधाओं के क्रियान्वयन तथा रेलवे के स्कूलों में शिक्षकों के चयन ग्रेड पद की प्रतिशतता में वृद्धि के बारे में है जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा घोषित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अभ्यावेदन ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे शिक्षक संघ, आसनसोल और माननीय संसद सदस्य ने निम्नलिखित दो मुद्दे उठाये थे :–

(1) केन्द्रीय सरकार (संघ शासित क्षेत्र सहित) के अधीन कार्यरत शिक्षक 20 दिन अर्ध-वेतन की छुट्टी जो उन्हें पहले अनुमेय थी, के बदले अब 10 दिन की पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी के पात्र हैं। जैसा कि अब तक ग्राह्य है। यह लाभ रेलवे के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी दिया जाता है।

(2) शिक्षा निदेशालय ने यह घोषणा की है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत स्लैक्शन ग्रेड शिक्षकों के पदों में 20% से 30% तक वृद्धि की गयी है। इन आदेशों को रेलवे स्कूलों के शिक्षकों के मामले में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ग) जहाँ तक अर्जित छुट्टी का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों को रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अपनाया गया है। जहाँ तक शिक्षकों के लिए स्लक्शन ग्रेड के पदों में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक ऐसे कोई आदर्श प्राप्त नहीं हुए हैं।

आदिवासी कला और संस्कृति का परिरक्षण

4218. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा देश में आदिवासी कला और संस्कृति की समस्याओं का अध्ययन करने तथा तत्संबंधी समस्याओं का समाधान और उसके परिरक्षण के उपायों का सुझाव देने के लिये कुछ वर्षों पूर्व गठित समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) उक्त सिफरिशों के आधार पर उन के मंत्रालय ने आदि वासी कला और संस्कृति के परिरक्षण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) किन किन राज्य में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी लोग हैं और किस प्रकार की कला और संस्कृति हैं तथा कला और संस्कृति के परिरक्षण और विकास के लिये अब तक के चरणबद्ध कार्यक्रम क्या हैं ; और

(घ) भारत सरकार ने इस बारे में राज्यों को यदि कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भेजे हैं तो वे क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) देश में जनजातीय तथा लोककलाओं के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति। सितम्बर, 1978 में गठित की गई थी। समिति ने 21-11-1978 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की:-

(1) शिक्षा को समुदाय की कलाओं तथा शिल्पकलाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा को सामाजिक रूप से अधिक उत्पादक तथा भारतीय समाज के एकीकरण का एक माध्यम बनाया जा सके। अतः राज्य योजनाओं में लोक कलाओं के परिरक्षण तथा प्रलेखन तथा कलाओं को शैक्षिक पाठ्यचर्या के साथ जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) राज्य सरकारों, रा. शै. अ. प्र. परि. तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए तरीकों का पता लगाना चाहिए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़ा जा सके। जनजातीय स्तर पर, पांच और छः स्कूलों को व्यापक शिक्षा तथा क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास के लिए अपने मानवीय संसाधनों अर्थात् समुदाय के अध्यापक और कुशल व्यक्तियों को इकट्ठा करना चाहिए।

(3) सांस्कृतिक विषय वस्तु को भी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद के अन्तर्गत बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थाओं को पाठ्यचर्या का एक भाग बनाया जाना चाहिए।

(4) परम्परागत चित्राकारों, पत्थर काटने वालों, लकड़ी पर नक्कासी करने वालों, कांस्य की वस्तुएं बनाने वालों इत्यादि जैसे परम्परागत शिल्पकारों की कुशलताओं तथा सेवाओं का, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाना चाहिए।

इससे परम्परागत शिल्पकारों का स्थानीय पर्यावरण में भाग लेना और जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कुशलताओं के लिए स्थानीय बाजार का सृजन सुनिश्चित होगा।

(5) ग्रामीण और जनजातीय भारत की कलाओं और शिल्पकलाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन प्रणाली के विकास तथा विदेश में उनके निर्यात के लिए व्यवहार्य विपणन प्रणाली का पता लगाया जाना चाहिए।

(6) ग्रामीण और जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के प्रलेखन और उन्हें सूचीबद्ध करने के कार्यक्रम की आवश्यकता है और यदि सम्भव हो तो इस कार्य के लिए जनगणना आयोग से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

इन सिफारिशों पर राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के कला और संस्कृति के प्रभारी मन्त्रियों के नई दिल्ली में 2 जुलाई, 1979 को हुए सम्मेलन में विचार किया गया था। इस बैठक में सिफारिशों का समर्थन किया गया। इन सिफारिशों को सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र द्वारा कार्योन्वित किया जाना है।

(ग) जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नाम ये हैं :-

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, गोआ, दमन और दीव, मेघालय नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम।

प्रत्येक जन-जातीय समुदाय ने इसकी संख्या पर विचार किए बिना राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान बनाया है और अपने अस्तित्व तथा संस्कृति को बनाए रखा है। विभिन्न राज्यों में

ग्यारह जन-जातीय अनुसंधान संस्थान हैं जो अपने संग्रहालगों में जन-जातीय जीवन तथा संस्कृति से सम्बन्धित कला-कृतियां (आर्टीफैक्टस्) एकत्र करते हैं।

(घ) राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों के कला तथा संस्कृति के प्रभारी मन्त्रियों द्वारा तथा अनुमोदित, सलाहकार समिति की सिफारिशें राज्यों के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं हैं जिनका इन्हें देश में जन-जातीय तथा लोक कलाओं के परिरक्षण तथा प्रोत्साहन में अनुसरण करना है।

विश्वविद्यालयों आदि में खेलकूद तथा खेलों की स्थिति

4219. **श्री ए. नीलालोहिथा दसन नाडार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो अपने द्वारा मान्यता दिये गये विश्वविद्यालयों तथा अलग अलग विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त तथा उनके नियमों के अन्तर्गत चल रहे संस्थाओं को सहायतानुदान और अन्य वित्तीय सहायता देता है यह पूछताछ नहीं करता कि सम्बन्धित संस्था में खेलकूद और खेलों की क्या स्थिति है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों की स्थिति की विशेष रूप से जांच नहीं करता है। तथापि निरीक्षण समितियां विश्वविद्यालयों में योजना अवधि के लिए सामान्य विकास आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए निरीक्षण करते समय इन संस्थाओं में खेलों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच भी करती हैं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किया गया व्यय और उसके द्वारा लिया गया ऋण/राज सहायता

4220. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को वास्तविक परिचालन के लिए उपलब्ध बसों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है :

(ख) कितनी बसें चल रही हैं और प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति यात्रा करते हैं :

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने 1980-81 के दौरान किये गये प्रमुख व्यय का ब्यौरा क्या है : और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना ऋण और राज सहायता ली तथा किन किन एजेन्सियो ने यह ऋण/राज सहायता दी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अक्तूबर 1981 में दिल्ली परिवहन निगम की चालू बसों की संख्या 2539 थी और प्रतिदिन ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या 29.19 लाख थी।

(ग) ब्यौरा **विवरण-1** में दिया गया है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम को उनका रोकन घाटा पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण और अन्य मुख्य खर्चों के लिए ऋण केन्द्रीय सरकार देती है जो निगम को ब्याज के साथ चुकाना होता है। दिल्ली परिवहन निगम को कोई सहायता नहीं दी जाती।

पिछले तीन वर्षों में जो ऋण दिया गया उसका ब्यौरा **विवरण-2** में दिया गया है।

विवरण-1

1980-81 के खर्च के मुख्य शीर्ष का ब्यौरा

	लाख रु.	प्रति कि. मी. (भा.)
1. असमान खर्च		
1. ईन्धन और लुबीकेन्ट्स	1256.60	72.38
2. टायर और टयूब और रिट्रीडिंग सामग्रीं	421.23	24.26
3. स्टोर स्पेयर पार्टस	494.16	28.47
4. टिकेट	21.35	1.23
कुल (1)	2193.34	126.34
2. अर्द्ध असमान्य खर्च		
1. वेतन और भत्ते (इसमें बोनस एल. टी. सी. और छुट्टी के बदले घनराशि लेना शामिल हैं)	2048.15	117.98
2. कल्याण कार्य और सेवा निवृति (चिकित्सा ई.एस.आई.सी. और स्टाफ को वित्तीय सहायता देना भविष्य निधि के लिए श्रमिक कल्याण अशंदान, उपदान और पैशन कोई राशि)	235.31	13.55
	2283.46	131.53
3. अन्य आकस्मिक खर्च कर बिजली पानी का खर्च बीमा वर्दी स्टेशनरी, भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण तथा सामान्य प्रभार	280.63	16.16
कुल (2)	2564.09	147,69
3. कार्य व्यय (2)	4757.43	274·03
4. स्थायी खर्च		
1. मूल्य ह्रास	401.24	23·11
2. सरकारी ऋणों पर ब्याज	1752.29	100·94
	2153.53	124.05

5. कुल खर्च (3+4)	6910.96	398.08
6. प्राईवेट बस आपरेटरों का भाड़ा प्रभारों का भुगतान	629.86	× (159.62) 36.28
कुल (5+9)	7540.82	434.36

(× प्राईवेट आपरेटरों की बसों पर प्रति कि.मी. पैसे)

(विवरण-2)

लाख रु.

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82 (11.12.1981 तक)
1. पूंजी	475.00	825.00	1736.22	840.00
2. अर्थोपय	700 00	534.00	1100.00	1000.00
	1175 00	1359.00	2836.22	1840.00

रेलवे केंटीन कर्मचारियों को रेलवे के अन्य कर्मचारियों की तरह मानना ।

4221. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कैंटीनों में कार्य कर रहे कर्मचारी लम्बे अर्से से मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेलवे कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए :

(ख) यदि हां, तो कब से :

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे कैंटीनों के कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य (डियूटी) और भारतीय रेलवे के खान-पान विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य समान हैं :

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे केंटीन स्टाफ के मामले में उनके वेतनमान और अन्य प्रमुख सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास है :

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे केंटीन कर्मचारियों को पूर्णरूपेण रेलवे कर्मचारियों का दर्जा देने का निर्णय किया है :

(च) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया था और इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा: और

(छ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार कब निर्णय लेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले कुछ समय से ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (छ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप रेलों की सभी सांविधिक

कैंटीनों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत आयी 11 गैर साँविधिक कैंटीनों के कर्मचारियों को 22-10-80 से रेल कर्मचारी मनाया गया है। इस नियर्ण के अन्तर्गत अभी कैंटीनों के कर्मचारियों को वेतनमान आवंटित करने तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मलेरिया रोग की रोक-थाम के लिये कार्यवाही करना

4222. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :**

श्री चित्तामणि जेना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में मलेरिया रिटनसंविद ग्रीन रेवोल्यूशन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मलेरिया रोग, जो हरित क्रांति का अस्वास्थ्यकारी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, के पुनः आगमन की रोक-थाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के बहुत से भागों में कृषि क्षेत्र में कीटनाशी दवाइयों का उपयोग कई गुणा बढ़ गया है। विश्व के बहुत से भागों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि घरों से बाहर पोधों के बचाव के लिए विभिन्न कीटनाशी दवाइयों का बार-बार उपयोग करने से मच्छरों में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है जिसके कारण कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल से वैक्टर नियंत्रण कार्य में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस सम्बन्ध में भारत में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

वैसे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कतिपय राज्यों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्यर्गत एच. सी. एल. या मेलेथियन का बहुत थोड़ा इस्तेमाल करने या इनका इस्तेमाल न करने के बावजूद वैक्टर वाहक मच्छरों में इन दवाइयों को हजम करने की क्षमता पाई गई। कृषि क्षेत्र में इन कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था।

मलेरिया के प्रकोप की रोक-थाम करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) हर पखवाड़े में एक निगरानी कार्यकर्ता प्रत्येक गांव का दौरा करके वहाँ पर ज्वर ग्रस्त रोगियों का पता लगाता है, उनके रक्त के आलेप एकत्र करता है और उनका संभव उपचार करता है।

(2) प्रयोगशालाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब ये प्रयोगशालाएं प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य कर रही हैं ताकि रक्त-आलेपों की यथाशीघ्र जांच करके मलेरिया के पाजिटिव रोगियों का सही उपचार किया जा सके।

(3) गांवों में औषध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कार्य कर रहे हैं ताकि बुखार के रोगियों को अविलम्ब औषधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

4. जिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे दो या अधिक घटनाएं हुई हों, वहां पर कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है।

5. राज्यों की यथोचित कीटनाशी दवाइयाँ खरीदने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। रोग से प्रभावित बहुत से इलाकों में एक बार छिड़काव किया जा चुका है और दूसरी बार किया जा रहा है।

6. मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों में डी. डी. टी. बी. एच. सी. और मेलेथियन आदि आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाली कीटनाशी दवाइयों को हजम करने की कितनी क्षमता आ गई है, इसका मूल्यांकन करने के लिये 72 जोनल संगठनों को 72 कीट विज्ञान सम्बन्धी उपकरण दिए गये हैं।

7. दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी कार्य को और अधिक तेज कर दिया गया है।

8. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में बुनियादी तथा आपरेशनल अनुसंधान के लिए कदम उठाये गये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में 14 अनुसंधान योजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं जिनमें से 8 आपरेशनल क्षेत्रीय अनुसंधान तथा 6 प्रयोगशालात्मक अनुसंधान की हैं।

9. जिला मलेरिया अधिकारियों तथा उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मलेरिया विज्ञान विषयक कोर्सों में बढ़ोत्तरी की गई है।

बाह्य दिल्ली के यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक बसें चलाना

4223. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाह्य दिल्ली के यात्रियों की सुविधा के लिये, जिन्हें बस स्टापों पर घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद बसें मिलती हैं, समय पर और नियमित अन्तराल में डी. टी. सी. की बसें चलाने के लिये कदम उठायें हैं :

(ख) क्या सरकार को कुछ एसोसियेशनों से इस आशय के माँग पत्र प्राप्त हुये हैं और :

(ग) यदि हाँ तो सरकार का विचार इस बारे में कब तक उचित प्रबंध करने का है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हाँ। सरकार समय-समय पर दिल्ली परिवहन निगम पर सभी रूटों पर बसें नियमित समय से चलाने पर जोर देती रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने जनवरी 1981 से ग्रामीण रूटों पर 30 और बसें लगा कर अपनी सेवाओं में वृद्धि की है।

आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ

4224. **श्री के. प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लाभ के बारे में गम्भीर रूप से विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/सघ शासित क्षेत्रों को शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम पीछे रह गया है उनमें विशेष ध्यान दिया जाए। आदिवासा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने का मानदण्ड निर्धारित करते समय इन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में अधिक उदारता बरती गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दक्षिण पश्चिमी सर्किल, औरंगाबाद का वार्षिक बजट

4225. **श्री आर. के. महालगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के दक्षिण पश्चिमी सर्किल का कुल वार्षिक बजट कितना है;

(ख) क्या उपरोक्त सर्किल ने लाखों रुपये वापस कर दिये हैं हालाँकि उपरोक्त सर्किल में सैंकड़ों स्मारकों के संरक्षण और आरक्षण के लिए बजट में प्रावधान किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार बजट में मंजूर की गई राशि और वापस की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन स्मारकों के विकास और संरक्षण के लिए निर्धारित की गई इन राशियों को वापस करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाये जाने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दक्षिण-पश्चिम मण्डल, औरंगाबाद के पीछले तीन वर्षों के संशोधित वार्षिक बजट की कुल राशि 101.04 लाख रुपये है।

(ख) इन तीन वर्षों में स्मारकों के रख-रखाव और विशेष निर्माण कार्य के संशोधित बजट अनुदान में से कुल 11.28 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित (संशोधित) और अभ्यर्पित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित (लाख रुपयों में)	अभ्यर्पित (लाख रुपयों में)
1978-79	15.80	6.63
1979-89	8.50	2.46
1980-81	7.50	2.19

(घ) संरक्षण स्टाफ की कमी के कारण उपर्युक्त धनराशि अभ्यर्पित की गई है।

(ङ) पदों को भरने तथा चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक विद्यालय, राष्ट्रपति भवन में निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी और भोजन

4226. **श्री निहाल सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम से पांचवीं कक्षाओं तक पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों को निःशुल्क पुस्तकें, वर्दियाँ और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रपति भवन में दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ये सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार बच्चों को ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन के प्राथमिक स्कूलों में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के उन सभी बच्चों को, जिनके माता-पिता की मासिक आय 500/-रुपये से अधिक नहीं है, मुफ्त पुस्तकें दी जा रही हैं। दिल्ली प्रशासन के कुछ चुने हुए स्कूलों में राशि की उपलब्धता के अनुसार उन बच्चों को वर्दियाँ मुफ्त दी जाती हैं जिनके माता-पिता की मासिक आय 500/-रुपये से अधिक नहीं है।

राष्ट्रपति भवन स्थित राजकीय सह-शिक्षा सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के बच्चों को वे ही सुविधायें दी जा रही हैं जैसाकि उपरोक्त योजना में स्वीकार्य है। राष्ट्रपति के विवेकाधीन निधि में से 1975-76 में मुफ्त वर्दियाँ दी गई थीं जो एक सतत योजना नहीं थी।

उत्तर सीमांत रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड

4227. **श्री सुबोध रोन :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 अप्रैल 1981 के पत्र डी. आर. एम. (पी) लुडिंग संख्या ई./122/एल. एम. जी. पी. जे. 111 के अनुसार मैविटरी क्लीनरों को छोड़कर अन्य लोगों को चतुर्थ श्रेणी के वर्ग में दूसरे पदों में खपाने के बारे

में उत्तर सीमान्त रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का विलम्ब से चलना

4228. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर, 1981 तक प्रत्येक माह अलग-अलग 31 अप और 32 डाउन फ्रंटियर मेल हिमाचल एक्सप्रेस, अपर इण्डिया एक्सप्रेस, जम्मू तवी मेल, झेलम एक्सप्रेस, तिनसुखिया मेल और असम मेल कितने दिन देर से चली थी और प्रत्येक मामले में इनके विलम्ब से चलने की अवधि कितनी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल से सितम्बर, 81 की अवधि के दौरान कुछ दिन देरी से चली गाड़ियों के (1-30 मिनट) ख (30-60 मिनट) ग (60 मिनट और अधिक)

गाड़ियां	अप्रैल			मई			जून			जुलाई			अगस्त			सितम्बर			
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग	
31 फ्रंटियर मेल	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	1	2	
32 फ्रंटियर मेल	—	1	—	—	—	2	1	4	4	5	5	1	—	2	1	—	1	2	
13 अपर इंडिया ए.	—	—	4	—	—	6	—	—	6	—	—	6	—	—	10	—	1	5	
14 ,, ,, ,,	—	1	6	—	3	6	—	1	4	—	4	1	—	2	3	—	1	6	(केवल उ. रे. के भाग पर)
33 जम्मू मेल	—	1	—	2	—	1	—	—	3	1	—	2	—	—	4	—	1	2	
34 ,, ,,	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
177 झेलम एक्स	—	2	10	—	—	—	—	1	22	1	2	15	—	1	10	—	—	12	
178 ,, ,,	1	2	7	—	—	—	—	1	16	1	5	10	—	—	14	—	—	7	
155 तिनसुकिया मेल	—	6	7	1	2	8	—	5	14	1	3	18	—	4	17	—	2	20	
156 ,, ,,	—	2	6	—	4	13	—	3	10	1	5	15	—	—	13	—	1	13	
85 असम मेल	—	2	11	—	1	9	—	2	11	—	2	21	—	5	15	—	1	14	
86 ,, ,,	—	3	7	1	3	11	—	2	7	—	4	12	—	—	5	—	3	6	
53 हिमाचल एक्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	2	
54 ,, ,,	—	1	1	—	—	—	—	—	5	—	2	4	—	2	2	—	1	2	

मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति, इलाहाबाद का पंजीकरण

4229. **श्री एन. के. शेजवलकर : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद के पंजीकरण की तारीख और पंजीकरण संख्या क्या है;

(ख) समिति की सदस्यता की कुल संख्या, शेयर पूंजी इसका संचालन क्षेत्र क्या है और यह समिति किस प्रयोजन के लिए पजीकृत की गई थी;

(ग) क्या सहकारी विभाग के लेखा परीक्षकों द्वारा समिति के लेखों की नियमित रूप से लेखा-परीक्षा की गई थी/की जा रही है; और

(घ) इस समय समिति के पास ठेकों का ब्यौरा क्या है और इस समिति की कार्यकारी पूंजी क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुख्य लिपिक के पद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का चयन

4230. **श्री थाम्भाई एम. करुणानिधि : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस चयन वर्ष से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का 'रोस्टर बिन्दु' रखा गया है और किस चयन वर्ष से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को मुख्य लिपिक के पद के लिए चयन हेतु बुलाया गया था,

(ख) चयन किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और वे प्रत्येक चयन वर्ष में किन तारीखों को मुख्य लिपिक के रूप में नियुक्त किये गये थे,

(ग) प्रत्येक चयन वर्ष में बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और किस रोस्टर की मदों पर चयन किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को मुख्य लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 27 नवम्बर, 1972 के बाद मुख्य लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया था और इनकी पदोन्नति की तारीख क्या है और बोर्ड के पत्र संख्या ई. (एस, सी. टी.)/. 72/सी. एम./15/5 दिनांक 11 जनवरी, 1973 के अनुसार किस रोस्टर की मदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

4231. **श्री आर. आर. भोले : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हौंज खास नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, (एक) रोस्टरों का रख-रखाव, (दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों की देख-भाल करने के लिए पृथक-कक्ष (तीन) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति और (चार) पदों का आरक्षण समाप्त करने और विभागीय पदोन्नति समिति आदि में अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति के अधिकारियों को सम्मिलित करने, से सम्बन्धित अनुदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जब संस्थान के शासी मण्डल द्वारा आरक्षण नियमों को स्वीकृति दी गई थी और उन्हें कार्यान्वित किया गया था, उस समय तथा दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 को संस्थान के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या क्रमशः क्या-क्या थी, और

(ग) आरक्षण पदों के भरने सम्बन्धी पिछली कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले बकाया को भरने के लिए रिक्तियों/पदों का व्यापक रूप से प्रचार करना, छूट दिए गए मापदण्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों की सूची बनाना, अलग से आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का साक्षात्कार आदि जैसे कदम उठाए गए हैं।

विवरण

	जहाँ आरक्षण लागू नहीं होता।		जहाँ आरक्षण लागू होता है।	
	कुल	अनु. जाति/ अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति/ अनु. जनजाति
उस तिथि के अनुसार स्थिति जब बी. ओ. जी. द्वारा कार्यान्वियन अनुमोदित किया गया था। अर्थात् 12.11.74	297	1	1042	147
31.10.81 को स्थिति	412	1	1579	267

शीघ्र खराब होने वाले सामान के माल भाड़े की दरें

4232. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें सचिव, कूच विहार फिश मर्चेन्ट एसोशिएशन, भवानीगज बाजार, कूच विहार की ओर से दिल्ली तिनसुकिया सुफर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी में शीघ्र नष्ट होने वाले सामान पर रेलवे द्वारा हाल में लागू की गई माल भाड़े की दरों पर पुनर्विचार करने के बारे में दिनांक 10 अक्तूबर 1981 का ज्ञापन संख्या सी. बी./एफ. एम. ए./9 (1.2)-81 प्राप्त हुआ है,

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद सदस्यों ने भी इस मामले पर शीघ्र पुनर्विचार करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को तथा उन्हें पत्र लिखे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल भाड़ा दर जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर यह विनिश्चय किया गया था कि सभी नश्य अथवा अनश्य यातायात जब सुफरफास्ट गाड़ियों से ढोया जाये तो 1-10-1981 से मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा ढोये जाने पर देय उपयुक्त दर की तुलना में ढाई गुना शुल्क लिया जाये। लेकिन विभिन्न अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर इस मामले की समीक्षा की गई थी तथा यह विनिश्चय किया गया है कि 15-12-1981 से इस प्रकार का यातायात जब सुफर फास्ट गाड़ियों से ढोया जाये तो उन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अधिप्रभार सहित श्रेणी 'ए' के लिए लागू शुल्क की दर से शुल्क वसूल किया जाए।

भुकीनाचेरी में रेलवे स्टेशन

4233. **श्री एन. डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागरकोइल नगर के लोगों से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइन पर भुकीनाचेरी में एक अतिरिक्त रेलवे स्टेशन की व्यवस्था किए जाने की इन कारणों से माँग की गई है कि प्रस्तावित स्थान नगर के मध्य में स्थित है और यह कामन बस अड्डे के तथा नगर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के काफी नजदीक है और इस आधार पर कि कन्याकुमारी जिले के तथा बाहर के यात्रियों के यातायात का साधन मिल जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक अतिरिक्त स्टेशन के रूप में नागरकोइल नगर में भुकीनाचेरी का चयन करने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कन्याकुमारी जिला रेल उपभोक्ता एसोशिएसन से एक अभ्यावेदन मिला था। दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन यातायात की बहुत कम सम्भावना रहने के कारण इसे उचित नहीं पाया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में इतालवी भाषा के शिक्षकों के पदों का भरा जाना

4234. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग में इतालवी भाषा के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और कब से;

(ख) इन पदों के विरुद्ध वास्तव में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई उपयुक्त भारतीय शिक्षक उपलब्ध नहीं

हो रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ने इटली के किसी विजिटिंग प्रोफेसर की सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इतालवी भाषा के रीडर और लैक्चरर के एक-एक पद पर इस समय केवल एक रीडर ही कार्य कर रहा है। लैक्चरर का पद रिक्त है।

(ग) और (घ) लैक्चरर के पद को पहले मार्च 1980 में और फिर मार्च 1981 में विज्ञापित किया गया था। दोनों अवसरों पर प्रवरण समिति ने इस पद को फिर से विज्ञापित करने की सिफारिश की क्योंकि कोई ऐसा उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था जो अर्हतायें पूरी करता हो। विश्वविद्यालय का इस पद को फिर विज्ञापित करने का प्रस्ताव है। इटली से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत एक उपयुक्त शिक्षक की सेवायें प्राप्त करने की सम्भावना पर भी विचार किया गया था। तथापि, इतालवी दूतावास द्वारा अभी तक किसी शिक्षक की सिफारिश नहीं की गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलना

4235. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** जी. डी. ओ.-11 मैडिकल अधिकारियों को स्थायी करने के बारे में 2 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने से सम्बन्धित कार्य को पूरा करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस प्रकार स्थायी बनाए गए पदों की दिनांक 1 नवम्बर 1981 को क्या संख्या थी;

(ख) उपरोक्त तारीख को ऐसे जी. डी. ओ. ग्रेड II जो चार वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, को स्थायी करने का मामला किस स्थिति में था; और

(ग) ऐसे अस्थायी पदों को, जो वर्षों से विद्यमान हैं, स्थायी पदों के रूप में नियमित करने के लिए, जिससे कि स्थायी किए जाने के लिये लम्बी प्रतीक्षा का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये इन जी. डी. ओ. II मेडिकल अधिकारियों पर निराशा करने वाला प्रभाव न पड़े, क्या कार्यवाही की जा रही है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस योजना में भाग ले रहे संगठनों से जो मुख्यतया अस्थाई पदों को स्थाई बनाने से सम्बन्धित हैं, मिली सूचना के अनुसार 1-11-1981 तक जी. डी. ओ. ग्रेड-II (जूनियर क्लास-I) के 211 अस्थाई पदों को स्थाई बना दिया गया है।

(ख) उन चिकित्सा अधिकारियों के मामलों में, जिन्होंने 1-11-1981 तक चार वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वरिष्ठता सूची में उनकी बारी के अनुसार स्थाई बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस योजना में भाग ले रहे संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे सामान्य गाइडलाइनों के अनुसार अस्थाई पदों को स्थाई बनायें।

रेलवे बोर्ड में स्टैनोग्राफरों को स्थायी करना

4236. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में ग्रेड 'डी' के अनेक स्टैनोग्राफरों को उनकी कई वर्ष की सेवा के बावजूद स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्टैनोग्राफर हैं; और

(ग) उन्हें स्थाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ग्रेड 'डी' के स्टैनोग्राफरों के वर्तमान 104 स्थाई पदों में से 101 व्यक्तियों को स्थाई किया जा चुका है । अन्तिम स्थायीकरण आदेश फरवरी 1980 में जारी किये गए थे जिनमें 1976 में नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी किया गया था । जैसे ही और स्थाई रिक्तियाँ होंगी, नियमित आधार पर स्टैनोग्राफर ग्रेड 'डी' के रूप में स्थानापन्न व्यक्तियों के स्थायीकरण के बारे में विचार किया जायेगा यदि वे उसके लिए पात्र होंगे और उपयुक्त पाये जायेंगे ।

शकुरपुर से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

4237. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**

प्रो. अजीत कुमार मेहता : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली को एक पुर्नवास कालोनी से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की ऐसी कोई बस सेवा नहीं है जो शकुरपुर से शुरू होती हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मांग पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नई बस सेवा शुरू किए जाने के बारे में शकुरपुर के निवासियों ने कई बार आन्दोलन किए हैं; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारिओं को शकुरपुर के निवासियों द्वारा दिये गए अनेक ज्ञापन मिले हैं; जिनमें इन निवासियों ने इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में, कि वे गरीब लोग हैं और यातायात के अन्य साधन का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, तत्काल एक नया बस मार्ग शुरू करने के अनुरोध किए हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हाँ । लेकिन रिंग रोड पर इस कालोनी को सेंट्रल सेक्रेटरिएट से रूट नं. 160, 170 और 920 की बसें सीधी आती जाती हैं । शकुरपुर से पंजाबी बाग के लिए रिंग रोड़ पर अनेक बसें हैं जहां से सेंट्रेल सेक्रटरिएट के लिए विभिन्न अन्य रूटों पर कई बसें चलती हैं ।

(ख) इस बारे में दिल्ली परिवहन निगम को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

भारतीय रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन

4238. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन को रेलवे सम्बन्धी कार्य सौंपे जाते हैं

जिनके रख-रखाव के लिए, रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से रेलवे द्वारा वित्तपोषण किया जाता है; यदि हां, तो इस एसोसिएशन को किस-किस तारीखों को क्या-क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई;

(ख) इस एसोसिएशन के स्टाफ और कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनमानों तथा भत्तों कार्य तथा सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं में क्या अन्तर है और इस अन्तर के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इस संगठन को सरकारी दर्जा देने और इसके कर्मचारियों को वैसी ही सुविधाएं जैसी कि रेलवे के कर्मचारियों को दी जाती हैं, देने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय रेल सम्मेलन, जो एक स्वायत निकाय है, को रेलों से सम्बद्ध निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

1. रेलों के बीच अदला-बदली किये जाने वाले यातायात के प्रबन्ध के लिए नियम बनाना ।

2. निपटारा बोर्ड के रूप में कार्य करना ।

3. रेलवे बोर्ड के निदेश पर भारतीय रेलों के बीच तथा भारतीय रेलों और पाकिस्तान तथा बंगला देश की रेलों के बीच बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन का अलग-अलग बैगन इंटरचेंज तथा किराया प्रभारों का रिकार्ड रखना ।

4. नामित इन्टरचेंज जंकशनों, यार्डों, कारखानों तथा मरम्मत लाइनों में बड़ी तथा मीटर लाइन के माल डिब्बों की जांच के लिए न्यूट्रल कन्ट्रोल सम्बन्धी कार्य ।

5. रेलों से सम्बन्धित उन अन्य विषयों पर परामर्श देना जो सदस्य रेलों अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा इसे भेजे जाते हैं ।

6. ऐसे अन्य कार्य जो इसे समय-समय पर सौंपे जायें ।

भारतीय रेल सम्मेलन के लिए बजट अनुदान, रेलों के, जो भारतीय रेल सम्मेलन की पार्टी हैं, राजस्व लेखे को प्रभारित होता है ।

भारतीय रेल सम्मेलन तथा क्षेत्रीय रेलों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों में कोई अन्तर नहीं है । भारतीय रेल सम्मेलन के कर्मचारी, केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, इस आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भवन निर्माण अग्रिम तथा उन पर लागू नयी सामूहिक बीमा योजना को छोड़कर भारतीय रेल सम्मेलन के कर्मचारियों को सामान्यत: ये सभी सुविधाएं मिली हुई हैं जो सुविधायें रेल कर्मचारियों को प्राप्त हैं ।

भारतीय रेल सम्मेलन के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कम्पूचिया में भारतीयों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति

4239. **श्री सी. डी. पटेल :**

श्री अहमद मोहम्मद पटेल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कम्पूचिया में "खमेर रुज" सेना ने राजकुमार सिंह नायक गद्दी से उतारा था तो उस समय जिन अनेक भारतीयों को कम्पूचिया छोड़ना पड़ा था, वे वहां अपने पीछे अपनी दुकानें, सामान, सम्पतियां, नगद धन, बैंक बकाया और अपनी सभी परिसम्पत्तियाँ छोड़ आए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी नरसिंह राव) : (क) और (ख) यह सच है कि अप्रैल, 1975 में कम्बोडिया की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलट जाने के बाद भारतीय राष्ट्रिकों सहित अधिकतर विदेशयों को अपनी परिसम्पत्तियाँ छोड़ कर वहाँ से जाना पड़ा था। भारत सरकार को इन भारतीय राष्ट्रिकों में से कुछ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने वहां छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिये मुआवजे की मांग की है। इस मामले पर पहले कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि भारत और कम्पूचिया में सत्ता में आने वाली सरकार के बीच राजनीतिक सम्बन्ध नहीं थे। लेकिन पिछले वर्ष भारत ने हेंग सेमरीन सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है और इस वर्ष के प्रारम्भ में वहाँ एक राजदूतावास भी खोल दिया गया है। इसलिए मामले पर आगे कार्यवाई की जा रही है।

रेल फाटक संख्या 179 (पश्चिम रेलवे) का दर्जा बढ़ाया जाना

4240. **श्री अहमद मोहम्मद पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन पर भड़ौच और नवीपुर (पश्चिम रेलवे) के बीच के रेल फाटक संख्या 179 को सायं 7 बजे के बाद सड़क यातायात के लिए नहीं खोला जाता;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल विभाग का विचार भड़ौच-दहेज बाई पास पर भारी यातायात के कारण इस फाटक का दर्जा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भड़ौच और चावन स्टेशनों के बीच समपार नं. 179/सी को अपग्रेड कर दिया गया है और 18-11-81 को हुई बैठक में इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद 8-12-81 से एक अतिरिक्त गेटमैन की वहाँ व्यवस्था कर दी गयी है।

(घ) कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ङ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कटवा और फरक्का आदि के बीच इंजिनों को डीजल से चलाया जाना/रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना

4241. **श्री जायनाल अबेदिन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अन्तर्गत कटवा और फरक्का/कटवा और बहरा के बीच

इंजनों का डीजलीकरण करने/रेल लाइन का विद्युतीकरण करने/इकहरी लाइनों को दोहरी लाइन में तबदील करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि फरक्का से और फरक्का तक जिस क्षेत्र का महत्व वहां सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना होने और वहां की बाँध परियोजना के कारण दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, लोगों को बेहतर और शीघ्र परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कटवा-फरक्का या कटवा बड़हरदा लाइन का विद्युतीकरण करने या और डीजलीकरण करने का न तो फिलहाल कोई प्रस्ताव है, और न ही इस खंड को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है। कटवा-फरक्का खंड पर कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण किया गया है। जब प्राथमिकता वाली अन्य परिचालनिक आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी तभी और डीजलीकरण के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युतीकरण के लिए धन की कमी को ध्यान में रखते हुए उन खंडों को तरजीह दी जाती है जिनमें यातायात का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है।

रुट नं. 082 पर दिल्ली परिवहन निगम की रात्रि बस सेवा

4242. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय रुट नं. 082 पर चल रही दिल्ली परिवहन निगम को रात्रि बस सेवा का लाभ जनकपुरी के ब्लाक ए और सी ब्लाक के एक भाग में रह रहे एक लाख से अधिक निवासियों को नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ के निवासियों के संगठन ने इस बस सेवा का बरास्ता ए-3. ए-1. सी-1 और सी-2 डी. स्टापों से होकर पुनः मार्ग निर्धारित किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां तो निवासियों की इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम का प्रशासित इस रुट को ए-1 और सी-1 बसों के होते हुए चलाने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर रहा है।

विजय नगर एक्सप्रेस को एक जंक्शन स्टेशन पर तीन घंटे तक रोका जाना

4243. **श्री ए. जी. रामुलु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और बंगलौर के बीच चलने वाली विजयनगर एक्सप्रेस जो सामान्यतः गुंटकुल जंक्शन पर तीन घंटे तक रुकती है, के अलावा देश में ऐसी कोई एक्सप्रेस गाड़ी है जो एक जंक्शन पर तीन घंटे या उससे अधिक समय तक रुकती हो; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। 230 हुबली-बेंगलुरु एक्सप्रेस के गुन्तकल्लु स्टेशन पर 3 घंटे के ठहराव के अलावा, 95/96 मारवाड़ मेल गाड़ियां जोधपुर में परिचालनिक कारणों से 3 घटे से अधिक समय तक ठहरती हैं।

230 हुबली-बेंगलुरु एक्सप्रेस गुन्तकल्लु जंक्शन पर 3 घंटे (पहुंच 23.15 छूट 2.15) ठहरती है क्योंकि इसे गुन्तकल्लु पर 29 हैदराबाद-तिरुपति एक्सप्रेस, 13 बम्बई मद्रास एक्सप्रेस और 97/98 तिरुपति-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस के साथ महत्वपूर्ण मेल लेने होते हैं जहां सिकन्दराबाद और तिरुपति के लिए स्लिप कोच भी अन्तरित किये जाते हैं।

महरौली-बदरपुर रोड स्थित डिस्पेंसरियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों के दौरे के बारे में सुविधाएं

4244. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों ने, महरोली-बदरपुर रोड (पुष्प विहार), नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपेथी और आयुर्वेद की डिस्पेंसरियों का दौरा करना अभी तक शुरू नहीं किया था;

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या कारण हैं कि पुष्प विहार में रह रहें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को अपेक्षाकृत कम दूरी पर यह सुविधा क्यों नहीं मिल रही है जैसी कि अन्य कालोनियों में रहने वालों को मिलतीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पुष्प विहार में निवास कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ प्राप्त करने वालों को कब तक यह सुविधा देने का विचार है; यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ध) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अनेक चुनींदा औषधालयों का दौरा करते रहते हैं। उनके आस-पास के अन्य औषधालयों के लाभार्थी कार्यक्रम के अनुसार निश्चित दिनों को अपने निकट के औषधालयों में जाकर विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार महरौली बदरपुर रोड औषधालय के लाभार्थी उस चिकित्सा विशेषज्ञ की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मालवीय नगर से सम्बद्ध हैं जो वहां पर निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जाता है। जहाँ तक अन्य विषयों के विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, लाभार्थियों को सफदरगंज अस्पताल जाना होता है जहां पर ये सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञों से परामर्श लेने के लिए वे लोदी रोड स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल की सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। इन प्रबन्धों को देखते हुए और प्रशासनिक कारणों से प्रत्येक अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना सम्भव नहीं समझा जाता है।

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रधानाचार्यों/स्थानापन्न प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता शर्तें क्या हैं और कहां इनमें छूट दी जा सकती है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कालेज ने गत 12 महीनों के दौरान, न्यूनतम योग्यता को पूरा न करने वाले प्रधानाचार्य/स्थानापन्न प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगते हुए कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पास भेजा है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस तरह के प्रस्तावों को अस्वीकार करने/स्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश (एक्स एक्स) में मिरांडा हाउस में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति की व्तवस्था है और विश्वविद्यालय इस पद के लिए नये अधिकारी का चयन करने के लिए क्या पद्धति अपनाएगा; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय एक वर्ष से अधिक की लम्बी छुट्टी पर जाने वाले प्रधानाचार्यों के पद की रिक्तियों का विज्ञापन करने से सम्बन्धित विद्यमान नियमों में परिवर्तन करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं हैं—प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री सहित अच्छा शैक्षिक रिकार्ड, साथ में डाक्टर डिग्री अथवा समतुल्य प्रकाशित कृति और डिग्री कक्षाओं में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव; अथवा प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री, साथ में डिग्री कक्षाओं में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव। अर्हताओं में किसी प्रकार रियायत कुछ विशेष मामलों में चयन समिति की सिफारिशों पर दी जा सकती है। ये न्यूनतम पात्रता की शर्तें नैमित्तिक रिक्तियों पर प्रधानाचार्य के पद की नियुक्तियों पर भी लागू होती हैं।

(ख) विश्वविद्यालय के अनुसार पिछले 12 महीनों के दौरान किसी कालेज से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ था।

(ग) मिरान्डा हाउस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के प्रावधान संविधि 6(2) (1) और अध्यादेश × में भी दिए गए हैं। चयन समिति की संरचना के बारे में अध्यादेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इस मामले में सिफारिशों पर कालेज के शासी निकाय तथा कार्यकारी परिषद द्वारा विचार करके उनका अनुमोदन किया गया था।

नए प्रधानाचार्य के चयन की पद्धति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) जी, हां। विश्वविद्यालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

दिल्ली के सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को नियमित किया जाना

4246. **श्री कुयबुम एन. नटराजन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीनियर सैकेन्डरी स्कूलों में वस्तुत: दिल्ली प्रशासन द्वारा 1100-1600 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किये गये प्रधानाचार्यों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं;

(ग) उनको नियमित क्यों नहीं किया गया है, खासकर उनको, जबे निरन्तर 10 वर्ष से अधिक तदर्थ आधार पर सेवा कर रहे हैं और वेतनमान की अधिकतम राशि प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं; और

(घ) उनकी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 245 प्रधानाचार्यों को नियुक्त किया गया।

(ख) 100, ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों की संख्या	वर्ष
1	1966
2	1967
3	1968
12	1969
48	1970
4	1971
26	1976
1	1977
3	1980
100	

(ग) 425-900 रु. (श्रेणी 11 राजपत्रित पद) के वेतनमान को 1973 में संशोधित करके 275-1970 से 700-1100 रु. (श्रेणी I राजपत्रित पद) कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप पद के लिए पहले वाले निर्धारित भर्ती नियमों को संशोधित करना पड़ा। संघ और सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को नियमित करने के पहले जारी किए गए आदेश को रद्द करना पड़ा।

कुछ स्नातकोत्तर शिक्षकों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में स्नातकोत्तर शिक्षकों (उप-प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए पोषक श्रेणी) की वरीयता सूची को चुनौती देते हुए, समादेश याचिका दायर किए जाने के कारण स्नातकोत्तर शिक्षकों की वरीयता को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। स्नातकोत्तर शिक्षकों की संशोधित वरीयता सूची 1979 में प्रकाशित की गई थी जब कि उप-प्रधानाचार्यों की वरीयता सूची अभी तक अनिर्णीत पड़ी है, क्योंकि पोषक श्रेणी के शिक्षकों द्वारा नये समादेश-याचिका दायर कर दी गई थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(च) उप-प्रधानाचार्यों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप देते ही, उन सभी पात्र

उप-प्रधानाचार्यों को नियमित करने के मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जायेगा, जिन्हें प्रधानाचार्यों के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

4247. **श्री के. मालन्ना :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा शुरु करने में गत एक वर्ष के दौरान सरकार, ने क्या प्रगति की है, और

(ख) क्या सरकार, प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं के स्तर पर स्कूलों में रोजगारान्मुखी शिक्षा के विषय बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्माण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शिक्षा मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है। शैक्षिक वर्ष 1980-81 तक स्कूल शिक्षा को 10+2 पद्धति के +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली तथा पांडिचेरी संघशासित क्षेत्रों में गुरू किए गए थें। शैक्षिक वर्ष 1981-82 के दौरान, गोवा, दमन और दीव संघशासित क्षेत्र + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए हैं।

(ख) स्कूल स्तर पर अध्ययन योजना की समीक्षा की गई है तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए हाल ही में इसकी सिफारिश की गई है। निकट भविष्य में इसकी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झालावाड़ में आउट एजेंसी

4248 **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ में पश्चिम रेलवे के झालावाड़ रोड स्टेशन द्वारा चलाई जाने वाली एक आउट एजेंसी आरम्भ करने का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो कब : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) अल्प-यातायात के कारण, कोई सड़क ठेकेदार या कोई एजेंसी आउट एजेंसी को चलाने के लिए तैयार नहीं है।

हरशाना कलां पर हाल्ट स्टेशन

4249. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में हरशाना कलां पर एक हाल्ट रेलवे स्टेशन 1970 से कार्य कर रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि समीपवर्ती गांवों के यात्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली

कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भी वहां कोई सीजन पास नहीं दिये जाते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं. और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालायों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) हरसाना कलां ठेकेदार द्वारा चलाया जा रहा एक हाल्ट है । हाल्ट के ठेकेदारों को सामान्यतः मासिक सीजन टिकट जारी करने की अनुमति नहीं होती। नियमित यात्री सदैव गंतव्य स्टेशन से सीजन टिकटों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेणियों का संख्यात्मक रूप से समानीकरण

4250. **श्री राम जेठमलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को विश्वविद्यालय शैक्षिक परिषद के कुछ सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो अन्य उन संस्थाओं द्वारा दिये गये ग्रेडों को संख्यात्मक रूप से समानीकरण करने के बारे में है जिनके डिप्लोमा विश्वविद्यालय के नियम 8 (नौ) के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त हैं और जिसमें शैक्षिक परिषद्व को नजरअंदाज करके कार्यकारी परिषद्व द्वारा निर्णय लिये जाने पर आपत्ति की गई है ;

(ख) इस अभ्यावेदन में उठाये गये मामले में विश्वविद्यालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) किन कारणों से दिल्ली विश्वविद्यालय ने, 10 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3633 के बारे में दिये गये उत्तर के अनुसार उपर्युक्त अभ्यावेदन के मामले को विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद्व के पास नहीं भेजा है ?

रेल, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । प्रस्तावित अभ्यावेदन प्रबन्ध अध्ययनों में लेक्चरर के पद की नियुक्ति के लिए चयन समिति की एक सिफारिश के संदर्भ में है, जो इस समय कार्यकारी परिषद्व के समक्ष है । अभ्यावेदन के अनुसार, चयन समिति की सिफारिश पर विचार करते हुए किसी दूसरे संस्था की परीक्षा की संख्यात्मक समकक्षता का प्रश्न शैक्षिक परिषद्व द्वारा तय किया जाना चाहिए ।

(ख) विश्वविद्यालय अभ्यावेदन में उठाए गए मामलों की जांच कर रहा है ।

(ग) 10 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3633 का उत्तर दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्चतर पाठ्यक्रम में दाखिले के प्रयोजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों के मुकाबले अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्रियों की मान्यताओं के संदर्भ में था ।

श्रीलंका में उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल का दौरा

4252 **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के 4,50,000 राज्यविहीन लोगों के सम्बन्ध में एक नया समझौता करने के लिए शीघ्र ही श्रीलंका से एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल के भारत आने की सम्भावना है;

(ख) श्रीलंका संसद द्वारा अनिवार्य रूप से वापस भेजने के स्थान उन्हें नागरिकता देने सम्बन्धी कानून बनाये जाने के बाद भारतीय मूल के कितने राज्यविहीन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है;

(ग) भारतीय मूल के कितने राज्यविहीन लोग अब भी श्रीलंका छोड़ने में असमर्थ हैं, यदपि वे सभी भारतीय पार-पत्र तथा वीसा भी प्राप्त कर चुके हैं; और

(घ) श्रीलंका छोड़े जाने में उनकी असमर्थता के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) जी नहीं।

(ख) इसके सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन श्रीलंका के सम्बद्ध प्राधिकारियों ने हमें सूचित किया है कि राज्यविहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने से 1964 के करार के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीयों के वास्तविक देश प्रत्यावर्तन को अलग करने के बारे में श्रीलंका को संसद द्वारा पारित अधिनियम के बाद से श्रीलंका की नागरिकता के लिए पंजीकृत किये जा रहे व्यक्तियों की संख्या लगभग 1000 प्रति माह है। श्रीलंका के प्राधकरियों ने सूचित किया है कि अलगे महीनों में पजीकरण की गति में तेजी लाई जायेगी।

(ग) 1964 के करार के अधिन भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत "मूलत: सूचीबद्ध" 88, 181 व्यक्ति इस समय भारत प्रत्यावर्तित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(घ) प्रत्यावर्तन में विलम्ब मुख्यत: प्रशासनिक कारणों से हो रहा है जैसे कि श्रीलंका में कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशि, उपादान लाभ के भुगतान और विनिमय परमिट जारी करने में विलम्ब।

लखनऊ-सीतापुर लाइन

4253 **श्री मतीराजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनउ और सीतापुर रेलवे स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई संभाव्यना रिपोर्ट तैयार की गई है और इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):(जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उडता।

पंखा रोड़ चौड़ा किया जाना

4254. **श्री ए. यू. आजमी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंखा रोड़ को चौड़ा किया जाना था तथा नजफगढ़ रोड़ से "डी" ब्लाक जनकपुरी तक के बड़े हिस्से को चौड़ा कर दिया गया था और अधिकारियों द्वारा

इस आवश्यक परियोजना को पूरा करने में रुचि न लिये जाने के कारण इसके अगले भाग को चौड़ा करने में बाधा पड़ी और इसे आधे में ही छोड़ देना पड़ा;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस काम को बीच में छोड़े जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना का पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) पंखा रोड़ को चौड़ा करने के काम को लगभग 75 प्रतिशत तक पूरा करने के बाद ठेकेदार ने जिसे यह काम सौंपा गया था ढील डाल दी। इसलिए उसका ठेका खत्म कर दिया गया। यह काम हाल में एक दूसरे ठेकेदार को दिया गया है और इस समय हो रहा है।

नारी निकेतन, दिल्ली से सहवासियों के निकल भागने के मामले

4255. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल, दिल्ली के निकट स्थित नारी निकेतन से लोगों के निकल भागने की अनेक घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 30 नवम्बर, 1981 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान नारी निकेतन के कितने लोग निकल भागे और उनमें से कितने लोगों का पता लगा लिया गया है;

(ग) उनके भागने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नारी निकेतन के प्रबन्ध तथा वहाँ रहने वालों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या नारी निकेतन के कार्यों की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नारी निकेतन सामाजिक और नैतिक खतरे में फंसी स्त्रियों के लिए एक संस्था है। इस अवधि के दौरान स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत संस्था से भाग निकलने की कोई घटना नहीं हुई है। तो भी, 30 नवम्बर, 1981 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान न्यायालय अथवा पुलिस द्वारा अन्य आधारों पर भेजी गई 24 लड़कियाँ महिलाएं भाग गई थीं, जिनमें से पांच का पता लगा लिया गया है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय में पेश की गई एक रिट पेटीशन में इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए जांच के पेनल की रिपोर्ट उनके सामने है। इस प्रकार इस मामले की न्यायालय द्वारा जाँच की जा रही है। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में बोर्ड आफ विजीटर्स की स्थापना करना, रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करना तथा संस्थागत देखभाल और उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की संवाशियों को कारगर रूप से अलग-अलग रखना शामिल है।

राज्यवार छात्रों की संख्या

4256. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय प्राथमिक हाई स्कूल, इन्टर तथा डिग्री कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की राज्यवार संख्या क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : राज्य सरकारों से उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर, अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न स्तरों पर (सामान्य शिक्षा) 1978-79, छात्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राईमरी स्तर कक्षाएं 1-5	मिडिल स्तर कक्षाएं 6-8	उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं 9-11	इण्टरमीडिएट* पूर्व डिग्री	डिग्री*
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	49,25,484	10,44,770	4,87,664	1,34,749	95,799
असम	18,81,656	5,12,159	2,17,443	67,713	29,626
बिहार	63,08,008	9,92,975	3,99,027	1,62,110	79,808
गुजरात	38,68,577	10,68,063	6,91,683	17,628	127,701
हरियाणा	11,73,024	4,34,905	1,37,8-9	21,456	48,887
हिमाचल प्रदेश	4,94,737	1,62,273	66,181	3,953	8,213
जम्मू और काश्मीर	4,73,604	1,50,173	81,405	4,233	14,199
कर्नाटक	40,98,417	9,75,941	5,59,493	1,14,339	101,885
केरल	31,48,529	16,05,297	6,84,286	1,12,016	71,185
मध्य प्रदेश	44,49,946	11,42,605	4,33,434	—	128,092
महाराष्ट्र	78,73,275	19,48,155	11,52,722	26,777	2,24,007
मणिपुर	2,00,278	50,197	31,406	10,603	5,308
मेघालय	1,85,696	33,738	23,818	6,727	3,264
नागालैंड	1,09,293	25,745	15,432	2,062	621
उड़ीसा	26,11,998	5,01,046	2,64,084	45,397	29,479
पंजाब	20,50,616	6,67,761	2,52,845	36,593	73,271
राजस्थान	25,75,381	6,59,577	3,40,003	2,928	86,794
सिक्किम	37,582	5,021	1,614	—	81
तमिलनाडु	61,20,995	17,03,767	8,19,640	90,647	114,731
त्रिपुरा	2,09,836	51,418	26,772	46	4,214

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	95,42,627	21,10,865	14,10,497	5,99,361	267,554
पश्चिम बंगाल	57,77,591	11,96,719	7,18,823	26,743	217,274
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	23,940	7,200	3,77	55	521
अरुणाचल प्रदेश	49,409	6,719	2,446	204	160
चण्डीगढ़	34,409	17,335	7,565	4,439	10,691
दादरा और नागर हवेली	13,311	1,626	785	—	—
दिल्ली	6,23,114	2,93,665	2.53,322	26	91,802
गोवा दमन और दीव	1,45,843	55,078	23,596	709	4,499
लक्षद्वीप	6,905	2,246	934	191	—
मिजोरम	67,933	20,999	14,196	1,861	616
पांडिचेरी	74,024	28,243	14,229	1,777	1,913
भारत	6,91,56,038	1,74,76,281	91,37,361	14,95,353	18,43,195

* वर्ष 1977-78 से संबंधित आंकड़ें

दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा फिजूल सामान की खरीद

4257. **श्री जैनुल बशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे तथा पूर्व रेलवे फिजूल का सामान खरीद करती रही है जिसके कारण इस वर्ष काफी वित्तीय भार पड़ा है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भी इस फालतू खरीददारों तथा उसके फलस्वरूप हानि पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) रेलवे की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। दक्षिण पूर्व रेलों ने इस वर्ष में उनके द्वारा की गयी खरीद के लिए आनुपातिक बजट आबंटन से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया है। लेकिन पिछले वर्ष और अब तक चालू वर्ष के दौरान की गयी खरीदों की कुल लागत चालू वर्ष में सामान्य प्रयोजन के भंडार के लिए लगभग इन रेलों को आबंटित की गयी कुल बजट राशि के बराबर है। इन रेलों तथा अन्य रेलों ने भी चालू वर्ष के लिए अगस्त समीक्षा में अतिरिक्त धन का अनुरोध किया है। चूंकि सामग्री की लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है, इन रेलों के लिए अतिरिक्त धन की स्वीकृति का पर्याप्त औचित्य है। इस मन्त्रालय में सभी रेलों के आधार पर इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय को फांसी दिए जाने का जनता द्वारा चित्र लिया जाना

4258. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय राष्ट्रिक को सार्वजनिक रूप से फाँसी दी गई थी और उसे न केवल फांसी ही दी गई अपितु जनता द्वारा उसके चित्र भी खींचने दिया गया और चित्रों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब अमीरात में ऐसे ही समान अपराधों के लिए दो ओमानी राष्ट्रिकों को भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी किन्तु जनता को उनके चित्र खींचने नहीं दिए गए और न ही उनकी फांसी के चित्र समचार पत्रों में प्रकाशित हुए;

(ग) यदि हां तो क्या भारतीय राष्ट्रिकों की फाँसी के सार्वजनिक रूप से चित्र खींचे जाने को रोकने हेतु संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूतावास द्वारा कोई प्रयास किये गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि इसका उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) 9 अगस्त, 1981 को दो ओमानी राष्ट्रिकों को भी आबू धाबी में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इस फाँसी की खबरें समाचार-पत्रों में व्यापक रूप से छपी थीं यद्यपि इस घटना के चित्र प्रकाशित नहीं किए गए थे।

(ग) और (घ) अब्दुल अजीज मोहम्द पारकर की गिरफ्तारी और मुकदमें का स्थानीय प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार किया गया था और 4 तथा 6 वर्ष की दो लड़कियों के बलात्कार और हत्या के विरुद्ध स्थानीय जनता ने क्षोभ घृणा की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। राजदूतावास ने पारकर के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा था लेकिन जिस घृणित प्रकृति का अपराध किया गया था उसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकारियों को किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य न होता। पारकर ने यह अपराध रस-अल-खेमा में किया था और वहीं उसे फाँसी भी दी गई थी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात सात संघीय अमीरातों में से एक है, जबकि दो ओमानी राष्ट्रिकों को अगस्त में आबू धाबी में फाँसी दी गई थी।

गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में लिए गए नमूने

4259. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आइस्क्रीम, सरसों के तेल, बिस्कुट आदि के निर्माताओं, हलवाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माताओं से कितने नमूने (सेम्पल) लिये गये और उनके विश्लेषण से क्या पता लगा, साथ ही गत छः महीने के दौरान खुदरा विक्रेताओं से कितने नमूने लिये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1-6-81 से 30-11-81 तक दिल्ली में उठाये गये नमूनों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) निर्माता

आइसक्रीम	12
सरसों का तेल	3
मिठाइयां और उनके संघटक (हलवाइयों से उठाग गए)	217
बेकरियाँ	14
अन्य	82
	328

(2) जो नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये उनकी संख्या इस प्रकार है :–

आइसक्रीम	1
सरसों का तेल	शून्य
मिठाइयाँ तथा अन्य संघटक	17
बेकरियाँ	1
अन्य	8
	27

(3) खुदरा विक्रेताओं के यहाँ से 797 नमूने उठाये गये ।

छात्र तथा अध्यापकों के आंदोलन

4260. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**

श्री चित्त महाटा : क्या **शिक्षा और समाज़ कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छात्रों और अध्यापकों के आन्दोलनों, प्रदर्शनों, तथा हड़तालों के क्या कारण हैं;

(ख) इन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या इन आन्दोलनों को आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छात्रों तथा अध्यापकों द्वारा किये जाने वाले आंदोलनों और हड़तालों के पीछे कोई समान कारण नहीं हैं । जबकि अधिकांश मामलों में छात्र आन्दोलन का कारण एक ही प्रकार की स्थानीय घटनाएं होती हैं और वे उनकी माँगों से सम्बद्ध होती हैं, वहाँ पर अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन और हड़तालें सामान्यत: वेतन मानों में संशोधन, सेवा शर्तों में सुधार तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और लाभों की व्यवस्था जैसी अपनी माँगे मनवाने

के लिये की जाती हैं। इन सभी मामलों में, उठने वाली समस्याओं का व्यवहारिक हल ढूंढने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपाय किये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस रेल गाड़ी में डकैती

4261. **श्री बी. डी. सिंह**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में "बिग मैनहंट फार फाइव ट्रेन रावर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें चलती हुई लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी में पड़ी डकैती, जो 15 दिनों के अन्दर तीसरी डकैती है और जिसमें एक व्यक्ति मारा गया तथा घायल हुए, के बारे में बताया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इस गाड़ी की मार्गरक्षण दो राजकीय रेलवे पुलिस के सिपाहियों द्वारा की जा रही थी। वे गार्ड से उतर गये और उन्होंने अपराधियों का पीछा किया तथा उन पर गोली चलायी। डाकू लोग लूटी गयी सम्पत्ति को छोड़ गये और अंधकार में गायब हो गये। राजकीय रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारीगण और अन्य उस स्थल के लिए रवाना हो गये। कुत्ता दस्ता भी लगाया गया था और उस क्षेत्र को भली-भांति छान डाला गया था। इसके परिणामस्वरूप, 3 सूट केस, 1 एयर बैग बिल्कुल सही हालत में बरामद किये जा सके। राजकीय रेलवे पुलिस बीना ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397, 302, 307, 395 के अधीन मामला सं. 36 दर्ज कराया। इस अपराध में शामिल 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों के अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे गाड़ियों के मार्गरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करें।

नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या

4262. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या के बारे में एक सांसद का 25 अगस्त, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त अभ्यावेदन पर तथा श्रमिकों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। तिरुनेलवेल्लि-तिरुवनन्तपुरम रेलवे लाइन के निर्माण में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों की कथित छंटनी के सम्बन्ध में श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य से दिनांक 25 अगस्त, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) निर्माण परियोजनाओं के नैमित्तिक श्रमिकों को नयी लाइन खुलने पर अनुरक्षण के लिए यथासंभव सीमा तक समाहित किया जाता है। तिरुनेलवेल्लि-नागरकोइल खंड के खुलने पर, 255 नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया गया है या बनाया जा रहा है। लेकिन, इस परियोजना में सभी नैमित्तिक श्रमिकों को विनियमित करना या पुनः नियुक्त करना सम्भव नहीं है।

"नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेस मैन"

4263. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने "नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेस मैन" को दी गई मान्यता और सुविधाओं के खिलाफ विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विरोध का आधार क्या है;

(ग) ऐसी परिस्थितियाँ कौन-सी हैं जिसमें रेलवे बोर्ड ने "नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेस मैन" को मान्यता देने के लिये निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार इसी प्रकार के अन्य संगठनों को मान्यता देने पर विचार करेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच को कोई "मान्यता" नहीं दी गई है। इस संगठन से तथा इसकी ओर से प्राप्त कुछ पत्रों पर विचार करते हुए, रेल प्रशासनों को 28-10-1981 को अनुदेश जारी किये गये थे कि वे रेल काँग्रेस के राष्ट्रीय मंच से प्राप्त सुझावों के प्रति ग्रहणशील रहें और वर्तमान वार्ता-तंत्र तथा कर्मचारी कल्याण-प्रणालियों को किसी प्रकार कम किये बिना उसे सहयोग दें।

रेलवे के दो श्रम संगठनों ने इस आशय के अनेक पत्र भेजे कि कल्याण संगठन के वेश में इस मंच के कार्यकलापों से ट्रेड यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों में रुकावट पड़ेगी।

इन फेडरेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रस्तावों सहित इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, रेल कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच के साथ व्यवहार के संबंध में 28-10-1981 को जारी की गई ये हिदायतें 8-12-1981 को रद्द कर दी गई थीं।

(घ) भाग (क) से (ग) तक के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता। सरकार की नीति रेलों पर ट्रेड यूनियन संगठनों की विविधता को प्रोत्साहन न देने की है। अतः वर्तमान संगठनों से भिन्न किसी अन्य संगठन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में वातानुकूलित चेयर कार

4264. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें वातानुकूलित चेयर कार की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार कुछ एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में तानानुकूलित चेयर कार की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या 175/76 नीलाचल एक्सप्रेस में चेयर कार कोच लगाने का विचार है;

(घ) क्या यह प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किए जाने की आशा है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, इस समय नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन गाड़ियों की सूची जिनमें वातानुकूल कुर्सीयान की व्यवस्था की गई है।

1. 101/102 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
2. 151/152 नई दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस
3. 39/40 मद्रास-बेंगलूर सिटी-वृन्दावन एक्सप्रेस
4. 41/42 मद्रास-कोच्चिन एक्सप्रेस
5. 75/76 मद्रास सेन्ट्रल-कोयम्बत्तूर-कोवई एक्सप्रेस
6. 25/26 बम्बई सेन्ट्रल-नई दिल्ली-अमृतसर वातानुकूल एक्सप्रेस
7. 81/82, 103/104 हावड़ा-नई दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रेस
8. 119/120 नई दिल्ली-लखनऊ-गोमती एक्सप्रेस
9. 123/124 सिकन्दराबाद-नई दिल्ली ए. पी. एक्सप्रेस
10. 121/122 मद्रास-नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस
11. 171/172 बम्बई सेन्ट्रल जम्मूतवी एक्सप्रेस
12. 15/16 मद्रास-नई दिल्ली जी. टी. एक्सप्रेस
13. 153/154 वीक एण्ड वातानुकूल एक्सप्रेस
14. 3/4 हावड़ा-मद्रास मेल
15. 19/20 मद्रास-त्रिवेन्द्रम मेल
16. 11/12 हावड़ा-राऊरकेला इस्पात एक्सप्रेस
17. 13/14 हावड़ा-टाटा स्टील एक्सप्रेस।

फार्मसिस्टों को वार्षिक वेतन वृद्धि और बिना हड़ताल वाले दिनों के लिए वेतन का भुगतान

4265. **श्री राजेश कुमार सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार मंत्री** दिल्ली प्रशासन के फार्मसिस्टों को वार्षिक वेतन वृद्धि और बिना हड़ताल वाले दिनों के लिए वेतन का भुगतान के बारे में 3 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने ड्यूटी से अधिकृत गैरहाजिरी को माफ कर दिया है; और

(ख) संबंधित फार्मसिस्टों को विवादग्रस्त वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन की अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) जैसे ही हड़ताल की अवधि को माफ करने संबंधी कोई निर्णय लिया जाएगा, फार्मासिस्ट्रों को उनकी देय रकम का भुगतान कर दिया जाएगा।

जाइंट ड्रग कम्पनी से खरीदी गई मशहूर दर्द की गोलियाँ, सर्दी को दूर करने वाली औषधियां तथा स्वास्थ्य-वर्द्धक औषधियां

4266. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :**

श्री के. मालन्ना :

श्री के. लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाइंट ड्रग कंपनी से खरीदी गई मशहूर दर्द की गोलियाँ, सर्दी दूर करने वाली औषधियाँ और स्वास्थ्यवर्द्धक औषधियाँ, जिनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है, असरदार सिद्ध नहीं हुई हैं और उनसे किसी प्रकार का आराम नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ऐसे विज्ञापन देने वाली इन कंपनियों के विरुद्ध तथा ऐसी औषधियों की खरीद रोकने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 एक केन्द्रीय अधिनियम है और इसके अन्तर्गत 1955 के नियम बने हुए हैं। औषधियों और कुछेक ऐसे उपचारों जिनमें जादुई गुण होने का दावा होता है, के विज्ञापनों को यही अधिनियम विनियमित करता है। जहाँ तक देश में औषधियों के विज्ञापनों का संबंध है, इस अधिनियम के प्रवर्तन का काम राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों का है। ये प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं ये विज्ञापन औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करते, समाचार-पत्रों आदि में छपे विज्ञापनों की छानबीन करते रहते हैं। सभी राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से एक परिपत्र जारी कर यह अनुरोध किया गया है कि आम घरेलू उपचार के प्रसिद्ध ब्रांड के विज्ञापनों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इन औषधियों के बारे में उनमें कोई झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे तो नहीं किए गए हैं। जहाँ तक सम्मिश्रणों में उचित चिकित्सा तत्वों का संबंध है, राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से एक और परिपत्र जारी करके अनुरोध किया गया है कि वे देखें कि क्या इन औषधियों में समुचित भाग में चिकित्सीय गुण वाले घटक विद्यमान हैं क्योंकि वे उन घरेलू उपचारों की जांच करने लाइसेंसिंग प्राधिकारी होते हैं और साथ ही उन्होंने उनका लाइसेंस दिया होता है।

हल्दिया डांक कमलेक्स में एक छोटे भू-खन्ड के लिए नेपाल सरकार का अनुरोध

4267. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने हल्दिया डांक कमलेक्स में एक छोटा-सा भू-खण्ड आवटित किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औपचारिक तौर पर अनुरोध प्राप्त हो गया है; और

(ग) क्या अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) नेपाल ट्रांजिट एण्ड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नेपाली निगम हल्दिया में सामान्य माल घाट के निकट भंडार के एक शेड के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन चाहता था। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा यह जमीन आवंटित करना संभव नहीं हो सका। इस निगम को इसके बदले 1979 में दूसरे स्थान पर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया लेकिन निगम ने इस बारे में आगे लिखा-पढ़ी नहीं की है।

नेपाली पक्ष ने अगस्त, 1980 में हुई एक अन्तर्सरकारी बैठक में और उससे पहले भी अपने माल के लिए अलग से एक घाट के निर्माण के लिए वाटर-फ्रन्ट के सामने भूमि का आवंटन किए जाने के लिए अनुरोध किया था। भारतीय पक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव है।

"इंडियन काउंसिल आफ पैरा मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन" के बारे में विधान

4268. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** "दी इंडियन कौंसिल आफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन" के लिये विधान के बारे में 20 अगस्त, 1981 के आतारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इण्डियन काउंसिल आफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोपेशन्स" के बारे में शीघ्र प्रस्तावित विधान लाने में क्या कठिनाई है; और

(ख) क्या प्रस्तावित विधान के लाने में लगने वाले संभावित समय के बारे में कोई निश्चित वचन दिया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस प्रस्तावित विधेयक के बारे में निर्णय लिये जाने और इसकी क्रियाविधि और अन्य अपेक्षाएं पूरी हो जाने के बाद इसे पेश किया जायेगा। इसके बारे में कोई निश्चित आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

भांडुप स्टेशन पर दुकिंग की खिड़की

4269. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के उपनगरीय अनुभाग में बम्बई में भांडुप रेलवे स्टेशन कितना पुराना है;

(ख) क्या यह सच है कि मूल भांडुप गांव और नई आवासीय कालोनियां स्टेशन के पूर्व की ओर स्थित है;

(य) क्या यह सच है कि पूर्व की ओर बुकिंग खिड़की खोलने के लिए वहां के निवासियों की बहुत मांग हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भांडुप स्टेशन की इमारत 1914 में बनाई गई थी। बुकिंग कार्यालय का विस्तार 1974 में किया गया था। इस समय स्टेशन की इमारत में पांच बुकिंग खिड़कियों की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) धनकी कमी के कारण, स्टेशन की इमारत के पूर्व की ओर बुकिंग खिड़की की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

बांदा में ओवर ब्रिज

4270. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा मध्य रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। छठी योजना में बांदा में वर्तमान समपार नं. 455-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केवल अगस्त, 1981 में सूचित किया था। रेलवे और राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यायित संवाददाताओं के लिए रेल यात्रा में रियायत

4271. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यायित संवाददाताओं की किस तारीख से रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधाएं दी गई थीं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को पिछले तीन सालों में कितना घाटा हुआ;

(ग) इस रियायत को वापिस ले लेने से आगामी वित्तीय वर्ष में रेलवे राजस्व में कितनी वृद्धि होगी;

(घ) क्या रेलवे के कुल राजस्व की तुलना में यह राजस्व नगण्य होगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार रेल यात्रा में रियायत की इस सुविधा को इस शर्त पर पुनः जारी रखेगी कि इस सुविधा का लाभ केवल संवाददाताओं को ही मिलेगा न कि अखबार के मालिकों को ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1950 से।

(ख) से (घ) अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) इस रियायत को रेल दर-सूची जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि संवाददाताओं द्वारा की गई यात्रा का एक व्यापार व्यय है, जो वस्तुत: नियोजक द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

ईसाइयों द्वारा चलाये जा रहे समाज कल्याण संगठनों को सरकारी अनुदान न दिया जाना

4272. **श्री जी. एस. रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ईसाइयों द्वारा चलाये जा रहे अनेक समाज कल्याण संगठनों को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय और राज्य समाज कल्याण मंडलों से अनुदान पाने वाले ईसाई संगठनों के नाम क्या हैं।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सहायक अनुदान, सभी रजिस्टर्ड संगठनों को, जो सहायता की जो सम्बन्धित योजनाओं में दी गई शर्तों को पूरा करती हैं बिना धर्ममत अथवा जाति के भेदभाव के दिए जाते हैं। संगठनों के धार्मिक सम्बन्धों के आधार पर कोई अनुदान मंजूर नहीं किये जाते हैं। इसलिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अथवा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से अनुदान पाने वाले ईसाई संगठनों की कोई सूची नहीं रखी जाती है।

रेनीगुन्ता में मरम्मत के लिए वर्कशाप

4273. **श्री पी. राज गोपाल नायडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेनीगुन्ता की रेलवे मरम्मत की वर्कशाप की क्षमता घटकर 4 वैगन प्रतिदिन रह गई है,

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं,

(ग) क्या सरकार भविष्य में नये किस्म के यात्री डिब्बों और वैगनों की मरम्मत की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक नयी वर्कशाप लगा रही है, और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेनीगुन्ता में इस फैक्टरी को लगाने के बारे में अनुरोध किया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तिरुपति में, जो रेणिगुन्ता के निकट भी है, एक नया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित करने की योजना को अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 1979-80 के बजट में शामिल कर लिया है। इस कारखाने के लिए प्रतिदिन 4 सवारी डिब्बों अथवा कोचिंग स्टाक के 8 चौपाहिया यूनिटों की अधिक औवरहाल का लक्ष्य रखा गया और भविष्य में इसे

बढ़ाकर प्रतिदिन 8 सवारी डिब्बों अथवा 16 चौपहिया यूनिटों तक कर देने की गुंजाइश रखी गयी है। इस कारखाने का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(घ) तिरुपति सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना तकनीकी आर्थिक दृष्टि से की जा रही है और आन्ध्र प्रदेश सरकार इसके लिए समतल भूमि की व्यवस्था कर रही है और उसने इस परियोजना के लिए बिजली और पानी जैसी कुछ अनिवार्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है।

बाड़मेर, राजस्थान में गवर्नमेंट कालेज के लिए छात्रावास खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

4274. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने बहुत समय पूर्व बाड़मेर शहर में जो कि पिछड़े जिले बाड़मेर का मुख्यालय है सरकारी कालेज के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह सुझाव देते हुए कि इसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बकाया आधा विश्वविद्यालय पूरा करे अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान मंजूर करने में हुई देरी के क्या कारण हैं यह कब तक किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग के पास राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गाड़ियों के रिकार्ड का रखरखाव

4275 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों के रिकार्ड के रख रखाव के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है अब तक का रिकार्ड पूरा करके इसका कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और उनके लिये क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है :

(ग) क्या दिल्ली में पंजीकृत तथा दिल्ली परिवहन प्राधिकरण के अपंजीकृत सभी गाड़ियों पर टोकन कर वसूल कर लिया गया है :

(घ) यदि नहीं तो तत्संबंधी करण क्या है और इससे सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि हुई :

(ङ) राज्य परिवहन प्राधिकरण के पास कुल कितनी गाड़िया पंजीकृत है :

(च) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू किया गया है : और

(छ) यदि हां, तो किस हद तक और इनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रिकार्ड अभी तक तैयार किया जा रहा है क्योंकि यह एक भारी काम है। इस काम को शीघ्र करने के लिए रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण की योजना तैयार की गई है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, रिकार्ड एक कमरे में रखा जाता है जिसे ताला लगा होता है।

(ग) दिल्ली में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सभी गाड़ियों के सम्बन्ध में सड़क कर नियमित रूप से लिया जा रहा है परन्तु, सड़कों पर गाड़ियों की जाँच करने के अभियान के दौरान कुछ व्यक्ति पकड़े गये थे। उनसे भी सड़क कर लिया गया है। दोषियों से जुर्माना लेकर दंड भी दिया गया। जुर्माना दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1962 के अधीन निर्धारित कर को बकाया राशि के समान लिया गया। अत: आय में कोई घाटा नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) अक्तूबर, 1981 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों की कुल संख्या 5,66,966 है।

(च) रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण को छोड़, अध्ययन दल की सभी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं।

(छ) (1) डाकघरों को सड़क कर लेने के लिए अधिकृत किया है।

(2) प्रत्येक गाड़ी के लिये एक अलग फाईल खोली गई है।

(3) प्रत्येक फाईल में एक नोट-शीट होता है और फाईल के सभी कागजात नत्थी किए जाते हैं।

(4) फाईल रैकों के अन्दर फाईलों को क्रमानुसार रखा जाता है।

विश्व बैंक ऋण के बगैर उड़ीसा की परियोजनायें

4276. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारतीय रेलवे को 600 करोड़ रुपये का ऋण देने वाला है,

(ख) यदि हाँ, तो इस धनराशि का किस काम में उपयोग किया जायेगा,

(ग) उड़ीसा में विश्व बैंक द्वारा दिये गये इस ऋण से शुरू की जाने वाली नयी रेल परियोजनाओं और इसके अलावा अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) उड़ीसा से होकर जाने वाले रेल मार्ग का कितना भाग टूट-फूट गया है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं और विश्व बैंक के ऋण से इसमें से कितनी रेल पटरी बदली जाएगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व बैंक ऋण का उपयोग उन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिनका मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया गया है। रेल पटरी का बदलाव इन परियोजनाओं का भाग नहीं है।

नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली जी. टी. एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस के लिये नये यात्री डिब्बे

4277. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली जी टी. एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस में नये यात्री डिब्बे जोड़ने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) लोगों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : नयी दिल्ली और भोपाल के बीच 21/22 दक्षिण एक्सप्रेस के साथ पहले और दूसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा हर रोज और 15/16 जी. टी. एक्सप्रेस के साथ एक 3-टियर शयन सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा है। 1-12-81 से, 15/16 जी. टी. एक्सप्रेस के साथ नयी दिल्ली और भोपाल के बीच हर रोज पहले दर्जे का एक पूरा सवारी डिब्बा लगाना भी आरम्भ कर दिया गया गया है।

बम्बई-हावड़ा मेल के विशेष यात्री डिब्बे में आग लगाना

4278. **श्री एच. एन. नन्जे गोड़ा :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-हावड़ा मेल में पर्यटक दल को ले जा रहे विशेष यात्री डिब्बे में हरदा से 30 कि. मि. दूर भैरोंपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगने के कारण डिब्बा जल कर राख हो गया जिसमें कई यात्री मारे गये, अनेक घायल हो गये,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या रेलवे ने इस बारे में कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 19-10-81 को दुर्घटना में, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 8 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं।

(ख) और (ग) रेल संख्या आयुक्त, बम्बई द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जाँच की गयी है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों से भिन्न किन्हीं व्यक्तियों की विफलता के कारण हुई थी।

(घ) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

झेलम एक्सप्रेस वेस्टीबूल और पेन्ट्री कार

4279. **श्री के. बी. चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झेलम एक्सप्रेस बिना पेन्ट्रीकार और वेस्टीबूल के चल रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय 177/178 पुणे-जम्मूतवी-झेलम एक्सप्रेस गाड़ी के साथ स्थान की अनुपलब्धता के कारण कोई पेन्ट्रीयान नहीं चलाया जा रहा है। जैसे ही स्थान उपलब्ध हो जायेगा, पेन्ट्री कार की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जायेगा।

177 अप/178 डाउन (झेलम एक्सप्रेस) में आवंटित सभी सवारी डिब्बे गलियारेदार हैं। कभी-कभी इस गाड़ी में दिल्ली-पुणे और नयी दिल्ली-जम्मूतवी के बीच असाधारण भीड़-भाड़ के कारण गलियारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिन सवारी डिब्बों के गलियारे क्षतिग्रस्त हो गए थे उनके बदले हाल ही में नये ओवरहाल किये गये गलियारेदार सवारी डिब्बे लगा दिये गये हैं

लखनऊ-चित्रकूट एक्सप्रेस का जबलपुर तक बढ़ाया जाना

4280. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड और रेलवे मन्त्रालय को लखनऊ-चित्रकूट एक्सप्रेस को जबलपुर तक चलाने, जबलपुर और दुर्ग के बीच हाई कोर्ट एक्सप्रेस शुरू करने, इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग या रूपपुर तक बढ़ाने, नर्मदा-कुतुब एक्सप्रेस में यात्री डिब्बे बढ़ाने और जबलपुर और भोपाल के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के बारे में अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) इन प्रस्तावों की जांच की गयी है किन्तु मार्ग में लाइन क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों और जबलपुर दुर्ग और भोपाल में टर्मिनल सुविधाओं के सम्भव में, परिचालन की दृष्टि से, इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अलावा, प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने के लिए इस समय कोचिंग स्टाक भी उपलब्ध नहीं है। 149/150 कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस पहले ही अधिकतम डिब्बों के साथ चल रही हैं और नियमित आधार पर इनके डिब्बों की संख्या बढ़ाना व्यापारिक नहीं है।

जबलपुर मण्डल के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

4281. **श्री आनन्द पाठक**। क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ (नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन) जबलपुर मण्डल से कर्मचारियों को जबलपुर और कटनी के डिविजनल रेलवे अस्पतालों में शौचनीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

रिसर्च असिस्टेंटों के पदों को रिसर्च ऐसोशियट्स के पदों में बढ़ाया जाना

4282. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशानुसार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंटों के पदों को रिसर्च एसोशियट्स के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अनुसंधान सहायक के एक पद को अनुसंधान/सह के पद के रूप में पहले ही परिवर्तित कर दिया गया है। जहाँ तक बाकी पदों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय में अनेक स्कूलों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार इस प्रकार के प्रविर्तन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

विद्यार्थियों के निवास स्थानों से एक किलो मीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय

4283. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1,25,000 बस्तियों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके निवास से एक किलो मीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1950 में जब संविधान को स्वीकार किया गया तो उस समय 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 10 वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था;

(ग) क्या उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना अर्थात वर्ष 1990 के अन्त तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) क्या प्राथमिक स्तर तक कम से कम 95% बच्चों को दाखिल करने तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक 50% बच्चों को दाखिल करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (संदर्भ तारीख 30-9-78 के अनुसार, 1978-79 में, एक किलो मीटर की परिधि में, 1,90,667 बस्तियों में रह रहे लगभग 3.66 करोड़ लोगों के लिए प्राथमिक स्कूल/सेक्शन नहीं थे।

(ख) : जी, हां।

(ग) : 1980-85 के लिए छठी योजना की नीति सम्बन्धी रूप-रेखा के अनुसार, अगामी दस वर्षों में शैक्षिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्यतः शिक्षा देना होगा।

(घ) और (ङ) छठी योजना के दौरान I-VIII कक्षाओं में अतिरिक्त दाखिले का लक्ष्य 180 लाख बच्चे हैं। प्राथमिक स्तर (1-5 कक्षाओं) पर 117 लाख और मिडिल स्तर (6-8 कक्षाओं) पर 63 लाख है, जिससे प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर दाखिले की प्रतिशतता बढ़कर क्रमश: 95 और 50 प्रतिशत हो गई। इन न्यूनतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अपनी विशेषता को अधिकतम बनाया जाना

4284. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्तमान की अपेक्षा उच्च स्तर का कार्य-निष्पादन प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषता को अधिकतम बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अपने विभिन्न विभागों क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध विशेषज्ञता का, देश में स्कूल शिक्षा का स्तर बढ़ाने में अधिकाधिक उपयोग किया जाए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, गैर-औपचारिक शिक्षा पाठ्यचर्या विकास, कार्मिकों के प्रशिक्षण इत्यादि जैसे परिषद के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं; ताकि कार्यक्रमों का सुचारु तथा उचित कार्यान्वयन और सतत् सुधार के लिए उनकी समीक्षा की जा सके। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए परिषद् में एक योजना समन्वय और मूल्यांकन एकक भी स्थापित किया गया है। परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू किया जाए। विभिन्न समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल गठित किये जाते हैं जो अपनाई जाने वाली कार्यवाई की रूप-रेखा के सम्बन्ध में सुझाव देंगे इसके अलावा, परिषद् की भूमिका और कार्यकरण की आन्तरिक और बाहरी रूप से समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसे उपायों से रा. शै. अ. प्र. परि. अपनी विशेषज्ञता को अधिकतम बढ़ा सकी है। राज्य सरकारें भी स्कूल शिक्षा में सुधार करने के लिए सभी शैक्षिक मामलों में रा. शै. अ. प्र. परि. का मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करती हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा लाभानुभोगियों को नकली दवाइयों का दिया जाना

4285. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना औषधालयों द्वारा लाभानुभोगियों को नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेकों जटिलतायें पैदा हो गई हैं और इन दवाइयों में अधिक उल्लेखनीय दवाइयां वी कमप्लैक्स टेबलेट, एवोल और टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल है;

(ख) यदि हां, तो क्या रसायनिक विश्लेषण के लिए इन दवाइयों के विभिन्न नमूनों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से एकत्र कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारी सेवा आचरण नियम

4286. **श्री ई. बालानन्द** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय श्रमिक संगठन कन्वेंशन संख्या 87, 98, 135, 151 तथा अनेक अन्य सिफारशों को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारी सेवा आचरण नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा अपनाये गये इन अभिकल्पों/सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के इन अभिकल्पों/सिफारिशों के प्रकाश में रेल कर्मचारी आचार नियमों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

जल परिवहन के बारें में भारत बंगला देश समझौता

4287. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल परिवहन के बारे में भारत बांगला देश समझौते पर हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बांगला देश की सरकार ने भारत और बांगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल-परिवहन एयरगमन और व्यापार के बारे में प्रस्तावित प्रोतोकोल का एक संशोधित मसौदा भेजा था। संशोधित मसौदे पर दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा बांगला देश में ढांका में अगस्त 1981 में विचार विमर्श किया गया और यह तय हुआ था कि इस पर बाद में यह विचार विमर्श नई दिल्ली में भी किया जायगा। इस बारे में बांगला देश की सरकार के औपचारिक पत्र की

प्रतीक्षा की जा रही है और इस दिशा में ढ़ाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय प्रयत्नशील है। फिलहाल मौजूदा प्रोतोकोल की अवधि 29-2-81 तक बढ़ा दी गई है।

कलकत्ता पत्तन पर तलकर्षण कार्य

4288. **श्री नीरेन घोष :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के लिए तलकर्षण (ट्रेजर) आधुनिक और अद्यतन हैं;

(ख) क्या तलकर्षित गाद को सागरतट पर अथवा नदी गर्त पर जमा किया जाता है;

(ग) कर्षित गाद कब से नदी गर्त पर जमा की जा रही है;

(घ) क्या तलकर्षण कार्य से कलकत्ता पत्तन की गहराई बढ़ने में कोई सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) कलकत्ता पोर्ट के पास चार नदी निकर्षक हैं। ये 1961 से 1978 तक के बने हुए हैं। आजकल के निकर्षकों को देखते हुए इन निकर्षकों को आधुनिक कहा जा सकता है।

(ख) जो मिट्टी आदि निकर्षण कर निकाली जाती है उसमें से कुछ तट पर और कुछ नदी में ऐसे स्थल पर फेंक दी जाती है जिसका चुनाव पहले से किया होता है।

(ग) 1977 में जब अनुरक्षण निकर्षण का काम शुरू हुआ तब से खोद कर निकाली गई मिट्टी आदि नदी में ही फेंकी जाती रही है।

(घ) नदी को साफ रखने के काम के साथ-साथ अनुरक्षण निकर्षण को काम करते रहने से वैलारी बार नामक स्थान को छोड़ कर अन्य भागों में पानी के डुबाव में सुधार हुआ है।

(ङ) वेलारी बार को छोड़ कर अन्य भागों में वर्ष में 250 दिनों तक पानी का डुबाव 26 फीट रहता है जब कि इतना डुबाव 1975 में केवल 157 दिनों तक रहता था।

महानगरीय परिवहन परियोजनायें

4289. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने महानगरीय परिवहन परियोजनायें समाप्त करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) कितनीं योजनायें आरम्भ करने का विचार किया गया था और कितनी पूरी की जायेंगी और कितनी रद्द कर दी जायेंगी, और

(घ) क्या छः गलियारा (कारीडर) योजनायें, बोरी बन्दर-फोर्ट मनकेल से भूमिगत लाइन को निकट भविष्य में आरम्भ किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित परियोजनाओं को आरम्भ करने का प्रस्ताव था लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण सरकार ने इन्हें स्वीकृति नहीं दी :

बम्बई

(1) बांद्रा-अन्धेरी रेल लाइन	लागत 47 करोड़ रुपये
(2) मान खुर्द-बेलापुर	लागत 76 करोड़ रुपये

मद्रास

मद्रास बीच से लुज तक द्रुत परिवहन प्रणाली	लागत 53.46 करोड़ रुपये

दिल्ली

(1) दिल्ली-नयी दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग पर विद्युतीकृत उपनगरीय गाड़िया (मई 1978)	लागत 28.33 करोड़ रुपये
(2) दिल्ली-नयी दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर विद्युतीकृत उपनगरीय गाड़ियां (अक्तूबर 1978)	लागत 15.38 करोड़ रुपये
(3) नयी दिल्ली-बल्लभगढ़-पलवल खण्ड पर विद्युतीकृत उपनगरीय गाड़ियां (सितम्बर 1979)	लागत 26.63 करोड़ रुपये

सरकार ने अक्तूबर 1980 में दिल्ली शहरी क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिये विद्युतीकृत रेल गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए 28 करोड़ रुपये की लागत की केवल एक परियोजना की स्वीकृति दी थी।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रेष्ठता पदोन्नति योजना

4290. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये कोई श्रेष्ठता पदोन्नति योजना लागू करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना केवल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये शिक्षकों पर ही लागू होंगी अथवा कालेज द्वारा नियुक्त किए शिक्षकों पर भी लागू होंगी और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार का इरादा विश्वविद्यालय द्वारा किए गये इस अनुरोध पर विचार करने का है कि यह योजना कालेज के शिक्षकों पर भी लागू की जाये; और

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित कोई योजना प्राप्त हुई है और क्या उस पर विचार कर लिया गया है और क्या इस प्रकार की योजना दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू की जा सकती है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री

(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए "योग्यता पदोन्नति" की कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सामान्यतया योग्यता पदोन्नति की एक योजना तैयार की थी। कालेज शिक्षकों के लिए सामान्यतया ऐसी ही योजना तैयार करने के प्रश्न की भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें पदोन्नति के अवसरों के प्रावधान सहित कई मांगे निहित हैं। उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित सामान्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के अभाव में दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई योजना शुरू करने का प्रश्न ही नही उठता।

अवरस्नातक (अन्डर ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना

4291. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवरस्नातक पाठ्यक्रमों को बड़े पैमाने पर पुनः तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शिक्षण की 10+2+3 पद्धति अपनाने के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और उनकी पुनः संरचना के लिए, उनमें विविधता, लचीलापन और प्रासंगिकता लाने, उन्हें व्यवहार्योन्मुख बनाने और उनमें अन्तर्विषयक दृष्टिकोण लाने के लिए कुछ मार्गदर्शी रूप रेखायें तैयार की हैं। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को चार क्षेत्रों में आधार दिया जा सके, अर्थात् विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी पैदा करने के लिए तैयार किये गए आधार पाठ्यक्रम, कोरपाठ्यक्रम जिससे उनमें से एक अथवा अधिक पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करने के साथ कुछ चुने हुए विषयों की व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकें; कुछ व्यावहारिक अध्ययनों, परियोजनाओं अथवा क्षेत्र कार्य; और विस्तार कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को सितम्बर, 1978 में सभी विश्वविद्यालयों में उनके शैक्षिक निकायों द्वारा उन पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था।

छठी योजना में त्रिपुरा में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र का विकास करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

4292. **श्री अजय विश्वास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र का विकास करने के लिए छठी योजनावधि में विश्वविद्यलय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितना अनुदान दिया जायेगा; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान का बड़ा भाग शीघ्र ही दे देगा ताकि विकास कार्य शुरू किया जा सके ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आयोग ने छठी योजना अवधि के दौरान स्नातकोत्तर केन्द्र, अगरतला को अनुदान के भुगतान के लिए 40.00 लाख रुपये का अन्तरिम आबंटन किया है। केन्द्र से इस आबंटन में से प्राप्त प्रस्तावों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अभी जांच की जानी है और उनका मूल्यांकन किया जाना है। इस आबंटन का बड़ा भाग समिति द्वारा प्रस्तावों की विधिवत जाँच कर लिए जाने के बाद ही मुक्त किया जाएगा। तथापि इस प्रकार के मूल्यांकन को अन्तिम रूप दिए जाने तक, आयोग ने केन्द्र को पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए 50,000 रुपए संस्वीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा छठी योजना आबंटन में से केन्द्र की तत्कालिक आवश्यकताओं पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हाल ही में चर्चा हो चुकी है। आयोग को अभी यह निर्णय लेना है कि इन चर्चाओं के आधार पर अनुदान की कितनी राशि संस्वीकृत की जा रही है।

खड़गपुर कालोनी में आवासीय तथा सेवा भवन

4293. **श्री नारायण चौधरी** : क्या रेल मंत्री खड़गपुर रेलवे कालोनी के बारे में दिनांक 30 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे लाइन के पास आवासीय तथा सेवा भवनों के रख-रखाव के लिए दी जाने वाली निधि में बढ़ोतरी करने की मांग की है,

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में खड़गपुर में 50 नये क्वार्टर बनाये जायेंगे,

(ग) 185 मकानों में सुविधायें प्रदान करने की क्या व्यवस्था है,

(घ) 200 मकानों में छत के पंखे लगाने की क्या व्यवस्था है,

(ङ) अब तक उपर्युक्त कार्यक्रम कितना कार्यान्वित किया गया है, और

(च) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उक्त कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित निर्माण-कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है :—

(1) पुराने नाकारा किस्म के क्वार्टरों तथा पुराने बाजार टाइप-II के क्वार्टरों के बदले टाइप-I के 50 यूनिट क्वार्टरों (दो मंजिले) का निर्माण।

(2) खड़गपुर में टाइप-I के 200 यूनिट कर्मचारी क्वार्टरों में एक-एक पंखे की व्यवस्था।

(3) खड़गपुर में 185 यूनिट सब-स्टैण्डर्ड क्वार्टरों में सुधार करना। इन निर्माण-कार्यों को आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि ये $2\frac{1}{2}$ वर्ष में पूरे हो जायेंगे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सौराष्ट्र से बम्बई को चलने वाली 'मेल' तथा एक्सप्रैस गाड़ियों सीटों का 'कोटा'

4294. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र से बम्बई को चलने वाली 'मेल तथा एक्सप्रैस' गाड़ियों में सीटों के कोटे की कमी कर दी गई हैं,

(ख) मोरवी, बाँकानेर, सुरेन्द्र नगर, थार तथा लेखतन के लिए आबंटन को कितना कम कर दिया गया है,

(ग) क्या कोटे में दी गई इस कमी के कारण पर्याप्त कठिनाई हो रही है, और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) 6 अप सौराष्ट्र मेल में पहले दर्जे के दो सवारी डिब्बों के बदले में एक वातानुकूलित 2-टियर और एक दूसरे दर्जे का 3-टियर शयन यान लगाये जाने के परिणामस्वरूप, 14-11-81 से इस गाड़ी द्वारा विभिन्न स्टेशनों के पहले दर्जे के कोटे में कुछ कमी-बेशी की गई थी। बहरहाल, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 4-12-81 से निम्नलिखित अनुसार पूर्ववत् स्थिति को पुनः लागू कर दिया गया है :—

स्टेशन	14-11-81 से पूर्व पहले दर्जे का कोटा	4-12-81 से संशोधित कोटा	
		पहला दर्जा	वातानुकूलित 2-टियर
राजकोट	11	5	9 (सैनिक कोटे के लिए 2 शायिकाएं)
मोरवी	2	—	2
बाँकानेर	2	2	—
सुरेन्द्रनगर	6	3	3

जहाँ तक 17 डाउन/18 अप सौराष्ट्र जनता एक्सप्रैस का सम्बन्ध है, उसमें से एक शयन यान कम करके 5 डाउन/6 अप सौराष्ट्र मेल में लगा दिया गया है और 18 अप पर यथा उपलब्ध सारा कोटा 6 अप सौराष्ट्र मेल में अन्तरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1-8-1981 से लखतर स्टेशन को 18 अप द्वारा दूसरे दर्जे में दो शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटोरी, गाजियाबाद में अवर श्रेणी लिपिकों के पद

4295. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इन्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटरी में अवर श्रेणी लिपिकों के पद चयन पद हैं जबकि अन्य स्वास्थ्य संगठनों में यह गैर चयन पद हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटोरी गाजियाबाद के अवर

श्रेणी लिपिकों के अन्य संगठनों के समान किए जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटोरी, गाजियाबाद के अवर श्रेणी लिपिकों के पदों को गैर चयन पदों की श्रेणी में कब तक रखा जाएगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्च श्रेणी लिपिक के पद को अचयन पद बनाने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

डिब्बों को तोड़ना तथा प्रेषित माल की चोरी

4296. **श्री रेणु पद दास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल प्रेषकों को उनके दावों के सम्बन्ध में भुगतान किए गए मुआवजे की राशि कितनी है जो पिछले तीन वर्षों में सियालदाह डिवीजन के अन्तर्गत रणघाट तथा लालगोला के बीच परिवहन के दौरान प्रेषित माल के गायब हो जाने के बारे में दिए गए हैं,

(ख) प्रेषित माल के गायब होने अथवा चोरी चले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) बेलडांगा तथा मुरागच्छा में जब गाड़ियों को घुमावदार लाइनों पर मोड़ा जाता है खुले में तथा दिन दहाड़े डिब्बों को तोड़े जाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(घ) इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रकार डिब्बों को तोड़े जाने तथा माल चोरी चले जाने के सम्बन्ध में लगातार असफलता के क्या कारण हैं,

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राणाघाट-लाल गोला खंड पर मार्ग में कोई यानान्तरण नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मुरागाछा से माल डिब्बा तोड़े जाने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। केवल बेलडांगा में माल डिब्बा तोड़े जाने की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस मामले में अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में दो व्यक्ति मारे गये।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई असफलता नहीं हुई है। इस क्षेत्र में माल डिब्बा तोड़े जाने की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(1) जहां तक संभव होता है, माल गाड़ियों का रे. सु. ब. के सशस्त्र जवान मार्गरक्षण प्रदान करते हैं।

(2) प्रभावित क्षेत्रों पर रे. सु. ब- के जवानों को तैनात किया गया है।

(3) अपराधियों और चोरी का माल प्राप्त करने वालों को पकड़ने के लिए समय-समय पर छापे मारे जाते हैं और खोज की जाती है।

(4) स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए सिविल पुलिस के साथ निकट संपर्क बनाया जाता है।

अलीगढ़ जंकशन के पूर्वी केबिन के पास उपरि पुल

4297. **श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास अलीगढ़ जंकशन के पूर्वी केबिन के निकट रेलवे क्रासिंग पर एक रेलवे उपरि पुल का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस रेलवे क्रासिंग पर कई लोगों की जाने गई हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। एक ऊपरी पैदल पुल पहले से ही पूर्वी कैबिन के निकट मौजूद है।

'ट्रेड' प्रशिक्षुओं (पश्चिमी रेलवे) को खपाना

4298. **श्री के. ए. राजन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप ट्रेड प्रशिक्षुओं, जिन्होंने पश्चिमी रेलवे को 'लोअर पेरोल' वर्कशापों में 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें उसी वर्कशाप में खपाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) उन्हें व्यवसायिक परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। उनका समाहित किया जाना उनके द्वारा व्यावसायिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बंगला देश को चीनी शस्त्रों की सप्लाई

4299. **श्री कृष्ण वासनिक :**

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री निहाल सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन बंगलादेश को बहुत अधिक हथियार सप्लाई कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और बंगलादेश को चीनी हथियारों की सप्लाई पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन बंगलादेश को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

वर्ष के अंत तक तीन विशेष पर्यटक रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

4300. **श्री आर. पी. बाडंगी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्ष के अंत तक तीन विशेष पर्यटक रेलगाड़ियां चलाने का है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 125 यात्रियों की होगी, जैसाकि रेल मंत्री ने वक्तव्य दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि रेल मंत्री ने यह कहा था कि राजस्थान क्षेत्र के, पुरी, कोणार्क, गया और वाराणसी सहित पूर्वी क्षेत्र के और दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक में ट्रेनें जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक जितनी प्रगति हुई है और निकट भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 124 पर्यटकों की क्षमता वाली पेलेस-आन व्हील्स नायक एक विशेष पर्यटक गाड़ी 26 जनवरी, 1982 से चलायी जा रही है। इसकी मार्ग-सूची के अंतर्गत दिल्ली-जयपुर-उदयपुर, जोधपुर जैसलमेर-भरतपुर-आगरा, दिल्ली आयेंगे। इस गाड़ी के चालन से जो अनुभव प्राप्त होगा, उसके आधार पर अन्य राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श करके उन राज्यों में भी चरणवद्ध आधार पर इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने के बारे में विचार किया जायेगा।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्टोर्स डिपार्टमेंट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

4301. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्टोर्स डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें भूतपूर्व सैनिकों तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस स्टोर्स डिपार्टमैंट के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को वर्ष 1978 से आज तक पदोन्नत किया गया और उनमें मैट्रिक पास तथा भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है, और

(ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कितने कर्मचारियों को वर्ष 1978 से आज तक पदोन्नत किया गया और उनमें मैट्रिक पास तथा भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या स्टोर्स डिपार्टमेंट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ किये गये अन्याय और की गई उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को पदोन्नति के बारे में कार्यवाही करने का है जिनकी पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) स्टोर्स डिपार्टमैंट में समूह "घ" के आठ कर्मचारी हैं जिनमें एक भूतपूर्व सैनिक है और केवल वही मैट्रिक पास है।

(ख) शून्य।

(ग) इस अवधि के दौरान समूह "घ" के 32 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है जिनमें तीन भूतपूर्व सैनिक हैं, 26 कर्मचारी मैट्रिक पास हैं और 3 दूसरे हैं।

(घ) स्टोर्स डिपार्टमैंट में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा या उनके साथ अन्याय नहीं किया गया है। इस सेवा में उच्च पदों के लिए भर्ती नियम बनाते समय सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए आरक्षण भी किया जाता है।

सर्वोदय एक्सप्रैस प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव

4302. **श्री मोनी भाई आर. चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यात्रियों की भारी भीड़ और मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्यक्रम स्थगित किये जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सर्वोदय एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाने का है जो आजकल बड़ी लाइन पर दिल्ली के लिये सप्ताह में दो बार चलती है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस गाड़ी को सप्ताह में तीन या चार बार चलाने की व्यवस्था की जा सकती है,

(ग) यदि नहीं, तो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच भीड़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मार्गवर्ती खंड पर लाइन क्षमता तथा अहमदाबाद में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव और कोचिंग स्टाक की अत्यन्त कमी के कारण 181/182 सर्वोदय एक्सप्रैस की आवृत्ति बढ़ाना परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। मौसम में यातायात की अत्यन्त वृद्धि की निकासी के उद्देश्य से, गर्मियों के महीनों में दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जाती है।

गर्भ निरोधक औषधियों (यूनानी) की जांच और उसका असफल रहना

4303. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्भ-निरोधक औषधियों (यूनानी) की जांच सम्बन्धी यूनिट आफ रिसर्च स्कीम (यूनानी) हैदराबाद में वर्ष 1978-79 में कुल 175 मामलों में से जिनको औषधि दी गई थी, 37 मामलों में गर्भधारण हुआ और 178 मामलों में से, जिनको वर्ष 1978-79 में औषधि दी गई थी, 17 मामलों में अनियोजित गर्भाधान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे ऐसी दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति दोबारा न हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। वैसे गर्भधारण के ऐसे मामलों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना

चाहिए कि केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन निजामिया तिब्बिया कालेज, हैदराबाद में चलाई जा रही अनुसंधान योजना विफल हो गई है क्योंकि ये गर्भाधान उपचार आरम्भ करने के तीन महीने के अन्दर हुए थे। अब परिषद महिलाओं को यह सलाह दे रही है कि वे उपचार आरम्भ करने के पहले दो महीनों के दौरान प्रचलित गर्भरोधकों का भी इस्तेमाल करें।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों से सम्बधित केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् में कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति का नियमित किया जाना

4304. **श्री हीरा लाल आर. परमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों से सम्बन्धित केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् में कितने कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया और उनकी अर्हताएं क्या हैं और क्या उन्हें सक्षम प्राधिकारियों के किसी बोर्ड द्वारा नियमित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या इन सभी नियुक्तियों के मामलों पर विचार करने और उनको नियमित करने हेतु विभिन्न विषयों के विशेषशों की एक जांच समिति नियुक्त की जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस प्रयोजन के लिए सक्रीनिंग कमेटियाँ नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है। वर्तमान अनुदेशों को शिथिल करके तदर्थ कर्मचारियों को विनियमित करने का प्रश्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

हिन्दी सहायक ग्रेड एक पेनल

4305. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स रेलवे एम्पलाईज एसोशिएशन, दक्षिण मध्य रेलवे जोन, सिकन्दराबाद ने, जुलाई, 1981 में 25 जून, 1981 को प्रकाशित हिन्दी सहायक ग्रेड-एक के पेनल को पुनरीक्षित करने हेतु तथा प्रकाशित किये गये पेनल की क्रियान्विति रोकने के साथ-साथ रोस्टर प्वांइटों के अनुसार हिन्दी सहायक ग्रेड के सेलेक्शन पदों के समक्ष अनुसूचित जातियो के आरक्षित कोटे को भरने के लिये एक अभ्यावेदन पेश किया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है, यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

बारहवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क करने के लिए पश्चिम बंगाल की निधियों का नियतन

4306. **श्री गदाधर साहा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के कार्यक्रम/नीति के लिए किये गये केन्द्रीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस तथ्य की दृष्टि से कि लोकतन्त्र में सफलता, जनजन में शिक्षा के प्रसार से ही मिलती है, पश्चिम बंगाल को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान अपना शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, कितनी आवंटित की गई है अथवा की जा रही है ?

रेल शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और यह उनके अपने संसाधनों में से अथवा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ब्लाक अनुदानों में से प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार, राज्य क्षेत्र में अलग-अलग शैक्षिक योजनाओं के लिए सहायता आवंटित नहीं करती।

रूट संख्या 480 तथा 490 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें सेवाएं

4307. **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रूट संख्या 480 तथा 490 को नियमित न बनाने के क्या कारण हैं जिससे कालका जी में दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत अनेक यात्रियों को बस-सेवा प्राप्त होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रीगल तथा डी. डी. ए. फ्लैट, कालका जी के बीच बस रूट संख्या 490 अपने अनेक ट्रिप छोड़ देती है तथा विशेषतः दोपहर बाद तो वह मिलती ही नहीं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारी इस स्थिति का अवलोकन करेंगे तथा जनता को राहत देने के लिये बस सेवाओं में सुधार करेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) दिल्ली परिवहन निगम 480 और 490 नम्बर के रूटों पर नियमित बस सर्विस चला रहा है।

(ख) सितम्बर अक्टूबर और नवम्बर, 1981 के महीनों में नियत ट्रिपों/परिचालित ट्रिपों के अनुपात से इस मत की पुष्टि नहीं होती है। अधिकतम यातायात के समय बसें बीस-बीस मिनट और बाकी समय में चालीस-चालीस मिनट के बाद चलती हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम अपनी सभी रूटों पर परिचालन की क्षमता में सुधार करने के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रहा है।

कैरिज तथा वैगन इन्सपेक्टरों के पद

4308. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटना समिति 1968 की सिफारिश संख्या 127 को क्रियान्वित करने की दृष्टि से रेलवे प्रशासन ने कैरिज तथा वैगन इन्सपेक्टरों के अनेक पद सृजित किये थे;

(ख) क्या इसके अनुसरण में रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1978 में भारतीय रेलवेज में कैरिज तथा वैगन इन्सपैक्टरों के केवल कुछ ही पद मंजूर किये थे;

(ग) क्या उक्त सृजित पद इन्सपैक्टरों के लिये उपरोक्त मानदंड को क्रियान्वित हेतु अपेक्षित कुल अतिरिक्त पदों के मात्र 50 प्रतिशत ही थे;

(घ) क्या इन्सपैक्टरों के शेष 50 प्रतिशत पद अगले वित्त वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 1979 से मंजूर किये जाने थे और क्या वे अभी तक प्रदान नहीं किये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो योजनानुसार रेलवे प्रशासन कब तक शेष 50 प्रतिशत पद प्रदान करेगा ताकि रेल दुर्घटना समिति 1986 की महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने सिफारिश की थी कि मानव मानदंडों के अनुसार सवारी तथा माल डिब्बा निरीक्षकों का एक समान क्षेत्राधिकार होना चाहिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये गये थे और इन्हें दिसम्बर, 1976 में रेलों को परिपत्रित कर दिया गया था। इन सिद्धान्तों में माल तथा कोचिंग स्टाक दोनों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण कर्मचारियों का प्रावधान था।

(ख) 129 पद स्वीकृत किये गये थे।

(ग) एक यह निर्णय दिया गया था कि एकसमान क्षेत्राधिकार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय समस्या पर निर्भर करते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को धीरे-धीरे तथा चरणबद्ध और पद लागू किया जाना चाहिए। पहले चरण में 50 प्रतिशत पद सृजित किये जाने की अनुमति दी गई थी।

(घ) और (ङ) जी हाँ, परन्तु नये पदों के सृजन पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध को देखते हुए इस कार्य को उस समय तक के लिए स्थगित करना पड़ा जब तक सरकार द्वारा प्रतिबन्ध आदेशों में ढील न दे दी जाये।

के. के. एक्सप्रैस के मालाबार तथा मंगलौर जाने वाले यात्रियों को परेशानी

4309. **श्री ई. के- इम्बीचीबावा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पालघाट जंकशन से मंगलौर जाने वाली सम्पर्क गाड़ियों के न मिलने के कारण के. के. एक्सप्रैस के मालाबार तथा मंगलौर जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस गाड़ी के साथ मंगलौर के लिये तथा पालघाट से एक डिब्बा प्रथम श्रेणी का और एक डिब्बा द्वितीय श्रेणी का जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री दिल्ली और मंगलूर के बीच सप्ताह में 5 दिन चलने वाली 131/132 निजामुद्दीन मंगलूर जयन्ती जनता एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं। के. के. एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने वाले यात्री पालघाट स्टेशन पर ½ मद्रास-मंगलूर मेल का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

प्रत्येक स्कूल में विज्ञान क्लब

4310. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान के प्रचार के लिये प्रत्येक स्कूल में विज्ञान क्लब स्थापित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टी. जी. टी. (गणित) के लिए कोटा

4311. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय इन टी. जी- टी. (गणित) के लिए अलग कोटा रखे हुए है जो न तो विज्ञान के 'ए' तथा 'बी' ग्रुप में आते हैं और न ही कला ग्रुप में;

(ख) यदि हाँ, तो टी. जी. टी. (गणित) के पद हेतु पात्रता के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं;

(ग) क्या गणित विषय सहित बी, ए. डिग्री रखने वाले तथा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों को टी. जी. टी. (गणित) के पद के लिए विचार में लिया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त विषमता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या उन सहायक अध्यापकों के लिए जो उपरोक्त (ग) भाग में उल्लिखित अर्हताएं रखते हैं तथा शिक्षा विभाग (दिल्ली नगर निगम) में सहायक अध्यापक के पद पद कार्यरत हैं, कोई विभागीय कोटा रखा गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) टी. जी. टी. (गणित) की कोई श्रेणी नहीं है। तथापि टी. जी. टी. संवर्ग की 42% रिक्तियों को दिल्ली नगर निगम के उन अपेक्षित अर्हता प्राप्त सहायक अध्यापकों में से पूर्णतः वरिष्ठता के आधार पर भरा जाता है।

रेल गाड़ियों में कन्डक्टर गार्ड

4312. **श्री डी. एस ए. शिव प्रकाशन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी संख्या 29/30, 85/86, 99/100, 110/200, 89/88 तथा 97/98 पर गुंटाकाल डिवीजन पहुंचने तक नियमित कण्डक्टर गार्ड चलते हैं तथा इसके बाद उनके स्थान पर चतुर्थ श्रेणी के सी. सी. ए. आ जाते हैं;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन गुंटाकाल डिवीजन द्वारा 15 सितम्बर, 1981 को कोई ज्ञापन दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जब गाड़ी नं. 29/30, 85/86, 87/88, 97/98 (दक्षिण रेलवे पर

इसका नम्बर 99/100 है) और 199/200 गन्तकल्लु मंडल पत चलती हैं, तब इनके साथ गाड़ी कंडक्टर नहीं चलते। बहरहाल, यात्रियों की सुविधाओं की देखभाल करने के लिए इन गाड़ियों में डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों की व्यवस्था की जाती है। गाड़ी नं. 89/90 गुन्तकल्लु मंडल पर नहीं चलतीं। उनमें गाड़ी कंडक्टरों की व्यवस्था रहती है।

(ख) गुन्तकल्लु मंडल के रेलवे टिकट जांच कर्मचारियों की ओर से महाप्रबन्धक के नाम कोई ज्ञापन दिया गया प्रतीत नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लोदी कोलायात लाइन

4313. **श्री अशोक गहलोत :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्लोदी-जोधपुर सेक्शन में फ्लोदी के साथ कोलायात को जोड़ने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त नई लाइन को कब तक निर्माण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) साधनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

संस्थापन निदेशालयों में विशेष प्रकोष्ठ

4314. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के संस्थापना निदेशालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों की भरती एवं पदोन्नति स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त निदेशक, संस्थापना (आरक्षण) की अध्यक्षता में मंत्रालय के संस्थापना निदेशालय नवम्बर, 1973 से एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रकोष्ठ के कार्य क्या हैं,

(घ) यह प्रकोष्ठ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों को 1979, 1980 और 1981 के दौरान प्रवृत्त करने में किस सीमा तक सफल रहा है,

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती, पदोन्नतियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति के ब्यौरे क्या हैं, और

(च) 1978-79, 1979-80, 1980-81, वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में कितने मामले उक्त प्रकोष्ठ को निर्देशित किये गये ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ, यह विशेष कक्ष अपर निदेशक के चार्ज में कार्य करता है जिसकी सहायता के लिए दो संयुक्त निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में से एक-एक, दो विशेष कार्य अधिकारी, दो निरीक्षक और एक अनुभाग अधिकारी, 5 सहायक, 3 उच्च श्रेणी लिपिक, 2 निम्न श्रेणी लिपिक तथा एक ग्रेड तीन आशुलिपिक वाला एक पूर्ण अनुभाग है।

(ग) इस कक्ष का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की भर्ती तथा पदोन्नति में सुधार करना और सीधे तथा संसद सदस्यों/-विधायकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त, आदि के जरिए प्राप्त शिकायत के अलग अलग मामलों की जांच करना है।

(घ) इस कक्ष के संगठित प्रयासों से, रेलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भर्ती में काफी वृद्धि हुई है। 30-9-73 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान श्रेणी I, II और III में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्रमश: 4.3,3.7 और 8. 9 था। 31-3-80 को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान यह प्रतिशत बढ़कर 7. 8, 10. 8 और 11. 3 हो गया है। इसी प्रकार, श्रेणी 1, 2 और 3 में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, जो सितम्बर 1973 में 0. 7, 0. 5 और 13 था, बढ़कर मार्च 1980 में 1. 4, 2. 3 और 2. 3 हो गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति समुदाय के लोगों की रेल सेवाओं में नियुक्ति से सम्बन्धित 31-3-80 की छमाही तक की रिपोर्टें पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दी गयी है। लेकिन बाद की अवधियों की रिपोर्टों का संकलन किया जा रहा है।

(ङ) (1) भरती में आरक्षण :

श्रेणी 1, 2 और 3 जहाँ वेतनमान का निम्नतम 425 रु या इससे अधिक है, में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भर्ती का आरक्षण कोटा क्रमश: 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। अन्य रिक्तियों के लिए, प्रत्येक रेल प्रशासन के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो रेलवे विशेष द्वारा अनुप्रथ क्षेत्र की समग्र आबादी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता पर निर्भर होता है।

(दो) पदोन्नति में आरक्षण :

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित कोटियों में पदोन्नति का आरक्षण कोटा क्रमश: 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है :

(क) श्रेणी 3 में या श्रेणी 3 के लिए; श्रेणी 3 से श्रेणी 2 और श्रेणी 2 से श्रेणी 1 के निम्नतम स्तर में चयन द्वारा की गयी पदोन्नतियां।

(ख) श्रेणी 2 और 3 में विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की गयी पदोन्नतियां।

(ग) श्रेणी 1, 2, 3 और 4 में वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की गयी पदोन्नतियाँ, बशर्ते इन ग्रेडों में सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, 66/2-3 प्रतिशत से अधिक न हो।

(च) 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (नवम्बर, 1981 तक) में इस कक्ष को भेजे गये मामलों की अनुमानित संख्या क्रमशः 6000, 6000, 5500 और 5400 थी।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिऐशन के साथ हुये करार की क्रियान्विति

4315. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने कार्य घंटों तथा दण्डात्मक उपायों आदि के बारे में सरकार के साथ हुए पहले के करार को क्रियान्विति के लिए सरकार से आग्रह किया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) काम के घंटों, दण्ड वापस लेने, रंगिन भत्ता समिति और वर्दी समिति आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन जैसी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए गैर-मान्यताप्राप्त आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से तथा उसकी ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लोको रनिंग कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का कोई करार नहीं है।

(ख) और (ग) वर्तमान नियम संरचना तथा वित्तीय कठिनाइयों के भीतर इन मांगों की जांच की गयी है और प्रत्येक मांग के गुणावगुणों के आधार पर कार्यवाही की गयी है।

पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों पर रेल टिकटों की कमी

4316. **श्री जमीलुर्रहमान** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के प्रायः सभी स्टेशनों पर तथा विशेषतया कटिहार-जोगबनी और कटिहार सिलिगुड़ी के बीच के स्टेशनों पर रेल टिकटों की भारी कमी है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाही का ब्यौरा क्या ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ ही स्टेशनों पर टिकटों की कमी है। यह सुनिश्चत करने के लिए कि इन स्टेशनों पर टिकटें उपलब्ध रहें, उपाय किये गये हैं।

केरल में रेलों के चलने पर लागत

4317. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेलों के चलने पर प्रति किलोमीटर कितनी लागत आती है तथा कितनी आय होती है, और

(ख) रेलों के चलने पर राष्ट्रीय लागत तथा आय की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रति गाड़ी किलोमीटर, प्रति वाहन/माल डिब्बा कि. मी. तथा सवारी और माल गाड़ियों के संचालन के प्रति शुद्ध मी. टन कि. मी. की लागत और आमदनी की गणना रेलवेवार की जाती है न कि राज्यवार। चूंकि केरल राज्य पूर्णतया दक्षिण रेलवे द्वारा सेवित है, इसलिए उस रेलवे की प्रति गाड़ी कि. मी. लागत और आमदनी के साथ-साथ समूची रेल प्रणाली के नवीनतम वर्ष यानी 1979-80 के तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध हैं, जो नीचे दिये गये हैं :—

प्रति गाड़ी कि. मी. लागत (ब्याज को छोड़कर) (रु. में		प्रति गाड़ी कि. मी. आमदनी (रुपयों में)		प्रति गाड़ी कि. मी. शुद्ध आमदनी (रु. में)	
सवारी और पार्सल गाड़ी	माल गाड़ी	सवारी और पार्सल गाड़ी	माल गाड़ी	सवारी और पार्सल गाड़ी	माल गाड़ी
दक्षिण रेलवे					
ब. ला. 44.62	78.02	29.62	76.85	(-) 15.00	(-) 1.17
मी. ला. 29.45	66.31	19.40	48.75	(-) 10.05	(-) 17.56
जोड़ सभी रेलें					
ब. ला. 33.96	57.53	33.26	78·16	(-) 0.70	(+) 20.63
मी. ला. 31.94	51.32	26.63	44.41	(-) 5.31	(-) 6.91

अमरावती नारखेद लाइन

4318. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अमरावती से नारखेद तक एक नई लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त रेल लाइन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रस्तावित लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण सन् 1946 में किया गया था। चूंकि इस परियोजना को सर्वथा अलाभप्रद पाया गया था, अतः इसके लिए प्रारंभिक इन्जीनियरी सर्वेक्षण नहीं किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजना को छोड़ दिया जाये।

(ख) इस क्षेत्र में आज-कल हो रहे विकास और वर्तमान मूल्य स्तर के सन्दर्भ में, 35 वर्ष पहले किये गये सर्वेक्षण के परिणाम सुसंगत नहीं होंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय एक्सपोर्ट कार्यालय द्वारा मंगाई गई पासपोर्ट पुस्तिकाओं की संख्या

4319. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने हाल ही में पासपोर्ट पुस्तिकायें मसंगाई थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या में मंगाई थीं और कितनी संख्या में उनकी सप्लाई हुई;

(ग) मंगाने और सप्लाई किये जाने के बीच समय का कितना अन्तराल रहा; और

(घ) कम सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) पासपोर्ट पुस्तिकाओं की मांग वार्षिक आधार पर की जाती है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता ने 1981-82 के लिए 36,000 पासपोर्ट पुस्तिकाओं की मांग की थी और 18-11-1981 तक उन्हें 25,500 पासपोर्ट पुस्तिकायें भेज दी गई थी।

(ग) और (घ) सामान्यतः सरकारी प्रेस, नासिक रोड से जितनी पासपोर्ट पुस्तिकाओं की मांग की जाती है, उनकी सप्लाई वे तिमाही आधार पर करते हैं। 1981-82 के दौरान सरकारी प्रैस, नासिक रोड़ द्वारा भेजी गयी पासपोर्ट पुस्तिकाओं का एक परेषण समय पर नहीं पहुंच सका था लेकिन तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पासपोर्ट पुस्तिकायें भेजने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी।

भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी पत्तनों के बीच नौवहन भाड़ा दरों में भिन्नता

4320. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी पत्तनों के बीच खाड़ी के देशों से, तथा खाड़ी के देशों को जाने के लिए नौवहन भाड़ा-दरों में भिन्नता है, पूर्वी पत्तनों में भाड़ा ज्यादा लगता है;

(ख) यदि हाँ, तो एक समान माल के लिए पूर्वी तथा पश्चिमी पत्तनों से भाड़े की दरें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता से इन्जीनियरी के सामान निर्यात पर इन ऊंची भाड़ा-दरों का विशेष प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह सच नहीं है कि पूर्वी पत्तनों विशेषतया कलकत्ता के इन विषम दरों की कारण अधिक हानि उठानी पड़ती है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) जी, हाँ। भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी एशिया गल्फ तक की भाड़ा दरें भारत के पश्चिम तट से पश्चिम गल्फ तक की दरों सेअधिक है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है, जिसमें भारत के दोनों तटों से पश्चिम एशिया गल्फ तक सामान्य माल की भाड़ा दरें दिखाई गई हैं।

भारत के पश्चिम तट से पश्चिम एशिया गल्फ तक —लोअर गल्फ पोर्टस	प्रति एक हजार कि. ग्रा. 40. अमरीकी डालर या 367.20 रु. या 36 डालर (330.48) सी. ई. एम. या मूल्यानुसार *$3\frac{3}{4}$%
भारत के पूर्वी तट से पश्चिम एशिया गल्फ तक —लोअर गल्फ पोर्टस	प्रति एक हजार कि. ग्रा. 51 517.50 रु. या383.00 सी. ई. एम.

भारत के पश्चिम तट से पश्चिम एशिया गल्फ तक —अपर गल्फ पोर्टस	प्रति हजार कि. ग्रा. 51 अमरीकी डालर (468.18 रु.) या 46 डालर (422.28 रु. सी. ई. एम.) या मूल्यानुसार $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत
भारत के पूर्वी तट से पश्चिम एशिया गल्फ तक —अपर गल्फ पोर्टस	प्रति एक हजार कि. ग्रा. 547.00 रु. या 406.50 रु. सी. ई. एम.

* अधिभार, यदि कोई हो

2. पूर्वी क्षेत्र से, इंजीनियरी सामान के निर्यात कर्ताओं को सम्बन्धित कान्फ्रेंस ने निम्नलिखित मदों के भाड़े की दरों में रियायत दी हुई है, जिनकी भाड़ा दरें उन दो क्षेत्रों से पश्चिम एशिया गल्फ तक अलग-अलग होने की वजह से माल के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :–

सी. आई. पाईप फिटिंग	—	प्रति एक हजार कि. ग्रा. 873.50 रु.
मैनहोल कवर्ज	—	प्रति एक हजार कि. ग्रा. 306.00 रु.

उपरोक्त विशेष भाड़े के अतिरिक्त ईन्धन आदि के अधिभार कान्फ्रेंस द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर देय होते हैं।

3. उपरोक्त रियायती दरें 31-12-81 तक वैध हैं।

4. उपरोक्त रियायती दरें नौवहिकों ने पूर्वी क्षेत्र में स्वीकार कर ली थी। इसलिए पूर्वी क्षेत्र से इन मदों के निर्यात पर किसी किस्म का बुरा असर पड़ने की सम्भावना नहीं है।

कर्नाटक में मेडिकल कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किया जाना

4321. **श्री टी. आर. शमन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को विशेषतः कर्नाटक को, गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान प्रवेश के लिये असाधारण प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किये जाने के बारे में कोई अनुदेश भेजें हैं; और

(ख) उन गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं जो कर्नाटक में प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करते रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सहित राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे मेडिकल कालेजों में दाखिलों के लिये कैपीटेशन फीस लेने की पद्धति को समाप्त कर दें।

कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के निम्नलिखित मडिकल कालेजों को कैपीटेशन फीस लेने की अनुमति दी गई है :–

(1) एम. आर. मेडिकल कालेज, गुलबर्ग।
(2) जे. जे. एम. मेडिकल कालेज, दावनगिरी।
(3) जे. एन. मेडिकल कालेज, बेलगांव।
(4) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर अनुभाग।
(5) एम. एस. रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर।

(6) केम्पी गौवड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

(7) डा. अम्बेदकर मैडिकल कालेज, बंगलौर ।

कालिंगा एक्सप्रैस की सेवायें बढ़ाना

4322. **डा. कृपा सिंधु भोई :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा नगर-तितलागढ़, टाटानगर-विलासपुर, कटनी बीना सैक्टरों को दिल्ली के लिये दैनिक रेल सेवा उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हाँ तो इन सैक्शनों में रहने वाले लोगों को दिल्ली के लिए दैनिक रेल सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है,

(ग) क्या उक्त सेवा प्रदान करने के लिए सरकार अनूपपुर-विलासपुर सैक्शन को समय सारणी में कुछ समंजन करके कालिंगा एक्सप्रेस की सेवायें बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कालिंग एक्सप्रैस की सेवाओं में कब वृद्धि की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन : (क) टाटानगर से दिल्ली के लिए सप्ताह में 12 गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। टिटलागढ़ से यात्री वाल्तेरु और निजाम्मुद्दीन के बीच चलने वाली 18 डाउन लिंक एक्सप्रेस और 137 अप चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस की दैनिक स्लिप यान सेवा का उपयोग कर सकते हैं। जबलपुर कटनी निजामुद्दीन के बीच 149 डाउन कुतुब-नर्वदा एक्सप्रैस द्वारा सीधी सेवा की व्यवस्था है।

(ख) से (घ) टाटानगर/विलासपुर/कटनी के बीच अतिरिक्त सेवा व्यवस्था करने के लिए 143/144 कलिंग एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करने के बारे में जांच की गयी परन्तु मार्ग लाइन क्षमता की तंगी तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण उने व्यावहारिक नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा रेल लाइनों का अपनाया जाना

4323 **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को ताप केन्द्रों से मुहानों तक रेल लाइनें बिछाने का तथा उन्हें अपनाने की अनुमति देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त कैप्टिव लाइनें कहाँ-कहां चलेंगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एन. टी. पी. सी. सिंगरौली, कोरबा, रामगुण्डम और फरक्का सुपर ताप बिजली स्टेशनों को उनकी सम्बन्धित कोयला खानों से मिलाने के लिए इस समय कैपटिव कोयला परिवहन प्रणालियों का निर्माण कर रहा है ऐसी कैपटिव परिवहन प्रणाली के निर्माण के लिये रेल मंत्रालय की कोई औपचारिक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें यात्रियों तथा जनता के माल की ढुलाई अन्तर्गस्त नहीं है।

एफ-16 की खरीद के लिए सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान की सहायता

4324. **श्री रशीद मसूद :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा एफ-16 विमान खरीदने के लिए सऊदी अरब द्वारा धन दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) भारत सरकार ने समय-समय पर सऊदी अरब की सरकार को अपने इन विचारों से अवगत कराया है कि पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ेंगे और इसके कारण हथियारों की अनावश्यक होड़ भी शुरू हो जायेगी तथा इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व पर आम तौर से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने सऊदी प्राधिकारियों को यह भी बता दिया है कि हमें आशा और विश्वास है कि हमारे मित्र देश इस संबंध में हमारी चिन्ता को समझेंगे और इस पर ध्यान देंगे।

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

4325. **प्रो. रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सवारी रेल गाड़ियाँ प्रति दिन विलम्ब से चलती हैं,

(ख) गत दो महीनों के दौरान कितनी रेल गाड़ियाँ बिलम्ब से चलीं, और

(ग) रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी क्षेत्रीय रेलों पर प्रतिदिन कुल लगभग 2800 अनुसूचित सवारी गाड़ियाँ (लगभग 500 मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों सहित) चलती हैं।

(ख) सितम्बर और अक्तूबर 1981 के महीनों के दौरान समय-पाबन्दी निष्पादन इस प्रकार है :–

महीना	समय-पाबन्दी का प्रतिशत			
	मेल/एक्सप्रेस		सवारी गाड़ी	
	व. ला.	मी. ला.	व. ला.	मी. ला.
सितम्बर 1981	85.2	87.4	85.8	82.4
अक्तूबर 1981	87.7	90.1	85.2	83.2

(ग) खतरे की जंजीर खींचने, हौज पाइप को अलग करने, चल स्टाक की खराबी दुर्घटनाओं, सिगनल में खराबी/दोष आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण गाड़ियों के समय-पाबन्दी निष्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

हल्दिया तथा रंगाफाला के चैनलों से गाद निकालना

4326. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने 22 अक्तूबर, 1981 को मंगलौर में हुई राष्ट्रीय गोदी बोर्ड की बैठक में हल्दिया रंगाफाला के चैनलों से गाद निकालने की मांग की थी जहां उपस्थित भारी गाद नदी की नौवहन क्षमता को खतरा बनी हुई है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड की पिछली बैठक में पश्चिमी बंगाल के न्यायिक और विधायी विभाग के प्रभारी मंत्री ने हल्दिया और कलकत्ता पत्तनों के मुहाने को नौचालन योग्य बनाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार को पहले से ही इस समस्या की जानकारी है और भारतीय व विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श से यहां वर्षों से निकर्षण और नदी को साफ आदि रखने का काम चल रहा है। इस समय कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट हुगली नदी की ओर अधिक नौचालन योग्य बनाने के लिए जलीय नमूना और गणितीय नमूना के आधार पर एक व्यापक स्कीम तैयार कर रहा है।

एक डाक्टर तैयार करने पर सरकार का खर्च तथा उसका विदेश में जाकर बस जाना

4327. **श्री राजेश पाइलट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान कितने डाक्टर (एम. बी. बी. एस. तथा उससे ऊपर) में विदेशों जाकर बस गये;

(ख) देश में एक डाक्टर तैयार करने पर औसतन कितनी राशि खर्च होती है; और

(ग) गत वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कितने डाक्टर विदेश चले गये हैं उनकी सूचना उपलब्ध नहीं है। एक डाक्टर तैयार करने पर कितनी राशि खर्च होती है, उसका भी निश्चित अद्यतन अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :

(1) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार — 61

(2) 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार — 45

स्कूलों के लिए वर्तमान छुट्टी कार्यक्रम में परिवर्तन

4328. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कृषि उत्पाद को अधिकतम बढ़ाने और मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति को कम से कम करने और साथ ही अंशकालिक रोजगार करने तथा सघन प्रशिक्षण प्राप्त करने और शिक्षा के साथ-साथ आय भी कमाने के अवसर प्रदान करने हेतु स्थानीय कृषि कार्यों के समय से मेल रखते हुए स्कूलों के वर्तमान छुट्टी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने हेतु कोई कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए पूर्ण पैकेज के एक भाग के रूप में 1977 के शुरू में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को स्थानीय कृषि-कार्यों से मेल खाते हुए स्कूल अवकाश कार्यक्रम की एक उपाय के रूप में सिफ़ारिश की गई थी 1979 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस सुझाव को या कार्यान्वित कर दिया है या सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

कुछ राज्यों में इस सुझाव को कार्यानिन्वत न किए जाने के कारण नीचे दिये गए हैं :—

(1) जून/जुलाई के दौरान अत्याधिक गर्म मौसम होने के कारण स्कूल खोलना असंभव है, और

(2) एक राज्य में एक ही जिले के अन्दर भी फसल का मौसम एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक फसल से दूसरी फसल का भिन्न-भिन्न होना।

राज्य सरकारों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपेक्षा

4329. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपेक्षा कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछेक राज्यों में 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा बहुत कम काम हुआ है। 1980-81 तथा चालू वर्ष के दौरान (सितम्बर-अक्तूबर 1981 तक) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन का जो कार्य हुआ है उसका राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 1,2 और 3 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी. 3133/81]

पुस्तकों के प्रकाशन में कमी

4330- **एम. वी. सिदनाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुस्तकों का प्रकाशन घटता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पुस्तकों के प्रकाशन में भारी कमी के कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) पुस्तक प्रकाशन में कमी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं। पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राष्ट्रीय

पुस्तकालय, कलकत्ता में प्राप्त पुस्तकों की संख्या पर आधारित सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्त पुस्तकों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की प्रवृत्ति दर्शाती है। गत दो वर्षों के उपलब्ध आँकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	प्राप्त पुस्तकों की संख्या
1979-80	16466
1980-81	17450

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुस्तकों की प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिये आर्थिक सहायता देना, उचित मूल्यों पर अच्छा साहित्य प्रदान करना, भारत और विदेशों में पुस्तक मेले और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना और उनके आयोजन में सहायता करना, पुस्तकालयों और संस्थाओं को अनुदान देना, पढ़ने की आदतों का सर्वेक्षण करना, पुस्ताकों के लिए रियायती डाक दरें, शैक्षिक पुस्तकों के लिए रियायती दरों पर मुद्रण कागज उपलब्ध कराना, लेखकों और पुस्तक प्रकाशकों के लिए कर-रियायत और ऐसी ही बातें शामिल हैं।

नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

4331. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :**

श्री बासुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की विभिन्न रेलवे लाइनों पर नई रेल गाड़ियां चलाने का है, और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, डिब्बों की कमी और पारिचालनिक कठिनाइयों के कारण अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग में वस्तुओं के गुम होने पर मुआवजे के दावे

4332. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे को मार्ग में माल खोने पर मुआवजे के लिए कितने दावे प्राप्त हुए,

(ख) इस अवधि में सरकार ने कितना मुआवजा दिया, और

(ग) मुआवजे के लिए कितने दावे अभी अनिर्णीत पड़े हैं और कब से पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) प्रस्तुत किए गए दावों के सम्बन्ध में कारण-वार आंकड़े नहीं रखे

जाते । लेकिन, पिछले तीन वर्षों के दौरान पारगमन में हुई हानि के मामलों सहित रेलों द्वारा दर्ज किए गए दावों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :-

वर्ष	दर्ज किए गए दावों की संख्या
1978-79	512,338
1979-80	566,511
1980-81	620-366

(ख) पारगमन में माल को हुई हानि सहित भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की कुल रकम इस प्रकार थी :-

वर्ष	भुगतान की गई रकम
1978-79	1224.90 लाख रुपए
1979-80	1149·90 लाख रुपए
1980-81	1404.06 लाख रुपए

(ग) 30-11-81 को रेलों में विचाराधीन दावे के मामलों की संख्या 1,01,657 थी। केवल कुछ जटिल मामलों को छोड़कर जो 1979 से विचाराधीन हैं, अधिकांश मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं।

क्षेत्रीय रेलों द्वारा यह सुनिश्चित करने के हर संभव उपाय किए गए हैं कि दावों को निपटाने और तय करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की जानी चाहिये। फिर भी, कुछ किस्म के मामलों में, विशेषकर जिनमें भारी रकम अन्तर्विष्ट है, कार्रवाई करने में अनिवार्यत: अधिक समय लगता है। उदाहरणार्थ, उत्तोत्तर अनेक रेलों पर बुक किये गये तथा मार्ग में ढोये जाने वाले यातायात से उत्पन्न दावे जांच पड़ताल पूरी करने में अधिक समय लेते हैं। दावेदारों द्वारा दस्तावेज जैसे मूल रेलवे रसीद, बीजक प्राधिकार पत्र आदि जो दावों का सत्यापन करने के लिए आवश्यक हैं, प्रस्तुत न करने के कारण भी मामलों को निपटाने में देर होती है। उन मामलों में भी देरी होती है जहाँ अपराधिक अपराध का संयश होता है और मामले की पुलिस द्वारा छान बीन की जाती है।

गैर सरकारी नौवाहन विस्तार को सीमित करना

4333. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या नौवहन और परिवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी नौवहन विस्तार को सीमित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की नौवहन लाईनों के लिए किस प्रकार के वाहनों तथा नौकाओं को आरक्षित किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 2.5 मिलियन जी. आर. टी. (निवल) की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विचार किया गया है कि सरकारी सेक्टर और प्रायवेट सेक्टर के बीच जहाजों के टनेज का अनुपात 55.45 बनाये रखा जाय और अप्रैल, 1983 के आसपास योजना की मध्यावधि समीक्षा की जाय।

(ग) केवल सरकारी क्षेत्र में राष्ट्र की भावी आवश्यकता के अनुसार कच्चे तेलवाही जहाजों की खरीद का प्रस्ताव किया है।

एक प्रतिनिधि मण्डल की चीन की यात्रा

4334. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में चीन गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसका चयन किस प्रकार किया गया तथा इसमें डी. जी. एच. एस. का क्या योगदान था;

(ग) इसने चीन में किस प्रकार का अध्ययन किया; और

(घ) इनका भारत में कहां तक उपयोग किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक शामिल थे।

इस प्रतिनिधि मण्डल का गठन चिकित्सा जन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने संबंधी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक इस प्रतिनिधि मण्डल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।

(ग) और (घ) इस प्रतिनिधि मण्डल ने चीन के अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं का दौरा किया और उसे स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति, संचारी रोगों के नियंत्रण में अपनाई गई व्यावहारिक नीतियों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ना, आयुर्विज्ञान अनुसधान में की गई प्रगति तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में प्रेरणादायक नीतियों से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला।

इस मामले में शिष्ट मण्डल की जो राय होगी, उसके अनुसार ही आगे समुचित कार्यवाही की जाएगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होस्टल को अनुदान

4335. **श्री अशफाक हुसैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस समय (1980-81) कितने विद्यार्थियों के लिए होस्टल की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से एक रिहायशी विश्वविधालय (रेजीडेंशियल) है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने सरकार से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से होस्टल के लिए अनुदान मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो कितना अनुदान मांगा है तथा उस पर सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्लाण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय 6903 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : विश्वविद्यालय ने विस्तार कार्य सहित 3122 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन सब की अनुमानित लागत लगभग 466-88 लाख रूपए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 500 विद्यार्थियों के लिए एक नए छात्रावास के निर्माण कार्य और विद्यमान छात्रावास में 60 स्थान बढ़ाने को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

गुजरात में परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए अधिक दम्पत्तियों को आकर्षित करना

4336. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में नसबन्दी की संचित दर 71.6 प्रति हजार है जब कि पूरे देश की संचित दर 48.8 है, गुजरात के 56.8 लाख सन्तानोंत्पादक दम्पत्तियों में से 35.56 प्रतिशत ऐसे दम्पत्ति गर्भनिरोध के तरीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं जबकि ऐसे पात्र दम्पत्तियों की राष्ट्रीय औसत 25 प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि ऐसे दम्पत्तियों को परिवार कल्याण के तरीके अपनाने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिए जायें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1981 के अन्त तक गुजरात में नसबन्दी आपेरशनों की कुल दर 96.65 प्रति हजार जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 49.64 थी। गुजरात में सुरक्षित किए गये दम्पत्तियों का प्रतिशत 31.1 था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 24.2 थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

इस्तेमाल किया गया तरीका	गुजरात राज्य	अखिल भारत
1. नसबन्दी	30.1	19.9
2. आइ.यू.डी	1.4	1.1
3. अन्य तरीके	2.6	3.2
	34.1	24.2

वैसे भारत गुजरात सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को समय-2 पर यह सलाह देती रही है कि राज्य/संघशासित क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति को तेज किया जाए और जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम पीछे रह गया है उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

चित्तरंजन टाउनशिप को 'बी' श्रेणी में रखा जाना

4337. **डा. सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों ने इस आशय का अध्यावेदन दिया है कि चित्तरंजन टानशिप की वहां ऊंची निर्वाह लागत के कारण श्रेणी 'बी' बनाया जाये,

(ख) क्या सिविल आथोरिटी और स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने भी उन टाउनशिप को इस वर्गीकरण की सिफारिश की है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रश्न की वर्तमान स्थिति क्या है और इस सम्बन्ध में रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में सिविल प्राधिकारियों द्वारा की गयी किसी सिफारिश के बारे में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना प्रशासन ने चित्तरजन को 'बी' श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है ।

(ग) रेल मंत्रालय के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को प्रतिपूरक (शहरी) भत्ता देने के प्रयोजन के लिए शहरों का वर्गीकरण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसने सूचित किया है कि फिलहाल चित्तरंजन शहर 'बी' श्रेणी के योग्य नहीं है ।

गोआ के अध्यापकों को चयन ग्रेड

4338. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ सरकार ने केन्द्र द्वारा दिए गए परामर्श को ध्यान में रखते हुए गोआ में अध्यापकों को चयन ग्रेड देने संबंधी प्रश्न को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न को कब तक सुलझाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) : गोआ में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को पहले ही प्रवरण ग्रेड दे दिए गए हैं। तथापि, गोआ, दमन तथा दीव में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को अभी तक प्रवरण ग्रेड देना संभव नहीं है क्योंकि उनके प्रतिनिधि संगठनों में से एक संगठन उसका विरोध कर रहा है । वे विद्यमान प्रवरण ग्रेड के नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं । वे चाहते हैं कि प्रवरण ग्रेड न्यूनतम वर्षों की सेवा वाले अध्यापकों को दिया जाना चाहिए । यह सारा मामला इस समय विचाराधीन है और यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले को निपटाने में ठीक ठीक कितना समय लगेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संसाधन का मूल्यांकन प्रतिवेदन

4339. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी मजदूर सभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुदान की सहायता से क्रियान्वित जन संख्या शिक्षा परियोजना चलाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए अनुदान की सिफारिश श्रम मंत्रालय द्वारा की जाती है किन्तु उसका वितरण स्वास्थय मंत्रालय द्वारा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि श्रम मंत्रालय ने 20 जनवरी, 1981 को परियोजना के लिए 2 48.000 रूपयों के भुगतान की सिफारिश की थी और अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान में कार्य का मूल्यांकन किया है तथा उसने अपना मूल्यांकल प्रतिवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अनुदान की अदायगी अब तक क्यों नहीं की गई तथा कब तक भुगतान की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द : (क) से (घ) जी हां। इस परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली रिंग रेलवे

4340. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रेलवे के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने तथा काम आरम्भ की संभावना है; और

(ग) इसके निर्माण की कुल लागत क्या होगी;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रिंग रेलवे से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्यों पर भली प्रकार काम हो रहा है तथा उनकी प्रगति संतोषजनक है। रेल पथ को दोहरा करने का काम पूरा होने वाला है और विद्युतीकरण तथा सिगनल सम्बन्धी कार्य, जिन्हें शुरू किया गया है, कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

(ख) रिंग रेलवे परियोजना का काम जून, 1982 तक पूरा होने की सम्भावना है तथा एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले परिचालन प्रारंभ हो जायेगा।

(ग) 28.00 करोड़ रुपये।

बी. आई. टी. मेसरा (रांची) को स्वायत्तशासी दर्जा

4341. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस पद्धति पर आपत्ति की थी जिसमें बी. आई. टी. मेसरा (रांची) को 1972 में स्वायत्तशासी दर्जा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप यह राची विश्वविद्यालय का सम्बद्ध कालेज नहीं रहा;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय आयोग द्वारा आपत्ति करने के क्या कारण थे :

(ग) क्या स्थिति को ठीक करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रांची विश्वविद्यालय, बी. आई. टी, मेसरा तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ दिल्ली में 1974 में एक बैठक की गई थी जिसमें बी. आई. टी. मेसरा को राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्ध स्वायत्तशासी दर्जा देने की शर्त तय की गई थी; और

(घ) यदि हां तो क्या शर्त तय की गई थी और तत्संबन्धी अन्य ब्यौरा क्या है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि ये शर्तें पूरी की जायें ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यलय अनुदान आयोग की आपत्ति, कालेज को रांची विश्वविद्याकय से असम्बद्ध करने के खिलाफ थी।

(ग) अक्तूबर, 1972 में एक बैठक हुई थी।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि बी. आई. टी. मेसरा रांची का संबद्ध दर्जा बनाए रखा जाए तथा राँची विश्वविद्यालय के अधिनियमों तथा साँविधियों में संशोधन करके उसे स्वायत्तशासी दर्जा दिया जाय। राज्य सरकार ने सुझाव को मान लिया तथा राज्य सरकार ने तदनुसार दिनांक 5 मई, 1974 के अपने अध्यादेश द्वारा स्थिति को शोधित किया।

कानपुर तथा इलाहाबाद स्टेशनों पर साइकिल स्टैण्ड

4343. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर तथा इलाहाबाद स्टेशनों पर रेलवे साईकिल स्टैण्ड के लिए टैंडर ठेके की अवधि पूरी हो जाने के बाद आमंत्रित किये गये थे;

(ख) क्या पार्टियों द्वारा दिए गए टैंडर टैंडर समिति के सामने खोले गये थे;

(ग) प्रत्येक पार्टी द्वारा क्या दरें बताई गई थीं; और

(घ) यदि टैण्डर नहीं खोले गये थे अथवा स्वीकार नहीं किये गये थे तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटिड, इलाहाबाद को कानपुर रेलवे स्टेशन पर 1-2-79 से 2 वर्ष की अवधि के लिए साइकिल/स्कूटर स्टैंड का ठेका दिया गया था। 1-2-81 से नये सिरे से ठेका दिए जाने के लिए 16-10-81 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना के माध्यम से मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की गयी थीं। कुल मिलाकर 7 मुहरबन्द निविदाएं प्राप्त हुंई, परन्तु एक संसद सदस्य के माध्यम से प्राप्त कई अभ्यावेदनों, जिनमें यह सिफारिश की गई थी कि समिति द्वारा धारित ठेके की अवधि को बढ़ा दिया जाये, के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि निविदाएं खोले जाने के सम्बन्ध

में अगली कार्यवाही स्थगित रखी जाये। यह भी विनिश्चय किया गया कि समिति के सन्तोषजनक कार्य को देखते हुए यह ठेका 1-2-81 से दो वर्ष की अवधि के लिए समिति के नाम में नवीकृत कर दिया जाये। जिन पार्टियों ने अपनी निविदायें भेजी थी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि या तो निविदाएं खोली जायें या उनकी अग्रिम धन की राशि लौटायी जाए। इन परिस्थितियों में मुहरबन्द निविदाएं बिना खोले ही निविदादाताओं को लौटा दी गयीं। अतः प्रत्येक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें बता पाना सम्भव नहीं है।

जहाँ तक इलाहाबाद रेलवे स्टेशन सिटी साइड पर साइकिल स्टैंड के ठेके का संबन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि यह मैसर्स मजदूर सघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटिड इलाहाबाद को 27-3-80 से दो वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। बहरहाल, समिति कई नोटिस दिए जाने तथा समय सीमा में वृदि किए जाने के बावजूद निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा राशि का छठा भाग अग्रिम रूप से जमा कराने में असफल रही। चूंकि समिति रेलवे की देय राशि का भुगतान करने में असफल रही, समझौते के अनुसार इसका ठेका 3-7-80 से समाप्त करना पड़ा और यह ठेका दिये जाने के लिए नयी निविदाएं आमन्त्रित की गयीं। इस बीच, बहरहाल, मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटिड, इलाहाबाद जोकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन को सिविल लाइन साइड पर साइकिल स्टैंड पर कार्य कर रही थी, को नयी निविदाओं को ठेके के आधार पर अन्तिम रूप दिए जाने तक नितान्त अस्थायी आधार पर सिटी साइड पर भी साइकिल स्टैंड की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया।

इलाहाबाद तथा टुण्डला स्टेशनों पर माल उतारने तथा चढ़ाने का ठेका

श्री रणजीत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी. एम. सी. टुण्डला तथा इलाहाबाद जंकशनों पर माल उतारने चढ़ाने के ठेके कार्यकारी समिति के साथ समुचित बातचीत किए बिना आगे की अवधि के लिए नवीकृत कर दिये गये थे और क्या काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

(ख) क्या इलाहाबाद में पार्सल उतारने चढ़ाने के ठेके की दर मजूरी तथा अन्य बातों में वृद्धि को देखते हुए 18000 रु. से 33,000 रु. प्रतिमास तक बढ़ा दी गई थीं; और

(ग) उपरोक्त ठेकों के सम्बन्ध में इलाहाबाद डिवीजन में विभेद नीति अपनाने के क्या कारण हैं;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जूही (जी. एम, सी.) और टुण्डला स्टेशनों पर माल सप्लाई के ठेकों की अवधि वर्तमान शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी थी। चूंकि इलाहाबाद जं. पर उस समय कार्यशील सोसायटी का कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं था, इसलिए परस्पर बातचीत के बाद यह ठेका मैसर्स रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को आवंटित कर दिया गया है।

(ख) जी हाँ, 17,999.86 रुपये से बढ़ाकर 32,077.50 रुपये।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों द्वारा बसों के अपहरण के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हानि

4345. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों द्वारा इस वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण कितने अवसरों पर किया गया;

(ख) उसके कारण कितने "ट्रिप" खोने पड़े;

(ग) छात्रों द्वारा कितनी बसों को क्षतिग्रस्त किया गया; और

(घ) "ट्रिप" खोने तथा बसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कुल कितनी हानि हुई;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष, 1981 से अक्तूबर तक छात्रों द्वारा बसों का अपहरण किए जाने की 9 घटनाएं हुई।

(ख) लगभग 161 ट्रिप नहीं हो सके।

(ग) 39 बसों को नुकसान हुआ।

(घ) ट्रिप नहीं हो सकने से 6118 रुपये और बसों के नुकसान से 37,398 रुपये के घाटे का अनुमान है।

इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो बंगलौर

4346. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री रघुनन्दन लाल भटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्लैंड कन्टेनर डिपो बंगलौर का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बैंगलूरु की पाइलट इनलैंड कन्टेनर डिपो में आई. एस. ओ. कंटेनरों को सम्भालने के लिए आवश्यक अवसंरचना का विकास किया गया है। कन्टेनरयुक्त यातायात सीमित ढंग से सम्हाला भी जा रहा है।

(ख) और (ग) बहरहाल, सभी सम्बद्ध हितों को स्वीकार्य संयुक्त परिवहन प्रलेख को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अन्य विभागों के परामर्श से वाणिज्य मन्त्रालय शीघ्रतापूर्वक इस प्रलेख को अन्तिम रूप देने के प्रयास कर रहा है।

मधुमेह रोग का मुकाबला करने के लिये यूगोस्लाविया से सहायता

4347. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया ने मधुमेह रोग का मुकाबला करने में सहायता देने के प्रकत रुचि प्रदर्शित की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के बाद रेल कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाया जाना

4348. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद श्रेणी चार तथा तीन के रेल कर्मचारियों एवं श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों के सेवा काल को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, और

(ख) सभी श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों के, पदों सहित, ब्यौरा क्या है जिनका सेवा काल जनवरी 1981 से सितम्बर, 1981 तक के बीच बढ़ाया गया ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मन्त्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार, सेवा निवृत्ति के बाद केवल आपवादिक मामलों में सार्वजनिक हित में सेवा में वृद्धि की जाती है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिंगरौली स्वास्थ्य एकक

4349. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पूर्वी रेलवे के धनवाद डिवीजन में सिंगरौली के सभी रेलवे कर्मचारियों द्वारा सिंगरौली के एक मात्र चिकित्सा केन्द्र स्वास्थ्य एकक को बन्द किये जाने के विरुद्ध रेलवे प्रशासन को दिये गये अभ्यावेदनों की जानकारी है;

(ख) सिंगरौली तथा निकटवर्ती स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की कुल सख्या कितनी है और उनकी चिकित्सा के लिये रेलवे द्वारा क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) मंत्रालय ने सिंगरौली तथा निकटस्थ रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा के अभाव में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए इस स्वास्थ्य एकक को पुनः खोलने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सिंगरौली में कोई स्वास्थ्य यूनिट नहीं था। सिंगरौली में रेलवे के एक निर्माण संगठन के कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों की देख-भाल एक रेलवे डाक्टर द्वारा की जाती थी। निर्माण कार्य बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उसका मुख्यालय बदलकर दिसम्बर, 1978 में रेणुकूट कर दिया गया था।

(ख) और (ग) लगभग 1100 इस समय सिंगरौली में रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सैंट्रल कोल फील्ड लि. अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर चोपन स्वास्थ्य यूनिट और रेणुकूट स्थित रेलवे डाक्टर उनकी चिकित्सा संबंधी जरुरतें पूरी करते है।

सिंगरौली के लिए अब एक स्वास्थ्य यूनिट की भी मंजूरी दे दी गयी है।

इयोरापुल्ली तारकेश्वर के लिए दोहरी लाइन

4350. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्योराफुल्ली और तारकेश्वर के बीच एक और लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तारकेश्वर शाखा लाइन सहित श्योराफुली और बण्डेल खण्ड के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर लेने के पश्चात्, क्षमता बढ़ाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

बंदेल और श्योराफुल्ली के बीच अतिरिक्त रेल लाइन

4351. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्देल और श्योराफुल्ली के बीच अतिरिक्त रेल लाइन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तारकेश्वर शाखा लाइन सहित शेवड़ाफूल्ली और बण्डेल खण्ड के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर लेने के पश्चात् क्षमता बढ़ाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के लिए पदोन्नति के अवसर

4352. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ श्रेणियों के अध्यापकों, यथा पी. टी., डब्ल्यू. ई.टी. संगीत तथा ड्राइंग के अध्यापकों तथा प्रयोगशाला सहायकों आदि के पदोन्नति के अवसर बिल्कुल नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में तीन मुख्य श्रेणियों के अध्यापकों, यथा स्नातकोत्तर अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और प्राथमिक अध्यापकों के लिये पदोन्नति का केवल 25 प्रतिशत कोटा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस नीति से केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों में निराशा उत्पन्न हो रही है और पदोन्नति में गतिरोध आ रहा है; और

(घ) सरकार इस स्थिति पर किस प्रकार नियन्त्रण करने के बारे में विचार कर रही है?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों के पदोन्नति कोटा को 25 % से 33$\frac{1}{3}$% तक बनाने का निर्णय किया गया है। प्राथमिक अध्यापकों के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सभी श्रेणियों के अध्यापकों के लिए प्रवरण ग्रेडों की व्यवस्था कर दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में गतिरोध

4353. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय में भिन्न-भिन्न श्रेणिओं के अधिकांश अध्यापकों के वेतन-मानों में गतिरोध है;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में गतिरोध वाले ऐसे अध्यापक कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस अवांछनीय स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने पर विचार कर रही है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों में किस हद तक गतिरोध है, इसके बारे में सांख्यिकीय आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सभी श्रेणियों के अध्यापकों को चयन ग्रेड देने की व्यवस्था कर दी गई है। गतिरोध से बचने के लिए, प्राथमिक स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के विभिन्न ग्रेडों के लिए पदोन्नति के अवसरों की भी व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा अधिकारियों के पदों के लिए पात्रता

4354. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा अधिकारियों के 26 नये पद बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पद के लिए जो स्नातकोत्तर अध्यापक उच्च अर्हता प्राप्त हैं उनके लिये कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है, और

(ग) क्या केवल प्रिंसिपलों को ही शिक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है न कि स्नातकोत्तर अध्यापकों को, जो पहले ही पदोन्नतियों में गतिरोध के कारण निराश हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने शिक्षा अधिकारियों के 26 पद सृजित करने को अनुमोदित कर दिया है। इन पदों के लिए भर्ती-नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए पर्याप्त पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। वे उप-प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति के पात्र हैं।

विदेशों में प्रचार के बारे में चंचल सरकार समिति का प्रतिवेदन

4355. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा उसमें वृद्धि विशेषकर विदेशों में प्रचार के लिये, से सम्बन्धित कुछ सिफारिशों के साथ सरकार को चंचल सरकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो हमारी सरकार द्वारा जो मुख्य सिफारिशें स्वीकार की गई हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय मिशनों में पृथक सूचना विंग खोलने के लिये धन का भी अभाव है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां, यह रिपोर्ट भारत सरकार को 1978 के अन्त में प्रस्तुत की गई थी और इसे 28-3-1979 को लोक सभा/राज्य सभा की मेज पर रखा गया था ।

(ख) इस मंत्रालय ने चंचल सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया था। इनमें से बहुत सी सिफारिशों पर काफी व्यय, विशेषकर विदेशी मुद्रा में व्यय होता जिसे आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया । तथापि इस मंत्रालय ने समिति द्वारा विदेश प्रचार में सुधार के सम्बन्ध में दिए गए प्रमुख सुझावों को मार्च, 1980 में समीक्षा की और इस सम्बन्ध में वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया जिससे उतना अधिक व्यय किए बिना ही भारत के विदेश प्रचार में सुधार लाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है : (1) विदेश प्रचार प्रभाग से एक प्रचार और संपादकीय कक्ष की स्थापना करना जिसमें सम्पादक और लेखक होंगे जो अंग्रेजी, हिन्दी, स्पनिश बनने और फ्रेंच भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार करेंगे। (2) विदेश प्रचार प्रभाग की मुद्रण क्षमता में वृद्धि करना और उपर्युक्त भाषाओं में छपाई के लिए बेहतर उपस्कर और अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करना। विदेश प्रभाग ने एक नया प्रिंटिंग प्रेस ले लिया है। (3) अरबी और रुसी भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार करने और उसका वितरण करने के लिए काहिरा और मास्को स्थित भारतीय राजदूतावासों के प्रकाशन केन्द्रों का मजबूत किया जाना। (4) एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के 25 राजदूतावासों में नये सूचना स्कन्ध अगले 3 से 5 वर्षों में खोलना बशर्ते कि इसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाय ।

(ग) और (घ) इससे सम्बन्धित प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है। इसे मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 25 अलग-अलग सूचना स्कन्ध को ले जाने के इन प्रस्ताव को क्रियान्वित करने और इसे अन्तिम रूप देने में मुख्य रूप से धनभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। इस समय ऐसे उपाय ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे इस प्रस्ताव को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से और कम खर्च में यथाशीघ्र अमल में लाया जा सके ।

उड़ीसा के भिन्न-भिन्न कस्बों में रेलवे फाटक

4356. **श्री गिरिधर गोमांगो** : : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा छठी योजना में उड़ीसा के भिन्न-भिन्न कस्बों में किन-

किन रेलवे फाटकों का उपरि पुलों के निर्माण के लिये चयन किया गया और जिनके बारे में प्राक्कलन तैयार कर लिये गये थे और उन कस्बों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार छठी योजना अवधि में प्रस्तावित उपरि पुलों के लिये धन राशि देने पर सहमत हो गई और रेलवे के प्राधिकारी को उसकी सूचना दे दी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या रेलवे के प्राधिकारी ने 1981-82 की वार्षिक योजना में रायग कस्बे में रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण हेतु उसे शामिल कर लिया है और राज्य सरकार को उक्त पुल के लिये धनराशि देने के लिये सूचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य को शामिल किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकाअर्जुन) : (क) व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा इस बचनबद्धता के साथ प्रायोजित किये जाते हैं कि वे लागत का लगभग 50 प्रतिशत वहन करेंगे और ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण होने के बाद समपारों को बन्द कर देंगे। छठी योजना के दौरान समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने की उड़ीसा सरकार की योजना के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, उड़ीसा में छठी योजना के दौरान वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निम्नलिखित निर्माण कार्य अनुमोदित किये गये हैं, जैसा कि उड़ीसा सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(1) नरगुण्डी में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल (रेलों का निर्माण कार्यक्रम, 1981-82)।

(2) कटक स्टेशन के दक्षिणी छोर पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल (रेलों का निर्माण कार्यक्रम, 1982-83)।

(ख) जी हाँ, उपर्युक्त दो मामलों के सम्बन्ध में।

(ग) और (घ) रायागुडा में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार अनुमान प्राप्त होने और राज्य सरकार से 50 प्रतिशत लागत वहन करने का वचन मिलने और उनके द्वारा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने पर किया जायेगा।

रायगढ़ नगरपालिका की बकाया करों का भुगतान

4357. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका, रायगढ़ और अधिसूचित क्षेत्र परिषद्, कोरापुट, उड़ीसा ने रेलवे प्राधिकारी, वाल्टेयर डिवीजन और दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकारी को रेलवे की ओर करों की बकाया राशि के भुगतान के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिये जाने हेतु बकाया राशि कब से पड़ी है और नगरपालिका, रायगढ़ तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषद्, कोरापुट को अब तक कितना भुगतान किया गया है;

(ग) रेलवे द्वारा बकाया राशियों के भुगतार में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में नियमित भुगतान के लिये रेलवे प्राधिकारी ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल रायगाडा नगरपालिका ने अनुरोध किया है, लेकिन नोटिफाइड एरिया काउंसिल, कोरापुट से किसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) 1977-78 तक प्रतिवर्ष 1963.87 रु. की दर से रायगाडा नगरपालिका को सम्पत्ति कर का भुगतान कर दिया गया है। यह दर संविधान लागू किये जाने से पूर्व लागू थी। रायगाडा नगरपालिका, जो प्रति वर्ष 5,000 रु. की बढ़ी हुई दर पर भुगतान की मांग कर रही है, ने जुलाई, 1981 में त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया है। यह मामला दक्षिण-पूर्व रेलवे के विचाराधीन है।

उच्चतम न्यायालय के 8-9-1978 के निर्णय के अनुसार एक स्थानीय निकाय, जो संविधान के समय एक राज्य का भाग होता है, संविधान के अनुच्छेद 285(2) का लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि कर वसूली का दावा करते समय यह दूसरे राज्य का भाग था। रायगाडा संविधान लागू होने से पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में था, लेकिन 1957-58 में उड़ीसा का भाग बन गया। परिणामस्वरूप 8-9-1978 से कोई कर देय नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप बदली हुई परिस्थितियों में ऐसे स्थानीय निकायों को भुगतान नियमित करने की विधि पर सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

जहाँ तक कोरापुर नोटिफाइड एरिया काउंसिल का सम्बन्ध है, केवल "सेवा प्रभार" ही देय है क्योंकि संविधान लागू होने से पूर्व किसी प्रकार का कर वसूल नहीं किया जाता था। दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा 1967-68 से आगे 16,341.33 रु. की वार्षिक दर पर भुगतान किया गया है। 1980-81 तक भुगतान कर दिया गया है।

शिक्षा संस्थाओं में खेल के मैदान

4358. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित विख्यात शिक्षा संस्थाओं तक में अभी तक अध्ययन के समय के बाद उनके 10 प्रतिशत विद्यार्थियों तक के लिये खेल के मैदान नहीं हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह स्पष्ट नहीं है कि विशेषकर किन संस्थाओं को "केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित विख्यात शिक्षा संस्थाओं" के नाम से जाना जाता है।

सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं में भौतिक सुविधाएं प्रदान किए जाने से सम्बन्धित अपनाए गए मानदण्डों में प्रायः खेल के मैदानों की सुविधाएं भी शामिल हैं। तथापि समग्र संसाधन सीमाओं तथा भूमि की उपलब्धता सम्बन्धी सामान्य कठिनाइयों को देखते हुए इन मानदण्डों का सभी मामलों में अनुपालन करना कठिन हो जाता है।

"राज्य खेल परिषदों इत्यादि को अनुदान" की अपनी योजना के अन्तर्गत सरकार स्कूल के खेलों के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। सरकार इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता देकर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में भौतिक सुविधाओं के विकास को भी प्रोत्साहन देती है।

राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किये गये छात्र

4359. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को प्रविष्ट किया गया है;

(ख) ये प्रवेश कैसे किये जाते हैं और क्या यह प्रत्येक देश के लिये कोटा प्रणाली पर आधारित है; और

(ग) कितने भारतीय "स्टाफ" में हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सघ विश्वविद्यालय का ऐसा कोई शैक्षणिक पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें छात्रों को दाखिल किया जाए। इस समय इसके क्रियाकलाप अनुसंधान कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं जिसके लिए शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ये शिक्षावृत्तियां योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं न कि प्रत्येक देश के लिए कोटा प्रणाली के आधार पर।

(ग) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक स्टाफ में तीन भारतीय हैं।

काल्वे स्टेशन में सुधार

4360. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, मध्य रेलवे, बम्बई वी. टी. को काल्वे स्टेशन (जिला थाने, महाराष्ट्र) में कुछ सुधार की मांग करते हुए दिनांक 29 अप्रैल, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन में की गई मांगें क्या हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक मांग के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं और उन पर कब तक कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) ये मांगें पहुंच मार्ग, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (लाउडस्पीकर), विद्युत संकेतक (इडिकेटर) प्लेट फार्म पर छत की व्यवस्था करने और अतिरिक्त गाड़ियों के बारे में थीं।

(ग) और (घ) स्टेशन के पहुंच मार्ग में सुधार किया है। स्टेशन के प्रांगण में गाड़ियों के पहुंचने और छूटने का समय दर्शाने वाले एक काष्ठ संकेतक (वुडन इंडीकेटर) की व्यवस्था की गई है। अप और डाउन प्लेट फार्मों के ऊपर क्रमशः 91 और 80 मीटर तक छत का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव को 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। बिजली गाड़ियों के स्टाक की कमी के कारण इस समय अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है। विद्युत संकेतकों, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली आदि जैसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में धन और संसाधनों के उपलब्ध होने पर यथा-समय विचार किया जायेगा।

कुलपतियों का सम्मेलन

4361. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1981 में नई दिल्ली में कुलपतियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था और इसमें लिये गये निर्णय क्या थे;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच बर्ष कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। तथापि 30 मई 1980 को कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन में आमतौर से छठी योजना के दौरान उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नीति पर विचार किया गया। विशेष रूप से सम्मेलन में अन्तर स्नातक पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, विश्वविद्यालयों में बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए उपाय लागू करना और उपलब्ध सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग, सतत् शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों का विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशियों की भर्ती के लिए आरक्षण इत्यादि जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया।

(ग) और (घ) आयोग उन कार्यक्रमों को, जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, छोड़कर प्रत्येक योजना में पांच वर्षों के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को आमतौर से विकास सहायता उपलब्ध कराता रहा है।

अमृतसर रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलना

4362. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर रेलवे स्टेशन के स्वरूप बदलने तथा नवीकरण में तथा अन्य निर्माण कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) अटारी वार्डर स्टेशन तथा अमृतसर पर जो बाहर जाने वाले तथा देश में आने वाले यात्रियों के लिये संगम स्थल है पर पाकिस्तान आने वाले तथा वहां से आने वाले यात्रियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवत: यह अमृतसर स्टेशन के भोलबाग की ओर बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय आदि के निर्माण कार्य के संदर्भ में है। अद्यतन प्रगति 10 प्रतिशत है।

(ख) इस निर्माण कार्य के मार्च, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) पाकिस्तान जाने और वहाँ से आने वाले यात्रियों के लिए अमृतसर स्टेशन और

अटारी सीमा स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। इस समय किसी अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

4363. **श्री के. प्रधानी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय (सेण्ट्रल स्कूल्स) खोलने के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन हैं।

(1) राउरकेला स्टील टाउनशिप, राउरकेला, जिला—मुरादाबाद।

(2) तालचर, जिला—ढेंकानल।

कल्याण गुड्स शैड को अन्यत्र ले जाना

4364. **श्री आर. के. महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण (मध्य रेलवे) महाराष्ट्र में स्थित वर्तमान गुड्स शैड की इसके वर्तमान स्थान से कहीं अन्यत्र ले जाने और इसके बाद कल्याण स्टेशन में एक "होम प्लेटफार्म" उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चल रही है ;

(ख) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और यह योजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना के कार्य को गति देने के लिये रेलवे विभाग द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) अतिरिक्त धन उपलब्ध होने पर कार्य शीघ्रता से किया जायेगा।

टीटवाला स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी पुल का विस्तार

4365. **श्री आर. के. महालगी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डलीय प्रबंधक मध्य रेलवे (बम्बई डिवीजन), बम्बई वी. टी, को ग्राम पंचायत, मांडा, तालुक कल्याण, जिला थाने (महाराष्ट्र) से उसके द्वारा 30 मई, 1881 को पारित संकल्प संख्या 5 की एक प्रति मिली है, जिसमें निम्नलिखित मांग की गई है;

(एक) टीटवाला स्टेशन पर मौजूदा पैदल ऊपरी पुल का पश्चिम की ओर विस्तार ;

(दो) टीटवाला स्टेशन के आखिरी छोर पर कसारा की ओर सड़क पर रेल फाटक ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत ने अधिकारियों को इस बात का आश्वासन दिया है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि उनके द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया है/कार्यवाही की है ;और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक निर्णय लिए जाने/कार्यवाही किए जाने की संभावना है ;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्र नहीं उठता।

शोलापुर के सीजन पासधारियों के लिए सुविधायें

4366. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे मैनेजर मध्य रेलवे शोलापुर को शोलापुर जिला यात्री एसोसियेशन, कुर्दवाड़ी जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) की ओर से मार्च, 1981 में सीजन पासधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में एक अभ्यावेदन तथा अप्रैल, 1981 में अपनी मांगों पर बल देने के लिये आन्दोलन कार्यक्रम के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या हैं;

(ग) उनकी मांगों पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, । जिस प्रवासी संगठन, कुर्दुवाड़ी, जिला शोलापुर से सीजन पास-धारकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 23-3-81 का एक अभ्यावेदन और आंदोलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में 16-4 81 का एक ज्ञापन मंडल रेल प्रबन्धक, शोलापुर को प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) जिला प्रवासी संगठन, कुर्दुवाड़ी, जिला शोलापुर की मांगों का ब्यौरा और ऐसी प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में टिप्पणी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3134/81)

रेलवे लाइनों के लिए अविलम्बनीयता प्रमाण-पत्र

4367. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड ने जोनवार (एक) नई रेल लाइनों के बिछाए जाने तथा (दो) लाइनों को बदलने/पुनः चालू करने की परियोजना के लिये अविलंबनीयता प्रमाण-पत्र जारी किये हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में उक्त प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के क्या कारण हैं तथा किस-किस तारीख को ये जारी किये गये और उन नई रेल लाइनों/लाइनें बदलने/पुनः चालू करने की परियोंजनाओं के क्या नाम हैं जो अब तक पूरी हो चूकी हैं ;और

(ग) शेष लाइनों को पूरा करने की लक्षित तारीखें क्या-क्या हैं ;

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकाजुंन) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-80, 1980-81 और 1981-82 (10-12-81 तक) में निम्नलिखित नयी लाइनों/बदलाव/पुनः चालू करने की परियोजनाओं के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा तात्कालिकता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये थे।

रेलवे लाइन	रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत तात्कालिता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	क्या परियोजना का काम पूरा हो गया है	पूरा करने के लिये निश्चित तिथि
1. **नयी लाइन** रामपुर से हल्द्वानी तक ब. ला, पूर्वोत्तर रेलवे	23-5-1980	50	जी नहीं	1984-85 (प्रथम चरण)
2. **आमान परिवर्तन** मुरादाबाद से रामनगर तक मीटर ला. से ब. वा. पूर्वोत्तर रेलवे	23-5-1980	50	जी नहीं	1983-84
3. **आमान परिवर्तन**-वाराणसी-भटनी मीटर लाइन से बड़ी लाइन में, पूर्वोत्तर रेलवे,	8-5-1980	25	जी नहीं	1984-85
4. **आमान परिवर्तन**-समस्तीपुर-दरभंगा मी.ला. से ब. ला., पूर्वोत्तर रेलवे	18-3-1981	60	,,	लक्ष्य तिथि अभी तक निश्चित नहीं की गयी प्रारंभिक कार्य चल रहा है।
5. **नयी लाइन** सिलचर-जीरी बाम मी. ला. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	27-11-1979	50	जी नहीं	1984-85
6. **नयी लाइन** : धरम नगर-कुमारघाट, मी. ला., पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	27-11-1979	50	जी नहीं	1984-84
7. **नयी लाइन** : लालाघाट भैराबी (मी. ला.) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	29-4-1980	160	जी नहीं	1984-85

1	2	3	4	5
8. **नयी लाइन :** गुवाहाटी-बरनीहाट, ब. ला. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	30-1-81	259	जी नहीं	1984-85
9. **नयी लाइन :** अंगूरी तूली, ब. ला. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	26-5-1981	50	जी नहीं	1984-85
10. **आमान परिवर्तन** गुवाहाटी-डिब्रूगढ़, मी. ला. से ब. ला. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	30-7-81	100	जी नहीं	अभी तक निश्चित नहीं की गयी
11. **आमान परिवर्तन :** बंगलूर सिटी से मैसूर तक मी. ला. को ब. ला., दक्षिण रेलवे	28-4-78 (100 लाख के लिये 3-8-81 (160 लाख तक संशोधित) 5-8-81 (260 लाख तक संशोधित किया गया)	260	जी नहीं	1984-85
12. **नयी लाइन :** एर्णाकुलम एलोप्पि, ब. ला. दक्षिणारेलवे	25-7-1980	237	जी नहीं	1984-85
13. **नयी लाइन/आमान परिवर्तन/सामान्तर ब.** ला., करूर से तिरुनेलवेली तूतीकोरिन वाया डिंडिगुल मदुरैऔर मणियाच्चि	23-7-81	50	जी नहीं	लक्ष्य तिथि अभी तक निश्चित नहीं
14. **नयी लाइन :** तलगड़िया तुपकाडीह, बड़ी लाइन दक्षिण-पूर्व रेलवे	4-10-79	196	जी नहीं	1983-84 (अनंतिम)
15. **नयी लाइन :** कोरापुट, रायगढ़ा, बड़ी लाइन, दक्षिण-पूर्व रेलवे	13-8-81	70	जी नहीं	1985 (प्रथम चरण)
16. **नयी लाइन :** मानिकगढ़ चन्दूर, बड़ी लाइन दक्षिण मध्य रेलवे	30-1-1981	50	जी नहीं	1983-84
17. **आमान परिवर्तन :** गुन्टूर मचरेला, मी. ला. से ब. ला. दक्षिण-मध्य रेलवे	29-11-80	40	जी नहीं	तिथि अभी तक निश्चित नहीं हुई। निधि को प्राथमिकता वाले परियोजनाओं में लगाया गया।

1	2	3	4	5
18. नयी लाइन : कोटा चित्तौड़गढ़, नीमच, बड़ी लाइन-पश्चिम रेलवे	31-1-81	100	जी नहीं	तिथि अभी तक निश्चित नहीं हुई कोटा-मूंदी प्रथम-चरण के लिये 896 लाख रु. को स्वीकृत का अनुमानित हिसाब

तात्कालिकता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के कारण :

उन मामलों में इन्जीनियरी विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता के उपबन्धों के अनुसार जहां महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जाना है और कार्य के लिए नियमित अनुमान तैयार किये जाने हैं और उन्हें स्वीकार किये जाने तक उन पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में तात्कालिकता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं। इन तात्कालिकता प्रमाण-पत्रों को यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र निर्माण अनुमानों को स्वीकार करने पर नियमित किया जाता है।

ऊपर जिन मामलों की सूची दी गयी है, उनमें से कुछ मामलों में निर्माण अनुमान बना दिये गये हैं और स्वीकृति के लिए उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष मामलों में अनुपालनों को तैयार करने का काम चल रहा है।

समय-सारणी का मूल्य

4368. **श्री एन. ई. होरो :**

डा. ए. यू. आजमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जोनल रेलवे का समय-सारणी के मूल्य में वृद्धि की गई है,

(ख) यदि हाँ, तो कितनी, और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अवस्था-वार, कितनी बार यह वृद्धि की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय रेलों की समय-सारणी के विक्रय मूल्य में निम्नलिखित ढंग से वृद्धि कर दी गयी है :

वृद्धि की तारीख	क्षेत्रीय रेलों की समय-सारणी का मूल्य
1-11-1980	50 पैसे से एक रुपया। (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर, जिसका मूल्य 45 पैसे से बढ़ाकर 90 पैसे किया गया है।)
1-10-1991	2 रु. प्रति समय सारणी (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सहित)

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंगभेद

4369. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में कितने भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ अभी तक रंगभेद नीति बरती जा रही है; और

(ख) उनके हित की सुरक्षा के लिए क्या कदक उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) महोदय, चूंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध नहीं है इसलिए प्रमाणिक तौर पर यह मुश्किल है कि उस में भारतीय मूल के कितने लोग हैं अथवा कितने भारतीय राष्ट्रिक हैं। लेकिन हाल ही में जान्सबर्ग के अखबारों की खबरों के अनुसार ऐसा लगता है कि वहां भारतीय मूल के 800,000 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं। वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या नगण्य ही होगी। सभी अ-श्वेत लोगों के समान, ये लोग भी दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति से निरन्तर प्रभावित रहे हैं।

(ख) चूंकि दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के राजनायिक संबंध नहीं है, इसलिए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह उस देश के भारतीय मूल लोगों/भारतीय राष्ट्रिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए।

विभिन्न भाषाओं में केन्द्रीय पुस्कालयों की स्थापना

4370. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्यण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में किन-किन भाषाओं में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई है;

(ख) किन-किन भाषाओं के लिये केन्द्रीय पुस्तकालय के खोले जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार की सभी पन्द्रह भाषाओं में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या उर्दू भाषा का भी कोई केन्द्रीय पुस्तकालय है; और

(च) यदि नहीं, तो इसकी कब तक स्थापना किए जाने का विचार ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) देश में भाषाओं के आधार पर पुस्तकालय स्थापित नहीं किये जाते और उर्दू सहित प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषधालयों, नर्सिग होम आदि खोलने के लिए चिकित्सक को ऋण

4371. **श्री बालकृष्ण वासनिक** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधालय, क्लिनिक या नर्सिग होम खोलने के इच्छुक चिकित्सकों को एक लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है जिससे यह सुनिश्चित हो कि ग्रामीण

और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऐसे और अधिक औषधालय, क्लिनिक या नर्सिग होम स्थापित किए जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए सरकार का अन्य क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक डाक्टरों को एक लाख रुपये तक का ऋण दे रहे हैं ताकि वे देश के ग्रामीण अथवा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में अपनी प्रैक्टिस/नर्सिग होम खोल सकें। इस योजना का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। फिलहाल सरकार और अतिरिक्त सुविधाएं देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

विवरण

बैंक का नाम	चिकित्सकों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	स्टेट बैंक आफ इण्डिया ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों के चिकित्सा तथा दन्त स्नातकों (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों सहित) को 25,000/-रुपये तक की वित्तीय सहायता देता है। किसी चिकित्सालय, दन्त चिकित्सालय के चिकित्सक को अथवा कोई क्लिनिक नर्सिग होम खोलने हेतु चिकित्सक को उपकरणों तथा औषधियों अथवा स्थान खरीदने के लिये अधिक से अधिक एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
2. बैंक आफ महाराष्ट्र	बैंक आफ महाराष्ट्र की एक योजना है जिसके अन्तर्गत कोई भी अर्हता-प्राप्त डाक्टर तथा जो चिकित्सक के रूप में रजिस्टर्ड है, वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। नगर, अर्ध-नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के लिये किसी भी डाक्टर को एक लाख रुपये से अधिक का ऋण नहीं दिया जायेगा। इस ऋण की अदायगी 5 साल में की जाती है तथा ब्याज की दर 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष है। पैसे उधार लेने वाले डाक्टर को अपना एक रेकरिंग डिपोजिट एकाउन्ट खोलना होता है तथा अपने खर्च और आय का नियमित लेखा-जोखा रखना होता है।
3. इलाहाबाद बैंक	विदेश से आये भारतीय डाक्टरों को भारत में अपना क्लिनिक खोलने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए इलाहाबाद बैंक की एक योजना है। जो अर्हता प्राप्त डाक्टर विदेश से वापस आना चाहें

1	2
	और देश में अपना क्लिनिक खोलना चाहें वे इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता लेने के पात्र हैं। यह योजना भारत के उन डाक्टरों पर भी लागू होती है, जिन्होंने भारत के मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों से अर्हता प्राप्त की हो। ऋण लेने की अधिकतम सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक खोलने के लिये 50,000/-रुपये है और नगर अथवा अर्ध-नगरीय क्षेत्र में क्लिनिक खोलने के लिये एक लाख रुपये है। ब्याज की दर 25,000 रुपये तक के लिये 13½ प्रतिशत है और 26,000 रुपये से ऊपर के लिये 15 प्रतिशत है। यह सारा ऋण मासिक/तिमाही किस्तों द्वारा पाँच वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है।
4. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की एक योजना है जिसके अन्तर्गत जो चिकित्सक कोई क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम खोलना चाहता हो वह वित्तीय सहायता का पात्र है तथा ऋण की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है जो पैसा उधार लेने वाले की अदायगी की क्षमता तथा उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ब्याज की दर 12.40 प्रतिशत प्रति वर्ष है। ऋण को लौटाने के लिए किस्तों की अधिकतम सीमा 3 है। फिलहाल यह योजना एलोपैथी के डाक्टरों के लिये लागू होती है। इस योजना को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सकों पर भी लागू करने के लिये विचार किया जा रहा है। पैसा उधार लेने वालों की परिसम्पत्तियों का ठीक ढंग से बीमा होना चाहिए।
5. बैंक आफ इंडिया	चिकित्सकों को वित्तीय सहायता देने के लिये बैंक आफ इण्डिया की यह योजना है जिसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर क्लिनिक खोलने की अर्हता प्राप्त रजिस्टर्ड चिकित्सकों को अधिक से अधिक एक लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। ऋण की अदायगी मासिक/तिमाही किस्तों में पांच से सात वर्षों के अन्दर की जानी है। अग्रिमों के रेंज पर ब्याज की दर 11 से 13 प्रति वर्ष है। यह योजना

1	2
	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों पर भी लागू होती है।
6. इंडियन ओवरसीज बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक युवा डाक्टरों को ग्रामीण और अर्ध नगरीय क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिये 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक के रेंज में वित्तीय सहायता देता है। ऋण की अदायगी 30/40 किस्तों में की जाती है और ब्याज के दर की रेंज 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष है। यह बैंक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों को भी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस योजना में उपकरण और औषधियों के अलावा निर्वाह खर्चों के लिए भी सहायता दी जाती है।
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	यूनियन बैंक आफ इंडिया डाक्टरों को ग्रामीण केन्द्रों में औषधालय खोलने तथा उपकरण और औषधियां खरीदने के लिये अधिक से अधिक एक लाख रुपये तक के ऋण की वित्तीय सहायता देता है। यह बैंक 'हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम" तथा ब्याज की विभिन्न दर योजनाओं के अन्तर्गत डाक्टरों तथा रासायनज्ञों को सहायता भी देता है वशर्ते कि वे इस योजना की शर्तों को पूरा करते हों। ऋण की अदायगी 13.50 प्रतिशत से 16.15 प्रतिशत की दर से ब्याज देकर 38 महीनों में 36 बराबर किस्तों में की जानी है बैंक द्वारा तीन वर्षों में कितने-कितने व्यक्तियों/यूनिटों को सहायता दी जानी है और अपने प्रमुख जिलों में ऋण योजनाओं में कितने-कितने आबंटन किये जाने हैं, बैंक द्वारा इसकी व्यवस्था कर दी गई है।
8. पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों को सहायता देता है। यह बैंक अर्हता प्राप्त डाक्टरों को नई प्रैक्टिस करने के लिए 20,000 रुपये तक तथा पहले से नई प्रैक्टिस करने वालों को 50,000 रुपये तक की सहायता देता है। नगरीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोलने के लिए एक लाख रुपये तक की राशि

1	2
	भी दी जाती है। यह बैंक डाक्टरों को स्कूटर अथवा मोटर साइकिल खरीदने के लिये ऋण भी देता है भले ही उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिये बैंक से ऋण न लिया हो। ब्याज की दर 12½ प्रतिशत प्रति वर्ष है।
9. कनेरा बैंक	इन बैंक ने ऋण देने के लिये एक योजना बनाई है। ये सुविधायें उपकरण, औषधियाँ, अनिवार्य फर्निचर तथा वाहन (साइकिल अथवा स्कूटर) खरीदने के लिये होती हैं। ऋण के रेंज की यह मात्रा 3,000 से 5,000 रुपये तक की होती है। इस ऋण का ब्याज 15½ प्रतिशत होता है किन्तु यदि तुरन्त भुगतान कर दिया जाये तो ½ प्रतिशत की छूट होती है। वैसे, यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिये बेरोजगार डाक्टरों को 12½ प्रतिशत के ब्याज की रियायती दर पर अग्रिम देता है। इस ऋण को अधिक से अधिक 36 किस्तों लौटाना होता है। सहायता देते समय भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है।
10. सिंडीकेट बैंक	इस बैंक की स्वतः रोजगार प्राप्त करने के लिये इच्छुक शिक्षित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये "सेल्फ इम्पलायमेंट स्कीम" जैसी एक उदार योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह बैंक डाक्टरों को क्लिनिक खोलने के लिये 5000/- से एक लाख रुपये तक का ऋण देता है जिसके लिये बैंक अतिरिक्त सुरक्षा गारंटर, मार्जिन आदि पर विशेष बल नहीं देता है।
11. देना बैंक	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के डाक्टरों को धन देने की व्यवस्था है जिसमें ब्याज दर 10½ प्रतिशत है किन्तु शीघ्र भुगतान करने पर उनको ½ प्रतिशत की छूट मिल सकती है। बैंक के पास डाक्टरों को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में क्लिनिक खोलने के लिये वित्तीय सहायता देने की निम्नलिखित योजनायें हैं –

1	2
1.	दन्त चिकित्सकों को ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में दन्त क्लिनिक खोलने के लिए, उसके विस्तार के लिए रियायती वित्तीय सहायता देने की योजना है (इसके अन्तर्गत 20,000 रुपये तक को ऋण सहायता मिल सकती है जिसका ब्याज दर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष है।
2.	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एलोपैथी तथा अन्य व्यावसायियों क सामान्य चिकित्सकों, स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों को सहायता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की सहायता से एक योजना भी चल रही है।
3.	गुजरात के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के बेरोजगार आयुर्वेदिक स्नातकों (बी. एस. ए. एन.) को डिस्पेंसरियाँ खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना है।
12. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	इस बैंक के पास चिकित्सकों (जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के डाक्टर भी शामिल हैं) को अपनी डिस्पेंसरियों तथा परामर्श कक्ष आदि खोलने के लिये अधिक से अधिक एक लाख रुपये की सहायता देने की योजना है।
13. बैंक आफ बड़ौदा	इस बैंक के पास चिकित्सकों को धन देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के डाक्टरों सहित सभी अर्हता प्राप्त डाक्टर इस बैंक से ऋण सहायता ले सकते हैं। ऋण सहायता एक लाख रुपये तक मिल सकती है जिसका ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है।
14. विजय बैंक	इस बैंक के पास फार्मेसिस्ट सहित चिकित्सक, पशु शल्य चिकित्सक, दन्त चिकित्सकों को सहायता देने की योजना है ताकि वे अपनी योग्यता का विकास करके अपना कोई उपयोगी रोजगार शुरू कर सकें। एक व्यक्ति को 50,000 रुपये से अधिक वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती है।
15. इण्डियन बैंक	इस बैंक के पास अर्हता प्राप्त डाक्टरों/रजिस्टर्ड चिकित्सकों को प्रैक्टिस चलाने हेतु वर्तमान क्लिनिकों

1	2
	नर्सिंग होमों में सुधार करने तथा उपकरण आदि खरीदने के लिये अधिक से अधिक एक लाख की सहायता दी जाती है जिसकी ब्याज दर 11.85 प्रतिशत है।
16. स्टेट बैंक आफ इंदौर	इस बैंक के पास चिकित्सा और दन्त स्नातक जो अपना प्रैक्टिस ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में चलाना चाहते हैं उसके लिए वित्तीय सहायता देने की एक विशेष योजना है । ब्याज दर 11 85 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत है जो ऋण की राशि के अनुसार है।
17. स्टेट बैंक आफ मैसूर	इस बैंक से चिकित्सा और दन्त स्नातक ऋण ले सकते हैं। आयुर्वेदिक होम्योपैथी सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अर्हता प्राप्त डाक्टरों को भी इस योजना में शामिल किया गया है एक चिकित्सक को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए जितनी रकम की आवश्यकता होती है उसकी पूरी राशि इस बैंक से मिल सकती है इसका ब्याज 16.10 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जो आर. बी. आई. के निर्देशानुसार घट-बढ़ सकता है। बैंक से ऋण ले कर खरीदी गई सभी परिसम्पत्तियों को अलग से बचाने के लिये ऋणी को अपने खर्च पर बैंक और अपने नाम में बीमा करवाना पड़ेगा।
18. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	इस बैंक की एक योजना है जिसके अन्तर्गत अर्हता प्राप्त और रजिस्टर्ड डाक्टर जिसके पास आई. एम. एस. से मान्यता प्राप्त डिग्री/स्नातकपूर्व डिप्लोमा है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। यदि किसी दन्त शल्य चिकित्सक का नाम अपने राज्य दन्त क्लिनिकों के दन्त चिकित्सक के रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड है या उसके पास भारतीय दन्त परिषद (आवश्यक पूर्व शर्तों पर) का नवीनतम प्रमाण पत्र हो तो वह भी इस बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। एक लाख रुपये से अधिक ऋण नहीं दिया जायेगा। अधिक ऋण देने के बारे में विचार किया जा रहा है। ब्याज पर लगे कर के अतिरिक्त कम से कम $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष

1	2
	होगा। ब्याज दर कम करने के बारे में विचार किया जा रहा है। ऋण को लौटाने के लिये किस्तों की अधिकतम सीमा 60 है। बैंक और ऋणी दोनों के संयुक्त नाम से एक बीमा पालिसी करवानी होगी जिसमें आग, हड़ताल, चोरी आदि जोखिमों को कवर करना होगा।
19. कारपोरेशन बैंक	यदि कोई डाक्टर और रजिस्टर्ड चिकित्सक अपना प्रैक्टिस चलाना चाहता है तो वह इस बैंक से वित्तीय सहायता ले सकता है। यदि उधार लेने वाली कोई फर्म हो तो उसके सभी हिस्सेदार चिकित्सक होने चाहिए। थोड़े ऋण के लिये ब्याज दर 16.15 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी (योजना 1971) और जो अग्रिम-धन छोटे ऋण-योजना 1971 के अन्तर्गत नहीं लाये जा सकते उनके लिये ब्याज दर 18.33 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी जो 5 वर्ष की अवधि के अन्दर तिमाही आधार पर दिया जायेगा।
20. ओरियण्ट बैंक आफ कामर्स	यह बैंक मेन्टेनेन्स क्लिनिक खोलने, परामर्श कार्यालय खोलने, जिनमें अपने विषय का ज्ञान अद्यतन बनाये रखने के लिये पुस्तकालय भी शामिल हैं अधिक से अधिक5 0,000/- रुपये का ऋण देता है। प्राथमिकता क्षेत्रों में लगाया जाने वाला धन 36 महीने की अवधि में 13.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित लौटाया जाना होता है और अन्य प्रयोजनों वाला धन 15.10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित लौटाया जाना होता है।
21. न्यू बैंक आफ इंडिया	इस बैंक में एक योजना है जिसके अन्तर्गत चिकित्सा क्षेत्र के किसी भी काम अर्थात शारीरिक (आन्तरिक और बाहरी), मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किसी भी डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है जो 5 वर्ष में लौटाया जाना होता है। धन लौटाना प्रस्तावित पूंजी निवेश से कर्ज लेने वाले को होने वाली

1	2
	आय सीमा आदि पर निर्भर करता है। ब्याज दर 13.5 प्रतिशत से 16.15 प्रतिशत प्रति वर्ष होती है।
22. स्टेट बैंक आफ बीकानेर	इस बैंक की चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा स्नातकों के लिए एक योजना है। यूनानी और सिद्ध पद्धतियों में अर्हता तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी आर्थिक सहायता पाने के हकदार हैं। चिकित्सा स्नातक 25,000/- रुपये और दन्त चिकित्सा स्नातक 22,C00/- रुपये यूनानी चिकित्सा में अनुभव रखने वाले व्यक्ति 9,000/- रुपये और सिद्ध पद्धति से संबंधित 10,000/- रुपये तक की रकम ले सकेंगे। यह ऋण 14 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से 18 से 24 महीनों में वापिस किया जा सकेगा।
23. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	इस बैंक की एक योजना है जिसके अन्तर्गत चिकित्सा और दन्त चिकित्सा स्नातकों को अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए सहायता दी जाती है। प्रत्येक चिकित्सक को 25,000/- रुपये तथा दन्त चिकित्सक को 22,0C0/- रुपये तक का अधिकतम ऋण दिया जा सकता है जिस पर स्टेट बैंक के अग्रिम पर 10 प्रतिशत ब्याज की न्यूनतम दर से 1½ प्रतिशत ब्याज अधिक लिया जाता है।
24. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	यह बैंक डाक्टरों/दन्त चिकित्सकों को अर्ध-शहरी इलाकों में, जहां उनके लिये उन्नति के अच्छे अवसर हैं और जहाँ चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। वह औषधालय/क्लिनिक बैंक कार्यालय से अधिक दूर नहीं होना चाहिए अर्थात कार्यालय से 15 किलोमीटर के घेरे के अन्दर अन्दर होना चाहिए। किसी एक चिकित्सक के लिए अग्रिम की अधिकतम सीमा 25,000/- रुपये और एक दन्त चिकित्सक के लिये 30,000/- रुपये है जिस पर स्टेट बैंक के अग्रिम पर 15 65 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 0.85 प्रतिशत ब्याज कम लिया जाता है। इस अग्रिम को वापिस करने की अवधि

1	2
	चिकित्सक के लिए 7½ वर्ष और दन्त चिकित्सक के लिये 8½ वर्ष है जिसमें चिकित्सक के लिए 1½ वर्ष और दन्त चिकित्सक के लिये 2 वर्ष की आरम्भिक अवधि भी शामिल है।
25. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	इस बैंक की चिकित्सा और दन्त चिकित्सा स्नातकों द्वारा ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी इलाकों में अपने औषधालय खोलने के लिए एक योजना है। इस योजना के पात्र ऐसे चिकित्सक भी हैं जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को छोड़कर अन्य चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी के चिकित्सक हैं और जिनके पास मान्यता प्राप्त अर्हताएं हैं। यह औषधालय/क्लिनिक नगर पालिका अथवा पंचायत की सीमा के अन्दर अथवा बैंक शाखा से 15 किलो मीटर के घेरे के अन्दर-अन्दर होना चाहिए। कुल योग किसी भी हालत में 25,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आमतौर पर कोई सीमा नहीं रखी जाती है। ऋण वापिस करने की अवधि 1½ से 2 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि समेत चिकित्सकों के लिए 7½ वर्ष तक बढ़ाई जाती है। चिकित्सकों को जीपें/मोटर वाहनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, यदि बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि निजी वाहन की जरूरत है और इस चिकित्सक के पास पहले से ही कोई गाड़ी नहीं है।
26. स्टेट बैंक आफ पटियाला	इस बैंक ने चिकित्सकों की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। ऋण की रकम प्रत्येक चिकित्सक की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। लेकिन यह रकम उपकरण खरीदने तथा कार्य पूंजी की आवश्यकता दोनों को मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमुख रूप से सुरक्षा के लिए स्टाक/उपकरणों की चोरी तथा आग द्वारा नुकसान/हानि की बीमा किया जाना चाहिए और यह सीमा बैंक और उधार लेने वाले व्यक्ति दोनों के नाम संयुक्त रूप से होगा।

विदेश भेजने के लिये पत्रकारों का चयन

4372. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में "अदला-बदली कार्यक्रम" के अन्तर्गत कितने भारतीय पत्रकारों को विदेश भेजा गया, किन-किन विदेशों में कितनी-कितनी अवधि के लिए भेजा गया तथा भेजे गए पत्रकारों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे पत्रकारों का अन्तिम चयन और जांच विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, न कि प्रेस समाचार ब्यूरो द्वारा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान नीति में परिवर्तन करेगी और प्रेस समाचार ब्यूरो से विदेशी अदला बदली कार्यक्रम के लिए केवल पत्रकारों की सूची भेजने को कहेगी तथा अन्तिम चयन विदेश मंत्रालय करेगा; और

(घ) सरकार ऐसे पत्रकारों की विदेश यात्रा की राष्ट्रीय हित में किस प्रकार निगरानी रखेगी और उन्हें लाभकारी बनाएगी।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) 1980 और 1981 में विदेशों में भेजे गए पत्रकारों की संख्या का **विवरण संलग्न** है।

(ख) अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत पत्रकारों के आदान-प्रदान कार्यक्रम को क्रियान्वित करना पत्र सूचना कार्यालय की जिम्मेदारी है जो कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध है। लेकिन पत्र सूचना कार्यालय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश जाने वाले पत्रकारों का चुनाव अपने आप नहीं करता। पत्र सूचना कार्यालय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश जाने वाले पत्रकारों का चुनाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संबद्ध भारतीय राजदूतावासों के परामर्श से करता है।

(ग) चूंकि वर्तमान व्यवस्था सन्तोष जनक है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश जाने वाले पत्रकारों और भारत में आने वाले विदेशी पत्रकारों की यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से अनिवार्य रूप से स्वीकृति ली जाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन ऐसी प्रत्येक यात्रा से सम्बद्ध रहते हैं और इन यात्राओं के संबंध में अपने विचार और रिपोर्टें नियमित रूप से विदेश मन्त्रालय को भेजते हैं जिससे भारत सरकार को देश के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे अदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत की जाने वाली यात्राओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।

विवरण

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1980 से नवम्बर, 1981 के बीच विदेशों में भेजे गए पत्रकारों का ब्यौरा :

क्रम सं.	पत्रकार का नाम	जिस समाचार-पत्र, का प्रतिनिधि है। उसका नाम	जिस देश को भेजा गया	यात्रा की अवधि
1.	श्री राजेश्वर राव	"आन्ध्र पत्रिका" तेलुगु (दैनिक) विजयवाड़ा	वियतनाम	4 मार्च, 1980 से 15 मार्च, 1980

1	2	3	4	5
2.	श्री विनोदा नन्द ठाकुर	"आर्यावर्त" हिन्दी (दैनिक) पटना	मंगोलिया	25 जून, 1980 से 4 जुलाई, 1980
3.	श्री वी. एन. नायर	"केरल कौमुदी" (मलयालम), दैनिक	सोवियत संघ	27 मार्च, 1981 से 7 अप्रैल, 1981
4.	श्री डी. के. जोशी	"समाज" (उड़िया) (दैनिक) कटक	चैकोस्लावाकिया	25 मई, 1980 से 5 जून, 1981

रेलवे अधिनियम का संशोधन

4373. **श्री मूल चन्द डागा** :क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने रेलवे अधिनियम का संशोधन करने संबंधी विधेयक को कब प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) अभी तक इसे प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेल अधिनियम संशोधन करने के बारे में एक व्यापक बिल 1982 में संसद में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

(ख) समूचे भारतीय रेल अधिनियम की समीक्षा करना एक वृहद कार्य है, क्योंकि इसके लिए रेलवे के कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन, अन्तर्विभागीय/अनुशासनात्मक संदर्भ तथा परामर्श अपेक्षित हैं। रेल अधिनियम में संशोधन के सिलसिले में विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के साथ बार-बार परामर्श करना भी आवश्यक हो गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वैध पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। इस काम में काफी प्रगति हो चुकी है।

आई. ई. टी. ई. और जनसंचार संस्थान में पढ़ाये वाले विषय

4374. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आई. ई. टी. ई. और जन संचार संस्थानों में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) क्या उन्हें प्राप्त मान्यताओं में कोई अन्तर है;

(ग) क्या दोनों संस्थाओं को बराबर की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

"वर्ष 1953 में स्थापित इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूर-संचार इन्जीनियर संसथा, इलेक्ट्रोनिक्स और दूर संचार के क्षेत्र में एक व्यावसायिक संगठन है तथा सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1060 के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। यह स्नातक परीक्षा (ग्रेड आई. ई. टी. ई.) आयोजित करता है जिसमें दो ए (भाग 1 और (2) तथा बी सैक्शन है। स्नातक परीक्षा के सैक्शन (ए) में निम्नलिखित 8 प्रश्न पत्र होते हैं :—

भाग-1
1. गणित
2. इन्जीनिरिंग ड्रांइग
3. प्रयुक्त मैकेनिक्स
4. इन्जीनिरिंग सामग्री

भाग-2
5. विद्युत इन्जीनियरी
6. प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स तथा सरकुइट्स
7. सरकुइट्स थ्योरी
8. संचार में इंजीनियरी के सिद्धान्त।

2- सैक्शन (बी) में एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र ("इंजीनियरिंग कास्टिंग तथा कॉस्ट अकाउंटिंग") तथा निम्नलिखित समूहों में से किसी भी समूह में से दो प्रश्न-पत्र होते हैं :

समूह-एक
1. एन्टीना एण्ड वेव प्रोपेसेशन,
2. प्रसारण तथा टेलीविजन प्रणालियां (एकास्टील इन्जीनियरी सहित)
3. नियंत्रा इन्जीनियरी
4. संगणक इन्जीनियरी
5. इलेक्ट्रोनिक्स माप

समूह-दो
1. एन्टीना तथा वेव प्रोफेपेशन
2. रेडिया संचार प्रणालियां
3. राडार इंजीनियरी तथा नौ-संचालन के लिये रेडियो सहायक
4. नियंत्रण इंजीनियरी
5. संगणक इन्जीनियरी
6. इलेक्ट्रोनिक्स माप

समूह-तीन
1. टेलीग्राफी एंड टेलीफोन
2. केरियर करेन्ट इन्जीनियरी
3. माइक्रो वेव संचार प्रणालियाँ
4. नियंत्रण इन्जीनियरी
5. संगणक इन्जीनियरी
6. इलेक्ट्रोनिक्स माप

समूह-चार
1. औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स
2. रेडियो संचार प्रणालियाँ

3. राडार इन्जीनियरी तथा (नौ) संचालन में रेडियो सहायक
4. माइक्रो वेव संचार प्रणालियां
5. नियंत्रण इन्जीनियरी
6. संगणक इन्जीनियरी
7. इलेक्ट्रोनिक्स माप

3. तत्कालीन तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पदों तथा सेवाओं की भर्ती के प्रयोजनार्थ आई. ई. टी. ई. की स्नातक परीक्षा को वर्ष 1979 में मान्यता प्रदान की थी।

4. संगठन अपनी परीक्षाएं दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा भारत के विभिन्न शहरों में स्थित शाखाओं (स्थानीय केन्द्रों), दोनों के जरिए आयोजित करता है।

5. संगठन कोई नियमित पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता है, किन्तु परीक्षा के सैक्शन ए के भाग II के लिए पत्राचार पाठ्क्रम प्रदान करता है।

6. संस्थान को भारत सरकार, इलैक्ट्रोनिक्स आन्तरिक्ष और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष तदर्थ अनुदान दिया जाता है। सस्थान को 1973 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपने मुख्यालय कार्यालय के भवन निर्माण के लिये व्याज रहित 10 लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

दो "भारतीय जन-संचार संस्थान" नई दिल्ली वर्ष 1965 में स्थापित एक प्रशिक्षण-एवं अनुसंस्थान है। यह भारत सरकार, सूचना और प्रसारण नंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित पोषित एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान ने जून, 1979 में अपने दो पाठ्क्रमों (1) पत्रकारिता में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा (2) समाचार ऐजेन्सी पत्रकारिता पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिये शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया। भारत सरकार ने 16 मई, 1980 को शैक्षिक अर्हता के लिए मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर (क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत उपयुक्त ग्रेड में वरिष्ठ पदों तथा सेवाओं की भर्ती के प्रयोचन के लिये, अभिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पदों तथा सेवाओं की भर्ती के प्रयोजन के लिये, बशर्ते कि प्रवेश के लिए कम से कम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है, अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये समाचार एजेन्सी पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की।

2. इन दो पाठ्यक्रमों के लिये विभिन्न प्रश्न पत्र निम्नलिखित हैं :-

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोम पाठ्क्रम :-

प्रश्न पत्र—1 सम्पादन
" —2 रिपोर्टिंग
" —3 तैयार करना और प्रकाशन
" —4 पत्रकारिता का इतिहास
" —5 प्रसारण पत्रकारिता
" —6 फिल्म तथा दृश्य संचार

,, —7 विज्ञापन तथा जन–सम्पर्क

,, —8 संचार सिद्धान्त तथा अनुसंधान

,, —9 विकास संचार

,, —10 समकालीन विषय

,, —11 टंकण तथा आशुलिपि

,, —12 परियोजना अध्ययन

समाचार ऐजेन्सी पत्रकारिता में डिप्लोमा :

प्रश्न पत्र —1 विकास तथा संचार

,, —2 समाचार एजेन्सी तकनीकी

,, —3 आयोजनों तथा प्रबन्ध

,, —4 प्रेषण सम्बन्धी समस्यायें

,, —5 कानूनी ढांचा

3. संस्थान चलाए जाने वाले उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष की अवधि के पूर्ण कालिक पाठ्क्रम हैं।

विदेशी दूतावासों द्वारा स्थनीय छापाखानों को भुगतान

4376. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ऐसे कई विदेशी दूतावासों पर पूर्णत: कोई नियंत्रण नहीं है, जो दूतावास के पत्र पत्रिकाओं की छपाई और उनमें प्रयुक्त कागज के बढ़ा-चढ़ा कर बनाए गये बिलों का स्थानीय छापाखानों को भुगतान कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिल सौ-गुणा तक भी बढ़ा हुआ हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में संबंधित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) विश्व में कहीं भी ऐसी सामान्य राजनयिक प्रक्रिया नहीं है कि किसी देश में आवासी विदेशी राजनयिक मिशनों पर, उनके प्रकाशनों के मुद्राणार्थ स्थानीय मुद्रणालयों को उनके द्वारा उपयुक्त भुगतान किये जाने के मामले में कोई नियंत्रण या पर्यवेक्षण किया जाये। भारत में भी ऐसा ही है। भारत स्थित राजनयिक मिशनों ने अपने प्रकाशनों के मुद्राणार्थ भारत मुद्रणालयों और एजेंसियों के साथ अपने प्रबंध कर रखे हैं। इसे संबंथित राजनयिक मिशन और मुद्रणालय के बीच वाणिज्यिक लेन देन समझा जाता है। स्वीकृत राजनयिक नियमों तथा परिपाटियों के अन्तर्गत भारत सरकार इस प्रक्रिया में हस्तेक्षेप नहीं करती।

(ख) और (ग) सरकार ने इससिलसिले में कुछ अखबारों में खबरें देखी हैं। लेकिन चूंकि यह वाणिज्यिक लेन देन भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों और निजी पार्टियों के बीच होता है इसलिये सरकार ने इस मामले में कोई सामान्य जाँच पड़ताल नहीं की है। परन्तु यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि किसी ऐसे लेने देन से भारत के हितोंपर बुरा असर पड़ता है, तो सरकार के पास सुधारक कार्यवाई करने के आवश्यक साधन हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. असम	*	*	*	*	*	*	*	*
3. बिहार	450	—	7	—	—	—	—	—
4. गुजरात	44	—	—	1	—	—	—	—
5. हरियाणा	*	*	*	*	*	*	*	*
6. हिमाचल प्रदेश	6	—	3	—	13	—	—	—
7. जम्मू और काश्मीर	3	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	11	—	16	1	—	—	—	—
9. केरल	24	—	—	—	—	—	—	—
10. म. प्रदेश	2,600	470	—	42	—	—	—	—
11. महाराष्ट्र	33	—	3	15	—	—	—	—
12. मणिपुर	*	*	*	*	*	*	*	*
13. मेघालय	22	37	18	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	11	—	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	379	106	2	—	—	—	—	—
16. पंजाब	—	—	—	—	1	—	—	—
17. राजस्थान	60	15	19	—	24	—	—	—
18. सिक्किम	2	—	1	—	8	—	1	—
19. तमिलनाडु	10	—	—	—	—	—	—	—
20. त्रिपुरा	37	8	14	—	7	1	2	—
21. उत्तर प्रदेश	45	35	13	3	—	—	—	—
22. पश्चिमी वंगाल	143	—	—	—	300	—	—	—
23. अंडमान एवं निकोवार द्वीप समूह	2	—	1	—	—	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	20	—	—	3	—	—	—	—
25. चण्ड़ीगढ़	*	*	*	*	*	*	*	*
26. दादरा और नागर हवेली	*	*	*	*	*	*	*	*
27. दिल्ली	*	*	*	*	*	*	*	*
28. गोवा दमन एवं द्वीव	2	—	—	—	—	—	—	—
29. लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. मिजोरम	82	—	—	—	—	—	—	—
31. पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	—	—
कुल भारत	4,007	671	97	65	353	1	3	—

* संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कोई सरकारी स्कूल नहीं खोला गया था।

बृद्ध तथा अक्षम लोगों को सुविधायें उपलब्ध कराने के पृथक मंत्रालय

4381. **श्री मधाव राव सिंधिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस जैसे कुछ देशों में वृद्ध तथा अक्षम लोगों को अपने समय का सदुपयोग करने के लिए योजनाएं बनाने तथा इन्हें क्रियान्वित करने तथा ऐसे लोगों हेतु पर्यटन, यात्रा और मनोरंजन एवं पिकनिकों के लिए राज सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक पृथक मन्त्रालय है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में ऐसे मन्त्रालय तथा विभाग बनाए गये हैं;

(ग) क्या भारत में वृद्ध तथा अक्षम लोगों के भरण-पोषण और मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध करने हेतु ऐसे किसी मंत्रालय/विभाग की स्थापना का विचार है, यदि हां, तो ऐसे विभाग की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) हाल के जनगणना आँकड़ों के अनुसार ऐसे वृद्ध और अक्षम लोगों की अनुमानित जनसंख्या क्या है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत सरकार ऐसी जानकारी नहीं रखती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 1971 की जनगणना के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 3.26 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अक्षम लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सुतहता स्टेशन का बनाया जाना

4382. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन पर सुतहता स्टेशन को बनाये जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालायों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पांशकुडा-हल्दिया शाखा लाइन के खुल जाने पर, वहाँ 9 स्टेशन खोलने का प्रस्ताव था जिसमें से 6 स्टेशन यातायात के लिए खोले गये थे। केलोमल, सुतहता और केशवपुर नामक शेष 3 स्टेशनों को वित्तीय कारणों से नहीं खोला गया था। बाद में, पुनः समीक्षा करने पर भी इस प्रस्ताव को अलाभप्रद पाया गया था और यह पाया गया था कि इनसे

रेलों को भारी आवर्ती वित्तीय हानि होगी। फिर भी इस प्रस्ताव पर क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा पुनः विचार किया जायेगा।

केलोमल स्टेशनों का बनाया जाना

4383. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे के पसुकरे-हाल्दिया सेक्शन पर केलोमल में स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पांशकुडा-हल्दिया शाखा लाइन के खुल जाने पर, वहाँ 9 स्टेशन खोलने का प्रस्ताव था जिनमें से 6 स्टेशन यातायात के लिए खोले गये थे। केलोमल, सुतहता और केशवपुर नामक शेष 3 स्टेशनों को वित्तीय कारणों से नहीं खोला गया था। बाद में, पुनः समीक्षा करने पर भी इस प्रस्ताव को अलाभप्रद पाया गया था और यह पाया गया था कि इनमें रेलों को भारी आवर्ती वित्तीय हानि होगी। फिर भी, इस प्रस्ताव पर क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा पुनः विचार किया जायेगा।

कोयले की ढुलाई के लिये रेक का आबंटन

4384. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए कोयले, सीमेंट, लोहा तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए गत दो वर्षों के दौरान रेलवे के विभिन्न विभागों द्वारा कितने रेक आबटित किए गए, उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए गए कच्चे माल, कोयला सीमेंट, लोहा तथा अन्य वस्तुओं की स्वीकृत मात्रा में ढुलाई के लिए गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक एककों को वैगन सप्लाई किए गये हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यों को कितने वैगनों की आवश्यकता थी और उनमें से उनको वास्तव में कितने/वैगन सप्लाई किए गये और दिल्ली के सम्बन्ध में इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान माल डिब्बों के हिसाब से विभिन्न पण्यों का लदान इस प्रकार रहा :

(माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या)
बड़ी लाइन + मीटर लाइन

वर्ष	कोयला	सीमेंट	लोहा	अन्य	जोड़
1980-81	9165	1209	1242	16708	28322
1981-82 (अक्तूबर तक)	9881	1231	1323	17563	29998

(ख) और (ग) 1980-81 के दौरान, कोयला, सीमेंट, लोहा अयस्क, आदि माल की ढुलाई के लिए, माल डिब्बे कम मात्रा में उपलब्ध कराये गए। 1981-82 के दौरान स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की कोयला और अन्य कच्चे माल की आवश्यकता अब मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद समुचित समय के भीतर सन्तोषप्रद रूप से पूरी की जा रही है। लेकिन रेलें अलग-अलग राज्यों को माल डिब्बा सम्बन्धी आवश्यकताओं और लदान के आंकड़े नहीं रखती।

दिल्ली के कालेजों में अध्यापन में कमियां

4385. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "लिटल टीचिंग इन दिल्ली कालेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और शिक्षण स्टाफ में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शैक्षिक अर्हताओं रहित राजनीतिज्ञों को दिल्ली प्रशासन द्वारा नियन्त्रित शासी निकायों से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री अनिलकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान, विश्वविद्यालय के सभी अथवा स्नातक कालेजों में शिक्षण कार्यक्रमों में कोई अव्यवस्था नहीं रही है। तथापि, बहुत से कालेजों सहित जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है, ऐसा हो सकता है कि छात्र संघ के चुनावों अथवा अन्य मामूली स्थानीय समस्याओं के कारण प्रथम सत्र में एक अथवा दूसरे कालेज में पढ़ाई के समय (पिरियडों) का नुकसान हुआ हो। अवसर आने पर ऐसी क्षति को पूरा करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। कालेजों में शिक्षण स्टाफ की बिल्कुल कमी नहीं है। तथापि कुछ कालेजों में पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के आधार पर कुछ छुटफुट व्यवस्थाएं करनी होंगी।

(ग) ऐसी कोई सांविधिक व्यवस्था नहीं है, जो कालेज के शासी निकायों के सदस्यों के लिए कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित करती हो। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के बीच हुए करार के अनुसार दिल्ली प्रशासन के सभी कालेजों के शासी निकायों के 50% नामित व्यक्ति प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित एक नामिका में से मनोनीत किए जाते हैं। शेष 50 % व्यक्ति प्रशासन के अपने विवेक पर मनोनीत किए जाते हैं। इन कालेजों के शासी निकाय से किसी सदस्य को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन, मदुरै का पत्र

4386. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन, मदुरै का दिनांक 17 सितम्बर, 1981 का पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने पत्र और ज्ञापन दोनों पर क्या कार्यवाही की ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। वहरहाल अभ्यावेदन 7-9-81 की तारीख का है न कि 17-9-1981 का अभ्यावेदन में श्री कालासामी, चौकीदार, जिन्हें मदुरै में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं, को वहीं पर रोके रखने तथा सर्वश्री सैमुअल तथा कुमारेसन, लिपिकों के क्रमश: शिवकाशी और शिवगंगा के लिए स्थानान्तरण आदेशों को लागू करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

(ग) इस मामले पर विचार किया है परन्तु अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

अलीपुर द्वारा स्टेशन पर यानान्तरण तथा पार्सल कर्मचारियों की मजूरी का भुगतान न किया जाना

4387. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को अलीपुर द्वारा जंक्शन स्टेशन पर यानान्तरण और पार्सल कर्मचारियों की मजूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में 24 सितम्बर, 1981 और 15 अक्तूबर, 1981 को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस अनुचित श्रम पद्धति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टरी देखभाल से अन्धेपन की रोकथाम

4388. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. ए, पी, बालिगा फाउण्डेशन द्वारा आयोजित प्रिवेंशन आफ ब्लाइण्डनेस एमंग चिल्ड्रेन (बच्चों में अन्धेपन की रोकथाम) सेमीनार में वक्ताओं ने बताया था कि देश के 90 लाख अन्धे व्यक्तियों में से कम से कम 80 प्रतिशत व्यक्तियों का, यदि समय पर उचित डाक्टरी देखभाल की जाये तो, इलाज किया जा सकता है या उनको अन्धा होने से रोका जा सकता है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि 1-5 वर्ष के आयु वर्ग के 7 से 8 प्रतिशत तक बच्चों को, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के आयु वर्ग के 10 प्रतिशत होते हैं, यदि बहुत लम्बे समय तक बिना इलाज किये या कुपोषित छोड़ दिया जाता है तो उनमें विटामीन "ए' की कमी के दृष्टि सम्बन्धी रक्षण उत्पन्न हो जाते हैं;

(ग) क्या वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया था कि जन्मजात कमियों के कुछ मामलों

को छोड़ कर लगभग सभी मामलों में बच्चों में समय पर उपचार करने से अन्धेपन की रोकथाम सम्भव है; और

(घ) यदि हां तो स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेषकर अन्धेपन से बचने के लिये क्या निवारक और उपचारीय उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता की रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने एक रोग-निरोधी कार्यक्रम शुरू किया जिसके अंतर्गत एक से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को तेल में मिली विटामिन "ए" की दो लाख अंतरराष्ट्रीय यूनिटें एक वर्ष में दो बार दी जाती हैं। भारत सरकार ये दृष्टिहीनता नियंत्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया था ताकि बाहरी क्षेत्रों से लेकर उच्चतम स्तर तक के क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या की व्यापक सेवाएं प्रदान की जा सकें। अस्थायी संचाय के रूप में त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल यूनिटों के माध्यम से नेत्र परिचर्या की व्यापक सेवाए तत्काल उपलब्ध की जाती हैं। मोबाइल यूनिटों के कार्यों में स्कूली बच्चों की जाँच करना शामिल है। बाहरी, मध्यवर्ती अथवा केन्द्रीय स्तर पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं की तीन टियर पद्धति में नेत्र परिचर्या के लिए स्थायी आधारभूत ढाँचा तैयार किया जा रहा है।

पोतच्युत भारतीयों की वापसी

4389. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पोतच्युत भारतीयों की वापसी के बारे में दिनांक 12 नवम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में हैरोइंग टेल आफ इण्डिन कास्टावेज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या छः व्यक्ति इविश द्वीप पर उत्तर पश्चिम तट पर पश्चिम आस्ट्रेलिया से दूर निर्जन द्वीप में नवम्बर, 1981 को एक टिमोरेज मत्स्य नौका से उतार दिये गये थे;

(ग) क्या इन लोगों ने भारत वापस आना चाहा था तथा वे अपने घर लौटने के लिए आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त से यात्रा प्रपत्रों तथा वित्तीय सहायता हेतु लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पोतच्युत भारतीयों के सम्बन्ध में नवीनतम रिपोर्ट क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आस्ट्रेलिया सरकार ने जब हमारे हाईकमीशन को इस सम्बन्ध में सूचना दी उसी समय इन व्यक्तियों से मिलने के लिए एक अधिकारी को भेजा गया था। उनकी राष्ट्रिकता की जाँच करने और अन्य अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने के बाद सरकारी खर्च पर उन्हें भारत वापस भेजने के आवश्यक प्रबंध किए गए थे। उन सभी व्यक्तियों को उनकी

वापसी यात्रा के लिए यात्रा-दस्तावेज दे दिए गए थे और वे 18 नवम्बर, 1981 को भारत पहुंच गए थे।

दिल्ली को धनवापसी शाखा के क्लर्कों को वरिष्ठता

4390. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ सबजज, दिल्ली के आदेश पर अन्य रेलवे विभागों से उत्तर रेलवे में पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किये गये धन वापसी शाखा, दिल्ली के क्लर्कों को उनकी भरती की तारीख से वरिष्ठता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किये गये धन वापसी शाखा दिल्ली के अन्य क्लर्कों को ऐसी वरिष्ठता न देने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे को रिफण्ड शाखा में कार्यरत कोई भी क्लर्क वरिष्ठ सब-जज, दिल्ली के आदेश पर अन्य रेलवे से नहीं आया है और न ही रिफण्ड शाखा में पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानान्तरित किसी कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की मूल तारीख से वरिष्ठता दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की वरीयता

4391. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्रेलवे परस्पर स्थानान्तरण के समय कर्मचारियों की वरीयता पर विचार करने के लिए वर्ष 1961 से पूर्व क्या मानदण्ड अपनाए जाते थे, और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तर रेलवे को धनवापसी शाखा (रिफण्ड ब्रांच) में इस प्रकार ऐसे कितने-कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ था, जिन्हें सिपियों में क्रमशः अपनी नियुक्ति की तारीख से तथा सेवा में प्रवेश की तारीख से वरीयता प्रदान की गई थी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16-5-1961 से पहले अन्य रेलों से उत्तर रेलवे में पारस्परिक अदला बदली के आधार पर स्थानान्तरित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची संगत ग्रेड में सभी मौजूदा स्थायी और स्थानापन्न कर्मचारियों के नीचे कार्यग्रहण की तिथि से विनियमित की जाती थी।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तर रेलवे की रिफण्ड शाखा में 16-5-1961 से पहले स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या 5 है। उन सभी की वरिष्ठता उपर्युक्त आधार पर उत्तर रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निर्धारित की गयी है।

आयुर्वेद और होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां

4392. **श्रीराम अवध** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोले गए हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, पुणे, बम्बई, जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ में आयुर्वेद और होम्योपैथी के यूनिट खोलने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-७ और 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ योजना के अधीन खोले गये आयुर्वेद/होम्योपैथी के यूनिटों का ब्यौरा।

शहर का नाम	आयुर्वेद यूनिट आयुर्वेद यूदिट का नाम	खुलने को तारीख
दिल्ली	1. हरिनगर	18.11.80
	2. जंगपुरा	9.1.81
	3. गुडगांव	27.1.81
	4. किंग्जवे कैम्प	10.2.81
	5. एस. बी. रोड	27.3.71
	6. लक्ष्मी नगर	28.3.81
बम्बई	1. सान्ताक्रूज	24.3.80
पुणे	1. छावनी	10.11.80
जयपुर	1. स्टेशन रोड	15.9.78
अहमदाबाद	1. शाहपुर गेट	2.5.80
लखनऊ	1. ऐश बाग	21.8.80
	होम्योपैथी के यूनिट	
दिल्ली	1. शाहदरा	1.2.79
	2. कस्तूरबा गगर	1.3.79
	3. रजोरी गार्डन	25.9.78
	4. हरिनगर	18.11.80
	5. कालकाजी	12.1.81
	6. तीमारपुर	10.2.81
बम्बई	1. कोलीवाड़ा	9.3.81
पुणे	1. रस्तापेठ	31.3.80
जयपुर	1. जनता कालोनी	21.8.79
अहमदाबाद	1. शाहपुर गेट	15.5.80

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लखनऊ स्थित औषधालयों में अनुसूचित जाति/अनु सूचित जन जाति के कोटे का भरा जाना

4393. **श्री राम अवध** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लखनऊ स्थित सभी औषधालयों में अनु सूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सभी श्रेणियों में आरक्षित कोटे को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटे के अन्तर्गत स्थित पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये पद कब तक भर लिये जायेंगे और तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकसित देशों की तुलना में अपने देश में शिशु मृत्यु की दर

4394. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में अपने देश में शिशु मृत्यु की दर कितनी है ;

(ख) गुजरात में शिशु मृत्यु दर कितनी है;

(ग) सबसे अधिक और सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) शिशु मृत्यु दर के मामले में गुजरात का नम्बर कौन सा है;

(ड.) देश में शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक होने के क्या कारण हैं, और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/;और

(च) देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग न करने के क्या कारण हैं और क्या वह इस उद्देश्य के लिए निधारित मानदण्डों की पुष्टि करता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति के नमूना यूनिटों ने 1979 में जो सर्वेक्षण किया था उसके अनुसार भारत में 1978 में शिशु मृत्यु-दर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 126 थी। पश्चिम के कुछेक विकसित देशों की शिशु मृत्यु दरें, जो कि "वर्ल्ड पापुलेशन 1977-रिसेंट डेमोग्राफिक एस्टीमेटस् फार दा कन्ट्रीज एंड रीजन्ज आफ दा बर्ल्ड, यू. एस. ब्यूरो आफ सेंसिस" के प्रकाशन में दी गयी है, । इस प्रकार है:-

देश का नाम	वर्ष	शिशु मृत्यु-दर
यू. एस. ए·	1676	15
जापान	1975	10
नार्वे	1976	10
स्पेन	1976	16
स्वीडन	1976	8
यू. के.	1976	14
आस्ट्रेलिया	1975	14
न्यूजीलैंड	1976	16

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 1978 में शिशु मृत्यु-दर प्रति हजार जी-वित जन्मों के पीछे 118 थी।

(ग) 1978 में जिन बड़े-बड़े राज्यों में शिशु मृत्यु-दर सबसे अधिक और सबसे कम थी वे क्रमशः उत्तर प्रदेश (167) और केरल (39) थे।

(घ) 1978 के दौरान बड़े राज्यों में शिशु मृत्यु दर में गुजरात का 5 वां स्थान था।

(ङ) शिशु मृत्यु की अधिक दर के महत्पूर्ण कारण इस प्रकार हैं :

1. गर्भ की अपक्वता में जन्म होना
2. अन्तगर्भाशय श्वासविरोध।
3. प्रसव क्षतियां।
4. जन्मजात विकृतियां
5. टेटनस
6. श्वसन रोग
7. जठरांत्र संक्रमण
8. शैशव अवस्था में ही होने वाले रोग।
9. अत्यधिक कुपोषण।

इसे कम करने के लिये जो उपाय किये गये हैं वे विवरण में दिये गये हैं।

(च) स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिये कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं हैं। सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों, बिशेष कर कम साक्षरता और खराब संचार तथा यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये देश में उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधाओं का जहां तक व्यावहार्य इस्तेमाल किया जा रहा है।

विवरण

देश में शिशु मृत्यु-दर को कम करने के लिए किये गये उपाय

शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने जो विभिन्न उपाय किए हैं वे इस प्रकार हैं :

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों, तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों की स्थापना करके जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विस्तार किया गया है और किया जा रहा है।

2. पारम्परिक दाइयों के प्रशिक्षण का काम जो गांवों में प्रसव करती हैं तेज कर दिया गया है ताकि एक हजार जनसंख्या वाले गांवों के लिए भी स्वस्थ प्रसर करवाने के लिए एक-एक प्रशिक्षित दाई हो जाए।

3. उपकेन्द्रों में रहने वाली सहायक नर्सें और मिडवाइफें महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करती हैं। आशा है कि सातवीं योजना के अंत तक सारे देश में पांच हजार जनसंख्या के पीछे एक-एक उपकेन्द्र खोल दिया जाएगा। छठी योजना में इसका 74 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा।

कुछेक चुनींदा क्षेत्रों में दाइयों के सक्रिय सहयोग से जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को तेज किया जा रहा है।

सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए विशेष क्लीनिक खोले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित रूप से परीक्षण करने के अतिरिक्त ये क्लीनिक निवारक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा भी देते हैं।

6. देश के कई भागों में प्रसव के समय और उसके बाद होने वाला टेटनेस नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण बन जाता है, उससे बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके लगाए जाते हैं। नवजात शिशुओं को टी. बी., डिप्थीरिया, काली-खांसी और टेटनस से बचाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खसरा, टाइफाइड और पोलियों से बच्चों का प्रतिरक्षण करने के प्रबन्ध भी किए गए हैं। इन सभी वर्गों के प्रतिरक्षण कार्यक्रम को वर्षानुवर्ष तेज किया जा रहा है।

7. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं में अपोषण-अरक्तता अधिकतर विद्यमान है। महिलाओं और बच्चों को अपोषण अरक्तता से बचाने के लिए एक योजना चल रही है।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को चुनींदा जिला मुख्यालयों/अस्पतालों में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

9. समाज कल्याण मंत्रालय ने 200 विकास खन्डों में विशिष्ट एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शुरू की है। ये परियोजनाएं आदिवासी और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की गन्दी बस्तियों में कार्यान्वित की गई हैं और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

संक्रामक रोगों में बृद्धि

4395, **श्री आर. पी. गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अभी हाल के वर्षों में संक्रामक रोग होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, संक्रामक रोग होने की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) संक्रामक रोगों पर काबू पाने तथा इनके उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए संचारी रोगों का नियंत्रण करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। देश में लोगों की रुग्णता उनकी मौत के जिम्मेदार महत्वपूर्ण

संचारी रोगों की रोकथाम के लिए देश भर में प्रत्येक रोग से सम्बन्धित स्थानिकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मलेरिला—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।

(2) फाइलेरिया—राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ।

(3) कुष्ठ रोग—राष्ट्रीय कुष्ठ-रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(4) क्षय रोग—राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(5) अन्धता ट्रकोमा राष्ट्रीय अन्धता निधंत्रण कार्यक्रम ।

(6) डायोरहील रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रसूति और शिशु कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में ।

(7) राष्ट्रीय सम्भाग जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(8) रोग क्षमीकरण का विस्तृत कार्यक्रम जिसमें टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया पोलियो बचपन में क्षय-रोग और अन्त्र ज्वर भी शामिल है ।

(9) गिनी-वार्म उन्मूलन की एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। 3. इन कार्यक्रमों के बारे में राज्यों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए योजना आयोग और वित्त मत्रालय परामर्श से अनुमोदित पैटर्न के अनुसार तकनीकी सलाह/मार्गदर्शन, साज-सामान की सप्लाई, प्रशिक्षण मूल्यांकन आदि की सहायता दी जाती है ।

पानीपत लेवल क्रासिंग पर ओवर ब्रिज

4396. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत में वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलें संयुक्त रूप से राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों के साथ व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत वहन करने के आधार पर करती हैं जिसके लिए उन्हें ठोस प्रस्ताव देने होते हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार लागत का लगभग 50 प्रतिशत वहन करने की वचनबद्धता देनी होती है । पानीपत में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के लिए राज्य-सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है ।

रेलवे में श्रम सम्बन्ध बिगड़ना

4397. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान रेलवे में श्रम सम्बन्धों में गिरावट के बारे में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के एक पत्र के माध्यम से दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे में स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय दिनांक 14-9-1981 को श्री समर मुखर्जी. संसद सदस्य द्वारा भेजे गये पत्र से है जिसके साथ उन्होंने पूर्व रेलवे के एक गैर-मान्यता प्राप्त सगठन द्वारा पारित कुछ संकल्प भेजे थे। इन्हीं संसद सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न स. 287 भी इसी सम्बन्ध में था, जिसका उत्तर 10-12-1981 को लोक सभा में दे दिया गया था। सरकार ऐसा नहीं समझती कि रेलों पर श्रमिक सम्बन्धों में कोई गिरावट आई है।

आसनसोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधायें

4398. **श्री बासुदेव आचार्य :**

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आसनसोल स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आसनसोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के भाग-I को रेलवे द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है और आशा है कि वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। रिपोर्ट का भाग-II लगभग तीन महीने में प्राप्त होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास सबंधी निर्माण कार्य

4399. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्य कम हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में और अधिक धनराशि खर्च करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नई लाइनें बिछाने, मौजूदा लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा दोहरी लाइनें बिछाने आदि जैसे रेलवे विकास से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की योजना अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाती है तथा इन कार्यों को निष्पादित किया जाता है। ऐसा करते समय विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इन कार्यों को करने के लिए राज्यवार योजना नहीं बनाई जाती है। अतः इन मामलों में किसी राज्य अथवा राज्यों के साथ भेदभाव बरतने का प्रश्न नहीं उठता।

2. पश्चिम बंगाल में रेलों के विकास के बारे में सामान्य बोध निम्नलिखित आंकड़ों से हो सकता है जिनमें राज्य के भीतर उपलब्ध रेल यातायात की सुविधा से तथा उनमें की गई वृद्धि दिखाई गई है :—

विवरण	पश्चिम बंगाल	सम्पूर्ण भारत
(1) 31-3-1980 को मार्ग किलोमीटर	3722	60,933
(2) स्वतंत्रता के बाद 31-3-1981 तक जोड़ा गया मार्ग किलोमीटर	733 5	8,270.2
(3) 31-3-1980 को भूमि क्षेत्र के प्रति हजार वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मार्ग किलोमीटर	42.37	18.53
(4) 31-3-1980 को प्रति लाख आबादी के हिसाब से मार्ग किलो-मीटर (1971 की जनगणना)	8.4	11.12

3. इस समय पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित मुख्य विकास सम्बन्धी योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(1) कलकत्ता में मेट्रो रेलवे प्रणाली।

(2) पुरानी हावड़ा-आमता छोटी लाइन के बदले हावड़ा की आमता और चपाडंगा से जोड़ने के लिए एक नई बड़ी रेल लाइन की कुल लम्बाई 73.5 किलोमीटर होगी। प्रथम चरण में यह कार्य संसरागाछो से बड़गछिया तक हो रहा है, जहां पर अभी तक प्रगति 60 प्रतिशत है।

(3) हावड़ा को सियाखला से जोड़ने के लिए 17.4 किलोमीटर लम्बी नई बड़ी रेलवे लाइन। इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि हावड़ा-आमता आदि जैसी उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर धन खर्च करना पड़ा था।

(4) दमदम और बारासत के बीच दोहरी रेल लाइन। यह कार्य प्रगति का है और लगभग 57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

4. ऊपर बताये गये कार्यों की प्रगति के अलावा अगस्त, 1981 को अनुदान की पूरक मांगों (रेलवे) के माध्यम से 20.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बजबज को नामखाना से जोड़ने के लिए एक और मुख्य नई लाइन परियोजना की मंजूरी दी गई है। योजना आयोग से आवश्यक स्वीकृति मिलते ही फील्ड में कार्य शुरू कर दिया जायेगा। प्रस्तावित लाइन सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश मे समेकित शिशु विकास सेवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि

4400. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में समेकित शिशु विकास सेवा कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की है और इससे कितने बच्चों को लाभ पहुंचा है;

(ख) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्यों पर खर्च हुई और कितनी धनराशि वास्तविक रूप से लाभ तथा सहायता कार्यों पर खर्च हुई;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक व संगठन आदि जैसे अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों के अधीन शिशु विकास तथा सेवा की योजनायें चल रही हैं; यदि हां, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चल रही हैं; और

(घ) क्या सरकार शिशु विकास की इन योजनाओं के लिए इन एजेंसियों का सहयोग लेती हैं तथा उनका समन्वत और यदि हाँ, तो किए तरीके से।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा ससदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा, केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1081-82 में अब तक मध्य प्रदेश सरकार को प्रदत्त अनुदान राशि और लाभप्राप्तकर्त्ताओं बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रदत्त राशि	लाभ प्राप्तकर्त्ता बच्चों की संख्या	
		पूरक पोषाहार	स्कूल पूर्व शिक्षा
1979-80	रुपए 25,51,400.00	11,464 (मार्च 1980)	4,350 (मार्च, 1980)
1980-81	रुपए 24,39,600.00	18,293 (मार्च 1981)	11,440 (मार्च 1981)
1981-82	रुपए 29,33,700.00	20,126 (अक्तू. 1981)	15.123 (अक्तू. 1981)

पूरक पोषाहार पर किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जिसे उपर्युक्त आँकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

कुल व्यय का केन्द्र और राज्य स्तर पर लगभग 1 प्रतिशत प्रशासन पर खर्च किया जाता है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में यूनेस्को के अन्तर्गत बाल विकास योजनाएं चालू नहीं है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों में परामर्शीय सेवा, प्रशिक्षण, सप्लाई, यन्त्र, प्रबोधन अनुसंधान, और मूल्यांकन के क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है।

एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा करने का मानदण्ड

4401. **रामस्वरूप राम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक विश्वविद्यालय की केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा करने के मानदंड क्या हैं; और

(ख) क्या पटना विश्वविद्यालय में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा के लिए अपेक्षित अर्हताओं की कमी है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य विधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे किसी विश्वविद्यालय को

अभी तक केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, न ही केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मांग लिया जाना

4402. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल और डिस्पेन्सरी खोलने में भागीदार हो सकते हैं या उन्हें खोल सकते हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार ने अस्पताल और डिस्पेंसरी खोलने के ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) क्या ग्रामीण अस्पतालों का 1/3 खर्च देने की बिहार सरकार की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस योजना के अधीन अनावर्ती व्यय जैसे भूमि की खरीद, अस्पताल/औषधालय के भवन का निर्माण, अस्पताल के उपकरणों की खरीद, आदि के लिए अनुदान दिए जाते हैं। कुल अनावर्ती व्यय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा अनुदानग्राही संस्था द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्वेच्छिक संगठनों को यदि वे इस योजना की शर्तों को पूरा करते हैं तो राज्य सरकारों आदि की सिफारिशों पर अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पाक-लिक इन यू. एस.-चायना स्पाई वर्क" शीर्षक समाचार

4403. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" "पाक-लिक इन यू. एस.-चाइना स्पाइ वर्क" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिनमें इन तीनों देशों द्वारा मिलकर भारतीय क्षेत्र में नशीली वस्तुओं की तस्करी से लेकर हवाई सर्वेक्षण करने तक की संभावना व्यक्त की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) सुरक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और सरकार भारत को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सचेष्ट है।

चितरंजन में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

4404. **डा. सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन (पूर्व रेलवे) में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे से काफी अव्यवस्था फैल रही है,

(ख) क्या चित्तरंजन (पूर्व रेलवे) में रेलवे की भूमि पर अनेक ढांचे निर्मित हो गये हैं, अन्य होने जा रहे हैं,

(ग) क्या उनके लिए अनधिकृत रूप से बिजली के कनेक्शन भी ले लिए गए हैं,

(घ) यदि हां, तो उक्त अनधिकृत कब्जों के हटाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है, और

(ङ) उनके क्या परिणाम निकले ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) इस क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर कभी-कभी अनधिकृत रूप से कब्जा करने के मामले घटित हुए हैं। रेलवे को बिजली लाइनों से बिजली का कनेक्शन अनधिकृत रूप से ले लेनें के छुट-पुट मामले भी ध्यान में आये हैं और ये कनेक्शन काट दिये गए हैं। जैसे ही अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने या बिजली के कनेक्शन ले लेने के मामले ध्यान में आते हैं, सिविल पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए उपाय किये जाते हैं। हाल ही में चित्तरंजन में लगभग 40 अनधिकृत संरचनाओं को गिराया गया है।

पाकिस्तानी मानचित्रों में जम्मू और काश्मीर को विवादग्रस्त भूभाग के रूप में दिखाया जाना

4405. **श्री दौलत राम सारण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में व्यापक रूप से वितरित "अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान" नामक पाकिस्तानी प्रकाशन में छपे उस मानचित्र की ओर दिलाया गया है, जिसमें जम्मू और काश्मीर को "विवादग्रस्त भू-भाग के रूप में और चीन" के साथ भारतीय सीमा को "अपरिभाषित" (अंडिफाइन्ड) रूप में दर्शाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जब भी सरकार को किसी ऐसे पाकिस्तानी प्रकाशन का पता चलता है जिसमें जम्मू और काश्मीर को "विवादग्रस्त क्षेत्र" दिखाया गया हो तो राजनयिक माध्यमों से उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। सरकार की नीति यह नहीं है कि प्रत्येक बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए।

इस विषय पर सरकार का सुविदित दृष्टिकोण यह है कि सारा जम्मू और काश्मीर सांविधानिक और कानूनी रूप से भारत का अभिन्न अंग है।

गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस का भुगतान

4406. **श्री के. पी. एस. मणि** :

श्री टी. एम. करुणानिधि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को

उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस के भुगतान का प्रश्न काफी लम्बे समय से विचाराधीन है और यदि हाँ, तो इस पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक हो जायेगा;

(ख) यदि विचाराधीन भुगतान के बारे में अन्तिम फैसला हो जाता है, तो मद्रास डिपो के कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि वितरित की जानी पड़ेगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि समाधान के लिए यह मामला क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सेंट्रल) मद्रास के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोओं के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

(ख) इस अवस्था में किसी प्रकार का अनुमान लगाना असामयिक होगा ।

(ग) जी हां । इस समय इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

अमेरिका के विदेश मंत्री का प्रस्तावित दौरा

4407. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका के विदेश मंत्री श्री अलेकजेंडर हेग ने भारत को सूचना भेजी है कि राजनयिक मामलों, जिसमें पाकिस्तान के साथ निकट सम्बन्ध भी शामिल हैं, के बारे में हुई गलत फहमियों को दूर करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत का दौरा करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कब भारत आने की सम्भावना है; और

(ग) क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हुई प्रधान मंत्री की बैठक में इस बात पर सहमति हो गई थी कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों को नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) अमरीका के विदेश मंत्री 17 दिसम्बर 1981 को आयोजित भारत अमरीका संयुक्त आयोग की बैठक में अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में भारत की यात्रा पर आने वाले थे । लेकिन अमरीकी पक्ष की पहल पर यह यात्रा अब स्थगित कर दी गई है ।

(ग) कैनकुन में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय विचार-विनिमय को और बढ़ाएंगे ।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस के प्रथम श्रेणी के डिब्बों की हालत

4408. **श्री रास बीहारी बहेरा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस के साथ जोड़े गए डिब्बे बहुत पुराने हैं तथा उनकी हालत बहुत खराब है;

(ख) क्या इन डिब्बों में बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, इनके शौचालयों की हालत तथा सीटों की हालत बहुत खराब है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन डिब्बों को बदलकर नए डिब्बे जोड़ने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ लगने वाले पहले दर्जे के सवारी डिब्बों की हालत संतोषजनक है। वे सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा निर्मित नवीनतम अभिकल्प के डिब्बे हैं। लेकिन, विध्वंसक कार्य के कारण, यात्री सुविधाओं और कुशनों को पहुंची क्षति अकसर देखने में आती है जिसे अनुरक्षण के दौरान ठीक कर दिया जाता है। शौचालयों को भली-भांति धुलाई की जाती है और दोनों टर्मिनलों पर गन्धहर (डियोडोरेन्यून) इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये सभी डिब्बे सवारी डिब्बा कारखाने में बनाये गये हैं और हाल ही में बने हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सिद्ध औषधि प्रणाली के अन्तर्गत सी. जी. एच. एस. औषधालयों का खोला जाना

4409. **डा. वी. कुलन्दई वेलु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी. जी. एच. एस. के अन्तर्गत सिद्ध औषधालयों के खोले जाने की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में अभी तक सिद्ध औषधालयों के न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) राजधानी में सी. जी. एच. एस- के अन्तर्गत ऐसे सिद्ध औषधालयों के खोले जाने हेतु क्या तत्काल कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसे यूनिट को खोलने के लिए दिल्ली के लाभार्थियों की ओर से कोई मांग नहीं आई है।

किरनडाल और कोट्टावलासा के बीच यात्री, एक्सप्रेस तथा माल गाड़ियों का चलाया जाना

4410. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरनडाल से कोट्टावलासा तक रेलवे लाईन का निर्माण सिर्फ बैलाडिला से बिराग तक लौह अयस्क के परिवहन हेतु किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यात्री/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कोरापुट और बस्तर जिलों के आवश्यक माल तथा औद्योगिक उत्पाद एवं सामग्री के आवागमन हेतु माल गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार करेगा;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं, और

(घ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों को चलाने के लिए रेलवे को कब मंजूरी दी जाएगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, किरान्दुल–कोट्टावलासा लाइन मुख्यत: बेलडिल्ला से विजग तक लौह अयस्क की ढुलाई के लिए निर्मित की गयी थी।

(ख) इस लाइन पर यात्री और माल ले जाने वाली एक जोड़ी मिली-जुली गाड़ी पहले से ही चल रही है। इस माह में न तो कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रताव है और न ही इसकी आवश्यकता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर दिल्ली तथा इन्दौर बम्बई के बीच यात्री गाड़ियों का चलाया जाना

4411. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर, मध्य प्रदेश से दिल्ली और बम्बई के लिए एक एक यात्री गाड़ी चलाए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और ये गाड़ियां कब तक चालू हो जाएंगी,

(ग) यदि नहीं, तो क्या आरक्षण कोटे में अग्रेतर वृद्धि किए जाने, का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्राधिकृत यात्री

4412. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा-दिल्ली लाइन पर देहरादून एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिना आरक्षण वाले यात्री तथा रेलवे के अधिकारी कोटा से माधोपुर जक्शन तक यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी में आरक्षण वाले यात्रियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा ससदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पहले दर्जे के यात्रियों के लिए शायिकाओं का आरक्षण 9.0 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रात: तक की रात्रि यात्रा के लिए किया जाना है। बाकी दिन के दौरान इस प्रकार के आरक्षण वाले व्यक्तियों को केवल बैठने का स्थान दिया जाता है। जिससे पहले दर्जे के और अधिक टिकट/पास धारी यात्री पहले दर्जे के डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं।

भारत और अमरीका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

4413. **श्री एच एन नन्जे गौडा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच इस बारे में पत्र-व्यवहार भी हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कानकुन में हुई बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बहुत विस्तार से विचार-विमर्श किया था;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त बैठक के पश्चात् दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कहां तक सुधार हुआ है और क्या व्यापार आदि में सुधार के लिए किन्हीं करारों पर सहमत हुई है, और

(ङ) यदि हाँ तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है।

(ख) प्रधान मंत्री और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के बीच पत्रों के आदान-प्रदान हुए हैं।

(ग) जी हाँ। प्रधान मंत्री ने कैनकुन में अमरीका के राष्ट्रपति से विचार-विमर्श किया था।

(घ) यह आशा की जाती है कि इस बैठक के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत के दृष्टिकोणों को बेहतर ढंग से समझा। लेकिन दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था

4414. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने विगत अगस्त मास में रेलगाड़ियों में गैर-सरकारी खान-पान व्यवस्था को बंद करने के तथा विभागीय खान-पान व्यवस्था आरंभ करने की घोषणा की थी,

(ख) यदि हाँ, तो उक्य घोषणा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रेल प्रशासन के उक्त निर्णय को अब तक क्रियान्वित नहीं कर सकी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अगस्त, 1981 में उन सभी चल खान-पान यूनिटों को, जो आजकल प्राइवेट प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं, विभागीय प्रबंध में लेने का विचार किया गया था। वित्तीय तथा संगठनात्मक निहितार्थों का अन्तिम रूप से अध्ययन होने तक इसे कार्यान्वित नहीं किया है। अन्तिम निर्णय खान-पान सेवाओं के प्रयोजन के अनुरूप सुधार के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"जलधर्म फौलाद लाइन" में सेवा कर रहे भारतीय नाविकों के साथ किया गया व्यवहार

4415. **श्री सुबोध सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुबई में पोत के मालिक द्वारा मोटर पोत "जलधर्म फौलाद लाइन" में सेवा कर रहे भारतीय नाविकों के साथ उन्हें भोजन और पानी न देते हुए दास जैसा अमानवीय व्यवहार करने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भोजन सामग्री और पानी आदि के अभाव के कारण उत्पन्न कठिनाई के बारे में मेसर्ज फाल्ड लाइन्स, कलकत्ता के एस. वी. "जलधर्म" नामक जहाज के कर्मीदल की कुछ शिकायतें थीं। इस कर्मीदल को नाविकों और जहाज मालिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रति व्यक्ति 400 रुपये प्रति मास की दर से पूरी धन राशि चुकता कर जिसमें कठिनाई भत्ता भी शामिल है, दुबई में कार्यमुक्त कर दिया गया। नया कर्मीदल जुलाई 1981 के अन्त तक ड्यूटी पर आया और जहाज मालिकों ने नये कर्मीदल के लिए वेतन आदि की जिसमें कठिन ई भत्ता शामिल है, सभी आवश्यक व्यवस्था कर दी है।

एम. बी. "विश्व भक्ति" के नाविक दल में सेवा कर रहे व्यक्तियों के साथ दुर्व्यहार के बारे में शिकायत

4416. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नौवहन मालिक द्वारा एम. वी. "विश्व भक्ति" के नाविक में सेवा कर रहें व्यक्तियों के प्रति, भोजन, पेय जल, औषधियां आदि जैसी उचित सुविधाओं से वंचित करके दुर्व्यवहार करने की शिकायत की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सेवा कर रहे नाविकों को अपनी यात्रा के दौरान ऐसी सभी सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) डेक मंडारी की बीमारी की अवधि में खाना पकाने के बारे में मई, 1981 में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई जब यह जहाज बम्बई में बाहरी लंगरगाह में खड़ा था। डिपुटी शिपिंग मास्टर, बम्बई जहाज पर गए और उन्होंने मामले की जाँच की। पता चला कि कर्मीदल को भोजन दिया गया था। उन्होंने जहाज के कप्तान और कंपनी के प्रतिनिधि को यह निदेश दिया कि सभी उचित सुविधाएं दी जाएं और शिकायत के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए।

मंडावली-फजलपुर, दिल्ली में सड़कों का चौड़ा करना

4417. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** मंडावली-फजलपुर, दिल्ली में सड़कों के बारे में 7 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10279-ए के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंडावली, कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर को जोड़ने वाली 100 फुट चौड़ी सम्पर्क सड़क के निर्माण और विद्यमान सड़कों को 45 फुट तक चौड़ा करने के लिये कार्य आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि, यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल है, आर्थिक कठिनाइयों और विभिन्न अन्य कार्यों के अधिक आवश्यक होने के कारण इस पर काम शुरू करना संभव नहीं हो सका है। यह प्रस्ताव अभी आरंभिक अवस्था में है। इसलिए, इस समय यह बताना मुश्किल है कि वास्तविक निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा। लेकिन, फिलहाल दिल्ली नगर निगम मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के बारे में नक्शे और तख्मीने तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाई कर रहा है।

बड़ी शक्तियों द्वारा खुले समुद्र में खोज

4418. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी शक्तियां आधुनिकीकृत तथा अधुनातन जहाजों और यंत्रों से खुले समुद्र में समुद्री संसाधनों की खोज करने और उनका उपयोग करने में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या जानकारी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि खुले समुद्र का बड़े राष्ट्रों के एकान्तिक लाभ की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक हित के लिए नियमित ढंग से उपयोग किया जाये।

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और जापान के ऐसे कई निगम है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में मैंगनीज पिण्डों का खोज में सक्रिय रूचि रखते हैं। इन सभी निगमों ने परस्पर संयुक्त प्रबंध करके, वाणिज्यक स्वरूप के संघ स्थापित किये हैं। इनमें से कुछ है : (1) केन्नेकोट ग्रुप, (2) ओशन माइनिंग एसोसियेट्स (3) ओशन मेनेजमेंट, इन्कोरपोरेटिड, और (4) द ओशन मिनरल्ज कम्पनी। इसके अलावा, फ्रांस और जापान ने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये हैं। यह विश्वास किया जाता है कि ये कम्पनियां फिलहाल केवल मैंगनीज पिण्डों के प्रारम्भिक अनुसंधान और विकास कार्य तथा वाणिज्यक आधार पर भावी खोज और प्रयोग के लिए सम्भाव्य स्थल ढूंढने में ही लगी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके क्रियाकलाप, मुख्य रूप से सम्भाव्य पिंड भण्डारों का पता लगाने तक ही सीमित है, जिनका उत्तरी प्रशान्त महासागर में प्रथम जनन खान स्थलों के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। कुछ संघ, सागर में अपनी खनन पद्धतियों (समाहर्ता, उत्थापन प्रणाली और खनन पोत) का पहले ही परीक्षण कर चुके हैं, तथा लगभग 5,000 मीटर की गहराई से पिंड निकालने में सफल हो गए हैं। लेकिन, समन्वित खनन पद्धति की विश्वसनीयता और अनुरक्षणीयता अभी सिद्ध की जानी है। इस प्रयोजन के लिये, आदिप्ररूप खनन उपकरणों और ससाधन संयन्त्रों पर विचार करना और उनकी जाँच करना जरूरी है। इसके अलावा, सम्भाव्य खान स्थलों पर अधिक व्यापक खोज कार्य, जिसमें मानचित्रण भी शामिल है, आवश्यक होगा। इन सभी क्रियाकलापों के लिये, प्रारम्भिक अनुसधान और विकास कार्य के लिए फिलहाल आवश्यक पूंजी परिव्यय से काफी अधिक राशि की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत सरकार ने अन्य विकासशील देशों के सक्रिय सहयोग से, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के संसाधनों के प्रयोग के नियमन के लिये एक निष्पक्ष तथा न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रीय

व्यवस्था के विकास के लिए कार्य किया है। अगस्त, 1981 में संक्षिप्त 10वें अधिवेशन के अंत में जारी किये गए मसौदा सभिसमय में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रावधान हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र के संसाधन केवल मात्र बड़े बड़े राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य लाभ के लिए विनियमित ढंग से इस्तेमाल किये जाएं। 1980 में 9वें अधिवेशन के अंत में यह आशा की गई कि समुद्री कानून संबधी एक नये अभिसमय के तौर पर, सहमति के आधार पर ही मसौदा अभिसमय स्वीकार किया जाएगा। तथापित, संयुक्त राज्य अमरीका में प्रशासन परिवर्तन के बाद, रीगन प्रशासन ने मार्च, 1981 में घोषित किया जब तक अभी तक प्राप्त समाधानों की व्यापक समीक्षा नहीं कर ली जाती, तब तक वह अभिसमय को अन्तिम रूप देने में अपना सहयोग न दे सकेगा। अभी तक संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी समीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए हैं। समुद्री कानून सम्बन्धी सम्मेलन का अगला अधिवेशन न्यूयार्क में 9 मार्च से 30 अप्रैल, 1982 तक होगा। सहमति के अनुसार, सम्मेलन के कार्यक्रम में अगले अधिवेशन के कार्य को पूरा करने और उसे अन्तिम रूप देने की व्यवस्था है। आशा है कि समुद्री कानून संबंधी नए अभिसमय पर 1982 में कारा कास, वेनेजएला में हस्ताक्षर किये जाएंगे।

प्रबन्ध अध्ययन संकाय (फैक्टरी आफ मैनेजमेंट स्टडीज) में प्राध्यापकों का चुनाव

4419. **श्री आर. जेठमलानी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के "विजीटर" को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रबन्ध अध्ययन संकाय में अपात्र अभ्यार्थियों को चुने जाने का आरोप है और क्या विजीटर ने दिल्ली विश्वविद्याय को इस प्रकार की अनियमितता के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है और;

(ख) क्या प्रभावित व्यक्तियों ने अपात्र अभ्यार्थियों के चुनाव का प्रतिरोध करते हुए विश्वविद्यालय को एक कानूनी नोटिस दिया है जिसमें अपात्र अभ्यार्थियों के चयन को चुनौती दी गयी है और क्या इन अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने से पहले, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मामले की कानूनी जाँच करवा ली है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा गया है कि वह अभ्यावेदन में उठाए गए विषयों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियों के साथ तथ्य सम्प्रेषित करे।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्राध्यापक के पद के लिए एक उम्मीदवार ने चयन को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय के नाम एक नोटिस भिजवाया है। इस नोटिस के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

गैर-अपराधी विक्षिप्ति व्यक्तियों को बन्दी गृह में रखा जाना

4420. **श्रीमती संयोगिता राणे** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक गैर-अपराधी पागलों को बन्दीगृह में हिरासत में रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न जेलों में कितने गैर-अपराधी पागल मौजूद हैं; और

(ग) विक्षिप्त बंदियों के उपचार के लिए और गैर अपराधी पागलों के आवास हेतु पागलखाने की स्थापना के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत तथा इटली द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रम

4421. **रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले माह प्रधान मंत्री की इटली यात्रा के फलस्वरूप भारत तथा इटली ने तीसरे देशों में निर्यात प्रयोजनों के लिए संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु एक मुख्य व्यापार करार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सब्रोती पार्क नई दिल्ली स्थित एयर फोर्स स्कूल में शुल्क के मामले में असमानता

4422. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** :

श्री सज्जन कुमार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्रोती पार्क, नई दिल्ली स्थित एयर फोर्स स्कूल में सैनिक कर्मचारियों के बच्चों से लिए जाने वाले शुल्क की तुलना में असैनिक लोगों के बच्चों से 15 गुणा अधिक शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो एक स्कूल में तथा एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से वसूल किये जाने वाले शुल्क में इतने बड़े अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) शुल्क में उक्त अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार असैनिक लोगों के बच्चों से वसूल किया गया शुल्क सशस्त्र सेना कर्मचारियों के बच्चों से लिए गए शुल्क से 15 गुणा अधिक नहीं है।

(घ) एयर फोर्स स्कूल को एयर फोर्स केन्द्रीय कल्याण निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें एयरफोर्स के सभी कर्मचारी नियमित रूप से चन्दा देते हैं। क्योंकि एयर फोर्स स्कूल के पूंजीगत कार्यों के लिए इस निधि से बहुत बड़ी राशि दी जाती है इसलिए सैनिक/नौ सेना तथा गैर-एयरफोर्स कर्मचारियों के मुकाबले में एयरफोर्स के कर्मचारियों के बच्चों से कम शुल्क लिया जाता है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पता लगाये गये जाली पासपोर्टों की संख्या

4423. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** :

श्री मनमोहन दुडु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 नवम्बर, 1981 के "नेशनल हेरल्ड" में "पासपोर्ट फारजरी" (पासपोर्ट धोखाधड़ी) शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो 1980 में और अब तक 1981 में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पता लगाये गये जाली पासपोर्टों की संख्या कितनी है और इन मामलों का ब्यौरा क्या है,

(ग) जाली पासपोर्ट जारी करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) (क) जी, हां।

(ख) हमने पासपोर्टों में जालसाजी के कई मामले देखे हैं जिनमें व्यवसाय के परिवर्तन उत्प्रवासन की जाली मंजूरी, धारक के फोटो के स्थान पर दूसरे फोटो लगाए जाने जैसी धोखा धड़ी पाई गई है। ऐसे जिन जाल साजियों के बारे में पता चला है उनका पासपोर्ट कार्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया है, जिससे पता लगाई गई ऐसी धोखा धड़ियों की संख्या दिखाई गई है।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है, हमने अभी तक सरकार द्वारा जारी किए गये पासपोर्टों में केवल बेईमान तत्वों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले देखे हैं और इस तरह के "जाली पासपोर्टों" के मामले हमारी जानकारी में नहीं आये हैं।

धोखा धड़ी के ऐसे सभी मामले जांच पड़ताल और उपयुक्त कार्यवाई के लिये पुलिस अधिकारियों को सौंप दिये गए हैं।

(घ) सरकार ने ऐसे विभिन्न कदम उठाने के लिए पासपोर्ट जारी करने वाले सभी अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक हिदायते जारी की हैं, जिनके फलस्वरूप पासपोर्टों में हेरा फेरी करना मुश्किल भी होगा और उसका पता भी लग जाएगा। चूंकि पासपोर्ट जारी किए जाने या उस पर कोई कार्यवाई किए जाने से पहले, पासपोर्ट जारी करने वाले सभी अधिकारियों को इन हिदायतों का पालन करना है, अतएव उनका ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय	निम्नलिखित वर्षों के दौरान पकड़े गए धोखधड़ी के मामलों की संख्या		धोखाधड़ी का स्वरूप
	1980	1981	
1. अहमदाबाद	कोई नहीं	कोई नहीं	
2. बंगलोर	कोई नहीं	कोई नहीं	
3. भुवनेश्वर	कोई नहीं	कोई नहीं	
4. भोपाल	कोई नहीं	कोई नहीं	

1	2	3	4
5. बम्बई	19	27	फोटो की अदला बदली/जाली बीजा पृष्ठांकन/अतिरिक्त पृष्ठांकन उत्प्रवासन स्वीकृति
6. कलकत्ता	कोई नहीं	कोई नहीं	
7. चण्डीगढ़	10		संयुक्त अरब अमीरात/सऊदी अरब के लिए जाली पृष्ठांकन
8. कोचीन	कोई नहीं	1	जाली उत्प्रवासन स्वीकृति
9. दिल्ली	कोई नहीं	23	न तो किन्हीं जाली पासपोर्टों और न ही किन्ही जाली प्रविष्टियों का पता लगा है। जिन मामलों की संख्या का उल्लेख किया गया है, वे प्रस्तुत पासपोर्ट-आवेदन पत्रों में की गई धोखा धड़ी से संबंधित हैं।
10. गोहाटी	कोई नहीं	कोई नहीं	
11. हैदराबाद	कोई नहीं	कोई नहीं	
12. जयपुर	2	कोई नहीं	"सभी देशों के लिए" का जाली पृष्ठांकन
13. जालंधर	89	160	संयुक्त अरब अमीरात/और सभी देशों के लिऐ जाली पृष्ठांकन। अधिकांश जाली पृष्ठांकन चडीगढ़/लखनऊ/दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की जाली मोहरों से जारी किए गए। पास पोर्ट कार्यालय, जालंधर को विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं के लिए पासपोर्ट प्रस्तुत करते समय इनका पता लगा।
14. खोजी कोड	कोई नहीं	1	उत्प्रवासी संरक्षक, बम्बई के कार्यालय में व्यवसाय में गलत परिवर्तन का पता चला।
15. मद्रास	कोई नहीं	1	फोटो की बदली
16. पटना	कोई नहीं	कोई नहीं	
17. श्रीगर	कोई नहीं	कोई नहीं	
18. पानाजी	कोई नहीं	कोई नहीं	
19. पोर्ट ब्लयेर	कोई नहीं	कोई नहीं	
20. लखनऊ	कोई नहीं	कोई नहीं	

जी. टी. करनाल रोड पर पैदल पथ

4424. **श्री भीखा भाई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राणा प्रताप बाग से आजादपुर की ओर पुरानी जी. टी. कनराल रोड पर चलने वाले पैदल यात्रियों को पैदल पथ की व्यवस्था न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और

(ख) क्या सरकार यह सुविधा शीघ्र देने के लिए विचार करेंगी;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस समय सड़क पर राणा प्रताप बाग और आजादपुर के बीच दोनों तरफ केवल कच्ची पटरी है जिस पर प्राय: पैदल यात्री चलते हैं। इस सड़क का सुधार करने का काम जिसमें पक्के फुट पाथ का बनाया जाना भी शामिल है, दिल्ली नगर निगम की छठी योजना में प्रस्तावित है और यह यथा समय शुरू किया जाएगा।

लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सताया जाना

4425. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यहां के कर्मचारियों को सताने तथा उत्पीड़ित आदि करने के संबंध में सतर्कता निदेशक, दिल्ली प्रशासन को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या तथा स्वरूप क्या है;

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो मामले को अस्थगित करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) हां। ऐसी दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें सुपरवाइजिंग स्टाफ द्वारा तंग करने और स्टाफ क्वाटरों का अलाट न करने के बारे में है।

(ग) और (घ) : इन शिकायतों की सतर्कता विभाग द्वारा अस्पताल प्राधिकारियों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

बंगला देश सीमा के साथ सीमा सड़क

4426. **श्री रेणु पद दास** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के आवंछित तत्वों से सुरक्षा पाने के लिए बंगला देश के साथ लगी राज्य सीमा के समानान्तर शिकारपुर से पश्चिम बगाल के नादिया जिले के गेंदे तक सीमा सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि नहीं, तो बंगला देश के साथ लगी नदियां जिले के सीमा के समानान्तर सीमा सड़क बनाने के वैकल्पिक प्रस्ताव के बारे में सरकार कब तक विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह सड़क बन जाने पर राज्य की सड़क होगी। इसलिए इससे मुख्यतः पश्चिमी बंगाल सरकार सम्बन्धित है। सूचना मिली है कि सीमा सुरक्षा दल ने राज्य सरकार को प्रस्तावित सड़क का निर्माण करने के लिए सुझाव भेजा है और यह प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में पुलों का निर्माण

4427. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निकायों के नाम क्या हैं जो दिल्ली में पुलों के निर्माण और पार-पथों के सुधार के बारे में आपस में बैठकर चर्चा करती है और निर्णय लेती है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्होने किन-किन पार-पथों पर सुधार करने और किन किन सड़कों पर पुलों का निर्माण किए जाने के सुझाव दिए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सड़क विकास कार्यों सम्बन्धी निर्णय, दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति से सलाह करने के बाद सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी करती हैं। इसमें नौवहन और परिवहन मन्त्रालय निर्माण और आवास मंत्रालय, रेलवे मन्त्रालय के प्रतिनिधि, नगर योजना-संगठन, दिल्ली प्रशासन के सा. नि. वि. नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें वे फलाई-ओवर/क्रासिंग दिखाये गये हैं जिसके निर्माण करने सुधार करने का पिछले तीन वर्ष में सुझाव दिया गया था।

विवरण

एजेन्सी दिल्ली प्रशासन

चौराहों का सुधार करना

1. घौला कुआं चौराहा।
2. राजघाट का चौराहा।
3. जी. टी. रोड़ के चौराहे के साथ सड़क नं. 65,57.।
4. सड़क नं. 6 और 7 का चौराहा।
5. आउटर रिंग रोड और महरौली रोड क्रासिंग पर इन्टरसैकशन।
6. "एम" एवन्यू इन्टरसैकशन।
7. पंजाबी बाग ,,
8. माडल टाउन ,,
9. आजादपुर ,,
10. सफदरजंग ,,
11. मोती बाग ,,
12. आश्रम ,,
13. एंड्रूयूस गंज ,,
14. श्रीफोर्ट ,,

पुलों का निर्माण

1. दिल्ली मथुरा सड़क के कि. मी. 15/1 पर एक नाले पर पुल ;
2. जी. टी. करनाल रोड के कि. मी. 29/1 पर पुल ।
3. यमुना कनाल टायल डिस्ट्रीब्यूट्री के ऊपर पुल ।
4. सड़क सं. 26 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाईन के ऊपर सड़क उपरिपु
5. सड़क सं. 26 पर दिल्ली रोहतक रेलवे लाईन के ऊपर सड़क उपरिपु
6. आजादपुर के निकट रिंग रोड पर मौजूदा सड़क उपरिपुल को चौड़ा
7. शकूर बस्ती के निकट रिंग रोड़ पर मौजूदा सड़क उपरिपुल को चौड़
8. नारायणा के निकट रिंग रोड़ पर मौजूदा सड़क उपरिपुल को चौड़ा
9. श्रीनिवासपुरी के निकट रिंग रोड़ पर मौजूदा सड़क उपरिपुल को चौ
10. आई. पी. बैरेज पहुंच सड़क पर अन्डर ब्रिज बनाना ।
11. जी. टी. करनाल रोड़ के कि. मी. 23/5 पर पुल का निर्माण करना ।
12. जी. टी. करनाल रोड के कि. मी. 25/2 पर पुल का निर्माण करना ।
13. जी. टी. करनाल रोड के कि. मी. 21/3 पर पुल का निर्माण करना
14. मूलचन्द अस्पताल, लोधी होटल, ओबराय होटल और आई. पी. स्टेट फलाई ओवर बनाना ।
15. ओखला में सड़क उपरिपुल सं. 22 का निर्माण ।
16. खिचड़ीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पुल का निर्माण ।
17. राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कि. मी. 15/1 पर पुल का निर्माण ।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कि. मी. 19/1 पर पुल का निर्माण ।

एजेन्सी— नई दिल्ली नगर पालिका

इंटर सैक्शन का सुधार करना

1. सफदर जंग रोड—कमाल अतार्तुक रोड ।
2. रेस-कोर्स रोड—कमाल अतार्तुक रोड़ ।
3. चैम्सफोर्ड रोड—कनाट सर्कस ।
4. पंचकुईयां रोड—कनाट सर्कस ।
5. तुगलक रोड—पृथ्वीराज रोड—अरविन्द मार्ग (वाई-4) ।
6. मन्दिर मार्ग—शंकर रोड ।
7. सरदार पटेल मार्ग—लिंक रोड ।
8. बाराखम्बा रोड—टालस्टाय मार्ग ।
9. रफी मार्ग—रैड क्रास रोड ("ओ" सर्कस) ।
10. संसद मार्ग—जन्तर मन्तर रोड ।
11. कस्तूरबा गांधी मार्ग—फिरोजशाह रोड ।
12. पार्क स्ट्रीट बाबा खड़क सिंह मार्ग (बलिगंठन अस्पताल इन्टर सक्शन)
13. शाहजहाँ रोड—सी हैक्सेगन ।
14. गोल मार्केट इन्टर सैक्शन ।
15. काली बाड़ी मार्ग—मार्केट रोड ।

जहां पुल बनाने का प्रस्ताव है

1. जहां स्कूल लेन है वहाँ रणजीत सिंह मार्ग को बाराखम्बा सड़क से जोड़ने के लिए रेलवे लाईन के ऊपर।

2. सत्य निकेतन के निकट जहाँ सैन मार्टिन मार्ग है, वहां पंचशील मार्ग को रिंग रोड से जोड़ने के लिए।

एजेन्सी दिल्ली नगर निगम

(क) इन्टर सैक्शन का सुधार करना

1. दिल्ली गेट इन्टर सैक्शन।

2. लाल बहादुर शास्त्री-वीर सावरकर मार्ग इन्टर सैक्शन।

(ख) पुलों का निर्माण

1. सेवानगर सड़क उपरिपुल जो भीष्म पितामह मार्ग पर है।

2. जखीरा रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर।

औषध उद्योग के बारे में गोष्ठी

4428. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनाँक 7 नवम्बर 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग्स बेंड एब्राड सोल्ड फ्रीयली हेयर" शीर्षक समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में औषध उद्योग के बारे में हुई गोष्ठी में विदेशों में प्रतिबंधित औषधियों की अनियंत्रित बिक्री सहित हमारी औषध नीति में बहुत सी कमियों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो औषध नीति को नया रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) समाचार में तो ऐसा ही कहा गया है, किन्तु यह संगोष्ठी न तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा आयोजित की गई थी और न ही इसकी सिफारिशें मन्त्रालय को मिली हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा के लिए औषधियों के फार्मूलेशनों का मूल्यांकन न किया जाना

4429. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 16 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में "ड्रग रिअलिटीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो क्या यह सच है कि डा. वी. बी. गईटोंड, क्षेत्रीय सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में 30,000 औषध फार्मूलेशनों में से अधिकांश फार्मूलेशनों का उन से सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसा मुख्यतया इस कारण से है कि राज्यों में औषध निरीक्षकों को यह कार्य बिल्कुल नहीं सौंपा गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि प्रभावी औषधियाँ उचित सावधानी से रोगी को दी जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवत: ये सम्पादकीय टिप्पणियाँ औषधि उद्योग और भारतीय जनता के बारे में 7 और 8 नवम्बर, 1981 को हुई गोष्ठी पर आधारित है। यह गोष्ठी न तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी और न ही इस मन्त्रालय को इसका कार्य-वृत्त मिला है। इस प्रकार भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय सलाहकार डा. बी. एम. गईटोंड के वक्तव्य के बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई प्रामणिक सूचना नहीं है।

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गये औषधि निरीक्षक लाइसेंस मंजूर होने से पहले तथा लाइसेंस लागू होने के बाद औषधि निर्माण के अहातों का निरीक्षण और अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जांच हेतु नमूने भी भरते हैं कि वे औषधियाँ लेबल के दावों (अर्थात् औषधि के फार्मूला) के अनुरूप हो। औषधि निरीक्षकों को सुरक्षा की दृष्टि से रोगों की जांच नहीं करनी होती और इसलिए, इस कार्य के लिए उनके लेस होने का प्रश्न ही नहीं उठता

(घ) जिन औषधियों की रोगों को सावधानी पूर्वक लेने की जरूरत होती है, उन औषधियों के मामले में उनपर लगाये गये लेबलों, और तत्सम्बन्धित अन्य साहित्य पर चेतावनियाँ अंकित की जाती हैं। ये औषधियां केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नुस्खों पर ही खुदरा बिक्रेताओं द्वारा बेची जानी होती है।

श्री सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य पर पुलिस द्वारा कथित हमला किये जाने के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, कल आपने इस सदन के एक मेंबर श्री सत्यनारायण जटिया की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। हमें जानकारी मिली है कि श्री जटिया को पुलिस ने बे-रहमी से मारा है और उनको सिर में चोट लगी है और उनकी टांग टूटी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 222 में दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और यह पिटाई उस वक्त हुई जब वे रेलवे स्टेशन से सांकेतिक धरना खत्म करके आ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 222 के अधीन आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

एक माननीय सदस्य : मैंने भी एक सूचना भेजी है।

जहां पुल बनाने का प्रस्ताव है

1. जहां स्कूल लेन है वहाँ रणजीत सिंह मार्ग को बाराखम्बा सड़क से जोड़ने के लिए रेलवे लाईन के ऊपर।

2. सत्य निकेतन के निकट जहाँ सैन मार्टिन मार्ग है, वहां पंचशील मार्ग को रिंग रोड से जोड़ने के लिए।

एजेन्सी दिल्ली नगर निगम

(क) इन्टर सैक्शन का सुधार करना

1. दिल्ली गेट इन्टर सैक्शन।

2. लाल बहादुर शास्त्री-वीर सावरकर मार्ग इन्टर सैक्शन।

(ख) **पुलों का निर्माण**

1. सेवानगर सड़क उपरिपुल जो भीष्म पितामह मार्ग पर है।

2. जखीरा रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर।

औषध उद्योग के बारे में गोष्ठी

4428. **श्री भीकू राम जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 7 नवम्बर 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग्स बेंड एन्राड सोल्ड फ्रीयली हेयर" शीर्षक समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में औषध उद्योग के बारे में हुई गोष्ठी में विदेशों में प्रतिबंधित औषधियों की अनियंत्रित बिक्री सहित हमारी औषध नीति में बहुत सी कमियों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो औषध नीति को नया रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) समाचार में तो ऐसा ही कहा गया है, किन्तु यह संगोष्ठी न तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा आयोजित की गई थी और न ही इसकी सिफारिशें मन्त्रालय को मिली हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा के लिए औषधियों के फार्मूलेशनों का मूल्यांकन न किया जाना

4429. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 16 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में "ड्रग रिअलिटीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो क्या यह सच है कि डा. वी. बी. गईटोंड, क्षेत्रीय सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में 30,000 औषध फार्मूलेशनों में से अधिकांश फार्मूलेशनों का उन से सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसा मुख्यतया इस कारण से है कि राज्यों में औषध निरीक्षकों को यह कार्य बिल्कुल नहीं सौंपा गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि प्रभावी औषधियाँ उचित सावधानी से रोगी को दी जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवत: ये सम्पादकीय टिप्पणियाँ औषधि उद्योग और भारतीय जनता के बारे में 7 और 8 नवम्बर, 1981 को हुई गोष्ठी पर आधारित है। यह गोष्ठी न तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी और न ही इस मन्त्रालय को इसका कार्य-वृत्त मिला है। इस प्रकार भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय सलाहकार डा. बी. एम. गईटोंड के वक्तव्य के बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई प्रामणिक सूचना नहीं है।

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गये औषधि निरीक्षक लाइसेंस मंजूर होने से पहले तथा लाइसेंस लागू होने के बाद औषधि निर्माण के अहातों का निरीक्षण और अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जांच हेतु नमूने भी भरते हैं कि वे औषधियाँ लेबल के दावों (अर्थात् औषधि के फार्मूला) के अनुरूप हो। औषधि निरीक्षकों को सुरक्षा की दृष्टि से रोगों की जांच नहीं करनी होती और इसलिए, इस कार्य के लिए उनके लेस होने का प्रश्न ही नहीं उठता

(घ) जिन औषधियों की रोगों को सावधानी पूर्वक लेने की जरूरत होती है, उन औषधियों के मामले में उनपर लगाये गये लेबलों, और तत्सम्बन्धित अन्य साहित्य पर चेतावनियाँ अंकित की जाती हैं। ये औषधियां केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नुस्खों पर ही खुदरा बिक्रेताओं द्वारा बेची जानी होती है।

श्री सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य पर पुलिस द्वारा स्थित हमला किये जाने के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, कल आपने इस सदन के एक मेंबर श्री सत्यनारायण जटिया की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। हमें जानकारी मिली है कि श्री जटिया को पुलिस ने बे-रहमी से मारा है और उनको सिर में चोट लगी है और उनकी टांग टूटी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 222 में दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और यह पिटाई उस वक्त हुई जब वे रेलवे स्टेशन से सांकेतिक धरना खत्म करके आ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 222 के अधीन आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

एक माननीय सदस्य : मैंने भी एक सूचना भेजी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के मेंबरों को मध्य प्रदेश में अपनी जान का खतरा है। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सभी जगह ऐसी हालत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, प्रिवलेज मोशन दिया है, यह बहुत गम्भीर मामला है (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह सीधे विशेषाधिकार समिति को भेजी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कब कह रहा हूं कि सीरियस नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपके सामने यह सवाल एक बार और आया था ...। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं भी तो कानून के हिसाब से चलूंगा। मेरे हाथ में कोई जादू मन्तर तो है नहीं मुझे तथ्यों के बारे में जानकारी मंगानी होगी और मैं उनपर विचार करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी लिख दिया है, आपका आ गया है :—

मैं तथ्यों की जांच करूंगा। मैं तथ्यों के बारे में पता लगा रहा हूं और जैसी जरूरत हुई वैसी कार्यवाही करूंगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इस पर मेरा आग्रह है कि इतना बड़ा गम्भीर मामला है और एक संसद सदस्य को घायल कर दिया है : ऐसी परिस्थिति में होम मिनिस्टर की जवाबदेही नहीं होती है कि सदन को बतलावें।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे, में पूछूंगा। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : आप डायरेक्शन तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरे सदस्य पर उसके संसदीय कर्त्तव्यों के पालन के दौरान हमला किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो मैं कड़ी कार्यवाही करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) इसका मतलब है कि हम जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : एक पूर्व दृष्टान्त है; चौथी लोक सभा में मेरे सहयोगी की नाथपाई ने एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया था। यह विशेषाधिकार का मामला स्वीकार कर लिया गया था। विशेषाधिकार समिति ने दण्ड दिया था, पुलिस अधिकारी को लोक सभा बुलाकर प्रमाणित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : दण्डवते जी, हमने तो करे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, हमने भी तो करे हैं, यहां तो आपके सामने रैफर किए थे, यदि स्थिति की मांग होगी तो मैं वैसा करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता तो कर लेने दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह आवश्यक मामला है; यप बहुत महत्वपूर्ण है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने नोट कर लिया हैं। मैंने पहले ही कार्यवाही कर ली है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज आप भोपाल जा रहे हैं ;

अध्यक्ष महोदय : हाँ जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री जटिया वहाँ आपको मिलेंगे। आप तथ्यों का पता लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले को इस तरह से न लिया जाय कि तब तक अधिवेशन ही खत्म हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं।...(व्यवधान) मैं ऐसा क्यों करूंगा ? जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, मैं करूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कोई इमीजिएट एक्ट करते हैं ? इसी सदन में जार्ज फर्नान्डीस का रिटन लैटर आपके पास आया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसी वक्त कर लिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं ?

मामला ऐसा अत्यावश्यक नहीं है कि सरकार कार्यवाही करे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मामले की गम्भीरता को समझें। (व्यवधान)

आप रैफर कर दें और वे चुप रहें ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, चुप नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री जटिया और श्री जार्ज फर्नान्डीस का मामला केवल विपक्षी सदस्यों का मामला नहीं है। यह संसद के सदस्यों का मामला है। इसलिए मामला अत्यावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : इस तरह से होगा तो कोई भी सदस्य कार्य नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : बजट अधिवेशन में श्री के. पी. उन्नीकृष्णन और अन्य अनेक सदस्यों ने श्री पी. सी. सेठी के विरूद्ध निशेषाधिकार के प्रश्न पर सूचनाएं दी थी।

श्री राम विलास पासवान : इस पर क्या हो रहा है ? स्टेट होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सब आया है। फैक्ट्स मांगे हैं।

श्री राम विलास पासवा : दूसरी चीज आपने कही कि फैक्ट्स मंगवा रहे हैं। मेरा कहना है कि मेम्बर के जीवन को खतरा हो आपकी जवानदेही हो जाती है कि गृह मंत्री से तुरन्त फैक्ट फाइंडिस करके सदन को बतायें।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट में थोड़े ही हो जाता है।

श्री राम विलास पासवान : अब आपने जार्ज फर्नान्डीस के बारे में कहा। जब मेम्बर मर जायेगे तब ऐक्शन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इनक्वायरी तो होती है।

श्री राम विलास पासवान : जब मेम्बर मर जायेगा तब इनक्वायरी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे अगर मेम्बर मर जायेंगे तो हम कैसे जिन्दा रहेंगे। अब आप बैठिये मैं रूलिंग दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : आप डायरेक्ट तो कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : डायरेक्ट तो कर दिया। मैंने पहले ही गृह मंत्रालय को निदेश दे दिया है, मैंने उन्हें लिखा है, मुझे नियमों के अनुसार चलना है, मुझे उन्हें लिखना होगा, उनसे तथ्य मंगाने होंगे, (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या गृह मंत्रालय इस पर तत्काल कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री राम विलास पासवान : अपने जार्ज फर्नान्डीस के बारे में चार दिन पहले कहा। मैं जान सकता हूं कि अब तक क्या कार्यवाही हुई ? तुरन्त का क्या मतलब होता है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि गृह मंत्री श्री जार्जफर्नान्डीस के मामले में इतने सप्ताह ले सकते हैं तब श्री जटिया के मामले में क्या होगा।

श्री राम विलास पासवान : श्री भोगेन्द्र झा पर हत्या का मामला चला।

अध्यक्ष महोदय : हमने श्री भोगेन्द्र झा का मामला तुरन्त तय कर दिया था (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हो सकते हैं ·· (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आप एक बात का जवाब दे दीजिये। आप की नोटिस में यह आया कि किसी एम. पी. पर फ़ायरिंग हुई। क्या सदन आपसे यह तवक्को नहीं रखता है कि मेम्बर के ऊपर जो फायरिंग हुई ज्यादा से ज्यादा दो, तीन दिन में उसके फैक्ट्स आपके पास आ जाने चाहियें। इसके ज्यादा अगर समय लगे तो वह तो एक आम रूटीन की बात हो जाती है और मुमकिन है उससे गलतफहमी फैले। आखिर हम आपकी प्रौटेक्शन चाहते हैं। यों तो देश का कानून सभी नागरिकों के लिये समान है। लेकिन अगर मेम्बर पार्लियामेंट पर हमला हो और वह मामला आपके सामने सदन में रखा गया और आप कहो कि जांच करवाते हैं, और अगर वह जाँच 2,3 दिन से ज्यादा चलती है मेम्बर पर फायरिंग की तो न तो सदन की जाँच का, न आपकी जाँच का कोई मतलब है। मतलब तो और ही है। आपसे प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि आप होम मिनिस्टर से पूछें। चिट्ठी लिख कर नहीं तो पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल उठाने का और आपको कहने का मतलब यह है कि फौरी तौर पर होम मिनिस्टर उस पर बयान दें और 6 महिने के बाद तो कोई मतलब नहीं होगा। और आप अन्याय कर रहे हैं अगर इस काम के लिये होम मिनिस्टर को नहीं कहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आप स्वीकार करेंगे कि गम्भीर मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल मैं समझता हूं। जो हमारे मेम्बर के साथ हो रहा है वह सीरियस है। ··· (व्यवधान)

श्री बिहारी वाजपेयी : तो जल्दी इस बारे में सूचना आनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : हम समझते हैं कि आप कहेंगे कि यदि जांच से पता चलता है कि संसदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान श्री जाटिया को हुआ है तो आप इसे गंभीरता से लेंगे। कोई संसद सदस्य संसद के बाहर अपने कार्यक्रम का निर्वहन करता है तो मैं नहीं जानता कि आप इस कर्त्तव्य को कैसे परिभाषित करेंगे कि यह लोक कर्त्तव्य है जब श्री भोगेन्द्र झा को मामलावस्था में यहां लाया गया था और मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था उस

पर हमला संसद भवन के ऊपर नहीं हुआ था। वह लोक कर्त्तव्य के सिलसिले में कहीं बाहर गये हुए थे। परन्तु मामले को विशेषाधिकार का मामला समझ कर लिया गया था। इसलिए यह निश्चित ही एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात का खंडन नहीं किया है। मेरे सदस्य को चोट पहुंचायी जाती है तो मैंने हमेशा इसे गंभीर समझा है। परन्तु मुझे तथ्य जानने होंगे और फिर अपना विनिर्णय देना होगा (**व्यवधान**) गृह मंत्री को इसे नोट करना चाहिए। आपको हमने चिट्ठी लिखी थी।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मामला क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जार्ज फर्नान्डीस के लिये थी। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : जाटिया जी के ऊपर हमला हुआ है, वह घायल हुए हैं, आप भारत के गृह-राज्य मंत्री हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य भगवान देव : वह तो भोपाल में घूम रहे हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, आप ?

श्री भोगेन्द्र मकवाना : जहां तक इस घटना का संबंध है मुझे जानकरी मंगानी होगी। परन्तु जहां तक श्री फर्नान्डीस की घटना का संबंध है मैंने कल टेलीफोन पर पुलिस अधिकारियों से बात की है और मैंने उन्हें विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। टेलीफोन में दी गई जानकारी के अनुसार उसने मुझे यह बताया कि किसी ने दिन के लगभग 2 बजे अंदर हवा में गोली चलाई थी जब कि श्री फर्नान्डीज ने लगभग 4 बजे सभा को संबोधित किया। इसलिए कि फर्नान्डीज पर हमले का इससे कोई संबध नहीं है और न ही श्री फर्नान्डीज पर गोली चलाई गई थी। मैंने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मैं आपको विश्वाश दिलाता हूं कि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसे सभा के समक्ष भी रख सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या कबूल किया है कि गोली चली और मंत्री महोदय बता नहीं रहे हैं कि किस कारण गोली चली ? हवा में गोली चलने का क्या कारण है ? (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : किस प्रकार गोली चली, कौन चला रहा है ?

श्री जगपाल सिंह हरिद्वार : हवा में गोली चली तो किस प्रकार चली ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले पूरी जांच करके अपने को संतुष्ट कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सदस्य की रक्षा की जानी चाहिए। यह इतना आसान नहीं है ··(**व्यवधान**)

श्री इंद्रजीत गुप्त : श्री जाटिया के मामले में जांच कौन करेगा ? उस पर तो स्वयं पुलिस ने हमला किया है। यदि वह पुलिस से रिपोर्ट देने को कहते हैं तो वे झूठी रिपोर्ट देंगे।

अध्यक्ष महोदय। मेरी एजेंसी सरकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि पुलिस स्वयं हमलावर है तो वे आपको क्या रिपोर्ट देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : असलियत छिपी नहीं रहती, आ जाती है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने तो कहा है वह बड़ा गंभीर है। आपने कहा है, "मेरी एजेंसी केवल पुलिस है"।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस नहीं; मैंने कहा था, सरकार···

श्री चन्द्रजीत यादव : आपका सूचना का स्रोत सरकार है। परन्तु यहां गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखते हुए, श्री जाटिया का मामला विशेष संदर्भ में है। श्री जाटिया पर स्वयं पुलिस ने हमला किया था; उसकी पुलिस द्वारा पिटाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना होगा (**व्यवधान**) मुझे जानना होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको सरकार को यह कहना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह अदालती जांच करायें। अदालती जांच से तथ्यों का पता लगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात का वायदा नहीं कर सकता। मैं यही वायदा कर सकता हूं कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मामला विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं भेजा जा रहा है ? समिति जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाये बिना कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है; आप तथ्यों का पता लगाकर फिर निर्णय करिए।

श्री हरिकेश बहादुर : आप इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कौन कहता है ? आप मेरे मुंह से इन शब्दों को क्यों कहलवाना चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : यदि पुलिस अपराधी है और यदि पुलिस ही जांच कर रही है तो वह कैसे सही रिपोर्ट दे सकती है ? वे तो तथ्यों को दिखायेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर यह देर से सारे निकल जायेंगे। यह कोई बात हुई ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण)। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सभी मामलों में पूर्व दृष्टान्तों को लेते हैं। पांचवीं लोक सभा के दौरान श्री के. सी. हाल्दर पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मामला निबट गया है। यह नियम प्रतिकूल है; इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भाई, आप काहे को आपस में कर रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप पूर्ण दृष्टांतों का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं ? यह कोई किसी मामले को रफा-दफा करने का प्रश्न नहीं है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं बैठ जाऊंगा बशर्ते आप यह आश्वासन दें कि आप पूर्व दृष्टान्तों का अनुसरण करेंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, श्री जैल सिंह तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में निर्णय

अध्यक्ष महोदय : श्री के. पी. उन्नीकृष्णन तथा अनेक अन्य सदस्यों ने बजट अधिवेपन में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, गृह मन्त्री, ज्ञानी जैल सिंह तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इस बात की जांच कराने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनायें दी थीं कि उन्हें (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन को) "फाइलों टिप्पणों तथा प्रतिवेदनों की फोटों प्रतियाँ कैसे हाथ लगी जिनमें से नियम 193 के अधीन उन्होंने 23 दिसम्बर 1980 को लोक सभा में चर्चा के दौरान उस दिन उद्धृत किया था और सभा पटल पर रखा था" जो बम्बई हाईकम्पलैक्स के आधार पर बनाये जाने वाले यूरिया तथा अमोनिया उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रविधि के चुनाव और विदेशी सहयोग के बारे में थी।

8 मई 1981 को मैंने सभा को बताया था कि सम्बन्धित मंत्रालयों से प्राप्त हुई वास्तविक जानकारी के सन्दर्भ में मैंने श्री उन्नीकृष्णन और कुछ अन्य सदस्यों से इस मामले पर चर्चा की है जिन्होंने इस विषय पर विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनायें दी थी। चूंकि उन्होंने कुछ और मुद्दे भी उठाये थे अतः मैंने सभा में अपना यह अभिमत व्यक्त किया था कि मैं इस मामले की और छानबीन करूंगा। तदनुसार मैंने यह निदेश दिया था कि सम्बन्धित मंत्रालयों को भी के. पी. उन्नीकृष्णन द्वारा अपने दिनांक 6 मई 1981 के एक पत्र में उठाए गए मुद्दों पर वास्तविक सूचना देने के लिए कहा जाएगा।

सम्बन्धित मंत्रालयों ने अपनी उन टिप्पणियों में, जिनका अनुमोदन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री तथा गृह मंत्री ने किया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालयों में दाखिल किए गए शपथ पत्रों में उक्त ससद सदस्य तथा लोक सभा में उनके भाषण सम्बन्धी बातें तथ्यों का ही कथन है और वे इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी कार्यवाही का आधार नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जाँच तथा कार्यवाही 23-12-80 को लोक सभा के वाद-विवाद तथा उसकी कार्यवाही पर आधारित नहीं है और न ही ब्यूरो द्वारा इस मामले में उक्त संसद सदस्य अथवा किसी अन्य संसद सदस्य से पूछताछ की गयी या की जाने वाली है। उन्होंने यह भी बताया है कि "यद्यपि जाँच करीब तीन मास से की जा रही है तथापि श्री उन्नीकृष्णन से केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने न तो सम्पर्क स्थापित किया है और न ही उनकी जाँच की है और न ही इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारियों का इरादा श्री उन्नीकृष्णन से मिलने या उनकी जाँच कराने का है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में संसद में जो कुछ हुआ उनके बारे में कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि "सितम्बर 1981 में किसी समय सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों ने पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की थाल वेयट तथा हजीरा स्थित अमोनिया संयन्त्रों के लिए सलाहकारों के चयन से सम्बन्धित फाइल से कतिपय वर्गीकृत दस्तावेजों के कथित चोरी छिपे प्रकट हो जाने के बारे में प्रोज रूप से जाँच की थी "उपरोक्त पूछताछ और तहकीकात सरकार के प्राधिकारियों द्वारा माननीय सदस्य के लोक सभा में 23 दिसम्बर 1981 को किए गए रहस्योद्घाटनों से पहले की गयी थी।"

उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच और पूरी

छानबीन जिसका मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है सदस्य महोदय को धमकाने या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए नहीं की गई थी बल्कि देश के व्यापक हित में अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कागजात आदि की गोपनीयता बनाए रखने के प्रयोजन से की गई थी।

मैं इस बात पर पुनः जोर दूंगा कि सभा में भाषण करते समय जब ऐसे नाजुक मामले पर बोलना हो, पूरी सावधानी और विवेक बरता जाना चाहिए ताकि किसी भी गलतफहमी का कोई अवसर न आये।

मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 6 मार्च 1981 को दाखिल की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट को और ब्यूरो के अधीक्षक द्वारा 25 मार्च 1981 को ग्रेटर बम्बई के सेशन कोर्ट में दाखिल किया गया शपथ पत्र तथा 31 मार्च 1981 को बम्बई हाई कोर्ट में ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक द्वारा उस शपथ पत्र को भी पढ़ा है जो वर्गीकृत किस्म की उस सूचना/दस्तावेजों जो पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की फाइल का अंग है।" के कथित चोरी-छिपे प्रकट हो जाने के बारे में है। मैंने पाया है कि उक्त दस्तावेजों में श्री के. पी. उन्नीकृष्णन द्वारा लोक सभा में किए गये रहस्योद्घाटनों और उनके द्वारा 23 दिसम्बर 1980 को नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान सभा पटल पर रखे गये दस्तावेजों का हवाला है। इन दस्तावेजों को समूचे तौर पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि उक्त हवाला देने का आशय श्री के. पी. उन्नीकृष्णन संसद सदस्य के विरुद्ध, उनके द्वारा लोक सभा में दिए गये भाषण के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी कार्यवाही का आधार बनाना नहीं है।

बेहतर यह होता है कि जिस प्रकार जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा शपथ पत्रों में सभा की कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, वैसा न किया जाता। मेरा विश्वास है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

तथापि गृह मंत्रालय और पैट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा बताई गई स्थिति, विशेषकर उनके इस स्पष्ट कथन को देखते हुए कि श्री उन्नीकृष्णन से न तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से सम्पर्क स्थापित किया है और न ही उनकी जाँच की है तथा जांच प्राधिकारियों को श्री उन्नीकृष्णन से इस सम्बन्ध में संपर्क करने और उनकी जांच करने का कोई इरादा नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता और इसलिए मैं नियम 222 के अधीन इसे उठाने की अनुमति नहीं देता।

तथापि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी भी एजेंसी द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी सदस्य के संसद में निर्बाध कार्यकरण पर प्रभाव पड़े या जो ऐसा करने से उसे रोके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक अच्छा निर्णय है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवानिवृत्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1981, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवानिवृत्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 जून 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा. का. नि. 539 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3089/81]**

(2) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 3090/81]**

(3) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 3091/81]**

(4) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 3092/81]**

(5) बालक अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 1/27/72—जनरल की एक प्रति जो दिनाँक 7 सितम्बर, 1981 के लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है जो दिनांक

18 अगस्त, 1981 के लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3093/81]

(6) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एडमि/ला/सिट/193(2)/6/81 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दादरा तथा नागर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम, 1981 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, जो दिनांक 6 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमि/ला/सिट/193(2) (5) 81 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3094/81]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनायें, इंडियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 758 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1981 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 914 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 3095/81]

@@ (2) इण्डियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) के 5 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुई अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

@@ (3) इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर नियन्त्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 3096/81]

@@ इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत का 5 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुई अवधि के लेखापरीक्षित लेखे 19 मार्च, 1981 को सभा पटल पर रखे गये थे।

प्राक्कलन समिति

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के बारे में सरकार से प्राप्त उत्तर दर्शाने वाला विवरण

श्री एस. बी. पी. पट्टाभि रामा राव : महोदय मैं, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग—अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबोधन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) की गई कार्यवाही संबंधी सातवें प्रतिवेदन के अध्याय-5 के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर तथा अन्य अध्यायों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

(दूसरा प्रतिवेदन)

श्री जमीलुर्रहमान : महोदय, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव वक्तव्य देंगे।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, चीन के विदेश मंत्री के भारत के दौरे के दौरान ··

एक माननीय सदस्य : श्री नरसिंह राव कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव दूसरे सदन में हैं।

बीजिंग में हुई भारत-चीन वार्ता, इजराइल द्वारा गोलान हाइटस को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल किये जाने और पोलैण्ड में स्थिति के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : चीन के विदेश मंत्री की भारत-यात्रा के दौरान हमने यह स्वीकार किया था कि द्विपक्षीय समस्याओं के बारे में और द्विपक्षीय आदान-प्रदान के बारे में भी अधिकारी-स्तर की बातचीत का अगला दौर पीकिंग में होगा। तदनुसार पीकिंग में 10 से 14 दिसम्बर तक पांच दिन तक बातचीत का यह सिलसिला चला। इस बातचीत के तीन पूर्ण अधिवेशन हुए तथा सीमा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध विषयों पर उप दलों की कई बैठकें हुई। प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से भेंट की तथा वे बहुत सी संस्थाओं में भी गए। प्रतिनिधिमंडल ने उप प्रधान मन्त्री एवं विदेश मंत्री हुआंग हुआ से भी मुलाकात की। सभी बैठकों में और बातचीत में भी वातावरण मित्रता-पूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहा।

जहां तक सीमा का प्रश्न है, हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि बातचीत के पहले दौर में

ही कोई खास प्रगति संभव होगी। दोनों पक्षों के बीच काफी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है और काफी मतभेद के बावजूद हम यह उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप एक-दूसरे की स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझना मुमकिन होगा। अपने प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब इस सिलसिले को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। जो भी हो, हम स्वयं इस बैठक को ही, जोकि पिछले 20 वर्षों में इस विषय पर पहली बैठक थी एक रचनात्मक कदम मान सकते हैं। मेरा ख्याल है कि चिनी पक्ष का भी यही मत है।

प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे संस्कृति, व्यापार, आर्थिक सहयोग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आदान-प्रदान के स्तर पर विचार किया और अब विभिन्न मंत्रालयों और अभिकरणों द्वारा भविष्य के अस्थायी कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने सदन को बार-बार सूचित किया है, सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को पूर्णतया सामान्य बनाना चाहती है और यह तभी संभव है जबकि हम अपनी सभी समस्याओं को पूरी तरह निपटा लें और सभी क्षेत्रों में स्थायी सम्बन्ध स्थापित कर लें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मध्यपूर्व की ताजा घटना के संबन्ध में कुछ कहने की अनुमति चाहूंगा। मेरा अभिप्राय सीरियाई प्रदेश गोलन हाईटस को अपने प्रदेश में मिला लेने के इजराइल के निर्णय से है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष पहले ही प्रस्तुत है और इस पर विचार-विमर्श करने के लिए सुरक्षा परिषद को विशेष रूप से बुलाया गया है। महासभा में भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा रखा है जिसमें इजराइल द्वारा अधिकृत सीरियाई अरब प्रदेश गोलन हाइटस पर इजराइली कानून लागू करने के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और इस बात की पुनः पुष्टि की गई है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों और संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अधीन किसी प्रदेश पर बलपूर्वक कब्जा करने की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा साथ ही इस मसौदे में दूसरी बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि महासभा :

(1) यह घोषणा करे कि इजराइल का यह निर्णय बेमानी है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है;

(2) इजराइल की पराये प्रदेश को अपने प्रदेश में मिलाने की नीति की, जिस पर वह निरंतर चलता आ रहा है और जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, कड़े शब्दों में निन्दा करें,

(3) इजराइल से यह मांग करें कि वह अपने इस निर्णय को तत्काल वापस ले,

(4) सभी राज्यों, विशिष्ट अभिकरणों और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कहे कि वे इस निर्णय को मान्यता न दें,

(5) सुरक्षा परिषद से यह अनुरोध करे कि अगर इजराइल इस संकल्प के अनुरूप अमल न करे तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत कार्यवाई की जाये।

इस मामले पर यद्यपि न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में अभी विचार-विमर्श और बहस हो रही है लेकिन यह साफ है कि इजराइल जोर जबरदस्ती से अपने राज्य का विस्तार करने की नीति पर बराबर चल रहा है। यह अत्यन्त उत्तेजनात्मक और आक्रामक है क्योंकि यह नीति दूसरों को

जीतने और लड़ाई करने की नीति है जिससे पश्चिम एशिया की स्थिति जो पहले से ही तनावपूर्ण और निःसन्देह विस्फोटक है, और अधिक गंभीर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में मैं पोलैंड की ताजा घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि पोलैंड में 12/13 दिसम्बर की मध्य रात्रि को आपात्-कालीन स्थिति की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय मुक्ति सेना परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी घोषणा प्रधान मन्त्री जास जैलस्की ने एक रेड़ियो प्रसारण में की थी और उन्होंने कहा था कि वे यह कदम "पोलैंड के संविधान के अन्तर्गत उठा रहे हैं।"

हम व्यवधानग्रस्त संचार की परिस्थितियों में इन घटनाओं पर ध्यान दे सके हैं। पोलैंड के नई दिल्ली स्थित राजदूत अपनी सरकार के अनुदेश पर, कल सुबह से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे हाल की घटनाओं के बारे में बतलाया था। उन्होंने वारसा स्थित हमारे राजदूत का यह संदेश भी दिया कि पोलैंड के प्राधिकारी भारतीय राजदूतावास के लिए आवश्यक रक्षा संबंधी कार्यवाई कर रहे हैं और पोलैंड में भारतीय समुदाय के सभी लोग सुरक्षित हैं।

पोलैंड में जो कुछ हो रहा है वह वहाँ की सरकार और वहां के लोगों की चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि वे कम से कम समय में अपने इस संकट पर काबू पा लेंगे। हम इस प्रकार की घटनाओं को अहस्तक्षेप के सिद्धान्त के प्रति अपनी वचनवद्धता की दृष्टि से देखते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे एक अनुरोध करना है। हम वक्तव्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। परन्तु मैं माँग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिये।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं पहले ही आप को नोटिस दे चुका हूं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुन्टर) : चर्चा से लाभ क्या है ?

सदस्यों की रिहाई

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे आज उज्जैन के जिलाधीश से दिनाँक 16 दिसम्बर, 1981 का निम्नलिखित आशय का तार प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सूचित करना है कि श्री सत्यनारायण जटिया, लोक सभा सदस्य को, जिन्हें उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात में बाधा उत्पन्न करने के कारण गिरफ्तार किया गया था, शांति बनाये रखने का आश्वासन दिये जाने पर 15-12-81 8.30 म. पू. पर रिहा कर दिया गया।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : पीटे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सदस्यों के वैयक्तिक स्पष्टीकरण

अध्यक्ष महोदय : डा. स्वामी।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैं आपका ध्यान नियम 357 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें उल्लेख किया गया है कि स्पष्टीकरण केवल सदन में कही गई किसी बात के बारे में ही दिया जा सकता है। लोक सभा वाद-विवाद के दौरान सदन द्वारा किये गये पहले एक निर्णय के अनुसार, मैं पृष्ठ 351 पर शकधर द्वारा प्रक्रिया पर की गई टिप्पणी का उरद्धरण नहीं दे रहा हूं। 4-6-71 को सदन के सामने एक मामला उठा था। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे पढ़कर बताता हूं। यह कहा गया था :

"जून 2, 1971 के एक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ ..."

तब प्रो. मधु दण्डवते द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा था...

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : इस वाद-विवाद में आप मुझे क्यों शामिल करते हैं।

श्री एन. . शेजवलकर : पहले जो कुछ हो चुका है मुझे उसका उद्धहरण देना है। मैं आपको शामिल नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मधु दण्डवते का स्पष्टीकरण मेरे सामने है।

श्री एन. के. शेजवलकर : अपनी बात के स्पष्टीकरण में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात उठाई गयी थी कि विरोध सदन से बाहर प्रकट किया जाना चाहिये। सदन को वक्तव्य के बारे में कुछ करना धरना नहीं है। यदि संसद सदस्य वक्तव्य देते हैं, तो सदन का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

"**श्री एस. एम. बनर्जी** : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक है।

श्री एस. एम. बनर्जी : उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं श्री दडवते के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं. परन्तु विरोध प्रकट करने के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है।

श्री एस. एम. बनर्जी : वह प्रेस के द्वारा विरोध प्रकट कर सकते हैं परन्तु इस मंच का प्रयोग इसके लिये नहीं किया जाना चाहिये।

प्रो. मधु दण्डवते : हस्ताक्षर सदन में ही कराये गये थे (**व्यवधान**)"

आगे बताया गया था :

"**अध्यक्ष महोदय** : यह सदन से बाहर घटित हुई घटना से सम्बन्धित है। यदि सदन में हस्ताक्षर कराये जाते हैं, उनका कोई रिकार्ड नहीं होता। यह हाथों हाथ आकर चुपके से हुआ है। यहाँ कुछ नहीं बोला गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हस्ताक्षर कराने की बात भी ठीक नहीं है"

इसे चुनौती दी गई थी.

"**अध्यक्ष महोदय** : यह हमारे ध्यान में नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं प्रक्रिया नियमों के भंग किये जाने का समर्थक नहीं हूं। इसीलिये, मैं आपसे आपके चैम्बर में मिला था और मैंने कहा था "यदि आप मुझे स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें तो मैं अकेला भी स्पष्टीकरण देने के लिये सदन में खड़ा हो सकता हूं। आपकी स्पष्ट अनुमति के पश्चात् ही मैं स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा हुआ था"

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी गलती है"

और इस प्रकार इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया। अतः मेरा अनुरोध है कि कोई स्पष्टीकरण ··

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में है। मैंने इसे देखा है। यह मेरे पास है।

श्री एन. के. शेजवलकर : अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त, श्री शेजवलकर जी मेरे अब जिस बात का उल्लेख कर रहा हूं वह प्रेस का समाचार नहीं अपितु सदन के रिकार्ड में मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है।

श्री एन. के. शेजवलकर : अतः महोदय, पहले तो यदि मेरी बात ठीक है तो अन्तिम पैराग्राफ माननीय सदस्य से सम्बन्धित नहीं है जिनके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाता है। महोदय, माननीय सदस्य श्री तिवारी ने कुछ कहा है। इसलिये यदि उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाती है, तो यह ठीक है। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु सदन से बाहर कही गई किसी बात के बारे में प्रेस द्वारा उसका किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा किसी और स्पष्टीकरण का उल्लेख इस वक्तव्य में नहीं किया जा सकता। मुझे इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में मौजूद है।

श्री एन. के. शेजवलकर : इसीलिये मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं ?

प्रो. मधु दण्डवते : मैं इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि सदन में मेरे द्वारा की गई टिप्पणी रिकार्ड से निकाली नहीं गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है। यही नहीं, मैंने उसके बारे में कहा भी है। मैंने कोई चीज रिकार्ड में देखी है और उसी के आधार पर मैं अनुमति दे रहा हूं। मेरे विचार से, आपने मुझे ठीक से नहीं उठाया है। **(व्यवधान)**

श्री एन. के. शेजवलकर : उस समय, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं ? नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये। आप अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। यह बुरी बात है। आपको व्यवधान नहीं करना चाहिये। मैंने उन्हें अनुमति दी है, मैं यहां बैठा हुआ हूं।

श्री एन. के. शेजवलकर : उसमें और इसमें यही अंतर है : वहां कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला गया था क्योंकि यह रिकार्ड में गया था। वक्तव्य श्री दंडवते द्वारा दिया गया था। वहां मैं वक्तव्य से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यही अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मेरे पास वह विवरण मौजूद है जो मैं रिकार्ड में देख चुका हूं। मैंने इसीलिये इसकी अनुमति दी है। अब, डा. स्वामी।

श्री एन. के. शेजवलकर : उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं करना है। मैं ·· भाग दो के बारे में कह रहा हूं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : 4 दिसम्बर, 1981 को प्रो. के. के. तिवारी ने इस सभा के सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुए अन्य बातों के साथ साथ, यह कहा था :—

'मैंने नियम 222 के अन्तर्गत श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध एक नोटिस दिया है जिन्होंने डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को सी. आई. ए. एजेन्ट कहा है। उनकी यह टिप्पणी विदेश मंत्री के रूप में उनकी जानकारी पर आधारित है। प्रोब' में श्री वाजपेयी के साथ हुई एक भेंट वार्ता प्रकाशित हुई है जिसमें श्री वाजपेयी ने कहा है कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी सी. आई. ए. एजेन्ट हैं।"

प्रो. तिवारी के उक्त वक्तव्य प्रेस ने बहुत ऊंचा उछाला है और जैसा कि मैंने कल सदन में बताया था कि कहीं लोग इसे गलत न समझें इसलिये मेरा चुप रहना संभव नहीं है। मैं पूरे जोर से यह बात कहना चाहता हूं कि सी. आई. ए. के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और आरोप निराधार दुर्भावनोपूर्ण है।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : आरोप किसने लगाया है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि यदि श्री वाजपेयी के पास सी. आई. ए. के साथ मेरे कथित सम्बन्धों के बारे में कोई प्रमाण है तो इसे प्रमाणित करने का उनमें साहस होना चाहिये अन्यथा उन्हें अपने आरोप को वापस लेना चाहिये और सदन के समक्ष क्षमा याचना करनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में मेरे इन्टरव्यू के रूप में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, पहले तो सत्तारुढ़दल के एक माननीय सदस्य द्वारा मेरे विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में उसका मेरे विरुद्ध सदन में उल्लेख किया गया है और इसके पश्चात विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में उसका उल्लेख किया गया है।

आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी, यदि आप अनुमति देते भी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अब आपने बम्बई (उत्तर-पूर्व) के एक माननीय सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में एक वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

एक माननीय सदस्य : वह कौन हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपने मस्तिष्क से कुछ कार्य कीजिये। मुफ्त में खार करना चाहते हो। तुम अपनी गल्तियां नहीं सुलझा सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि सदन में जब कभी किसी एक सदस्य द्वारा दूसरे पर कोई आरोप लगाया गया तब जिस सदस्य पर आरोप लगाया गया उसने यह कहकर आवाज की है कि उन्हें बदनाम करने के लिये संसदीय विषाधिकार

का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप लगाने वाले सदस्य को सदन से बाहर आरोप लगाने के लिये चुनौती दी गई ताकि उसके विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज किया जा सके। यह विवाद प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई सामग्री से दिया हुआ है।

जैसाकि मैं आपको सूचित कर चुका हूं मैंने पत्रिका के विरुद्ध मेरा कथित इन्टरव्यू प्रकाशित करने के बारे में प्रेस परिषद से शिकायत की है। प्रेस परिषद संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई और उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं। क्योंकि परिषद इस मामले से अवगत है, मैं उस विषय में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता कि मैंने कभी भी चरित्र हनन की नीति में विश्वास नहीं किया है और संसद सदस्य के रूप में 20 वर्षों से भी अधिक की अवधि में मैंने साथियों के साथ अपने व्यवहार में अपना एक स्तर बनाये रखने का प्रयास किया है।

बम्बई (उत्तर-पूर्व) से आने वाले माननीय प्रेस परिषद का निर्णय आने तक प्रतीक्षा करें अथवा अपनी शिकायत दूर करने के लिये मामला न्यायालय में ले जायें।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

प्रो. के. के. तिवारी : आपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति दी है। आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में और कुछ नहीं। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, दो बहुत गंम्भीर वक्तव्य दिये गये हैं। मामले पर प्रेस परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा के बजाये यदि श्री वाजपेयी यह कहें कि यह गलत है. यदि यह प्रतित होता है कि इन्टरव्यू सही ढंग से प्रकाशित नहीं हुआ है···

कार्यमंत्रणा समिति

24वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा 16 दिसम्बर, 1981 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय··· ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का यह प्रश्न नियम 290 के अन्तर्गत है। मैंने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में दो संशोधनों की सूचना दी है।

मैंने दो संशोधन दिए हैं। मैं चाहता था कि यह सभा कुछ बातों पर विचार करें। अभी आपने यह भी निर्णय दिया है कि यह इसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है तथा संशोधन

नियमानूकूल नहीं हैं। मैंने आपके कार्यालय को सूचित कर दिया है कि यह संशोधन केवल समय के आवंटन के बारे में ही किया जा सकता है। नियम 290 इस प्रकार है :

"प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापिस भेज दिया जाय।"

मेरा संशोधन यह है कि यह प्रतिवेदन समिति को वापिस भेज दिया जाये क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि बेरोजगार युवक को 150 रुपये मासिक का बेरोजगारी भत्ता दिये जाने और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किये जाने के संबंध में मंडल आयोग के प्रतिवेदन के मामले पर इस सभा द्वारा इसी सत्र में चर्चा की जानी चाहिए जब नियम 290 के अधीन मेरा संशोधन नियमानुसार है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसे नियम के प्रतिकूल किस प्रकार बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह परम्परा है। कार्यमंत्रणा समिति में हमने निर्णय किया था क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति में पूरे विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि होते हैं और उस समिति के प्रतिवेदन में संशोधन करना अच्छी बात नहीं है।

कार्यमंत्रणा समिति में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सुस्थापित परम्परा के अनुसार सामान्यत: कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता केवल किन्हीं विशेष अवसरों पर ही संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रकार के संशोधन केवल कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में किसी मद विशेष के लिए निर्धारित समय के आवंटन में परिवर्तन किये जाने के बारे में ही रहे हैं लेकिन इससे पूर्व कोई भी संशोधन एकदम कार्य की कोई नई मद सम्मिलित किये जाने के लिए नहीं किया गया तथापि 1980 से सदस्य कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में चर्चा के लिए कार्य की नई मदें शामिल करने के लिए संशोधनों की सूचनाएं देते रहे हैं। इसलिए हमने (**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : हमने कार्यमंत्रणा समिति में परम्परा के तौर पर निर्णय किया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : समिति नियमों के विरूद्ध किस प्रकार जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : संसद के अब तक के इतिहास में अब हमने केवल दो या तीन संशोधन रखे हैं और वह भी स्वीकृत नहीं किये गये। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : इस नियम का निर्वाचन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। आप मेरे पास आ जाइये। मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा यदि आप आश्वस्त न हों तो ठीक है। फिर आपकी इच्छा। नहीं तो कार्य-मंत्रणा समिति का कोई मतलब नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : तो नियम 290 का भी लोप कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह व्यवहारिक चीजें हैं। केवल सभा का कार्यसंचालन निर्बाध रूप से चलाने के लिए और कोई बात नहीं है।

प्रो मधु दण्डवते : मुझे अन्तुले वाले मामले के बारे में एक संशोधन का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई थी·····

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है।

प्रो. मधु दण्डवते : इस पर मत विभाजन भी हुआ था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : बाजपेयी जी ने मुझे एक पत्र लिखा है·····

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें कहां से आ गया (**व्यवधान**) नहीं, अनुमति नहीं दी गई। अस्वीकार कर दिया गया है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा···· "

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : शुक्रवार के दिन जब संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह के कार्य के बारे में वक्तव्य देते हैं तो उस समय 10 सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दी जाती है और यदि 10 सदस्यों से अधिक हों तो उनके नामों की शलाका की जाती है ····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बाबा, यह फैसला किया है। अब मेरे पास आ कर फैसला कर लेना। यह हाउस में नहीं किया करते।

आप कभी आइये, आपका स्वागत है (**व्यवधान**)

सारे के सारे आदमी बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)···· ··

आप मुझे सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चलाने दे रहे हैं। इसमें आपका ही फायदा है, मेरा नहीं।

क्या करते हैं आप ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये 'बाबा' कहां से हो गये हैं, अभी तो बाप भी नहीं बने।

अध्यक्ष महोदय : ये बाबा की तरह बात कर रहे हैं। सब एक तरफ और यह अकेले एक तरफ। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1981 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के. के. तिवारी : पत्र का क्या रहा। बाजपेयी जी ने मुझे एक पत्र लिखा है·····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कोई बात नहीं·····।

प्रो. के. के. तिवारी : उन्होंने सदन को गुमराह किया हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र है। उनका कहना है कि उन्होंने अनौपचारिक रूप से एक इंटरव्यू दिया है। लेकिन यहां वे एक "तथाकथित" इन्टरव्यू बताते हैं·····।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो. के. के. तिवारी : मैं इसे सभा पटल पर रखने जा रहा हूं.....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे लिखित रूप में दें तो मैं इस पर विचार करूंगा लेकिन यहाँ नहीं।

प्रो. के. के. तिवारी : उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरे पास लिख कर भेजिए।

चीनी विकास निधि विधेयक

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी उद्योग के विकास के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पुरःस्थापित की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी उद्योग के विकास के कार्यकलापों के वित पोषण के लिए और उससे संबधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

चीनी उपकर विधेयक

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापितकरने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

विधेयक स्वीकृत हुआ।

राव विरेन्द्र सिंह मैं यह विधेयक पुरःस्थपित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(एक) स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के दावों पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का गृह मंत्रालय जिसका स्वतन्त्रता सैनिकों की पेंशन से संबंध है में स्टाफ कम है। प्रार्थना पत्र एक लम्बे समय से पड़े हुए हैं। प्रार्थियों को पता नहीं कि क्या हो रहा है ? उनको यह भी पता नहीं कि उनके प्रार्थना पत्र पर विचार भी हो रहा है या नहीं। कम से कम उनको यह सूचना तो मिलनी चाहिए कि उनके प्रार्थना पत्र पर विच र हो रहा है। प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्ण प्रमाण पत्र आ जाने पर भी प्रदेश की सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है। वहां कोई सुनवाई नहीं होती। जब जेल जाने के प्रमाण पत्र हैं तो उनको पेंशन मिल जानी चाहिए। बाद में प्रदेशीय सरकार से जांच करानी चाहिए। स्वतन्त्रता सैनिक जब संबधित कार्यालय में जाते हैं तो कोई अधिकारी नहीं कि उनकी ओर ध्यान दें। एकाउन्टेंट जनरल, इलाहाबाद का कार्यालय तो ऐसा है जहां से कोई उत्तर नहीं मिलता। एकान्टेंट जनरल ने मेरे दो रजिस्टर्ड पत्रों के पहुंचने की सूचना नहीं दी।

स्वतन्त्रता सेनानी जब ट्रेजरी आफिस जाता है तो उसमें दस उंगलियों के निशान के लिये कहा जाता है। स्वतन्त्रता सैनिक संसद सदस्य के साथ ही ऐसा होता है। फोटो और हस्ताक्षर प्रमाणित हो जाने पर भी दस उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं।

प्रदेशों में स्वतन्त्रता सैनिक जो भूतपूर्व एम. एल. ए. हैं, उनको विधान सभा के सदस्य होने की और स्वतन्त्रता सैनिक की—दोनों की पेंशन मिलती है किन्तु केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को जो पेंशन मिलती है उसमें से स्वतन्त्रता सैनिक की पेंशन के बराबर कम कर लेती है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि स्वतन्त्रता सैनिकों के प्रार्थना पत्रों के निर्णय करने, उनको प्रार्थना पत्र आने की सूचना देने, एकान्टेंट जनरल के का लिय से पत्रों के उत्तर देने और ट्रेजरी आफिस द्वारा डकैतों और चोरों की तरह दस उंगलियों के निशान न लेने और संसद सदस्यों की पेंशन में स्वतन्त्रता सैनिकों की पेंशन कम न करने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

(दो) रानीगंज रेलवे प्लेटफार्म का विस्तार और आसनसोल रेलवे स्टेशन का विकास

श्री अजीत कुमार साहा (विशनुपुर)। महोदय, मैं सदन का ध्यान काफी समय से पड़ी हुई मांग तथा रानीगंज स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्मों को बढ़ाने की रानीगंज के लोगों की इच्छा और आसनसोल यार्ड में टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने की ओर दिलना चाहता हूं। इस संबंध में स्थानीय लोगों, प्रसिद्ध व्यक्तियों और संसद सदस्यों ने इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया था।

महोदय, आसनसोल यार्ड में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास से संबंधित तकनीकी या आर्थिक सर्वेक्षण अगस्त, 1981 तक पूरा हो जाने की आशा थी और यह भी संभव है कि वर्ष 1982-83 के बजट से पूर्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में जितने पूंजीनिवेश के लिए सिफारिश की गई

है, उस पर विचार भी कर लिया जाये। यह आश्वासन रेल मंत्रालय ने दिया था। परन्तु इस संबंध में अभी तक लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्रीमन्, उक्त तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत होनी है और मुझे इसकी प्रगति को देखते हुये यह आशंका है कि यह रिपोर्ट अगले वर्ष के बजट से पहले भी प्रस्तुत की जा सकेगी या नहीं।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उक्त रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत कराए ताकि रानीगंज रेलवे प्लेटफार्म के विस्तार और आसनसोल स्टेशन के विकास से संबंधित वास्तविक निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करके पूरा किया ज सके।

मैं मांग करता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय इस संबंध में सदन में वक्तव्य द।

(तीन) तमिलनाडु में लघु उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों का कथित अनियमित आवंटन

श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम (तिरूनेलवेल्ली)। मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि रेलवे वैगनों के अनियमित आवंटन, विशेषकर तमिलनाडू के लघु उद्योगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के परिवहन हेतु किए जाने वाले अनियमित आवंटन के कारण तमिलनाडू राज्य में लघु उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडू में ईट भट्टा निर्माता संघ, लघु उद्योगों को कोयला वितरण करने का कठिन दायित्व पूरा कर रहा है।

1978 से तमिलनाडू को कोयले की नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जा रही है। यह हिसाब लगाया गया था कि 1978 में लघु उद्योगों को 1500 वैगन कोकिंग कोयले की तथा 730 वैगन नोन कोकिंग कोयले की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता के समय वास्तविक रूप से तमिलनाडू के लिए क्रमशः 550 और 240 वैगनों का आवटन किया गया। 1979 में और भी कम आवंटन हुआ। वैगनों का यह कम आवटन 1981 में भी हुआ है।

मध्य रेलवे के नागपुर स्थित डिवीजनल ओपरेटिंग सुपरिटेंडेंट, तमिलनाडु की आवश्यकता के मुकाबले केवल 30 अथवा 50 प्रतिशत वैगनों का ही आवटन कर रहे हैं। जून में इस वर्ष तमिलनाडु के कोयले की आवश्यकता को सिंगरैनी कोयला खानों से पूरा किया जाना था लेकिन इसके लिए वैगनों का नियतन नहीं किया गया। जब यह बात रेल मंत्री की जानकारी में लाई गई तो उन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला। इसके पश्चात और सितम्बर में कोयले के परिवहन के लिए वैगनों के नियतन की स्थिति ठीक रही। लेकिन अक्तूबर में तमिलनाडु के लिए कोयले केवैगनों का आवटन रोक दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उन लघु उद्योगों को जिनका ऊर्जा स्त्रोत कोयला है, भारी कठिनाई हो रही है।

मैं मांग करता हूं कि रेलवे बोर्ड इसकी शीघ्र जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि तमिलनाडु को अविलम्ब कोयलों के वैगनों का नियमित रूप से आवंटन किया जाये।

(चार) बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गोआ के कालेजों के शिक्षकों के भत्तों में असमानता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हू।

बंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध गोवा के कालेजों के अध्यापक, उनके वेतनमानों में एक बड़ी असंगति होने के कारण बहुत उत्तेजित हैं। इन अध्यापकों पर वही वेतनमान लागू होते हैं जिनकी सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है। जहां तक भत्तों का संबंध है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार मंहगाई भत्ता और गोवा सरकार द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार मकान किराया भत्ता मिल रहा है। इससे न केवल प्रबंध संबंध समस्या उत्पन्न हो गई हैं अपितु इन भत्तों के भुगतान में विलम्ब के कारण अत्यधिक असुविधाएं होने के अलावा कर्मचारियों को पर्याप्त वित्तीय हानि भी हुई है। इन कालेजों के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता या तो बंबई विश्वविद्यालय से संबंध अन्य कालेजों पर लागू होने वाली दरों के अनुसार या गोवा प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों के अनुसार दिया जाना चाहिए। इस समय अपनाई जा रही दोहरी प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पांडिचेरी और चण्डीगढ़ के कालेजों, जहां इसी प्रकार की स्थिति है क्योंकि ये कालेज इन संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, के कर्मचारियों को स्थानीय दरों के अनुसार ये भत्ते मिल रहे हैं। गोवा के सरकारी कालेजों तथा कला अकादमी द्वारा चलाये जा रहे गोवा कालेज आटर्स के कर्मचारियों को भी स्थानीय सरकारी दरों पर न केवल मकान किराया भत्ता मिल रहा है अपितु मंहगाई भत्ता भी मिल रहा है हालांकि ये भी बंबई विश्वविद्यालयों से संबंध है। बंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध गोवा के गैर सरकारी कालेजों के मामले में ही दोहरी प्रणाली अपनाई जाती है।

ऊपर बताये गये कारणों की वजह से अध्यापक यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें। जनवरी 1973 से अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों के लागू होने की तारीख से स्थानीय दरों पर मंहगाई भत्ता दिया जाये। गोवा सरकार ने सिफारिश की थी कि इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने सभी पहलुओं अथवा कालेजों के कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किये बिना गोवा प्रशासन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मैं, अब भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने पहले के इस निर्णय पर फिर से विचार करें। मैं, सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि वह और विलम्ब किये बिना प्रस्तावित गोवा विश्वविद्यालय के बारे में कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(पाँच) राजस्थान में एक नलकूप निगम स्थापित किये जाने की मांग

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

स्वाधीनता के 34 वर्ष के बाद भी राजस्थान के गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता असंतोषजनक है और पानी लाने के लिए लोगों को मीलों चलना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए एक नलकूप निगम की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए केन्द्रीय सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए तथा कोई और विलम्ब किये बिना राज्य सरकार के सहयोग से नलकूप निगम स्थापित करना चाहिए।

(छः) मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चम्बल डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित किये जाने की मांग

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंवल डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में एक प्रमुख उद्योग स्थापित करने की अविलम्ब आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मध्यप्रदेश का ग्वालियर-चंवल डिवीजन आर्थिक दृष्टि से देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विशाल तंग घाटिया होने और इस क्षेत्र में बहने वाली चंबल, सिंध और कुवारी नदियों द्वारा लगातार मिट्टी का कटाव होने और इस क्षेत्र के काफी बड़े भाग के पहाड़ी भूभाग होने के कारण कृषि के लिए उपलब्ध भूमि न केवल रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने अपितु इसके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी के लिए जीवन-निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए भी अपर्याप्त है। ग्वालियर शहर को छोड़कर इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रमुख तथा मध्यम उद्योगों के न होने से रोजगार के वैकल्पिक अवसर नहीं मिलते।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि सरकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के कार्य को प्राथमिकता देगी किन्तु स्वाधीनता के बाद ग्वालियर-चंबल डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में कोई प्रमुख अथवा मध्यम उद्योग भी स्थापित नहीं किया है। हाल ही में, जब मध्यप्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय औद्योगिक विकास निगम स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी तो आरंभ में ग्वालियर को उन शहरों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था जहां ये निगम स्थापित किये जाने हैं। मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आभारी हूं जिन्होंने बाद में मेरा सुझाव स्वीकार किया और उस सूची में ग्वालियर को सम्मिलित किया।

डकैती की समस्या की पुनरावृत्ति होने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारण इस क्षेत्र का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना है। इस क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर सरकारी क्षेत्र में दो प्रमुख उद्योगों की स्थापना करने से लघु और मध्यम सहायक उद्योगों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काफी सहायता मिलेगी और साथ ही यह डकैती की समस्या का उन्मूलन करने की दिशा में एक सबसे प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करेगा।

आशा है कि सरकार ग्वालियर-चंबल डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में ऐसे प्रमुख उद्योगों को स्थापित करने की अत्यावश्यकता पर गंभीरता से विचार करेगी।

(सात) साबुत उड़द या उड़द की दाल का मूल्य स्थिर करने के लिये मध्य प्रदेश के उत्पादकों द्वारा उसका निर्यात करने की अनुमति दिये जाने की मांग।

डा. वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

खरीफ मौसम के आरंभ होने से पूर्व साबुत उड़द की कमी थी जिसके कारण सरकार ने अत्यावश्यक माग को पूरा करने के लिए इसका आयात करना उचित समझा। इस समय की स्थिति से यह संकेत मिलता है कि इसकी बहुत अच्छी फसल होगी। मध्य प्रदेश उड़द का अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। हाल के महीनों में अगस्त-सितम्बर से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले

तथा अन्य भागों में उड़द, जो एक नगदी फसल है, के मूल्यों में प्रति क्विंटल 100 रुपये से अधिक की गिरावट आई। मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के वाणिज्य मंडल तथा कई अन्य व्यापार संगठनों में निर्यात सलाहकार समिति को सुझाव दिया है कि वह साबुत उड़द अथवा उड़द की दाल का श्रीलंका तथा मध्य एशिया जैसे देशों को निर्यात करने की अनुमति दे। इससे साबुत उड़द के मूल्य स्थिर हो जायेंगे और किसानों, जिन्हें कम मूल्यों के कारण बहुत हानि हो रही है, के मन में जो आतक है वह दूर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त दाल मिल उद्योग को भी साबुत उड़द को दलने का ,पर्याप्त कार्य मिल जायेगा। खंडवा के दाल मिल एसोसिएशन ने सरकार को इस आशय के तार भेजे हैं कि वह साबुत उड़द से सम्बन्धित नीति की पुनरीश्रा करें और मध्य प्रदेश में बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात करने की अनुमति दें। उड़द और दाल का निर्यात करने की अनुमति देने से सरकार को भी काफी विदेशी मुद्रा मिलेगी और इस वर्ष के आरंभ में उड़द के यातायात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा संतुलित हो जाएगी। मुझे आशा है कि सरकार उड़द उत्पादकों को और हानि न होने देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी और अन्य वस्तुओं में होने वाले संभाबित संकट को न आने देगी। उड़द और दाल का तत्काल निर्यात करने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय की घोषणा वर्तमान सकट में समय पर की गई आवश्यक कार्यवाही होगी।

(आठ) "मेरी आवाज सुनो" फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिये मांग।

श्री जुलाम नबी आजाद (वाशिम) : मैं नियम 377 के अधीन देश में "मेरी आवाज सुनो" नाम से दिखाई जा रही फिल्म के बारे में केन्द्रीय गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि इसमें केन्द्रीय गृहमंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिरीक्षक को तस्करों तथा समाज विरोधी तत्वों के गिरोह का मुखिया बनाया गया है।

यह कहानी न केवल अरुचिकर है अपितु बहुत अपमानजक और निन्दात्मक भी है और इसमें ऐसे सार्वजनिक व्यक्तियों पर आक्षेप लगाए गए हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाई जाये और उक्त फिल्म के निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1981-82।

सभापति महोदय : अब यह सभा मद संख्या 10 और 11 पर चर्चा करेगी, जिसके लिए 4 घंटे का समय निश्चित किया गया है। माननीय मंत्री महोदय 5.30 बजे म. पू. बहस का उत्तर देंगे। अब मंत्री महोदय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

गृह मन्त्रालय में गृह राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदत करती है।"

अक्तूबर, 1981 के दौरान, राज्य में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार, वामपंथी गणतांत्रिक मोर्चे की संयुक्त सरकार, जिसका नेतृत्व श्री ई. के. नायनार कर रहे थे, अल्पसंख्यक सरकार में बदल गई और तदनुसार केरल के मुख्य मंत्री ने वहाँ के राज्यपाल को 20 अक्तूबर, 1981 को अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश किया। अपने राष्ट्रपति को भेजी गई, 20 अक्तूबर, 1981 की रिपोर्ट, जिसकी प्रतियां दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखी गई हैं और जो सदस्यों में परिचालित की गई है, में राज्यपाल ने यह सिफारिश की, कि संविधात के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति केवल के सम्बन्ध में एक उद्घोषणा जारी करें। राज्यपाल ने यह भी सिफारिश की कि केरल विधान सभा को अनिश्चित समय के लिए स्थगित रखा जाए।

केरल की राजनीतिक स्थिति अभी भी अस्थिर है। तदनुसार कोई भी मंत्रिमंडल 21 दिसम्बर, 1981 तक, जब तक राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई वर्तमान उद्घोषणा वैध है और बशर्ते कि संसद की दोनों सभाएं इस संकल्प को पारित न कर दें वह और आगे वैध नहीं रहेगी, कार्यभार नहीं संभाल सकेगी।

अत: मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा केरल के सम्बन्ध में 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाए :

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां केरल राज्य की संचित निधि से राष्ट्रपति को दे दी जायें—

मांग संख्या 5, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 30 और 41।"

केरल राज्य के सम्बन्ध में 1981-82 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लोक सभा की स्वीकृत के लिये पेश किया गया

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
पांच	कृषि आय-कर और बिक्री-कर	30,000	...
ग्यारह	जिला प्रशासन और विविध	6,60,000	...
बारह	पुलिस	30,000	...

1	2	3	
तेरह	जेलें	56,000	...
सत्तरह	शिक्षा, कला और संस्कृति	200	...
अठारह	चिकित्सा	100	...
बाईस	आवास	4,50,000	1,00,00,000
तेईस	शहरी विकास	...	50,00,000
पच्चीस	श्रम और रोजगार	5,00,000	...
सत्ताईस	सूखा	35,00,000	...
अट्ठाईस	सहकारिता	...	100
तीस	कृषि	100	...
इक्तालीस		...	3,00,00,000

श्री एम. एम. लारेंस (इदुक्की) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सभा में केरल राज्य के सम्बन्ध में अनुदान की अनुपूरक मांगों की चर्चा के सम्बन्ध में अपना विरोध तथा राय प्रकट करना चाहूंगा। इस सभा को अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पेश किए जाने तक केरल में राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में जारी की गई उदघोषणा के बारे में अन्धकार रखा गया। इस सम्बन्ध में सहमति लेने से पहले सरकार को कोई हक नहीं है कि वे सभा में अनुपूरक अनुदानों की माँगों को लाए। परन्तु इस शीघ्रता करने से इस बात का षड्यन्त्र दिखाई देता है कि केन्द्र सरकार केरल में गलत रास्तों से, अपनी अल्प-संख्यक सरकार लाना चाहती है और विधान सभा के सामने भी नहीं आना चाहती। एक केन्द्रीय मन्त्री, जिस पर केरल के लोगों को विश्वास नहीं रह गया, ने अल्प-संख्यक सरकार की हिमायत की है। वे इस तथ्य को भली-भांति जानते हैं। यही कारण है कि 1980 के आम चुनावों में वे केरल से भाग कर दिल्ली चुनाव लड़े और एक राष्ट्रीय नेता बनने का दावा करते हैं (**व्यवधान**), परन्तु दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। यहां से वे कर्नाटक भागे और वहाँ से इस सभा में आये।

श्री स्टीफन अल्प-संख्यक सरकार के बारे में तर्क देते हुए आईवर जीनिंगस का उल्लेख करते हैं, परन्तु उन्हें एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि यहाँ पर आईवर जीनिंगस ने नहीं अपितु केरल की जनता ने अपने भविष्य का निर्णय करना है। यह उन्हें ध्यान में रखना होगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि केरल के लोग यदि उन्हें निष्पक्ष चुनाव का मौका दिया गया तो, इस भले मानस व्यक्ति के विरुद्ध अपना फैसला देंगे और यदि किसी तरीके से उनका दल केरल पर एक अल्प-संख्यक सरकार थोपता है तो उन्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि केरल के लोग उसे सहज स्वीकार कर लेंगे।

केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे क्या कारण है ? यदि कोई व्यक्ति इनके वास्तविक कारणों का पता लगाये तो उसे पता चलेगा कि केन्द्र सरकार ने अपने हितों के लिए, अपने दल के हितों के लिए केरल सरकार को अपदस्थ किया। (**व्यवधान**) इस षडयन्त्र में दो केन्द्रीय मन्त्री श्री स्टीफन और श्री मकवाना शामिल है। जिस दिन से नयनार सरकार सत्ता में आई उसी दिन से यही दो व्यक्ति कानून और व्यवस्था का नाम लेकर राज्य सरकार पर आघात

करते रहे। श्रीमान, जहाँ तक केरल का सम्बन्ध है गृह राज्य मन्त्री श्री मकवाना के सम्बन्ध में वहां के लोग उन्हें "अव्यवस्था" मंत्री के नाम से जानते हैं। जब कभी भी उन्होंने केरल का दौरा किया, यह उनकी आदत बन गई है कि वे वहाँ बिना किसी आधार के और गलत-सलत बातें कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में उठाते रहे हैं। साथ ही साथ क्या मैं मन्त्री महोदय श्री मकवाना जी से पूछ सकता हूं कि उनके अपने राज्य गुजरात में क्या हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर देश की राजधानी में क्या हो रहा है। मेरे एक अन्य माननीय साथी श्री अराक्कल के साथ देश की राजधानी में जो हुआ वह एक उनका अपना अनुभव है श्री मकवाना वास्तविकता से दूर थे क्योंकि केरल पर वामपंथी गणतांत्रिक मोर्चा शासन कर रहा था। जब कभी "दल-बदल" के मुखिया श्री स्टीफन केरल जाते हैं वे अन्थनी और कांग्रेस (एस) के लोगों का स्वागत करते हैं ताकि कुछ लोगों को तोड़ सकें। यह भी बताया जाता है कि कांग्रेस (आई) के केन्द्रीय नेतृत्व ने केरल कांग्रेस, मनीग्रुप को अगले चुनाव में 22 विधान सभा सीटें देने का वायदा किया है यदि वे दल-बदल लें। यही कारण है कि मैं इस सभा से कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने केरल की लोकप्रिय सरकार को गैर-कानूनी तरीकों से अपदस्थ किया।

जब कभी किसी विवाद-ग्रस्त राज्य में, जहाँ गैर काँग्रेसी दल या दलों का शासन हो, काँग्रेस की सरकार बनाने की सम्भावना होती है तो केन्द्र सरकार वहां की विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखती है या फिर वे विधान सभा भंग कर देते हैं। 1967 में मणिपुर में ऐसा किया गया, जब श्री एल. थम्बोस ने त्यागपत्र दिया था। यही बात 1968 में हुई जब उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह की संयुक्त विधायक दल सरकार ने त्याग पत्र दिया। 1977 में जब श्री भोला पासवान शास्त्री की संयुक्त विधायक दल सरकार गिरी तो विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखा गया। 1970 में जब पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी सरकार ने त्यागपत्र दिया तब विधान सभा भंग नहीं की गई। 1970 में जब श्री चरण सिंह की संयुक्त विधायक दल सरकार को अपदस्थ किया गया तब विधान सभा को स्थगित रखा गया। 1971 में श्री वीरेन्द्र पाटिल के नेतृत्व वाली काँग्रेस (यू.) सरकार जब गिरी तब भी विधान सभा को स्थगित रखा गया। यह सभी सरकारें गैर कांग्रेसी सरकारें थी। अब यही कुछ केरल में हुआ।

1965 में केरल विधान सभा को चुनावों के तत्काल बाद उस समय भंग कर दिया गया जब सत्ताधारी दल ने यह देखा कि वह अपनी स्वयं की या अपने सहयोगी ग्रुपों के साथ कोई सरकार नहीं बना सकते। किसी अन्य दल को सरकार बनाने का आमंत्रण तक नहीं दिया गया और विधान सभा भंग कर दी गई। 1971 में, चुनावों के केवल 3 महीनों बाद ही पश्चिम बंगाल विधान सभा भंग कर दी गई। इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा भंग किया जाना या उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना केवल मात्र दलगत कारणों से होता है।

केरल राज्य या फिर 1956 में केरल राज्य बनने से पहले भी त्रावनकोर-कोचीन सरकार राज्य में कांग्रेस पार्टी ही अस्थिरता का कारण थी। 1952 या इसके बाद कभी भी काँग्रेस को चुनावों में बहुमत नहीं मिला। हर चुनाव के बाद इसने अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चे बनाने आरम्भ किए और एक दलीय सरकार बनाने के लिए इन्होंने दलबदल को बढ़ावा दिया।

परन्तु यह सभी सरकारें कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट के कारण गिरी। एक कांग्रेस के मुख्य मन्त्री, जो बाद में केन्द्रीय मंत्री भी बने, श्री पानमपिल्ले गोविन्द मेनन ने त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किए जाने से पहले विधान सभा के समक्ष यह कहा :

"मेरे साथ यह क्रूर विश्वासघात विपक्ष के सदस्यों ने नहीं किया अपितु मेरे अपने ही दल के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।" यह उन्होंने तब कहा था।

तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस वाले किसी भी गैर-कांग्रेसी सरकार को राज्य में शासन करने नहीं देंगे। 1957 में बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार को केन्द्र सरकार ने तथा कथित मुक्ति आन्दोलन के नाम पर भंग कर दिया था। कांग्रेस सभी उग्रवादी और जातिय घटकों की मदद लेने में विश्वास करती है।

वर्तमान प्रधानमन्त्री उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी और इनके पिता तब प्रधानमन्त्री थे। 1967 में बनी अगली गैर कांग्रेसी सरकार को कांग्रेस ने 1969 में सत्ताधारी मोर्चे से कुछ लोगों को दल-बदल कर गिरा दिया। कांग्रेस स्वयं कभी भी शासन नहीं कर सकी। यही किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को चलने नहीं देंगे और राज्य में अस्थिरता लाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है।

यदि कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कि नयनार मंत्रिमण्डल कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण गिरा है तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का समय भी आ चुका है। 54 दिन के राष्ट्रपति शासन में 40 लोग मारे गए, जिसमें 23 राजनीतिक हत्याएं थी और इसमें से भी 18 लोग मेरे दल अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के हैं। यदि सी. पी. आई. (एम.) का कोई व्यक्ति मारा जाता है तो क्या सरकार उसे राजनीतिक हत्या समझेंगी ? कांग्रेस (आई) के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मिलकर भी हमारी गतिविधियों पर हमला करते हैं।

श्री मकवाना जो, कानून व्यवस्था का दम भरते हैं, अब केरल में जो रहा है उसके बारे में चुप क्यों है। क्या अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता ? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बार तो सच बोलें।

एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति महोदय ने श्री मकवाना को केरल के सम्बन्ध में 'सुपरमैन" घोषित किया है। यदि नहीं, तो वह किस अधिकार से पुलिस के और अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बुला कर हिदायतें देते हैं ?

वे त्रिवेन्द्रम में राज्यपथ के निवास स्थान पर प्रेस कान्फ्रेंसों का भी आयोजन कर रहे हैं। वहाँ राज्यपाल तथा सलाहकार भी नियुक्त किये गये हैं। वे अपने कर्त्तव्यों को जानते हैं। श्री मकवाना जैसे छोटे मंत्री द्वारा इन व्यक्तियों को नजरअन्दाज करने का क्या कारण है ? एक अन्य मुद्दा भी है। केरल में श्री स्टीफन यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ कांग्रेस (आई) का शासन है। केन्द्रीय मन्त्री द्वारा इस प्रकार का प्रचार स्वयं राष्ट्रपति शासन का अतिक्रमण है।

महोदय, निर्वाचित सरकार द्वारा क्रियान्वित नीतियों को राष्ट्रति के अन्तरिम शासन में बदला नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थिति में परिवर्तन नहीं किया

जाना चाहिए। यदि ये नीतियाँ सही नहीं हैं, तो नई निर्वाचित सरकार को इन्हें बदलने का पूरा अधिकार है।

कृषि कामगारों की पेन्शन का ही उदाहरण लें। नयनार सरकार ने जनता तथा संयुक्त सरकार के सहयोगी दलों के पूर्ण समर्थन से इस योजना को लागू किया था। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इस पेन्शन योजना को बन्द किया जा रहा है, जो कि गरीब कृषि मजदूरों, जिनमें से अधिकांश हरिजन थे, की सहायता के लिए चलाई गई थी। त्याग पत्र देने से पूर्व नयनार सरकार ने पेन्शन वितरण के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत की थी। उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च पदों पर काँग्रेस (आई) के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। केरल राज्य के योजना बोर्ड के वाईस चेयरमैन श्री थावराड को बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने क्या गलती की थी। इससे यही पता चलता है कि आप उच्च पदों पर केवल काँग्रेस (आई) के समर्थकों को ही नियुक्त करना चाहते हैं। यह एक खतरनाक नीति है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि विधान सभा को भंग किया जाये तथा बिना सौदेबाजी तथा अन्य ऐसे कार्यों का सहारा लिये वहां चुनाव कराये जायें।

श्री बी. के. नायर (क्वीलोन) : सभापति महोदय, केरल के कामरेडों ने पिछले 29 वर्षों में तीसरी बार ऐसा कार्य किया है। 1957 में केरल की जनता ने उनके वायदों, प्रचार तथा नारों से आकर्षित होकर उनके पक्ष में मतदान किया था; तथा उन्होंने एक सरकार बनाई थी। वह सरकार 20 महीने तक भी नहीं चल सकी। सारी जनता ने विद्रोह कर दिया तथा नम्बूदरीयाद को अपनी सरकार बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की शरण लेनी पड़ी। अतः नेहरू जी ने उनका त्याग पत्र स्वीकार करके उन्हें उनके उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया ताकि वे अपनी प्रतिष्ठा बचा सकें। श्री वी. आर. कृष्णअय्यर, जो कि तत्कालीन गृह मन्त्री थे तथा बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति बने भी थे, अपने घर से बाहर नहीं निकल सके थे क्योंकि समस्त जनता ने इस घृणित शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1957 में पुनः उन्हीं लोगों को सत्ता में लाया गया था। इसके बाद क्या हुआ ? वे आपस में ही भिड़ गये। यह आरोप लगाया गया था कि मार्क्सवादी पार्टी दूसरे सहयोगी दलों पर अपना प्रभाव डाल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने आर. एस. पी. के मन्त्री, श्री दिवाकरन के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया; श्री टी. वी. थोमस के विरुद्ध पुनः भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ये सब आरोप किस लिए लगाये गये थे। निश्चय ही ये आरोप अपने बचाव में लगाये गए थे। इसका अर्थ यही है कि मार्क्सवादी पार्टी ने फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह लोकतन्त्रीय व्यवस्था में शासन नहीं चला सकती।

पिछले दिनों भी क्या हुआ था ? किसी ने उनकी सरकार को नहीं गिराया था। ए. के. एन्थनी उनका सच्चा साथी था। केरल काँग्रेस के श्री यती भी इस पार्टी के सच्चे साथी थे। इसके बाद भी क्या हुआ ? वे लोग सत्ता में नहीं रह सके क्योंकि जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता का सामना नहीं कर सके। पूरे राज्य में हत्या तथा लूटमार का साम्राज्य था। क्या श्री लारेन्स मुझे बतायेंगे कि उनके शासन के दौरान कितने मन्दिरों को लूटा गया था। उनकी सरकार के लोगों द्वारा कितने मन्दिरों तथा गिरजाघरों की सम्पत्ति को लूटा गया था ? (व्यवधान)

श्री बी. के. नायर : आप रिकार्ड देखकर मुझे उत्तर दें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनें। मैं सभी व्यक्तियों की सहायता करना चाहता हूं। जब भी कोई सदस्य बोल रहा हो, उसे बिना किसी व्यवधान के बोलने दिया जाना चाहिए। जब भी कोई अनियमित बात होती है, तो उस पर निर्णय लेने के लिए सभापति सदन में उपस्थित रहता है।

श्री बी. के. नायर : मुझे इस सदन में अपनी बात कहने दीजिए तथा शोरशराबे तथा झूठे आरोपों से मेरे भाषण के दौरान व्यवधान उपस्थित न होने दें।

महोदय, मन्दिरों को लूटा गया था।

एक माननीय सदस्य : मन्दिरों को ?

श्री बी. के. नायर : जी हां, गिरजाघरों तथा मस्जिदों को लूटा गया था। सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद मई 1980 में श्री नयनार ने अल्लप्पी की एक सभा में भाषण दिया था तथा उस समय तक अनेक स्थानों पर लूटमार शुरू हो चुकी थी। श्री नयनार ने कहा था कि हमें मन्दिरों की रक्षा के लिए पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। भगवान को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए।

भगवान (मन्दिरों) की सम्पत्ति की रक्षा भगवान द्वारा ही की जानी चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान है। वे अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते ? श्री नयनार ने भगवान को यह चुनौती दी थी। जब वे स्वयं दिल्ली आये थे तो उन्होंने केरल हाउस में अपनी रक्षा के लिए केरल से पुलिस को बुलाया था। ऐसे साहसी पुरुष नयनार ने भगवान को अपनी रक्षा करने को कहा था।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि संसार में केरल एक ही भगवान है।

श्री सुधीर गिरी (कन्टई) : श्री नयनार इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वे अपना बचाव नहीं कर सकते।

श्री बी. के. नायर : मैं उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इस भाषण के द्वारा वे केवल अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे थे।

क्या मार्क्सवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं। क्या वे स्वयं लोकतन्त्रीय सरकार चला सकते हैं। वे ऐसे नहीं हैं। वे किसी नीति में विश्वास रखते हैं ? उनकी नीति स्थापित सरकार को बलपूर्वक गिराने की है। उनका चुनाव घोषणा पत्र क्या कहता है ? उसके अनुसार सत्ता को केवल बलपूर्वक ही हथियाया जा सकता है। वे स्थापित सरकार को बलपूर्वक गिराना चाहते हैं। क्या विश्व में ऐसी कोई कम्युनिस्ट सरकार है जो लोकतन्त्रीय माध्यम से सत्ता में आई हो और लोकतन्त्रीय माध्यम से कायम रही हो ? सभी स्थानों पर वे नरसंहार के माध्यम से सत्ता में आये हैं और बने रहे हैं। केरल के नेताओं का विचार था कि उनकी सरकार एक स्वतन्त्र सरकार है। वे केवल ताकत की भाषा जानते थे तथा हत्याओं में विश्वास रखते थे। वे हत्याओं के द्वारा ही केरल में सत्ता में बने रहना चाहते थे, परन्तु भारत में लोकतन्त्रीय व्यवस्था है और संविधान के अनुसार काम हो रहा है। अतः उनकी सारी योजना गड़बड़ा गई। 1980 में उनकी सरकार को किसी ने नहीं गिराया। क्या श्री एन्टनी के अतिरिक्त कोई अन्य

व्यक्ति तथाकथित वामपंथी मोर्चा स्थापित करने को उत्सुक था ? परन्तु वास्तव में वहां कुछ भी वामपंथी, लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं थी तथा उसमें मोर्चे जैसी कोई बात नहीं थी। वह सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों का केवल सत्ता के किए एकत्रित होना मात्र था।

उनका रिकार्ड कैसा है। उन्होंने कृषि मजदूरों की पेंशन के लिए बहुत बातें कही हैं। पेंशन भी अवश्य दी गई थी परन्तु यह मिली किसे ? केवल उनकी पार्टी के लोगों को ही पैसा मिल सका था। उस पार्टी ने इस कल्याणकारी कार्य का उपयोग अपने लिए पैसा इकट्ठा करने में किया। नाईयों, मंदिरों के पुजारियों तथा सरकार के पेंशनयाफ्ता लोगों को यह पेंशन दी गई है। जब अन्य दलों ने बातों का उल्लेख किया तो उन्होंने पेंशन देना बन्द कर दिया। उन्होंने एक वर्ष बाद इसे जारी नहीं रखा। सत्ता छोड़ने से पूर्व उपहार के रूप में श्री नयनार ने इस पेंशन की अदायगी जारी रखने के लिए 14 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने यह घोषणा क्यों नहीं की ? इसका कारण यह था कि उनका विचार इसे क्रियान्वित करने का बिल्कुल नहीं था। वे किसी अन्य व्यक्ति पर इसका भार डालना चाहते थे।

मार्क्सवादी पार्टी का एक मात्र उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना था। केरल में इसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का ठोस नमूना त्रिवेन्द्रम स्थित ए. के. जी. स्मारक का विशाल भवन है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रु. है। यह किसके पैसे से बनाई गयी है ? यह सरकारी निधि द्वारा निर्मित है। (व्यवधान) जो कुछ यह कर रहे हैं, यह सब*

सभापति महोदय : इस शब्द का प्रयोग न करें। आप यह कह सकते हैं कि यह सही नहीं है अथवा उचित नहीं है।

श्री बी. के. नायर : यह सब गलत है।

सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने सहकारी समितियों द्वारा दान में दी जाने वाली राशि की सीमा में छूट देने सम्बन्धी कानून पारित कर दिया। सीमा सम्बन्धी यह छूट किस प्रकार की थी ? प्रत्येक सहकारी समिति को उनके महत्वपूर्ण संस्थान, ए. के. जी. निधि में 10 हजार रु. तक दान देने की छूट दे दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया ? धन एकत्र करने का यह सही तरीका नहीं है। जब कोई सत्ताधारी सरकार समितियों के दान सम्बन्धी कानून पारित करती है, तो वह वास्तव में एक आदेश हो जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं आपको चुनौती देता हूं। यदि आप इसे सिद्ध कर देंगे, तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। यदि आप इसे सिद्ध न कर सके, तो आपको त्याग पत्र देना होगा। (व्यवधान)

श्री बी. के नायर : आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। इससे केवल यही पता चलता है कि यदि ऐसा किया गया है तो आपके लिए यह बहुत अधिक शर्म की बात है। ऐसा किया गया है··· (व्यवधान) ये लोग व्यवस्थित सरकार में विश्वास नहीं रखते। वस्तुतः इनका नारा है "सरकार और आन्दोलन"। केरल की कम्युनिस्ट सरकार 'सरकार तथा आन्दोलन' एक साथ चाहती है। वे लोग कानून तथा आन्दोलन एक साथ चाहते हैं। 1957 में राज्य सरकार के मंत्रियों

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

ने आम हड़ताल का आह्वान दिया था। (व्यवधान) आप हमेशा अपनी बात को सुनना क्यों पसन्द करते हैं ? कभी-कभी आप दूसरों की बात भी क्यों नहीं सुनते ?

जनता ऐसी सरकार चाहती है ताकि वे शान्ति तथा व्यवस्था से रह सकें। परन्तु यदि सरकार स्वयं आन्दोलन द्वारा अव्यवस्था फैलाकर कानून-व्यवस्था को भंग करना चाहती है तो जनता सरकार तथा आन्दोलन इन दो परस्पर विरोधी बातों से कैसे समझौताकर सकती है ? इसके बावजूद भी कम्युनिस्ट सरकार ने यह नारा लगाया था। वे लोग गला पकड़-पकड़ कर आन्दोलन का नारा लगाते रहे हैं। ये नारा किसके विरूद्ध लगाया था ? यह सरकार के विरूद्ध ही लगाया गया था। अत: केरल सरकार ने स्वयं ही अपने शासन काल के दौरान दो बार राज्य में आम हड़ताल की घोषणा की थी। 1957 तथा 1980 में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था तथा स्वयं मंत्रियों ने ही हड़ताल की घोषणा की थी।

श्री ज्योति बसु ने पश्चिमी बंगाल में आम हड़ताल करायी थी। सचिवालय में बैठकर उन्होंने पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल तथा उच्च अधिकारियों के साथ व्यवस्थित हड़ताल का प्रबन्ध किया था। क्या उन्हें इस बात से शर्म नहीं आती कि सरकार ने स्वयं हड़ताल का आह्वान दिया था जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, हत्याएं आदि की घटनाएं घटित हुई और इनके बावजूद भी अपनी सरकार को प्रगतिवादी सरकार कहते हैं।

उनका एक भाग उद्देश्य धन एकत्र करना था उन्होंने हिंसा द्वारा जनता को आतंकित किया तथा उन पर नियत्रण रखा (व्यवधान) प्रतिदिन लोगों की हत्या की जा रही हैं। निःसन्देह, कभी-कभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों द्वारा भालों तथा बमों से इन पर भी हमले करके इन्हें करारा जवाब दिया जाता है।

केरल की जनता सामान्यत: शान्ति प्रिय है। वह हिंसा तथा हत्याओं में विश्वास नहीं करती। केवल मार्क्सवादी पार्टी ही केरल में हर समय हिंसा को बढ़ावा देती रही··· (व्यवधान) जब जनता ने देखा कि हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं तो जनता ने भी बदले की कार्यवाही करनी प्रारम्भ कर दीं और इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मैदान में उतरना पड़ा। इस प्रकार मार्क्सवादी पार्टी को इस नीति के परिणाम भुगतने पड़े। प्रारिम्भक दिनों में राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ को केरल में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसने वस्तुत: मार्क्सवादी पार्टी की कार्यप्रणाली के विरोध में ही अपनी गतिविधियां प्रारम्भ की थीं। शुरू के दिनों में वहां राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ का अस्तिव नहीं। था केरल की जनता द्वारा केरल अपनी रक्षा के लिए ही इसका विकास किया गया है। अनेक शान्ति प्रिय लोग केवल मात्रा अपनी रक्षा के लिए ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही मार्क्सवादियों की ही प्रणाली से उनका सामना किया जा सकता है। (व्यवधान) क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आपको केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही भय है ? आपकी पार्टी के लोग उनसे डरते हैं। आप आधे दर्जन स्वयं सेवक संघियों का भी सामना नहीं कर सकते।

आपका प्रशासनिक रिकार्ड कैसा है ? आपने अराजकता फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। श्री नयनार की सरकार के दौरान आपका रिकार्ड प्रतिदिन एक हत्या का था। उन्हें समाचार पत्रों में प्रतिदिन एक हत्या का समाचार पढ़ने में ही खुशी होती थी। राष्ट्रपति शासन

लागू करने के बाद भी कुछ हत्याएं हुई हैं परन्तु मार्क्सवादी पार्टी ने उनकी निन्दा नहीं की है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही इस वर्ष 5 जनवरी को एक हादसा हुआ था। श्री सारासन नायक एक नवयुवक का अचानक अपहरण हो गया था। वह आर. एस. पी.; मार्क्सवादी पार्टी की एक शाखा, का सदस्य था। पिछले चुनावों में वह मेरे विरूद्ध एक उम्मीदवार था। चुनाव के कुछ ही दिनों बाद वह हमारी पार्टी में सम्मिलित हो गया था। उसका केवल यही अपराधा था। उस अपराध के लिए इस वर्ष 5 जनवरी को उसका अपहरण कर लिया गया था। उसका कुछ अता-पता नहीं है। इस घटना की जांच की जा रही है। जब उसके इस अपहरण के सम्बन्ध में एक आदमी को गिरफ्तार किया जाने वाला था, तो त्रिवेन्द्रम से यह संदेश आया कि "इस मामले में आगे कार्यवाही न करों।"

जब इस तरह से हत्याएं हो रहीं हैं तो जनता भी सरकार से कुछ न्याय की आशा करती है। यह सुनने में आया है कि जीप से उनकी टक्कर हुई और उनके शरीर को कुचल दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया जिससे कि वह समुद्र के पानी में घुल जाए और उसका कोई नामो निशान बाकी न रहे। जो व्यक्ति मार्क्सवादी दल या उनके सहयोगियों की खिलाफत करते हैं उनकी यही दशा होती है ···(व्यवधान) आपने ही हत्याओं का यह सिलसिला शुरू किया है। यह बात आपने ही बताई है। हम हत्याओं में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस पार्टी हत्याओं में विश्वास नहीं करती···(व्यवधान) महोदय, मुझे राजा मिडास की कहानी याद आती है जिनके स्पर्शमात्र से सब कुछ सोने में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ तक मार्क्सवादियों का सम्बन्ध है, जिस वस्तु में भी वह हाथ लगाते हैं वह सब कूड़ा-करकट या खून खराबी में बदल जाता है। यह मार्क्सवादी दल के कार्य करने का तरीका है यह बात और है कि वह करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं।

केरल में जो उन्होंने विकास कार्य किया उसका क्या परिणाम निकला। कुछ भी नहीं, वरन बहुत से उद्योग बन्द हो गये हैं। हड़तालों और आन्दोलनों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। यही सब प. बंगाल में हो रहा है। जब से श्री ज्योति बसु सत्ता में आए हैं तब से कलकत्ता वासियों को कई दिनों तक बिजली सप्लाई नहीं हुई। और अब लगातार कई दिनों से पानी की सप्लाई भी नहीं हैं··(व्यवधान) वह केवल हत्याओं, गड़बड़ी और हिंसा में यकीन करते हैं लोकतंत्रीय प्रणाली में उनका कोई यकीन नहीं है···(व्यवधान) उनके सत्ता में आने के थोड़े दिनों के भीतर ही कांग्रेस दल उनसे क्यों अलग हो गया? और उसका क्या परिणाम निकला? त्रिवेन्द्रम में मुख्य मंत्री के बिल्कुल निकट ही उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय लूट लिया (व्यवधान) सी. आई. टी. यू. के गुंडों द्वारा कितने झगड़े किए गए कितने ही दलों के कार्यालय लूट लिए गए और न जाने कितने ही लोगों की हत्याएं कर दी गयी ·· (व्यवधान) वह सड़कों पर बेकाबू भागदौड़ रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे··· (व्यवधान) जो भी दल उनके साथ सम्मिलित हुए थे वह सब अलग हो गए। क्योंकि एक बार यदि आप उनके साथ मिल जाते हैं तो आपकी पार्टी खत्म। यही पश्चिमी बंगाल में हुआ था। पिछली बार मार्क्सवादी दल के साथ युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तब अन्य दलों के साथ क्या हुआ था। उन सबको अलग अलग होना पड़ा था···(व्यवधान) हम चुनावों से नहीं डरते। हमें

पूरा विश्वास है हम चुनाव जीत जाएंगे··· (व्यवधान) उन्हें अपने आपको सुधारना पड़ेगा। उन्हें लोकतांत्रिक मानदण्ड अपनाने पड़ेगा। अपने मित्रों और सहयोगियों को उन्हें अपने साथ रखना होगा न कि उनसे अलग रहना होगा। उन्हें उनकी पीठ में छुरा घोंपने से बचना चाहिए।

हम चुनावों से नहीं डरते। परन्तु सरकार हटने के फौरन बाद ही वह क्या कर रहे थे ? वह जनता पार्टी तथा सबके पीछे पड़े हुए थ कि सब उनके दल में मिल जाएं। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया ? इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है ··· (व्यवधान) मैं राष्ट्रपति की उदघोषणा का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसिरहाट) : आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : आप ही ने इसका निवेदन किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस पक्ष के एक वयोवृद्ध सदस्य का वक्तव्य मैं सुन चुका हूं। मेरे विचार में ऐसे मौकों पर ही यह महसूस होता है कि कांग्रेस दल, जो कि अब कांग्रेस (आई) कहलाती है तथा थोड़े से अन्तराल के अलावा लगातार सत्ता में रही है, दल बदलने के खिलाफ कोई विधान क्यों नहीं बनाना चाहती है। ऐसे समय पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। मैसर्स मकवाना एण्ड स्टीफन लि. की यह कम्पनी जो अब जिसे केरल का विशेष रूप से ठेका दिया गया है वह पूरे दो महीने से यही कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से श्री नयनार ने 20 अक्तूबर को इस्तीफा दिया था····

श्री योगेन्द्र मकवाना : राष्ट्रपति शासन के बाद में केरल नहीं गया हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि आपका गला खराब है।

सभापति महोदय : पर मेरे विचार से कल उनका गला ठीक था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सज्जन पिछले दो महीनों से कोशिश कर रहे हैं। 20 दिसम्बर को पूरे दो महीने हो जाएंगे। वह लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह किसी प्रकार सब लोग इकट्ठे हो जाएं जिससे कि दूसरे मंत्रिमंडल का गठन किया जा सके। दो महीने बीत गए श्री स्टीफन यही कहते आ रहे हैं दिसम्बर के अन्त तक या क्रिसमस तक नई राज्य सरकार का गठन कर दिया जाएगा और उन्होंने 68 या कुछ ऐसी ही संख्या उन सदस्यों की बताई है जो उनके साथ है। यदि ऐसा ही है, तो में उनको यह बताना चाहूंगा कि उनके विपक्षी दलों के पास 68 से अधिक सदस्य हैं। उनके साथ अब 69 सदस्य हैं। आप तो कुल 68 सदस्य ही इकट्ठा कर पाए हैं। इसलिए अब आप यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार तीन या चार सदस्य और आ जाएं। जनता पार्टी के मेरे मित्र उनका लक्ष्य हैं परन्तु जनता पार्टी अपनी बात स्वयं कहेगी।

नयनार मंत्रालय सभी अपराधों हत्या, डकैती धन इकट्ठा करना, हिंसा आदि की दोषी है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। श्री नय्यर के अनुसार आप केरल निवासियों को मौका क्यों नहीं देते कि वह इसका स्वयं निर्णय करें। यह सबसे आसान तरीका है। (व्यवधान)

श्री नायर केवल एवं आप ही बुद्धिमान नहीं हैं। यदि यही सब कुछ हो रहा होता तो

केरल की अधिकांश जनता भी आपके विचारों से सहमत होगी और अगले चुनाव में मार्क्सवादी दल और उनके सहयोगियों का समर्थन नहीं करेगी। आप चुनावों से क्यों डरते हैं।

श्री के. बी. नायर : आप यह क्यों नहीं कहते

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय हम इतिहास पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। हम यह पुनरीक्षा नहीं कर रहे हैं कि 1957 में जो मार्क्सवादी सरकार चुनी गयी थी उसे 1959 में क्यों हटा दिया गया। इस देश में सबसे पहला मार्क्सवादी मंत्रिमण्डल तब चुना गया था जब कि मार्क्सवादी दल एक ही था (**व्यवधान**)

सचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : वर्ष 1957 के बारे में आपका क्या विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : वर्ष 1957 के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री इंद्रजीत गुप्त : किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार विशेषतौर पर कम्यूनिस्ट या वामपंथी सरकार की ओर जो आपका वैर-भाव है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि नया नहीं है। वर्ष 1957 से ही ऐसा होता आया है। उस समय वर्तमान प्रधान मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। केरल राज्य मंत्रिमंडल को हटाने में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसलिए इसके पीछे एक बहुत लम्बा इतिहास है यदि नयनार मंत्रिमंडल कुछ कमजोरियों और दोषों के कारण इस मंत्रिमंडल के पतन का कारण है तो इसकी आप पुनरीक्षा कर सकते है। हमें इसकी अभी कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए यह सही नहीं है कि आप विधान सभा भंग नहीं कर रहे हैं और जनता का सामना नहीं कर रहे हैं। वरन् आपको तो दूसरा तर्क देना चाहिए कि "नयनार मत्रिमंडल ने जो भयानक अपराध किए हैं उससे हमें पूरा यकीन है कि यदि चुनाव हुए तो जनता उनका समर्थन नहीं करेगी।" परन्तु आप में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि आपको समर्थन प्राप्त नहीं होगा। आप चुनाव हार जाएंगे और मुझे मालूम है 1980 में ··

श्री सी. एम. स्टीफन : जरा देखिए क्या होता है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : देखिए कितने समय तक यह प्रक्रिया चलेगी।

श्री पी. वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : श्री नयनार ने भी इसकी सिफारिश की थी।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जी हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री पी- वेंकट सुब्बया : इसके पीछे क्या तर्क है ? (**व्यवधान**)

श्री सी. एम. स्टीफन : कुछ भी नहीं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जो तरीका अपनाया जा रहा है मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार में मैंने समाचार-पत्रों में तथा दूसरे सदन के कार्यवाही वृत्तान्त में भी यह पढ़ा था—विपक्ष के एक सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि हमारे राजनैतिक इतिहास में जब कभी भी विधान सभा निलंबित रखी गई है जैसा कि आजकल केरल में हो रहा है तो इसका उद्देश्य कुछेक लोगों को लाभ पहुंचाने का होता है जिससे कि कुछेक लोगों का दल बदल कर किसी तरह से काम चलाऊ सरकार बनाई जा सके। सभी मामलों में ऐसा जब हुआ है जबकि जिस मंत्रिमंडल का पतन हुआ है या जो हटाया गया है वह गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल रहा हो। कांग्रेसी यही सोचते हैं कि उनको सत्ता में आने का मौका है। इसके विपरीत कभी ऐसा नहीं

होता । यह तभी होता है जब कोई गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल का समर्थन समाप्त हो जाता है या उसे पदच्युत कर दिया जाता है, तभी विधान सभा लगातार स्थगित रखी जाती है । अब यह तो सरकार पर निर्भर करता है । वह जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं । जनता भी तो उन्हें देख रही है । इस देश में चार या पांच गैर कांग्रेसी सरकारें हैं । संविधान का संघीय स्वरूप चाहे जो भी हो यह राज्य सरकारें आसमान से तो नहीं टपके हैं । यह सभी अपने-अपने राज्यों की जनता द्वारा चुने गए हैं—चाहे वह तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा या फिर केरल हो । परन्तु यह बात वह नहीं समझ पाते । सदन में पहले दिन से यही बातें हो रही हैं । केन्द्र सरकार के मंत्री यही बातें कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में और केरल सरकार को अरब सागर में बहा दें । यहाँ वह यह बातें करते हैं कि···

श्री सी. एम. स्टीफन : हमने तो आपको नहीं हटाया है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : वह मतदाताओं की इच्छाओं का आदर नहीं करते जिससे कि राज्य मंत्रिमंडल काम न कर सके ।

श्री सी. एम. स्टीफन : श्री गुप्त के दल ने नम्बूदरीवाद सरकार को धोखा देकर सरकार हटवा दी । हमने यह नहीं किया । वर्ष 1969 में उन्होंने ही सरकार का पतन करवाया है । हम तो इस सबसे अलग ही थे । आज उनकी खुद की सरकार हटाई गई है । हम आज भी अलग ही रहे हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : अब मेरी समझ में आया कि ठेकेदारों की इस फर्म का सीनियर पार्टनर कौन है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : विनाश ··

श्री इंद्रजीत गुप्त : विनाश करना या सुरंग आदि बिछाना, इनकी जो भी गतिविधि हो, मैं यह बताना चाहूंगा कि रातों-रात केरल में राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया है । श्री नयनार जब गवर्नर को स्तीफा देने गए तो उन्होंने फौरन इसे स्वीकार कर लिया । उसी शाम ही उन्होंने दिल्ली में सूचना भेजी और अगले दिन ही राष्ट्रपति द्वारा घोषणा जारी कर दी गई । संवैधानिक रूप से यह गलत नहीं है परन्तु गवर्नर ने अन्य दलों के नेताओं को बुलाने की कोई कोशिश नहीं की । दो-तीन दिन रुककर वह यह देख सकती थीं कि कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है अथवा नहीं । कांग्रेस (आई) को बुलाया जा सकता था, लेकिन बात यह है कि यहां पर हर बात पहले से निर्धारित होती है तथा जैसे ही त्यागपत्र प्राप्त हुआ, उसी समय, कुछ घंटों में ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी कर दी गई और अब विधान सभा को निलंबित रखा जा रहा है । दो महीने बीतने वाले हैं । वे अपेक्षित संख्या नहीं जुटा सकते तथा वे किसी को यह भी नहीं बता रहे कि वे कब तक यह रवैया अपनाते रहेंगे । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारे संविधान के समस्त संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा आघात है । आप चुनाव क्यों नहीं कराते ? आपको अच्छी तरह पता है कि लोग इन व्यक्तियों को जो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, फिर से नहीं चुनेंगे चुनावों में आप उनका सामना नहीं कर सकते । यह समस्या है ।

श्री लारेंस ने हत्याओं आदि का भी उल्लेख किया है । मेरी रिपोर्ट यह है कि 15 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और भी हत्याएं हो सकती हैं लेकिन 15 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं । इन 15

राजनीतिक हत्याओं में मरने वाले सभी लोग नायनार मंत्रिमंडल के समर्थक थे। यह वास्तविकता है। ये हत्यारे कौन हैं ? कौन हैं ये हत्यारे ? चाहे श्री नायनर ने यह कह कर इसे उचित ठहराया कि अब कुछ प्रतिक्रिया है। उन्होने इस प्रकार नहीं किया है। अगर यह सही है तो क्या कोई उनकी हत्या करेगा ? यह आपका सोचने का ढंग है जबकि आपको गांधीवादी और अहिंसा का पुजारी होना चाहिए था। आप अपने सोचने के ढंग को समझा सकते हैं।

वर्ष 1980 में जब केरल में पिछली बार चुनाव हुए थे, सभी को यह मालूम था और दुनिया यह जानती है और यह बात गोपनीय नहीं थी कि कांग्रेस दल ने चुनावों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता ली थी।

श्री सी. एम. स्टीफन : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने उनके साथ समझौता किया था। इस समय राष्ट्रीय स्वय संघ और कांग्रेस (आई) के लोग हत्याएं कर रहे हैं—वामपंथियों और दक्षिण पंथियों की यह राजनीतिक बदला, कुछ भी हो सकता है—यह हो रहा है, उस समय जबकि केरल राज्य में श्री मकवाना और ज्ञानी जैल सिंह को कानून और व्यवस्था की स्थिति देखनी चाहिए, उस समय यह हो रहा है और न केवल राजनीतिक हत्याएं ही हुई हैं. अगर आप लाशों के कुछेक फोटो देखें तो पता चलेगा कि बहुत ही घिनौने ढंग से हत्याएं हुई हैं। उनके पेट कटे हुए हैं, आंतें बाहर आ रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के सिरों को भी कुचल दिया गया है। आप ही देखिए किस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्नाकुलम) : क्या पार्टी के त्रिचुर कार्यालय में मानव-खोपड़ियां प्राप्त हुई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खोपड़ियां नहीं। खोपड़ी बनने में तो काफी समय लगता है। इसके अलावा वे कुछ और भी कह रहे हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा। सबसे पहले, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री दोराईराज को हटाया गया। क्यों ? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं। जब यह राजनीतिक हत्या हो रही है, तो पुलिस के समस्त ढाचे और प्रशासन को बदला गया है। ठीक है, यह स्वाभाविक है कि वे वहां पर अपने लोगों को रखेंगे। यह तो मैं समझ सकता हूं।

इस महीने 15 अथवा 16 तारीख को त्रिवेन्द्रम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा बिना सोचे समझे लाठी चार्ज किया गया। अगर किसी और सरकार द्वारा यह किया गया होता तो आपने खूब शोर-शराबा किया होता। लेकिन जब आप स्वयं यह कर रहे हैं तो आपने चुप्पी साध ली है। त्रिचूर जिले में मजदूरों की हड़तालें हुई थीं। यह राजनीतिक हड़ताल नहीं है। यह मजदूरों द्वारा आर्थिक मांगो के लिए की गई हड़ताल है और हुआ क्या, दमनकारी नीति अपनाई गई तथा मजदूर यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कि श्री स्ठीफन और श्री मकवाना किसी न किसी तरह बहुमत प्राप्त करने की जोड़-तोड़ में लगे हैं, वास्तविक शान्ति तथा अनियन्त्रित शान्ति नौकरशाही एवं पुलिस के हाथों सौंप दी गई है। वे दंगे करा रहे हैं तथा हत्याएं होने दे रहे हैं लेकिन दबाया आम आदमी को जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर केन्द्र सरकार इसी प्रकार करती रही तो देश में राजनीति की यही स्थिति बनी रहेगी। सरकार बनाने के

लिए उन्हें तीन या कुछ और लोग मिल गए होंगे। यह भी हो सकता है कि वे बहुमत नहीं प्राप्त कर सकें लेकिन वे अल्पमत सरकार स्थापित करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। केन्द्र में भी कुछ समय के लिए अल्पमत सरकार थी।

श्री सी. एम. स्टीफन : केरल में उस समय अल्पमत सरकार थी जब श्री अच्युत मेनन मुख्य मंत्री थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्तर केवल इतना है कि अगर इस समय केरल में अल्पमत सरकार बनाई गई अथवा गठित की गई, तो मुझे विश्वास है कि यह दो महीने से अधिक नहीं चलेगी। केरल में कोई सरकार नहीं चल सकती। वहां का राजनीतिक ढाँचा इस प्रकार का है कि कोई भी सरकार वहां लम्बी अवधि तक तब तक नहीं चल सकती जब तक इसे केरल में वामपंथी दल एवं वामपंथी ताकतों का समर्थन प्राप्त न हो। आपको यह समझना चाहिए। कितना अच्छा रहेगा, अगर आप ईमानदारी से लोगों के पास जाएं और उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार चुनने दें। उन्हें निर्णय करने दें। अगर वे आप को वोट देते·····

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि, इस समय ये लोग जो ढंग अपना रहे हैं, वह पूरी तरह अनैतिक तथा संविधान के ढांचे पर कुठाराघात है। इससे विशेष रूप से यही पता चलता है कि वे दल-बदल रोकने संबन्धी कानून और उपायों की आवश्यकता का दिखावा मात्र कर रहे हैं तथा कभी भी उसे लाना नहीं चाहते। अब क्योंकि वे दलबदल को बढ़ावा दे रहे हैं तथा दूसरे दल के लोगों को अपने दल में मिला रहे हैं, कोई यह कह देगा कि लोग क्यों उनके बहकावे में आ रहे हैं।

श्री सी. एम. स्टीफन : इसका कोई जवाब नहीं देना। हम किसी भी प्रकार का दल-बदल नहीं चाहते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आप किसी भी प्रकार का दल-बदल नहीं चाहते तो अच्छा रहेगा आप राज्यपाल को विधान सभा भंग करने के लिए कहें अथवा बेहतर रहेगा आप इसे भंग कर दें। क्योंकि आपको करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है इसलिए मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि हम इस का पूरी तरह विरोध करते हैं। अतः राष्ट्रपति की इस घोषणा को या तो वापिस लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें संशोधन किया जा सकता है। उन्हें कम से कम इतना तो कहने दें कि अगर वे 31 दिसम्बर तक सफल नहीं होते तो इतनी ईमानदारी तो उनमें होगी कि वे यह सुझाव दे दें कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए। नए सिरे से चुनाव होने दें, जनता को अपनी राय देने दें। मैं यह सोचता हूं कि चाहे श्री स्टीफन ने केरल छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ा लेकिन, वे इस बात को सबसे पहले स्वीकार करेंगे कि केरल की जनता राजनीतिक रूप से पूरी तरह जागरूक है।

श्री सी. एम. स्टीफन : इसलिए आप होशियार रहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको उनकी जांच करनी चाहिए थी। राजनीतिक रूप से जागरूक इन लोगों को अपना निर्णय देने और अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अवसर मिलना चाहिए।

विधान सभा के निरंतर निलम्बित किए जाने का मैं पूरी तरह विरोध करता हूं तथा मेरी पार्टी यह मांग करती है कि इसे रोका जाए। विधान सभा को भंग किया जाए एवं नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।

श्री जेवियर अराक्कल (अर्नाकुलम) : सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं। आज की चर्चा का विषय सांविधिक संकल्प और अनुपूरक मांगों से संबंधित है। लेकिन, विपक्ष के भाषण सुनने के पश्चात मुझे हैरानी है कि अपना मामला यहाँ प्रस्तुत करने के लिए वे इतने निराश और परेशान क्यों हैं। उन्होंने श्री सी. एम. स्टीफन और श्री मकवाना का जिक्र किया अन्य किसी भी बात पर यहां प्रकाश नहीं डाला गया तथा न ही चर्चा की गई। इससे पता चलता है कि यह विपक्ष कितना खोखला और बुझदिल है। महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण को सुन कर मुझे कुछ निराशा हुई है। मुझे उनसे कुछ बेहतर कहने की उम्मीद थी : मुझे आशा है कि सी. पी. आई और सी. पी. एम. का हनीमून अब समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने वाला है। यह परिणीत है। केरल पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में सी. पी. एम. और सी. पी. आई. की कब्र खुद रही है। इसलिए, श्री इन्द्रजीत गुप्त को पूरा सम्मान देते हुए मैं यह कहूंगा कि अब समय है कि वे सोचें कि अब उनकी नीति क्या होगी।

1980 से जो कुछ होता चला आया है, हमें उसका लेखा-जोखा लेना है। उस समय यहाँ केन्द्र सरकार ने सत्ता संभाली तथा वामपंथी सरकार ने केरल में सत्ता संभाली।

स्वाभाविक है कोई भी देश भक्त नागरिक, और विशेष रूप से केरल में, यह पूछेगा कि केरल में वामपंथी सरकार ने केरल के लोगों के लिए क्या किया। आप पूछ सकते हैं कि मैं यह क्यों कह रहा हूं। मैं इस बात पर इस लिए बल दे रहा हूं कि इस का एक कारण है। मेरे माननीय मित्र श्री बी. के. नायर द्वारा राजनीतिक पहलू का काफी जिक्र किया गया। अब, श्रीमती गाँधी के दोबारा सत्ता में आने पर, आप यह जान कर हैरान होंगे कि। केरल में मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में लगभग 8 बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई। क्या मैं, कुल मिलाकर लोगों की जानकारी व सूचना और इस सभा के रिकार्ड के लिए इसे बता सकता हूं। वे इस प्रकार है : फिनोल परियोजना, कंटेनर फैक्ट्री, कैप्रोलैक्टम यूनिट ऐरोमैटिक यूनिट; कौस्टल रेलवे कोचीन शिपयार्ड-इसका विस्तार; कोचीन पोर्ट, कोचीन रिफाइनरी और कोचीन एअर पोर्ट। क्या मैं यहाँ विपक्ष के सदस्यों से यह पूछ सकता हूं कि उनकी सरकार द्वारा केरल के लोगों के उत्थान के लिए क्या किया गया ? (**व्यवधान**)। इस बारे में किसी के भी साथ उचित बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे इस बात के तथ्य और आँकड़े लेकर सामने आएं कि उन द्वारा केरल की जनता के लिए क्या किया गया। केरल की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के आभारी हैं,..... (**व्यवधान**) जब वे बहुत कमजोर होते हैं, तो चिल्लाते हैं। मुझे चिल्लाना नहीं आता। उनके पास यही अस्त्र है। क्यों न हम सार्थक बहस करें।

सभापति महोदय : आप अपनी बातें, उचित तरीके से स्पष्ट करिए।

श्री जेवियर अराक्कल : इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। अब, जबकि केरल में संयुक्त वामपंथी सरकार सत्ता में आई तो वे क्या कर रहे थे ?

मुझे उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं देना। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से यह पूछता हूं कि वे यह पता करें कि 1980 के बाद से उनके अपने दो भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों द्वारा केरल में सी. पी. एम. सरकार के लिए क्या कहा गया ? श्री अच्युत मेनन द्वारा केरल की वामपंथी सरकार के लिए क्या कहा गया ? श्री पी. के. वासुदेवन नायर द्वारा केरल विधान सभा में क्या कहा गया ? इन तथ्यों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप इन बातों को नहीं भूल सकते। श्री अच्युत मेनन ने कहा है कि केरल में 17 मन्त्रिमंडल में प्रत्येक मन्त्री अपने आप एक मन्त्रिमन्डल है। क्या आपने भारत की राजनीति व इतिहास में कभी इस प्रकार की स्थिति सुनी है ? श्री वासुदेवन नायर ने केरल विधान सभा में यह कहा था कि कोट्टायम त्रिचूर और क्विसोन में सी. पी. एम. द्वारा उनके अपने वर्करों की हत्या की गई, उन्हें मार डाला गया। और आप यहां भले लोगों की तरह आ कर कहते हैं कि वह सरकार अच्छी सरकार थी तथा इसे श्री स्टीफन और श्री मकवाना द्वारा गिरा दिया गया। क्या आप को ऐसा कहते शर्म नहीं आती ?

हमें अपनी राजनीतिक विरासत पर गर्व है। हम लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। केरल में 22 से अधिक चुनाव और उपचुनाव हुए हैं। क्यों न हम व्यावहारिक दृष्टि और समझदारी से काम लें। कितनी बार केरल के लोगों को चुनाव के लिए बाध्य किया गया ? यह सभी जानते हैं कि केरल में स्थिर और लोकतंत्रीय ढांचे की सरकार हो सकती है। वहां विधान सभा भंग नहीं करने का क्या कारण था ? बहुत ही आसान बात है। वहां दल-बदल हो रहा था। वे कांग्रेस (एस) और अन्य दलों से कुछ लोगों के दल-बदल की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें यह आशा थी कि वे केरल में सरकार बना सकते हैं।

अब, यह महसूस करते हुए कि वे अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते, वे हम पर दोष लगा रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद स्थिति नहीं है ? दम्भ तेरा नाम भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) है। मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उन्होंने वे राजनैतिक हत्याओं के बारे में कहा, और क्या-क्या नहीं कहा। हम खून खराबा और हिंसा का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम केरल में (आर. एस. एस) की हिंसा का भी लगातार विरोध करते रहे हैं। यही हमारी नीति हैं।

एक बात जिस पर मैं आपके सामने बल देकर कहना चाहूंगा वह यह कि कोई भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में अर्ध सैनिक संगठन, सी. आई. टी. यू ने कानून-व्यवस्था अपने और हाथ में लेना शुरू कर दिया, वह हिंसा पर उत्तर आये की, सी. आई. टी. यू. ने पुलिस को पकड़ा सत्ताधारी दल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने खजाने को लुटा। क्या यह स्वाभाविक नहीं कि वहाँ के लोग क्रांति करेंगे ? केरल के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रवृति के नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि वाजपेयी जी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे क्योंकि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बारे में उन्हें बेहतर अनुभव प्राप्त है। मैं जो कह रहा हूं वह है कि जब केरल के लोगों ने यह महसूस किया कि सरकार उन्हें पुलिस संरक्षण नहीं दे सकती और केरल में जान और माल सुरक्षित नहीं तो वे सी. आई. टी. यू. जो कि केरल में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का अर्ध-सैनिक संगठन है, का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र इसे अवश्य समझ गए होंगे। वहाँ जो कुछ हो रहा है वे अच्छी तरह से जानते हैं। केरल में भी उसी प्रकार हो रहा है। वहां झगड़ा हुआ, और असामाजिक तत्वों के दो हिंसक दल जान और माल के संरक्षण के लिए झगड़ रहे थे।

एक माननीय सदस्य : वे कौन हैं ?

श्री जेवियर अराक्कल : एक कहावत है; जो मनुष्य का खून बहाता है, अनुष्य उसका खून बहाएगा ।' हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं ।

एक बार जब राष्ट्रपति द्वारा सत्ता सम्भाल ली गई थी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने यह महसूस कर लिया कि उनको पुलिस संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वे भयभीत ही होने लगे; और वे अब भी भयभीत हो रहे हैं । जो लोग इनका शिकार बने या जो लोग मारे गए उनके रिश्तेदारों ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सी. आई. टी. यू. से यह पूछना शुरू कर दिया है; 'तुमने मेरे भाई की हत्या क्यों की ? तुमने मेरी बहन के साथ बलात्कार क्यों किया था ? तुमने मन्दिरों, चर्चों और मस्जिदों में चोरी और राहजनी क्यों की थी ?" अब आप लोगों के। जबाबदेह हैं । कुछ समय पहले मैंने सदन में यह कहा था कि सी. आई. टी. यू. की तथा कथित 'पीपल्ज कोर्ट' के अन्तर्गत केरल में नक्सलापंथी युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं और वहां कोई पीपल्ज कोर्ट नहीं है ··

एक माननीय सदस्य : आप केरल में नक्सलियों को बढ़ावा दे रहे हैं ।

श्री जेवियर अराक्कल : आप यह कर रहे हैं और आप उनको मौन स्वीकृति दे रहे हैं । केरल की मार्क्सवादी पार्टी पर यह हमारा आरोप भी है । इस मुद्दे पर मैं आपको चुनौती देता हूं । आगे आईये और इसका खण्डन कीजिए । क्या जब उन्हें जेल में डाला गया था तो आपने उन्हें जेल से नहीं छोड़ा ?

यह स्थिति है और इस परिप्रेक्ष्य में हमें जांच करनी है कि यह सांविधिक प्रस्ताव और ये अनुपूरक मांगें केरल की कहां तक सहायता कर सकती हैं । अब केरल के लोगों में शांति हैं । मैं कल ही केरल से आया हूं । मैं केरल में था और मैंने केरल का बहुत दौरा किया है । वहां यह राय है कि चुनाव से पहले वहां लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में अब सुधार हो रहा है और निकट भविष्य में यह बहुत अच्छी हो जाएगी । सी. आई. टी. यू और मार्क्सवादी लोग सरकार के खिलाफ हो रहे हैं और श्री नम्बूदरीपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है, की हम केरल में जन आन्दोलन छेड़ेंगे' । क्या यह एक लोकतंत्रीय पहलू·· (व्यवधान) जिससे हिंसा और अराजकता का सहारा लिया जा सकता है । यह हमारी संस्कृति से परे है । यह तरीका भारतीय संस्कृति विशेषकर केरल की संस्कृति के अनुरूप नहीं है । मार्क्सवादी इसीका समर्थन कर रहे हैं ··

सभापति महोदय : आप सत्याग्रह कर सकते हैं ।

श्री जेवियर अराक्कल : परन्तु ये सत्याग्रह में विश्वास नहीं करते । क्या ये जिस चीज में विश्वास नहीं करते उसे कर सकते हैं ? यहां इसी वक्तव्य पर हमें विचार करना है । क्या केन्द्र सरकार केरल के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दे सकती है और केरल में सी आई टी यू और मार्क्सवादियों की अव्यवस्था, हुल्लड़बाजी और गुण्डागर्दी कम कर सकती है ? मैंने सदन में बार-बार यह पूछा है । जब किसी नागरिक की जान और माल को खतरा हो तो केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? मुझे याद है, थे जब मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोल रहा था, श्री वाजपेयी खड़े हो गए और उन्होंने श्री जैलसिंह से कहा था, आपको इसका जवाब

देना पड़ेगा'। अब भी वही स्थिति है। केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य के किसी भाग में किसी नागरिक की जान और माल सुरक्षित है (व्यवधान) वास्तव में केरल में ऐसा हो रहा है। अतः मेरा यह कहना है कि यह सांविधिक प्रस्ताव समयानुसार है और यह निलम्बन उस समय तक चलना चाहिए जब तक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना न हो जाए। केरलके लोग चुनावों से तंग आ चुके हैं। केरल में 22 से अधिक चुनाव और आम चुनाव हो चुके हैं। यह सारा पैसा किसका है? इससे किसको तकलीफ होगी? क्या यह उचित है कि जब आम चुनाव ने पाँच वर्ष के लिए फैसला दे दिया है, इसे सीमित किया जाए और एक और चुनाव कराया जाए? हमें सभी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आगे क्यों नहीं आती और कहती, हमारा बहुमत है,। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया कि उनके 69 सदस्य हैं। क्या इसका यह मतलब नहीं कि 141 में से बाकी के दूसरी पार्टियों के हैं? यदि सम्भावना है तो, क्या उन्हें सरकार बनाने का अधिकार नहीं है? यही हमारा उद्देश्य है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सांविधिक संकल्प और अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा और केरल के बजट के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों पर जो यहां पर विचार विमर्श हो रहा है उनके सम्बन्ध में मैं शुरू में ही एक बात कहना चाहूंगा। क्योंकि हमारे देश में जम्हूरियत को जो खतरा पैदा हो रहा है वह इस बात से हो रहा है कि इन्दिरा गाँधी की जम्हूरियत के खून का चस्का लग चुका है। यह सब से खतरनाक बात है।

इस देश के संविधान में संघात्मकता का प्रावधान किया गया है। हमारा संविधान संघात्मक है। हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें यह पढ़ाया जाता था कि हमारा संविधान संघात्मक है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने संघात्मक की बात तो छोड़ दी है और इसका एकात्मक पहलू ले लिया है। यह बात केरल के अन्दर ही नहीं, केरल से पहले हिन्दुस्तान के और राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करके बार बार साबित हो चुकी है। कि इन्दिरा गांधी को इस देश के अंदर जीते-जी किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार बरदाश्त नहीं होगी और अगर जनता गल्ती से दूसरी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनाती है तो इन्दिरा गांधी उसको बरदाश्त नहीं करेगी और उसको निलंबित और बर्खास्त करेगी लेकिन केरल की समस्या तो आज इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। इन्दिरा गांधी का दूसरा नाम एक छत्र सत्ता प्राप्त करना है। इसके लिए हरियाणा में थोक में दल-बदल करवाया गया। आज जो इस तरह की सत्ता की भूख पैदा हो गई है यह हमारे मुल्क और संविधान के लिए खतरनाक है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल अगर किसी दूसरी पार्टी का राज्य आए और वह भी ऐसे ही कार्य करे तो उसके लिए भी सबसे बड़ा दोष इन्दिरा गांधी और उसकी पार्टी का ही होगा। आज अगर दल-बदल विरोधी कानून लाने के लिए विरोधी दल के लोग भी कहें, तब भी आप वह कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि इन्दिरा जी जानती हैं कि संकट के समय दल-बदल ही एक रास्ता है। (व्यवधान)...

स्टीफन साहब, मकवाना साहब, आप लोग सरकार बना सकते हैं। नयनार के इस्तीफे के बाद आपने एसेम्बली को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन की नीयत एक-एक नागरिक समझ रहा

है कि दल-बदल करके किसी भी प्रकार, ऐनी हाउ, हुक और क्रुक आप केरल में सरकार बनाना चाहते हैं। आपने आसाम में भी ऐसा ही किया। वहां पर अनवरा तैमूर का बहुमत नहीं है। आपको आसाम के अन्दर ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए थी जब कि स्थिति इतनी खराब हो रही हो, रिफाइनरीज बंद की जा रही हों, सड़कें बंद की जा रही हों, लाइने बंद की जा रही हों, लेकिन इन्दिरा गांधी को इससे क्या, देश और राज्य भाड़ में जाए, किसी न किसी तरह से उनकी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इसी प्रकार केरल के अन्दर वे दल-बदल करके सरकार बनाना चाहती हैं।

सभापति महोदय, जब बहुमत नहीं रहा और ईमानदारी से इस्तीफा दे दिया गया तो आपको भी चुनाव की घोषणा ईमानदारी से कर देनी चाहिए थी। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आपको चुनाव की घोषणा करनी चाहिए और इसके लिए एक निश्चित तिथि देनी चाहिए। अगर आप दल-बदल करना चाहते हैं तो भी आपको 10-20 दिन का समय दिया जा सकता है, लेकिन इसकी एक सीमा तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आप एक निश्चित तारीख देकर इस हाउस को एश्योर करें कि केरल के अंदर लोकप्रिय सरकार बनने के लिए जनता को मौका देंगे। हमारे संविधान के अंदर वोट देने का राइट है, उसको उपयोग करने दीजिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इन्दिरा गाँधी का एक छत्र राज्य रहने वाला नहीं है और इन्दिरा गांधी और उसके परिवार का नाम भी इस मुल्क में कोई नहीं लेगा। राजीव गांधी की चमचागिरी करके और उसके आगे-पीछे घूमकर या अखबारों में उनके फोटो छपने से कुछ नहीं होगा। एक ही दिन में दो-दो सभाएं होती हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा रामलीला मैदान में ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : यह ईर्रेलीवेंट है।

एक माननीय सदस्य : गलत बात नहीं होनी चाहिए। ··(व्यवधान)···

श्री जगपाल सिंह : श्री वाजपेयी की सभा रामलीला मैदान में हुई और उसी दिन श्री राजीव गांधी की सभा हुई, लेकिन अखबारों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो नहीं, बल्कि राजीव गांधी का बड़ा-बड़ा फोटो आया।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक परिवार का राज्य बहुत खतरनाक है। यह इतना खतरनाक अपोजीशन के लिए नहीं है, क्योंकि सत्ता का इतना चस्का हमको नहीं है, जितना आप लोगों को है। यह चस्का आपको परेशान करेगा। कल जो हिन्दुस्तान के संविधान की स्थिथित होने वाली है। ···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : मेरी बात सुनिये। किसी मैम्बर का अखबार में फोटो छपता है और किसी का नहीं छपता है तो यह तो अखबार वालों पर निर्भर करता है—

श्री जयपाल सिंह : क्या टी वी सरकार का नहीं है, रेडियो सरकार का नहीं है? क्यों एक परिवार के लिए वह इस्तेमाल हो? मुल्क के लोग इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : आप किसी मैम्बर पर इस तरह आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। केरल के सम्बन्ध में बोलिये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवाँ) : सरकारी खर्चे पर टी वी और रेडियो चल रहे हैं। एक परिवार के लिए ये नहीं हो सकते हैं ।

सभापति महोदय : नियमानुसार जब अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये । मैं आप से निवेदन कर रहा था कि केरल के सम्बन्ध में बहस हो रही है उस पर ही बोलें । बहस के क्षेत्र को व्यापक न बनाएं ।

श्री जगपाल सिंह : मैं कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों से कह रहा था कि भविष्य में जो खतरे पैदा हो सकते हैं उनकी बुनियाद आज पड़ रही है । इस देश की जम्हूरियत को खत्म किया जा सकता है । देश में एक परिवार, एक आदमी का राज्य कायम हो जाने का खतरा है । यह आप के लिए भी खतरे की निशानी है । आज आप इसको महसूस नहीं कर रहे हैं कल को आप इसको अवश्य महसूस करेंगे । वह दिन दूर नहीं जब आप इसको महसूस करेंगे । स्टीफन साहब के भी जो राजीव गांधी नेता हो गए हैं यह उनको मन में भी अखरता होगा । लेकिन वह इसको कह नहीं सकते हैं । मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी को भी डैमोक्रेटिक पार्टी के रूप में काम करना चाहिये और इसकी आपको कोशिश भी करनी चाहिये । केरल में आप दल बदल करवा करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहें हैं । मैं समझता हूं कि स्टीफन साहब को सब से आगे बढ़ कर यह कहना चाहिये कि केरल के लोगों को वोट का दिया जाना चाहिए और वहाँ पर चुनाव करवा कर फिर सरकार अधिकार कायम की जानी चाहिये । यह सलाह उनको श्रीमती इन्दिरा गांधी को देनी चाहिये । लेकिन मैं जानता हूं कि वह ऐसी बात नहीं कहेंगे । यह डैमोक्रेसी का सवाल है ।

जिन प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं उनको तोड़ने की साजिश आपकी तरफ से लगातार होती है । मकवाना जी अकसर कह देते हैं कि वहाँ ला एंड आर्डर की स्थित खराब हो गई है, वहां मर्डर हो रहे हैं, वहां करप्शन है । मैं पूछना चाहता हूं कि सब से पहले-अंतुले की सरकार को आप बरखास्त क्यों नहीं करते हैं जिसने 85 करोड़ रुपया भ्रष्ट तारीकों से इकट्ठा कर लिया है ? उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ज्यादा बदतर सरकार और किसी की क्या हो सकती है ? उसको आप बरखास्त क्यों नहीं करते हैं । इतनी इनकम्पीटेंट सरकार उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं थी। क्या आप ने इस सरकार को बरखास्त किया है ? गुंडू राव साहब की सरकार जिनके एक मंत्री पर भ्राष्टाचार के आरोप हैं, एक मिनिस्टर का लड़का कारों की बलैक में शामिल है, कांग्रेस पार्टी का एक संसद सदस्य बलात्कार की घटना में शामिल है, उस सरकार के खिलाफ आप कोई एकशन क्यों नहीं लेते हैं । लेकिन उन प्रदेशों में आप हस्तक्षेप जरूर करेंगे जहां आपकी सरकार नहीं है । यह शर्म की बात है ।

मैं मांग करता हूं कि केरल में चुनाव कराने की निश्चित तिथि की घोषणा आप उस बहस के उत्तर में अवश्य करें ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, हमने प्रतिपक्ष की चिल्लाहट सुनी है । वे श्री स्टीफन और श्री मकवाना से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे थे । महोदय, मुझे यह नहीं मालूम था कि श्री स्टीफन और श्री मकवाना इतने ताकतवर हैं कि इतने अधिक प्रतिपक्ष के होते हुए भी वे सरकार को गिरा सकें और चुनाव की सिफारिश किए बिना सी. पी. आई. (एम) के मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहें । और अब वे चुनाव के लिए कह रहे हैं । इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं । वे आगे आयें और कुछ करें । महोदय, राजनीति में···

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : वह बहुमत खो चुके हैं, इसलिए वे विधान सभा भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : उनको अपना मत प्रकट करने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : मुझे स्थिति का विश्लेषण करने दीजिए (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: मेरा मत यह है कि उन्हें भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए थी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं अपने नेताओं से 20 सूत्रीय कार्यक्रम के स्थान पर एक और कार्यक्रम, 21 सूत्रीय कार्यक्रम बनाने का आग्रह करूंगा। 21वां सूत्र ही प्रतिपक्ष को कुछ राज्यों में सरकारें बनाने में मदद देना। वे इसी की प्रतीक्षा में हैं। प्रतिपक्ष को सत्ता में आने का यही एक अवसर होगा। वे चुनाव के लिए कह रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चैटर्जी (जादवपुर) : महोदय, क्या हमें हंसना चाहिए ? यदि आप आज्ञा दें तो इस चुटकले पर हंस लें

श्री संतोष मोहन देव : यदि वे हंसना नहीं चाहते तो उनको चिल्लाने दो :

सभापति महोदय : केवल आपको नहीं रोना चाहिए, आप हंस सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : यहां के वातावरण को ध्यान में रखें। हम प्रतिपक्ष की बात से सहमत नहीं हैं, वे केरल में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और अन्य पार्टी की टिकटों पर चुने गए हैं और यहां कांग्रेस (आई) है। कभी वे चिल्लाते हैं तो कभी हम चिल्लाते हैं इस समय जो स्थिति है उसमें यही ठीक है कि केरल में चुनाव न हों। यदि संसद में अब स्थिति इतनी गर्म हो गई है कि आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि केरल में क्या स्थिति होगी। राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी घोषणा की गई है न कि श्री स्टीफन या श्री मकवाना के कहने पर की गई है।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : आप हमें सही स्थिति क्यों नहीं बताते ? (**व्यवधान**) :

श्री संतोष मोहन देव : यदि मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो मैं बैठ जाता हूं। परन्तु मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे वे खुश हों : (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री देव, मैं यह समझ रहा था कि आप भले हुए सांसद हैं।

श्री संतोष मोहन देव : वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि देश के लिए बोलने का केवल उन्हीं का एकाधिकार है ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आदमी को थोड़ी बहुत अनसुनी भी करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : मुझे खेद है, आपने जो कहा मैं सुन नहीं सका, कोई बोल रहा है

सभापति महोदय : मेरी यह सलाह है कि आप थोड़ी बहुत अनसुनी करें। विश्वासोत्पादक बनिये और अपनी बात कहिए।

श्री संतोष मोहन देव : इसलिए, आप भी यह चाहते हैं, महोदय, क्या मैं उनके पक्ष में बोलूं ? जो मैं ठीक समझता हूं मुझे बोलने दीजिए, उनको खुश करने के लिए नहीं। कम से कम आप तो निष्पक्ष रहें···

सभापति महोदय : वे सहमत नहीं होंगे आप ऐसा क्यों सोचते हैं ? वे आपसे सहमत भी हो सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : श्री लारेंस ने विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों के हश्र के बारे में बताया। अब, महोदय, यह स्वमेव न्यायसंगत है कि लोग किसी राज्य में भी कोई गैर-कांग्रेस (आई) की सरकार न चुनें। जब भी हम सत्ता में आए हैं हम पूरी अवधि तक सत्ता में रहे हैं। वे चुने गए, उन्होंने सरकारें बनाई, वे पूरा समय नहीं रह सके यह हमारी गलती कैसे हो सकती है ? श्री इन्द्रजीत गुप्त अच्छे वक्ता हैं; वे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। उन्होंने कहा था जहां कहीं भी, जहाँ प्रतिपक्ष की सरकार गिरी, विधान सभा को निलम्बित रखा गया। असम में क्या हुआ ? कांग्रेस सरकार गिरी, अनवरा तैमूर सरकार गिरी। विधान सभा को निलंबित कर दिया है। प्रतिपक्ष सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। आज एक सूची बनाई गई हैं, कल एक और सूची बनाई जाएगी। यह हमारा कसूर नहीं है। इन सबसे पता चलता है कि वे लोगों को साथ नहीं ले सकते। यदि लोग स्वेच्छा से, अपने प्यार के कारण हमारे पास आएं, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते, यह दल बदल नहीं है।

यदि आप 'डिफक्शन' शब्द के लिए आक्सफोर्ड शब्दकोश देखें तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। यदि सारी पार्टी मिलती है, आप इसे 'दलबदल' नहीं कह सकते क्योंकि वे नेतृत्व, में आदर्शवाद, और सरकार की नीति में विश्वास करते हैं। विगत में, सी. पी. एम. और सी. पी. आई. के मामले में उनमें ही दलबदल हुए हैं। उसे दलबदल कहना चाहिए। उन्होंने दलबदल विधेयक पास क्यों नहीं किया ? उस समय उन्होंने अपना समर्थन क्यों वापिस ले लिया। परन्तु वे हमसे अब वह विधेयक पास करने के लिए कह रहे हैं।

महोदय, हमारी सरकार गत 33 वर्ष के लगभग सत्ता में रही है और बहुत से राज्यों में हमारी पार्टी के लिए उचित कार्यालय-भवन नहीं हैं। कलकत्ता और दो अन्य राज्य—केरल और त्रिपुरा में—आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने पार्टी कार्यालय के लिए जो बड़े-2 भवन बनाए हैं। इन्होंने ईमानदारी से इन भवनों को बनाया है। यह कला मैं भी सीखना चाहूंगा ताकि हम भी अपनी पार्टी के लिए भवनों का निर्माण कर सकें। (**व्यवधान**)

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : महोदय, हमारी पार्टी पर यह एक आरोप है। मुझे इस आरोप का उत्तर देने दिया जाए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह कला जानना चाहूंगा। मैं विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी के लिए भवन बनाना चाहता हूँ. पश्चिम बंगाल में, नेता विभिन्न स्थानों पर सभाओं को सम्बोधित करते हैं और सभाओं में वे ऐसा दिखावा करते हैं कि नेता को लोगों द्वारा रुपयों की माला दी जानी है। माला मुश्किल से 50 रुपयों की होगी परन्तु ये लोग कहेंगे कि माला 50000 रुपयों की थी जो आम लोगों से आई है और इस तरह से उस राशि को नियमित कर दिया जाता है। यदि यही कला है तो मैं अपने नेताओं को इस कला को अपनाने के लिए नहीं कहूंगा।

(**व्यवधान**)

महोदय, एक माननीय सदस्य ने श्री राजीव गांधी के नाम आरोप लगाया है। शून्य काल में हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी विरोधी दलों के सदस्य अपने हाथों में समाचार-पत्र लिए आए हैं और उन समाचार पत्रों को सभापति को दिखा रहे हैं कि प्रत्येक समाचार पत्र में राजीव गांधी दिखाई दे रहे हैं। महोदय, यह सर्वविदित है कि भारत में प्रेस हरेक के लिए निष्पक्ष है। यदि प्रेस द्वारा कुछ अनुचित किया जाता है, वह केवल हमारी पार्टी के लिए किया जाता है और

सत्ताधारी दल ही ऐसा दल है जिसे प्रेस का सही बर्ताव नहीं मिल रहा। यदि सभी समाचार-पत्रों में श्री राजीव गांधी का फोटो आया है तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारी जनता और प्रेस ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में मान लिया है, श्री वाजपेयी को नहीं। वे जाकर प्रचार कर सकते थे और प्रैस से अच्छी घनिष्ठता कर सकते हैं। यह हमारी गलती नहीं है कि लोग उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। हमने गत चुनावों में ऐसा देखा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : तो फिर केरल विधान सभा को भंग कर दे।

श्री संतोष मोहन देव : केरल के मुख्य मंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने उस महिला राज्यपाल को प्रशासन सम्भालने के लिए कहा था। अब आप उस महिला राज्यपाल से मदद माँग रहे हैं, आज सुबह मैंने श्री लारेंस को बताया था कि उन्हें केरल के लोगों के पास जाना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। हम भी केरल के लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें अपने विचार बताएंगे और लोग सही चीज का निश्चय करेंगे।

श्री एम. एम. लारेंस : हम लोगों का फैसला लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया किसी भी पक्ष के सदस्यों की बातों पर ध्यान न देकर पीठासन को सम्बोधित करें।

श्री संतोष मोहन देव : आर. एस. एस. और कांग्रेस (आई) पर कुछ आरोप लगाये गये हैं कि वे लोग वहाँ बहुत गड़बड़ पैदा कर रहे हैं और हत्याओं आदि में भी उनका हाथ है। अब, इस सदन में हमने कई संसद सदस्यों को यह कहते सुना है कि सी. पी. एम. भी ऐसी ही गड़बड़ी पैदा कर रहा है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है व्यक्तिगत रूप से मैं इन राजनीतिज्ञ हत्याओं में कतई विश्वास नहीं करता। किसी भी हत्या के लिये जो भी कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो, उसे दण्ड दिया ही जाना चाहिये। और इन हत्याओं को रोका जाना चाहिये (व्यवधान)

मैं श्री स्टीफन, श्री मकवाना और उनके साथियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और उनसे केवल यही प्रार्थना करता हूं कि वे श्री उन्नीकृष्णन और श्री वाजपेयी को भी स्थाई रूप से अथवा अस्थाई रूप से अपनी कम्पनी में थार्मल कर लें ताकि केरल के लोगों की सुरक्षा हो सके।

श्री के. मायातेवर (डिंडीगल) : सभापति महोदय, मैं केरल राज्य की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

मैंने विपक्ष एवं सत्तापक्ष दोनों ही पक्षों के सदस्यों के वक्तव्यों को सुना है। हमारे विद्वान मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है जैसा कि वह आमतौर से कहते हैं, परन्तु वह यह भूल गये हैं कि जबकि उनकी पार्टी असम में कांग्रेस सरकार को अपना सहयोग दे रही है, वह यहां कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी सी. पी. एम. पार्टी के नेतृत्व वाली केरल सरकार के पतन का कारण है।

जुलाई या अगस्त 1979 में जनता सरकार का अपने आप पतन हुआ था। किसी ने इसे नहीं गीराया, हमने ऐसा नहीं किया, दण्डपाणी, मायातेवर, करुणानिधी या किसी और वे ऐसा नहीं किया। यह अपने आप गिरी और एक कच्चे घड़े की तरह चूर-चूर हो गई। जैसा कि

जनता सरकार के साथ 1979 में हुआ, वही हाल अब केरल सरकार का भी हुआ है। यह इस लिये गिरी क्योंकि इसका बहुमत खत्म हो गया था। इसलिये, हम अपने माननीय मित्र श्री मकवाना या माननीय वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को इसके लिये दोष नहीं दे सकते। सी. पी. एम. के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के लिये कोई भी दोषी नहीं है। यह अपने आप गिरी है क्योंकि इसका बहुमत समाप्त हो गया।

इस बात को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की है। केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही को न तो गैर-कानूनी कहा जा सकता है और न संविधान विरोधी ही।

जो लोग लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजवादी व्यवस्था अथवा प्रजातंत्र की सर्वोच्चता में जरा भी विश्वास नहीं करते हैं, वही लोग सिद्धान्तों की बातें कर रहे हैं। उसी जनता सरकार ने, जिसका समर्थन हमारे विद्वान मित्रों सी. पी. एम. और सी. पी. आई के सदस्यों ने किया था, 1977 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली 9 राज्य सरकारों को गिराया था—कांग्रेस (आई) के नेतृत्व वाली वे 9 राज्य सरकारें 24 घंटे के भीतर गिरा दी गई थीं। क्या यही लोकतंत्र हैं? क्या उनके मुह से लोकतत्र के बारे में बातें करना अच्छा लगता है? क्या उन्हें प्रजातंत्र पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार है? इसलिये महोदय, उन्हें प्रजातंत्र के बारे में बातें करने का कोई हक नहीं है। उन्हें कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा केरल के वर्तमान मामलों के उठाये गये कदमों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अभी विधानसभा को स्थगित ही किया गया है। हमारे विद्वान बंधु विधानसभा को तत्काल भंग करने की माँग उठा रहे हैं जैसे कि वह 48 घंटे के बाद सत्ता में आ ही जायेंगे। महोदय, यह उनका फर्ज है कि वह यथा स्थिति बनाये रखें, अपनी शक्ति बनाये रखें, अपने सदस्यों को अपने साथ रखें। परन्तु, उनके अपने ही साथी उनसे अलग रह रहे हैं। अथवा उनकी सरकार अर्थात् सी. पी. एम. और ए. डी. एम. की सरकार में, उनके सिद्धान्तों में उनकी नीतियों में कोई विश्वास नहीं रहा है। चुनाव के समय वे मंच पर बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सत्ता सम्भाली तो उन्हें न तो केरल में ही और न ही तमिलनाडु में कुछ किया। उनकी स्थिति एक जैसी ही है। मैं **राज्य सरकार** को धन्यवाद देता हूं कि उसने विधान सभा को भंग नहीं किया। अपने विधान सभा को इस लिये नहीं भंग किया क्योंकि आप अधिक लोकतंत्री हैं। आपने विधान सभा को केवल स्थगित ही किया है इससे यह साफ पता चलता है कि आप इन लोगों से कहीं अधिक लोकतंत्री हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और काँग्रेस सरकार वहाँ पर शीघ्र ही केरल की जनता के हित में एक लोक प्रिय सरकार की स्थापना करे। जनता का हित इस पार्टी या उस पार्टी की सरकार बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये, हम आपका समर्थन करते हैं। केरल के लोगों के हितों की रक्षा के लिये आप शीघ्र से शीघ्र सरकार बनाइये। उनकी सरकार का पतन क्यों हुआ। क्योंकि वे राजनीतिक हत्यायें कर रहे थे। इस सदन में उन्हीं के द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार 23 राजनीतिक हत्यायें हुई। और इन 23 राजनीतिक हत्याओं में से, 18 व्यक्ति उनकी पार्टी के थे। परन्तु उस समय वे सत्ता पक्ष में थे। क्या उस समय कांग्रेस (आई) या डी. एम. के. का शासन था? सारी शक्तियां आपके पास थीं। उन्होंने क्या कार्यवाही की? वे सोते क्यों

रहे अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किया ? भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत और देश के कानूनों के अन्तर्गत हत्यारों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करके और अपराधियों द्वारा किये गये अपराधों का दमन न करके उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा है। वे केरल के लोगों के हितों की रक्षा करने में असफल रहे। शांति व व्यवस्था बनाये रखने में वे असमर्थ रहे। वे हत्यारों, डकैतों और चोरों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री अराक्कल ने या किसी और ने यह बताया है कि उनकी पार्टी के पास केरल और पश्चिमी बंगाल में आलीशान महल हैं, जब डी. एम. के. पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में थी, उस समय इसके पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था। परन्तु आप तो पश्चिम बंगाल और केरल में लगातार सत्ता में हैं और आपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए न सही लेकिन अपनी पार्टी के लिए तो आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। आप सारे देश में अपनी पार्टी को चलाने के लिए पैसे पर पैसा इकट्ठा किये जा रहे हैं। यह आरोप है जो आप लोगों पर केरल की जनता ने लगाया है।

अब मैं एक दूसरे विषय की चर्चा करूंगा। आपके राज्य में करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा रही है लेकिन क्या आपने उससे अपने उद्योगों का विकास किया है। क्या आपने कोई भी विकास योजना शुरू की है? क्या आपने उस योजना को कार्यान्वित किया है? क्या आपने शिक्षितों अथवा अशिक्षितों के लिए कोई रोजगार के अवसर प्रदान कराये हैं। आपने इसमें से कोई भी काम नहीं किया है। आप इन सभी कार्यों को भूल चुके हैं। इसीलिये, लोगों ने आपको नापसंद नहीं किया और आपकी सरकार का पतन हो गया। इसके लिये आप केन्द्र सरकार को दोष क्यों देते हैं।

सी. पी. एम. सरकारी और गैर-सरकारी जीवन में राजनीतिक ईमानदारी और नैतिकता की दुहाई देता रहा है कि उसने 35 करोड़ रुपये कमाये और आपने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इससे आपका क्या आशय है ?* ... वह इस सदन का सदस्य नहीं है और वह अपना बचाव भी नहीं कर सकता। आपको उसके विरुद्ध इस तरह के दोष लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय : यह उस व्यक्ति के विरुद्ध बहुत ही गम्भीर आरोप है जो इस सदन में उपस्थित नहीं है। कार्यवाही की जांच की जायेगी। इस प्रकार के गंभीर आरोप मत लगाइये। (व्यवधान) मैं कार्यवाही की जांच करूंगा।

श्री के. मायातेवर : आपका शासन ही इस कांड के लिए जिम्मेदार है।

श्री सोमनाथ चैटर्जी (जादवपुर) : लगता है आप बहुत महारानी से भी अधिक चेष्ठावान हैं।

श्री के. मायातेवर : आप 10 लाख लिटर रेक्टीफाइड स्प्रिट की खरीदारी के लिए जिम्मेदार हैं (व्यवधान) केरल के मुख्यमन्त्री इस बारे में इसका समझौता करने में सफल नहीं हो सके थे, परन्तु राज्य सरकार ने श्री अहमद खान को नियुक्त किया और उस

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

व्यक्ति ने तमिलनाडु से 35 करोड़ रुपये की रैक्टीफाइड स्प्रिट खरीदने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की। और इस प्रकार इन लोगों ने लाभ उठाया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तीन जांच आयोग बैठाये गये हैं एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है एक केरल सरकार द्वारा और एक तामिलनाडु सरकार द्वारा। जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं वह प्रत्यक्षतः इन जांच आयोगों की विषयवस्तु है। ये न्यायिक जांच हैं जिसके लिए कानून के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं। उन मामलों पर प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी की गई है जो इन जांच आयोगों के समक्ष विचाराधीन हैं।

सभापति महोदय : मैंने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया है। इस समय मैं आपको निश्चित तौर पर तो यह नहीं बता सकता कि यह एक न्यायिक जांच है अथवा नहीं। जहां तक मुझे मालूम है यह न्यायिक जांच नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

सभापति महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सी. टी. दण्डपाणी (पोल्लाची) : आपने रे आयोग के बारे में एक प्रश्न पूछा था और इसी सदन में उस पर चर्चा भी की गयी थी। सरकार द्वारा उसका उत्तर भी दिया गया था। जब वह प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी थी और अध्यक्ष महोदय ने उस पर चर्चा की अनुमति भी दे दी थी तो अब इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह गोष्ठी पर है।

सभापति महोदय : तीनों जांच आयोगों को इस विषय की जानकारी है। यह अच्छा है कि ऐसे मामलों पर हम चर्चा ही न करें जो उनके निर्देश पद में आते हैं।

श्री के. मायातेवर : तत्कालीन सरकार की भ्रष्ट गतिविधियों को केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। उन्होंने उन मन्त्रियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की जो भ्रष्ट थे हालांकि उन पर आरोप तक लगाये गए थे। उन्होंने प्रशासन को स्वच्छ बनाने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए वे अब यह नहीं कह सकते कि वे भ्रष्टाचार से परे हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पहले कोई कोशिश नहीं की। उन्हें अब प्रशासन की स्वच्छता की बात करने का कोई हक नहीं है।

सभापति महोदय : कावेरी नदी पास में ही है। इसके बावजूद वे अपने आपको शुद्ध नहीं कर सके।

श्री के. मायातेवर : राज्य सरकार ने केरल की सप्तम चीनी मिल को तमिलनाडु से केरल में 15 लाख लिटर रैक्टीफाइड स्प्रिट लाने की अनुमति दी थी। क्या यह गैर-कानूनी कार्य नहीं है ? क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच की गई थी। सदाशिवम आयोग और वेलु पिल्लई आयोग की नियुक्ति अपने आपको बचाने की एक चाल है। केन्द्रीय सरकार द्वारा रे आयोग की नियुक्ति के पश्चात् इन आयोगों को या तो बर्खास्त किया जाना चाहिये अथवा भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आयोग गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी हो चुके हैं। मैं यह मांग कर रहा हूं कि ये दोनों ही आयोग भंग किये जायें क्योंकि ये आयोग राज्य सरकारों

द्वारा उन अपराधियों और दोषियों को बचाने के लिए नियुक्त किए गये हैं जो कई घोटालों में शामिल हैं और इस स्प्रिट कांड में करोड़ों रुपया कमा चुके हैं।

अहमद खान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिसने तमिलनाडु की "पैरट" नाम से विख्यात खूब सूरत महिला से मिलकर ये सभी गैर कानूनी कार्य किये हैं। अहमद खान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तमिलनाडु की खूब सुरत महिला और अहमद खान इन दोनों ही व्यक्तियों ने मद्रास के मुख्य मंत्री से साठगांठ करके 10 से 15 लाख लिटर रैक्टीफाइड स्प्रिट गैर कानूनी रूप से मंगाने की साजिश की थी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : केरल के विषय में इस वाद विवाद के दौरान इस खूब सुरत महिला का जिक्र कैसे छिड़ गया।

श्री के. मायातेवर : "पैरट" ने जिसे तमिल में "किली" कहा जाता है, अहमद खान से सांठगांठ की थी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, क्या हम यह मांग कर सकते हैं कि उस महिला को सदन में बुलाया जाये।

श्री सी. टी. दण्डपाणी : मुख्य मन्त्री से पूछिये; वह बतायेंगे कि वह स्त्री कहाँ है और उसे सदन में पेश करेंगे। यह कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री के. मायातेवर : "किली" अर्थात् "पैरट" इस समय तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम. जी. रामचन्द्रन की देख-रेख में हैं। आप "किली" को उपस्थित करने के लिए कह सकते हैं। श्री अहमद खान और "पैरट" ने स्प्रिट कांड के दौरान एक हत्या भी की है। श्री माधवन की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस बात की अभी तक भी जांच नहीं की गयी है। जहाँ तक मेरे राज्य में विकास पहलू का संबंध है, जब डी. एम. के. सरकार 1969 से 1975 तक सत्ता में थी तो .....

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : केरल में ?

श्री के. मायातेवर : तमिलनाडु में। हमने केरल की पश्चिम दिशा को बहने वाली नदियों से जल प्राप्त करने के लिये केरल सरकार से बातचीत की।

एक माननीय सदस्य : उस समय आप कहाँ थे।

श्री के. मायातेवर : वह एक अलग प्रश्न है। उस समय मैं आल इण्डिया अन्ना डी. एम. के. में था। मैं सी. पी. एम. के रूप में, जिन्हें चीनी लोगों के प्रति असामान्य क्षेत्रीय निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता था। मैं श्रीमती इंदिरा गाँधी और राष्ट्रीय नेताओं के प्रति निष्ठावान हूं। एम. जी. आर. ने तमिलनाडु के लोगों से धोखा किया। इसलिए मैंने अन्ना डी. एम. के. को छोड़ दिया। मैं चीन अथवा किसी अन्य देश के प्रति वफदार नहीं हूंगा। मैं एक राष्ट्रवादी देशभक्त हूं। मैं करुणानिधि जैसे हर इमानदार नेता का आदर करता हूं, जो एम. जी. आर. की तरह भ्रष्ट नहीं है।

सभापति महोदय : समय बदल चुका है। यह स्वाभाविक है कि प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हो।

श्री के. मायातेवर : तमिलनाडु में डी. एम. के शासन के समय राज्य सरकार ने इन

नदियों जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं, से पानी की सप्लाई के लिए केरल सरकार के साथ बातचीत की। वह पानी वहां बहता है हम उस पानी को तमिलनाडु की ओर मोड़ना चाहते हैं। इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी जिसमें मेरा चुनाव क्षेत्र, जिला रामनाड, जिला मदुरई, जिला तिरुनेलवेली तथा जिला कोयम्बटूर भी शामिल हैं। यदि पानी को तमिलनाडु की ओर मोड़ा जाए तो कितने ही जिले पूर्णतः उपजाऊ बन जाएंगे। तमिलनाडु सरकार निरंतर सो रही है। यह लगभग मृत्यु शय्या पर पड़ी है। इसलिये वह सरकार तमिलनाडु के लिए वे सभी चीजें मांगने आपके पास नहीं आयेगी। इसलिये मैं तमिलनाडु के लिए उन सभी चीजों की मांग करता हूं। आदरणीय वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें तमिलनाडु के लोगो की इन माँगों को नोट करना चाहिए कि जल बहाव को तमिलनाडु की ओर मोड़ना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर आपको अब अपना भाषण समाप्त करना होगा। आपको दो मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

श्री के. मायातेवर : महोदय, पेरियार विस्तार योजना निर्माण कार्य केरल और तमिलनाडु में चल रहा था जिसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने 80 करोड़ रुपये दिए। उनमें केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने जल स्तर को 56 फुट से कम करके 46 फुट करने की एक भारी गलती की। पहले पेरियार जल स्तर 56 फुट तक था। अब केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिली-भगत में एक बहुत भारी गलती की है जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर घटाकर 46 फुट कर दिया और इससे लगभग 15 एकड़ धानी क्षेत्र में सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें से 5 लाख एकड़ धान के खेत मेरे चुनाव क्षेत्र मदुरई और रामनाड जिलों में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसी कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

श्री के. मायातेवर : राष्ट्रपति शासन के दौरान मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह केरल के राज्यपाल को अनुदेश दे कि वह तत्कालीन केरल सरकार तथा वर्तमान तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई गलतियों और गलत कामों को सुधारे। तमिलनाडु सरकार ने केरल से जल सप्लाई का अधिकार ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वह अधिकार मुख्य मंत्री श्री एम. जी. रामचंद्रन एण्ड कम्पनी का हो। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के लोगों का अधिकार केरल सरकार को दे दिया है। अतः तमिलनाडु के लोगों का वह अधिकार उन्हें वापस दिया जाना चाहिए। इससे 15 लाख एकड़ धान के खेतों की सिंचाई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले लिया है। आपको केवल 7 मिनट का समय दिया गया है।

श्री के. मायतेवर : महोदय, सुदर्शन चिट फंड कम्पनी के पास काला धन है। उन्होंने लोगों से 80 करोड़ रुपये ठगे हैं। केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें निदेश दिया है कि वे इस कम्पनी को समाप्त कर दें और धन को सभी ग्राहकों तथा निक्षेप धारियों में संवितिरित कर दें। लेकिन केरल सरकार ने इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की और न ही तमिलनाडु

सरकार तथा अन्य सरकारों जिनके क्षेत्र में सुदर्शन चिट फंड कम्पनी की शाखाएं स्थित है, द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। इस चिट फंड कम्पनी के प्रबन्धक अन्तराष्ट्रीय तस्कर हैं। उनके विरूद्ध गंभीर कार्यावाही की जानी चाहिए और उनसे काला धन वसूल किया जाना चाहिए तथा निक्षेप घाटियों को उनका धन वापस मिलना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इन माँगों का समर्थन करता हूं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माता डा. अम्बेदकर ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि संविधान के अनुच्छेद 356 का इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। यदि किसी प्रदेश में वहां का शासन संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार नहीं चल सकता तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात मेरी समझ में आ सकती है और मैं मानता कि केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब बिधान सभा को मूर्च्छित क्यों रखा जा रहा है ?

मैंने संविधान परिषद की अनुच्छेद 356 के संबंध में हुई चर्चा को पढ़ा है। डा. अंबेडकर ने यह आशा व्यक्त की थी कि इस अनुच्छेद का बहुत कम उपयोग किया जाएगा। उनके शब्द थे कि "मुझे उम्मीद है कि यह डैड लैटर रहेगा" लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 356 का लाभ उठाकर भारत के संघात्मक ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, शासन बनाने के, नई सरकार चुनने के जनता के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है और अनैतिकता पर आधारित राजनीतिक को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

केरल में एक ही रास्ता था कि नयनार मंत्रिमण्डल का त्याग-पत्र स्वीकार करने के बाद केरल विधानसभा को भंग कर दिया जाता। आखिर केरल की जनता ने वामपंथी और लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए वोट दिया था जब कांग्रेस (एस) ने उस में से अलग होने का फैसला किया और वह मोर्चा अल्प मत में आ गया तो फिर केरल की जनता को मौका दिया जाना चाहिए था वह निर्णय करती कि किसी एक पार्टी या गुट में उसका विश्वास है। लेकिन जानबूझ कर केरल की विधान सभा को निलंबित रखा गया है और उद्देश्य है कि येन-केन प्रकारेण, जैसे भी हो,जोड़ तोड़ कर, सांठ-गाँठ से' खरीद कर, बेच कर केरल में एक सरकार बना दी जाए। ऐसी सरकर को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा।

समय सीमित है। मैं सारे उदाहरण इस सदन में उपस्थित करना नहीं चाहता। मणिपुर में क्या हुआ ? जब गैर-कांग्रेसी सरकार मणिपुर में बन सकती थी तो गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने वालों को मौका नहीं दिया गया जोड़-तोड़ की छूट दी गई। केन्द्र का उसे मूक समर्थन था। जब कांग्रेस-(आई) फिर से बहुमत में आ गई तो मणिपुर में सरकार बना दी गई।

मैं तो आसाम के बारे में भी कहने के लिये तैयार हूं कि आसाम की विधानसभा भंग कर दीजिए। वहां के विधायक जनता का विश्वास खो चुके हैं। आसाम में भी नए चुनाव होने चाहिए। मैं आसाम में किसी की सरकार बनाये जाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन केरल में इतनी छूट देने का क्या औचित्य है ?

सभापति महोदय, नयनार मंत्रिमण्डल से हमारे मतभेद थे। हम हत्या की राजनीति स्वीकार नहीं करते। जब कोचीन में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तब

हमने आशा प्रकट की थी कि नयनार मंत्रिमण्डल में गृह विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा जो विवाद का विषय नहीं होगा, लेकिन हमारे मार्क्सवादी मित्रों ने इस बात को नहीं सुना। यह बात भी समझ में नहीं आई कि त्याग-पत्र देने से पहले उन्होंने राज्यपाल को विधान-सभा भंग करने की सलाह क्यों नहीं दी। कांग्रेस (एस) के निकल जाने के बाद भी उनका बहुमत था। उस समय बहुमत अल्पमत में बना जबकि केरल कांग्रेस भी चली गई इस सम्बन्ध में नयनार सरकार से गलती हुई। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि नयनार सरकार ने अगर गलती की और ऐसी की कि जिससे सत्ता उनके हाथ से चली गई, लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं वह सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन्होंने भी सत्ता हथियाने के लिए की थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल में विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन को लागू हुए दो महीने हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय केरल में क्या स्थिति है ? क्या राजनीतिक हत्यायें बन्द हो गई हैं, नयनार मंत्रिमण्डल ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। गांव गाँव में स्टोर खोल कर आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर लोगों को उपलब्ध हों इस सम्बन्ध में केरल में जो काम हुआ है वह सारे देश के लिए आदेश बन सकता है। क्या उसकी रक्षा की जा रही है, क्या उस व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ? अगर वामपंथी सरकार की गलतियों का आप लाभ उठाना चाहते हैं राजनीतिक दृष्टि से तो आपको तुरन्त चुनाव कराना चाहिये। अगर आप अपनी सरकार बनाने के चक्कर में फंस गए तो मैं नहीं जानता रोष में है या नहीं लेकिन अगर थोड़ा बहुत रोष आपके कहने के अनुसार है, तो वह भी खत्म हो जाएगा और वही रोष आपके खिलाफ जाग जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। इस वास्ते राजनीतिक नैतिकता का तकाजा यह है कि केरल की विधान सभा भंग की जाए। लोकतंत्र की मांग है कि केरल की जनता को आप नई सरकार चुनने का मौका दें। यह जोड़तोड़ का खेल बन्द होना चाहिए। हम अगर दल बदल के खिलाफ कानून नहीं ला सके तो यह ताना दे कर आप आपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आप हमसे अच्छे हैं इसलिए तो लोग आपको लाए हैं। लेकिन आप हर बात में हमसे तुलना करते हैं। अगर हर बात में हम से ही तुलना की जाएगी तो आपकी गति भी वही होगी जो हमारी हुई थी।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के साथियों की बातोंको मैंने बड़े गोर से सुना है। मुझे सबसे अधिक ताज्जुब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों को सुन कर हुआ है। उन्होंने एक तरफ नयनार सरकार की पचास प्रतिशत आलोचना की और दूसरी तरफ यह सलाह भी दे दी कि विधान सभा को भंग कर देना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरी सरकार बन सकती है उसके चांसिस हैं और उसकी अगर छान-बीन हो रही है तो उससे जनतंत्र की कहां हत्या होती है रोजाना देश में चुनाव ही होते रहेंगे, रोजाना चुनाव ही कराये जायेंगे तो राजनीतिक दलों और जनतंत्र से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा। केरल में विधान सभा पांच साल के लिए चुनी गई थी कुछ पार्टियों का गठबन्धन हुआ और उन्होंने सरकार बनाई। उस सरकार को तोड़ने में हमारी पार्टी का कोई हाथ नहीं था। हमारी पार्टी का उसमें कोई दखल नहीं था। हमारी पार्टी से ही गये हुये लोग जो

हमारे सबसे बड़े विरोधी थे, एंटनी साहब और जिन्होंने मुख्य मन्त्री पद तक को त्यागपत्र केवल इसलिए दे दिया था कि उस समय उनकी पार्टी चिकमंगलूर में श्रीमती इन्दिरा गांधी का साथ देना चाहती थी उन्होंने जब यह देखा कि मार्क्सवादियों के चंगुल में फंस कर वह बरबाद हो रहे हैं, उनकी पार्टी बरबाद हो रही है, सारी मान्यतायें समाप्त हो रही हैं, जनतंत्र की हत्या की जा रही है तो वह भी हट गये और उनकी पार्टी भी हट गई और उसके बाद और जो दूसरे उनके साथी थे मणि ग्रुप वाले, वे भी हट गए। आर. एस. पी. के कुछ लोग उस सरकार से हट गए। जब उनका यह गठबन्धन समाप्त हो गया तो क्या किसी दूसरे गठबन्धन को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिये ? इसके लिए क्या दूसरा गठबन्धन बनाने के लिये समय नहीं दिया जाना चाहिये ? तुरन्त विधान सभा भंग करके चुनाव कराये जाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय वाजपेयी जी जैसे सीनियर नेता इस बात को कहें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उनको मौका दिया जाना चाहिये। डिफेक्शन नहीं है, केरल की राजनीतिक परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहाँ गुटों और दलों का गठबन्धन ही सरकार चलाता आया है। और न जाने कब तक चलाता रहेगा ? वहाँ कांग्रेस (एस) तैयार है सरकार बनाने के लिये। गठबन्धन में जनता पार्टी के लोगों के जो विधायक हैं उन्हें फैसला करना है। वह भी फैसला कर रहे हैं। पता नहीं क्या फैसला करेंगे। क्या इसके लिये समय नहीं देना चाहिये ? जनता (एस) को समय नहीं देना चाहिये फैसला करने के लिये ? दूसरे ग्रूपों को समय नहीं देना चाहिये ? अगर यह लोग फैसला कर लेते हैं कि हम कांग्रेस (आई) के साथ सरकार नहीं बनायेंगे तो वहां की विधान सभा को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा, और तब उसे तोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाना जरूरी है कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बनायी जा सकती है कि नहीं ? अगर बनायी जा सकती है तो उस सरकार को बनाने के लिये जो भी समय हो वह अवश्य देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि केरल हो चाहे वेस्ट बंगाल हो सिर्फ विरोध के नाम पर माननीय वाजपेयी जी और माननीय दंडवते जी इन्दिरा सरकार का या कांग्रेस सरकार का विरोध करें यह हमारी समझ में जनहित में नहीं है। जनतांत्रिक राजनीति में सिद्धन्तों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां तक सिद्धान्तों का सवाल है माननीय दडवते जी हमारे ज्यादा करीब हैं बनिस्बत सी. पी. एम., और सी. पी. आई. के मैं तो मानता हूं कि सिद्धान्तों के आधार पर माननीय वाजपेयी जी हमारे ज्यादा करीब हैं बनिस्पत सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के और हां उनके ज्यादा करीब हैं।

आज बंगाल और केरल में क्या हो रहा है ? जनतंत्र के पेट में जहर फैल रहा है। कौन नहीं जानता है मार्क्सवादी दलों की क्या नीति है ? वह जनतन्त्र का सहारा लेकर उसको समाप्त करना चाहते हैं। वह उसकी पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इस बात को हम भी जानते हैं और सर्वश्री वाजपेयी, दण्डवते और स्वामी, सभी जानते हैं। आज केरल में क्या हुआ ? क्यों वहां आर. एस. एस. और सी. पी. एम. के लोगों के बीच में राजनीतिक हत्यायें हुई हैं? 33 वर्ष के बाद राजनीतिक हत्याओं का दौर केरल और वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ जहां कांग्रेस (आई) के लोगों की हत्यायें शुरू की गयीं। यह हत्यायें बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुई। बल्कि जहां मार्क्सवादी शासन था वहीं यह हत्यायें शुरू हुई। बाद

में इसका रीऐक्शन चाहे भले ही कहीं हुआ हो। लेकिन शुरूवात मार्क्सवादी शासन में हुई। चाहे वह केरल हो या वेस्ट बंगाल, यहीं से राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ। ऐसी राजनीतिक हत्याओं का दौर अगर जारी रहा तो माननीय वाजपेयी जी जनतंत्र ठीक रह सकेगा यहां ? अगर राजनीतिक हत्याओं के जरिये फैसले होते रहेगे, हम और आप यहाँ बोल कर अगर बाहर निकलते ही एक दूसरे पर गोली चलायेंगे तो क्या जनतन्त्र चल सकेगा ? नहीं। तो केरल में एक हद हो गयी थी। रोजाना सुनते थे सी. पी. एम. के लोग आर. एस. एस. वालों को मारते थे और आर. एस. एस. वाले सी. पी.. एम. के लोगों को मारते थे। इस प्रकार राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया।

दूसरी बात जो मार्क्सवादी केरल में कर रहे थे और वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं वह यह कि वहां की वोटर्स लिस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने पक्ष में।···

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) वह सभा को गुमराह कर रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह समर्पण नहीं कर रहा है।

श्री जैनूल बशर : प्रधान मन्त्री ने इस बात को वेस्ट बंगाल में कहा है कि लगभग 30 प्रतिशत वोटर्स वोटर लिस्ट में नहीं रखे गये हैं। प्रधान मन्त्री को यह मालूम है···(**व्यवधान**) ·· मैं तो आपकी बात सुन रहा था, आप भी मेरी बात सुनिये। ·····(**व्यवधान**)····· जहाँ बगाल का नाम आया खड़े हो गए। आप मेरी बात सुनिए।

जहां वोटर्स लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा क्या वहां जनतन्त्र चल सकेगा, बताएं वाजपेयी जी और दण्डवते जी, क्या वहां जनतन्त्र चल सकेगा ? कभी वहाँ जनतन्त्र नहीं चल सकता। आज बंगाल में चुनाव होने वाला है। कैसे बंगाल के अन्दर चुनाव होंगे ? बंगाल की वोटर्स लिस्ट गडबड़ है। मैं तो कहता हूं यह अवसर पा कर बंगाल की मार्क्सवादी सरकार को भंग करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू करना चाहिए, वोटर्स लिस्ट में सुधार करना चाहिए और उसके बाद वहां चुनाव कराना चाहिए। तभी सही चुनाव होगा। इसी तरह से केरल में वोटर्स लिस्ट चौपटे की गई है, वोटर्स लिस्ट मैनिपुलेट की गई है और ये लोग आज मांग कर रहे हैं कि उसी वोटर्स लिस्ट पर चुनाव हो जाए। इसीलिए जीत का दावा करते हैं। केरल में भी वोटर्स लिस्ट का सुधार होना चाहिए, उसे ठीक किया जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ के चुनाव की बात होनी चाहिए। वोटर लिस्ट चाहे बंगाल की हो चाहे केरल की हो जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव की बात नहीं की जानी चाहिए। ये लोग जो चुनाव की बात कर रहे हैं यह इनका आफ्टर-थाट है। (**व्यवधान**)।

उपध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल वशर, यदि आप अपने आपको केरल, जो कि चर्चा का मूल विषय है, तक ही सीमित रखें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री जैनूल बशर : महोदय, मैं केरल के बारे में बोल रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह निष्ठापूर्वक अपने एक मात्र नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी का अनुसरण कर रहा है, जिसने ये सभी बातें कहीं हैं।

श्री जैनूल बशर : वह एक लोकतन्त्रवादी है। मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं। मैं आपकी भाँति चीन का अनुसरण नहीं कर रहा हूं।

केरल में विधान सभा को भंग करने की माँग इनका आफ्टर-थाट है। इनके मुख्य मंत्री श्री नयनार ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने विधान सभा को भंग करने की बात नहीं की। कहते हैं कि वह माइनारिटी में थे 1968 में चरण सिंह ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश में, विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश पर विधान सभा भंग हुई और उत्तर प्रदेश में 1969 में चुनाव हुआ। चरण सिंह यहाँ लोक सभा में माइनारिटी में थे, उन्होंने लोक सभा को भंग करने की सिफारिश की और लोक सभा भंग हुई। अगर विधान सभा को केरल में भंग करना था तो उन्होंने उसके लिए क्यों नहीं सिफारिश की? उनका शायद मंशा यह रहा हो कि इस्तीफा देने के बाद हम किसी तरह से गठबन्धन को पूरा कर लेंगे और शायद कुछ दिनों के बाद फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जायेंगे। लेकिन आज जब वह देख रहे हैं कि सरकार बनाना उनके बस की बात नहीं है। आज जनतांत्रिक शक्तियों ने चाहे वह केरल में काँग्रेस (एस) हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, उनके राष्ट्रीय नेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन उन्होंने आज इस बात को मान लिया है कि मार्क्सवादियों के नेतृत्व में जनतन्त्र नहीं चल सकता और जनतन्त्र की हत्या हो रही है। आज केरल में मार्क्सवादी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए वे विधान सभा को भंग करने की मांग कर रहे हैं और इसलिए जल्दी चुनाव कराने की बात कर रहे हैं ताकि उसी मैनिपुलेटेड वोटर्स लिस्ट पर चुनाव हो जो उन्होंने अपने पक्ष में तैयार करा ली है जिसमें काँग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोगों के नाम छोड़ रखे हैं, उनके नाम उसमें दर्ज नहीं किए गए हैं। उसके बल पर वह चुनाव कराना चाहते हैं और उसके बल पर वह चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब तक वोटर्स लिस्ट का करेक्शन न हो तब तक चुनाव की बात केरल में नहीं होनी चाहिए और उसी तरह पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग करना चाहिए। वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, वोटर्स लिस्ट में सुधार होना चाहिए और तब वहाँ चुनाव होना चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं यहां जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं और केरल में आज जनता पार्टी के महत्व को हर कोई समझता है। हमारे केवल 5 विधायक हैं. लेकिन न होने से तो यह अच्छा है। बात यह है कि वामपंथी मोर्चा और तथाकथित लोक तान्त्रिक मोर्चा, यू. डी. एफ., दोनों के 141 सदस्यीय सभा में 68-68 सदस्य हैं क्यों कि इन दोनों दलों के 68-68 सदस्य हैं, अतः यदि बाकी पाँच जनता पार्टी के सदस्य इधर अथवा उधर चले जाते हैं। तो सरकार बन सकती है। दोनों पक्षों ने हमें प्राप्त करने का प्रयत्न किया है लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। हमें बहकाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा जनता पार्टी यह निर्णय नहीं ले सकी है कि इन दो शक्तिशाली विकल्पों में से कौन सा दल अधिक बदतर है — ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप बहकाव के लिए सहमत हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अनेक लोगों ने यह महसूस किया है कि यह बहुत कठिन है.

इससे पहले कि मैं आगे चलू, मैं सभा को अपनी पार्टी का दृष्टिकोण बता दूं। श्री स्टिफन ने जो यह कहा है कि जनता पार्टी काँग्रेस (इ.) का समर्थन करने जा रही है मैं इसका खण्डन करना चाहूंगा। हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। समस्या यह है कि सर्व प्रथम, राष्ट्रपति शासन को सताधारी दल के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जब आप घोषणा

करना चाहते हैं तो आप कर देते हैं, और जब आप नहीं चाहते, तो नहीं करते । आज वहाँ राष्ट्रपति शासन है क्योंकि वह अपरिहार्य था, क्योंकि वहां की सरकार का बहुमत समाप्त हो गया था । लेकिन सत्ताधारी दल ने आज सभा में जो तर्क प्रस्तुत किया है वह उतना ही बिहार तथा कांग्रेस (इ.) द्वारा शासित अन्य राज्यों के मामले में भी लागू हो सकता है । उदाहरण के लिए, बिहार शरीफ में कितना नरसंहार हुआ । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के वहां 12,000 जवान थे लेकिन वे इससंहारको नहीं रोक पाए । वे अब यह तर्क दे रहे हैं कि केरल में पुलिस कुछ नहीं कर सकी है । लेकिन आज बिहार में क्या हो रहा है ? मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल के हक में परिस्थितियां पैदा करने के लिए राष्ट्रपति शासन को एक उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

हमारी पार्टी जनता पार्टी, का इस संबध में दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है । हमारा एक अत्यधिक प्रतिष्ठावान नेता श्री मोरारजी देसाई ··

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री श्री मगन भाई बरोट : अब वह सहमत हैं कि वह उनकी पार्टी के प्रतिष्ठावान नेता हैं ।

डा· सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस बारे में दो मत नहीं हैं । महोदय क्या आपने कभी मुझे श्री मोरारजी के बारे में कोई कटु शब्द बोलते सुना है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका अन्तर-दलीय मामला है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मंत्री जी के व्यवधान से मैं बिषय से हट गया हूं ।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन था और वे चुनाव नहीं कराना चाहते थे । तब मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन किया तथा उन्हें 1½ वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद झुकना पड़ा । चुनाव हुआ और वे हार गए । अतः यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब वे महसूस करते हैं कि उनके चुनाव जीतने के कोई आसार नहीं है । एक समय-सीमा को होनी चाहिए कि कब तक राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई वास्तविक मानदण्ड होना चाहिए । आज वे चुनाव का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि इस समय चुनाव कराना उचित नहीं है । मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के नेता ने क्या कहा है ! बजट के दौरान उन्होंने कहा है :

'नयानार मंत्रालय ने लोगों का विश्वास खो दिया है । यदि उनमें साहस है तो वह चुनाव कराएं । ''

श्री नयानार ने इसका उत्तर भी दिया है । जब उन्हें अवसर मिले तब वे चुनाव कराएं ।

महोदय, आज समय आ गया है कि आप इस पर सोचें । आखिर, बंगाल में सी. पी. एम. के नेतृत्व वाले मोर्चे की आलोचना करने का क्या लाभ है ? ऐसा मत कीजिए । उस समय जब उन्हें अवसर था उन्होंने ऐसा नहीं किया । इसके लिए एक सा मानदण्ड होना चाहिए । मैं सी. पी. एम. की ओर से कोई वकालत नहीं कर रहा हूं । यद्यपि वे यहां बैठते हैं, वे किसी भी समय वहां जा सकते हैं और उन्हें समर्थन दे सकते हैं । असम में उन्होंने जुलाई 1971 में अपनी कलाएं दिखायीं । हर समय वे अपनी कलाएं दिखाते हैं । मैं उनकी ओर से कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, और न ही मैं उनके शान्तिपूर्ण आशय से सहमत हूं । हाल ही में, मैं अपने दल के विधायक श्री जेन्नी ओजाई से मिलने गया था । आपने इसके बारे में सुना होगा । मैं उन्हें देखने अस्पताल

गया। उनके सिर में टांके लगे थे क्योंकि कोट्टई जिले में वह सी. पी. एम. के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती धान की फसल काटने से रोकने के लिए गये थे। अतः उन्हें पीटा गया। पुलिस आई लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह पुलिस की जीप पर चढ़ गये और मार्क्सवादियों ने पुलिस की जीप में घुसकर उसकी वहां पिटाई की। महोदय, यह हिंसा की संस्कृति है जिसमें सी. पी. एम. विश्वास रखती है। हमने यह देखा है। हमारे दल के कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में शिकायत की है जब भी सी. पी. एम. सत्ता में होती है, वह सामूहिक सत्तावाद में विश्वास रखती है। यह व्यक्तिगत सत्तवाद है, डेढ़ गुना सत्तावाद। मैं नहीं जानता कि इसके लिए क्या तकनीकी शब्द होता है। लेकिन यह एक संगठित सत्तावाद है। यही कारण है कि सी. पी. एम. की विदेश नीति उस प्रकार के सत्तावाद का समर्थन करती है; वे अफगान में रूस के कब्जे का समर्थन करते हैं; वे कम्पूचिया में नरसंहार का समर्थन करते हैं। वे पोलेंड में चल रहे टैंकों का समर्थन करते हैं उनकी नीति अब पुरानी हो चुकी है। उनकी नीति चीन अभिमुखी नहीं है। अब वे रूस की ओर देख रहे हैं उनकी विदेश नीति यह दर्शाती है। यह अब पुरानी हो चुकी है। उनका दल उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है उन्हें अध्ययन कक्षाओं में जाना चाहिए। वही बात केरल में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें हमको भाषण देना चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तैयार हूं। महोदय, अब मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं अनेक बार केरल गया हूं। हाल ही में मैं हवाई जहाज पकड़ने के लिए मीनाक्षीपुरम से कोचीन गया था। रास्ते में मैं कालादी में रूका था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तमिल भाषी हैं और आपको इसका उचित उच्चारण करना चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह केरल में एक स्थान है। इसका अर्थ है पावों को ठोकर मारना। मैं वहां सायं चार बजे पहुंचा। मैं नहीं जानता था कि कहां ठहरना है। मैं ठहरने की कोई अच्छी जगह मालूम करने के लिए पुलिस थाने गया। जब मैं पुलिस थाने गया तो मैंने वहां लोहे की सीखें देखीं। मैं चिल्लाया ; वहां कोई रोशनी नहीं थी। एकाएक पुलिस का एक सिपाही बन्दूक लेकर आया और मेरे गले से टिकाकर बोला "हिलना मत मैं तुम्हें मार दूंगा"। मैंने पूछा कि मामला क्या है। मैं एक संसद सदस्य हूं। आप मुझे मार सकते हैं। मारिए। लेकिन कल आपको अनेक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तब एक उप निरीक्षक पुलिस थाने के पीछे आया। मेरा नाम देश के विभिन्न भागों में विख्यात है। उन्होंने वहां मुझे नहीं पहचाना। शीघ्र ही उन्होंने क्षमा याचना की। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा "हमें डर है"। मैंने पूछा कि आप पुलिस अधिकारी हैं और आप क्यों डरते हैं ? प्रातः के समय केरल में कोई पुलिस थाना सुरक्षित नहीं है। यह मुझे पुलिस वालों ने बताया है। इस प्रकार की सरकार वे चला रहे हैं। मैंने उन्हें जेल खाली करने के लिए कहा और मैं जेल में ठहरा। मैंने वहां स्नान किया और वहां कोई कठिनाई नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि वे आज पुलिस थाने में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी तरह कलकत्ता में विकलांग विज्ञान के एक प्रोफैसर को खुले आम जनता में इस इश्तहार के साथ घुमाया गया कि " मैं भ्रष्ट हूं और आप मुझे दण्ड दो"। जनता के न्यायालय ने उसे दण्ड देने का निर्णय किया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं। केरल में उनकी शिकायत है। मैं कांग्रेस (इ) के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मैं उस दल को विलुप्त होते

देखना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि यदि वे कल विलुप्त हो जाएं तो यह देश का एक महान उपहार होगा । वे फिर हमें एक बहुत बड़ी कठिनाई में डाल रहे हैं । उनका मंत्रालय इस ढंग से कार्य कर रहा था जिसमें मंत्री कुछ ही समय तक रहते हैं । महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंत्री मण्डल के 17 मंत्रियों में से 11 मंत्री किसी न किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारि थे एक मंत्री तीस यूनियनों का अध्यक्ष था । एक म त्री ट्रेड यूनियन का भी पद कैसे धारण कर सकता है ? क्या उन्हें यह मालूम था कि उन्हें कभी न कभी मंत्री पद से हटना ही है और इ.ी लिए उन्होंने यही उचित समझा कि ट्रेड यूनियन के पद को न छोडें । (व्यवधान)

महोदय, दिल्ली में केरल भवन 1. 12 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है । प्रत्येक कमरे में श्री-चैनल संगीत की सुविधा है ; यह वातानुकूलित है तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर टेलिविजन सेट लगे हैं । महोदय यदि कम्युनिष्ट इस तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो, मुझे आशंका है, । मुझ भी एक कम्युनिस्ट बनना चाहिए ।

महोदय केरल में कम्युनिस्ट सरकार के कारण वहां जो आम नैतिक पतन आ गया है मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता । मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब क्या करना होगा । अडसठ इधर हैं, अडसठ उधर हैं, और हम पांच बीच में हैं । हमारी नीति क्या है ? हमने इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि : (क) हम कांग्रेस (इ) अथवा किसी भी ऐसी सरकार के हित का संवर्धन नहीं करेंगे जो कांग्रेस (इ) के नेतृत्व में बने अथवा जिसमें कांग्रेस (इ) एक भागीदार हो । हम उस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे । (ख) हम केरल में एक लोक तांत्रिक विपक्ष के रूप में काम करेंगे । यह निर्णय स्थिति के गुणावगुणों के आधार पर किया गया है, । यह हमारी निति है ।

महोदय, यह काफी स्पष्ट है कि केरल में राष्ट्रपति शासन जानबूझ कर बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस (इ) सरकार बनाने में असमर्थ है । महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम कांग्रेस (इ) का समर्थन नहीं करेंगे जैसा कि श्री स्टीफन ने इस बारे में कहा है । हम उन्हें उनकी नीतियों के कारण समर्थन नहीं देंगे । इसका अर्थ यह नहीं है कि सी. पी. आई. (मार्क्स) की नीतियाँ बेहतर थीं । (व्यवधान) हम कांग्रेस (ई) की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे अथवा ऐसी किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें कांग्रेस (इ) भागीदार हो ।

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री वाजपेयी और डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी के भाषणों को काफी ध्यान से सुन रहा था । दोनों ही मेरे काफी अच्छे मित्र हैं । महोदय मैं वाजपेयी जी का काफी आदर करता हूं । उन्होंने कहा है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां कहीं भी बहुमत वाले दल ने बहुमत खोया है, उन्होंने राष्ट्रपति को अथवा राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दी थी । क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं ? वह केन्द्र में शासक दल के सदस्य थे । तत्कालीन शासक दल का एक वर्ग टूट गया था; अतः वे अल्पमत में रह गये । तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी ।

प्रो. मधुदण्डवते : हम बहुमत का दावा कर रहे हैं ।

श्री पी. एम. सईद : आप राजनीतिक नैतिकता में दो मानदण्ड नहीं रख सकते । केन्द्र के लिए कोई और मानदण्ड और राज्य के लिए कोई दूसरा मानदण्ड नहीं हो सकता । महोदय, जब

यह लाभप्रद होता है तब वे इसे अच्छा कहते हैं और जब कभी यह उन्हें लाभदायक नहीं होता वे इसे बुरा कहते हैं। यह वाकई में आश्चर्यजनक है। केरल में मार्क्सवादियों के शासन के बारे में डा. स्वामी हमें कुछ बातें बता रहें थे। उन्होंने बिहार में हुई कुछ लोमहर्षक घटनाओं के बारे में कहा, और इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए यह एक अच्छा अवसर था। ठीक है, डा. स्वामी, यह किसी की कार्यवाही नहीं है; यह उनकी अपनी ही कार्यवाही है जिसने उन्हें नीचे गिरा दिया। मुझे कुरान में से कुछ शब्दों की याद आ रही है; यह कहा गया है कि अल्लाह लोगों में तब परिवर्तन करता है जब वे स्वत: बदलते हैं। आजकल कम्यूनिस्ट पार्टी की भी यही हालत है।

श्री सत्यसाधन चकवर्ती : लोगों को अपना निर्णय देने दें। आपने कहा है कि मार्क्सवादी दल को अपने कार्यों का ईनाम मिला है; ठीक है, आप लोगों के पास क्यों नहीं जाते और देखें वे क्या चाहते हैं, आप लोगों के सामने जाने से क्यों डरते हैं।

श्री पी. एम. सईद : वे अपने दिल से पूछें कि क्या उनका लोकतंत्र में वाकई में विश्वास है क्या वे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं ? यह पाखण्ड है। आपके पास उनके शासन के दौरान हुए राजनीतिक हत्याओं के आंकड़े हैं। केरल में उनके शासन के दौरान हुई राजनीतिक हत्याओं का रिकार्ड आपके पास है। उनके अपने सहयोगी वहाँ थे। वहाँ हुई राजनीतिक हत्याओं की संख्या 18 थी। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि वे इस प्रकार क्यों व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपने 1980 में कांग्रेस (अर्स) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह मान नहीं रहे हैं। जब वह मान नहीं रहे हैं तो व्यवधान न डालें।

श्री पी. एम सईद : मेरी कही जानी वाली बात जब उन्हें अच्छी नहीं लगती है तब वे नाराज हो जाते हैं। व्यवधान डालते हैं। हम इन राजनैतिक हत्याओं के आंकड़ों के बारे में जानते हैं। सब कोई इनके बारे में जानते हैं। कुछ समय पहले डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की दुर्दशा भी बताई गयी थी। यह केवल केरल में ही नहीं होता। जहाँ कहीं भी मार्क्सवादी दल का शासन हुआ, आप यही कुछ पायेंगे। पश्चिम बंगाल को लें। त्रिपुरा को ले लीजिए। वही कुछ केरल में भी हुआ था। यह केन्द्रीय सरकार की अथवा किसी अन्य की कार्यवाही के कारण नहीं हुआ। इनके कारण वे नहीं गिरे हैं। यह उनकी अपनी गतिविधियाँ हैं जिनके कारण वे गिरे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की। क्या केरल भारत का अंग नहीं है ? आपने उनके विरुद्ध कोफेपोसा के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की ? इन दोनों अधिनियमों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केरल राज्य को देश के शेष भाग से अलग करना चाहते थे। केरल के लोग इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।

अब केरल के लोगों का ध्यान हटाने के लिये तत्कालीन शासक दल के मंत्री श्री टी. के. रामकृष्णन ने यह कहानी गढ़ी है कि कोंग्रे(स) के लोगों को भाड़े के लोगों द्वारा केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो की साँठगांठ से मारा जायेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : रॉ की साठगांठ से।

श्री पी. एम. सईद : क्या कोई इस पर विश्वास करेगा ? यह उनके अपने कार्य थे जिनकी वजह से उनकी सरकार गिरी। कानून व व्यवस्था की स्थिति ही नयनार सरकार के गिरने में प्रमुख रही। दूसरे बहुत से भ्रष्टाचार के आरोपों और स्प्रिट घोटाले ने उनकी सरकार को गिराया। श्री सोमनाथ चटर्जी यह कह रहे थे कि इन आरोपों की जाँच करने के लिए पहले ही आयोग बिठा दिए गए हैं इसलिए इन मामलों के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिये। किन्तु भ्रष्टाचार के आरोपों और केरल की विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा सीमेंट के वितरण, लाइसेंसों की मंजूरी आदि के बारे में लगाये गए आरोपों के बारे में क्या कहना है ? क्या वे विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा नयनार सरकार पर लगाये गए भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की किसी जांच समिति द्वारा जाँच कराने के लिए तैयार हैं ? मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह नयनार सरकार पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मार्क्सवादी शासन की गलतियों के लिये केरल के लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। डा. स्वामी ने उनके दल द्वारा लिए गये निर्णय के बारे में पहले ही बता दिया है। किन्तु मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे मार्क्सवादी दल का साथ देते हैं अथवा किसी अन्य दल का। किन्तु केरल के लोगों को यह देखने का अवसर देना चाहिये कि केरल में तत्कालीन एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : डिप्टी स्पीकर महोदय, जहां तक किसी भी प्रदेश की जनता का अपना एक अधिकार है, अपने मन की सरकार बनाने का, अगर यह अधिकार केरल के लोगों को भी दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र के हित में होगा। लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार चुनावों के नाम से घबराती है, कतराती है। गढ़वाल हमारे सिर पर है। असम में बहुत दिनों से तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही है। बनती है तो टूटती है। वहां की जनता नहीं चाहती है लेकिन सरकार थोपने की आदत पड़ गयी है। केरल में भी आपको साहस नहीं है। आप जानते हैं कि चाहे असम हो, चाहे गढ़वाल हो चाहे केरल हो, आपको जनता का वोट नहीं चाहिए। आपको हरियाणा के भजनलाल जैसे आदमी चाहिएं इसकी जोड़तोड़ में लगे हुए हैं और आपको जो बीमारी लग गई है, उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। आज जनता आपको चाहती नहीं है। चुनाव के अखाड़े में आप उतरना नहीं चाहते हैं और जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। मैं तो उन सब दलों से भी कहूंगा कि जो सत्ता के लालच में आप से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वे भी डूब जाएंगे "हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।" आज देश की जनता देख रही है कि आपसे कौन हाथ मिला रहा है। जो आपसे हाथ मिलाएगा वह बरबाद हो जायेगा। आपका दल जिस तरह से कगार पर खड़ा हुआ है, उसे सब जानते हैं।

केरल जो प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की हरियाली, वहां के नारियल और काजू और जितना अच्छा इस प्रदेश का सौंदर्य है उतने ही भद्दे ढग से वहां पर आप प्रजातंत्र का हनन कर रहे हैं। पूरा देश उसे देख रहा है और सोच रहा है। आपकी हिम्मत टक्कर लेने की नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : पता है कितने चुनाव जीते हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : पता है, गढ़वाल का चुनाव आप जीत कर आ रहे हैं, जिनके

नाम से आपको कंपकपी आती हैं। आपकी आदत है और आप प्रजातांत्रिक प्रणाली को समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि हमेशा-हमेशा के लिए इस देश में चुनाव न हों और सत्ता एक वंश के हाथ में बनी रहे। आपका मुंह बन्द हो चुका है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज इस देश के अंदर जो तानाशाही है उसके सामने आप झुकते हैं। जिस मां ने अपने बेटे को आप सबसे ऊपर लाकर सत्ता में खड़ा किया किया है, क्या उसका विरोध आप कभी कर सकते हैं? आज इस देश में प्रजातंत्र का किस तरह से हनन हो रहा है, इसके लिए क्या आपका कोई भी बड़े से बड़ा नेता हिम्मत कर सकता है विरोध करने का? टेलीविजन में हमारे सुपुत्र जी के दर्शन करवाए जाएं, उनको मालाएं पहनाई जाएं और उनकी ही जय-जयकार दिखाई जाए आप बोल नहीं सकते हैं, बंधुआ मजदूरों से ज्यादा बुरी हालत हो गई है।

मैं तो कहूंगा कि आप आसाम में भी चुनाव करवाइए, गढ़वाल में भी चुनाव करवाइए और केरल में भी चुनाव करवाइये। आज इस देश में इस बात का फैसला कर लीजिए कि अगर केरल में ला एण्ड आर्डर की हालत खराब है तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में या तो पुलिस का राज्य है या डाकुओं का राज्य है। वहां पर कोई सरकार नहीं है। मैं माननीय मकवाना जी को चेलेंज करता हूं कि मेरे साथ चलें और यह न बताएं कि वे गृह राज्य मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश का कोई थानेदार 10 हजार रुपये लेकर आपका भी एनकाउंटर कर सकता है और फर्जी मुठभेड़ दिखा कर आपको भी डाकू डिक्लेयर कर सकता है।—(व्यवधान) आज अकेले उत्तर प्रदेश में 25 हजार लोगों को झूठी मुठभेड़ों में मार दिया गया है। डाकुओं का इतना आतंक है कि रेल में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, उसको देखते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह को तो आप वरुश देंगे, लेकिन दूसरी जगह ला एण्ड आर्डर का नाम लेकर वहां की जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी बर्खास्त होनी चाहिए और जगन्नाथ मिश्र की भी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। कहीं पर भी ला एण्ड आर्डर की हालत ठीक नहीं है। आपका तो देखने का चश्मा ही दूसरा है। एक मां को अपने बेटे की तो शराब पीने की आदत भी अच्छी लगती है और दूसरे का बेटा गुड़ खाये तब भी बुरा लगता है। आपकी तो आदत पड़ गई है। —(व्यवधान)—

उपाध्यक्ष महोदय : आप केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की घोषणा के विषय पर बोल रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां-जहां भी चुनाव होंगे वहां-वहां कांग्रेस (आई) का दीवाला पिटेगा, जमानतें जप्त होंगी और इसलिये आप चुनाव नहीं करा रहे हैं और पूरे देश में नहीं करवाएंगे। कभी राष्ट्रपति प्रणाली का तमाशा करेंगे, कहीं बेटे को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश होगी। यही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के. टी. कोसलराम (तिरुचेंदूर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं केरल की 1981-82 के लिए पूरक अनुदान मांगों पर कुछ शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृपया पृष्ठ 18 देखें, मांग संख्या 27 में "दुर्भिक्ष" शीर्ष के अन्तर्गत जून 1981 में भारी वर्षा, बाढ़ आदि द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मजूरी दी गई थी। यह राशि दो करोड़ रु० की है। कृपया इस मांग को उचित रूप से ठीक कर लें। यह "दुर्भिक्ष" नहीं हो सकता और

पैसा बाढ़ सहायता के लिए मांगा गया है। कृपया इसे पढ़ लें और इसमें उपयुक्त संशोधन कर लें।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : शीर्ष को दुर्भिक्ष कहा जाता है।

श्री के. टी. कोसलराम : यह "दुर्भिक्ष" नहीं हो सकता। यह बाढ़ सहायता है। अतः यह ऐसा कैसे हो सकता है?

काफी पानी बेकार जा रहा है। न केवल बेकार हो रहा है, अपितु यह केरल राज्य को क्षति भी पहुंचा रहा है। अतः इसी आधार पर 1975 में, जब श्रीमती गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि कितना पानी उपलब्ध है और कितना पानी तमिलनाडु को भेजा जा सकता है, एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी। महोदय, 1977 में जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे उन्होंने केरल सरकार से सहमति प्राप्त कर ली थी। तब उच्च शक्ति प्राप्त सिंचाई आयोग ने रिपोर्ट दी कि इतना पानी उपलब्ध है। केरल में नयनार मंत्रीमण्डल के एक मंत्री ने कहा था कि हम पानी की एक भी बून्द नहीं देंगे। हम पानी को अरब की खाड़ी में बहा देंगे, किन्तु हम इसे तमिलनाडु को नहीं देंगे। इस प्रकार के व्यवहार का वहाँ बखान माननीय मित्र श्री स्वामी ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने नयनार सरकार की गल्तियों का उल्लेख भी किया है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। किन्तु एक मंत्री ने स्पष्ट कहा : हम तमिलनाडु को एक भी बून्द पानी नहीं देंगे। उनका व्यवहार इस प्रकार का है। मैं यहां बैठे अपने सी. पी. एम. के मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि हम भारत में रह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह गल्त सूचित किया गया है।

श्री के. टी. कोसलराम : यह विधानसभा की कार्यवाही में है। यह विधानसभा के बाहर किसी राजनीतिक मंच से नहीं लिया गया है। यह विधानसभा में खुलेआम कहा गया था।

केरल में खेती योग्य भूमी को फालतू पानी से हुई क्षति का वर्णन स्पष्ट रूप से बजट में किया गया है। वे केरल में विभिन्न स्थानों पर हुई क्षति की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रु. चाहते हैं। जो पानी समुद्र में बेकार चला जाता है उसका प्रयोग केरल के साथ लगते हुए तमिलनाडु के तीन सूखाग्रस्त जिलों के लिए किया जा सकता है। नदियों का उद्गम तमिलनाडु में होता है और वे उस ओर को जाती हैं और अन्त में वे अरब की खाड़ी में मिल जाती हैं। अतः पानी तमिलनाडु से शुरू होता है। वह पानी वे देना नहीं चाहते। वे यह भी कह रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह पानी अरब की खाड़ी में चला जाता है।

श्री के. टी. कोसलराम : यह अच्छा है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। तमिलनाडु में पहाड़ियों की इस ओर लोग पानी के बिना भूखे रह रहे हैं और दूसरी ओर बाढ़ को रोकने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां उपलब्ध एक हजार सी. एम. टी. पानी बेकार जाता है। किन्तु हम नहीं चाहते कि उनका सारा पानी बेकार जाये। यदि वे हमें केवल 250 सी. एम. टी. पानी दे देते हैं तो हम कोयम्बतूर त्रिनुलवेली और रामनाड जिलों में तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। रामनाड जिला सबसे अधिक प्रभावित है। हम भी इन्सान हैं और आप भी इन्सान हैं।

एक माननीय सदस्य : वे कम्यूनिस्ट हैं।

श्री के. टी. कोसलराम : मैं समझता हूँ कि वे भी इन्सान हैं। सरकार को उस समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करनी चाहिए जो प्रस्तुत कर दी गई है। यह एक तकनीकी समिति थी और उनके मुख्य अभियन्ता भी उसमें थे। अतः इस समिति की रिपोर्ट यथाशीघ्र क्रियान्वित की जानी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं सांविधिक संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसमें केरल में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह कदम अनैतिक और राजनीति से प्रेरित है और इससे केरल के लोगों को सरकार के बारे में निर्णय देने के उनके अभिन्न अधिकार को छीना जा रहा है। इसमें उस दल की सरकार थोपे जाने का प्रावधान है जिसे केवल एक वर्ष पहले ही अस्वीकार किया गया था। यह मुख्य मुद्दे हैं जिनके कारण मैं इस सांविधानिक संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सम्बन्ध में मैं एक अति महत्वपूर्ण मूल प्रश्न उठा रहा हूं। क्या हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 जरूरी है ? मेरा उत्तर है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है. मैं तर्कों को दोहराना नहीं चाहता किन्तु मैं इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव एडवांस्ड स्टेडीज द्वारा अनुच्छेद 356 के बारे में प्रकाशित एक पुस्तक में से उद्धरण देना चाहूंगा :--

> "संविधान निर्माताओं द्वारा जिस उपबन्ध को जीवन-रक्षक यंत्र के रूप में शामिल किया गया था वह अब हमारी राजनीतिक पद्धती में बहुत जहरीला बन गया है। इसलिए राजामन्नार समिति ने इसे हटाने की सिफारिश उचित ही की थी वह जितनी जल्दी इसे हटा दिया जाये उतना ही अच्छा है क्योंकि यह दलबदल से कानून व व्यवस्था, आन्दोलन से स्वैच्छिक त्यागपत्र और राजनीतिक अस्थिरता से कुप्रशासन तक की सभी बीमारियों क इलाज हेतु इसका जादुई औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि संविधान में इस उपलब्ध को एक आपातकालिक जीवन रक्षक औषधि के रूप में प्रयोग हेतु रखा गया था किन्तु इसके बार-बार प्रयोग करने से यह एक व्यसन बन गया है और अब यह रोगी को मार रहा है।"

उसने ठीक ही कहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो कि एक जीवन रक्षक औषधि के रूप में था, सत्ता के भूखे मनुष्य के लिए एक व्यसन बन गया है। इसलिए मैं इस अनुच्छेद को संविधान में से निकाले जाने की मांग करता हूं। अनुच्छेद 356 में विधान मण्डल को स्थगित करने का प्रावधान नहीं है, किन्तु केन्द्र में शासक दल—कांग्रेस (ई)—ने एक असाधारण आविष्कार स्थगन का किया है।

मैं पिछले तीस वर्षों का पूरा इतिहास नहीं बताना चाहता कि किस प्रकार से, कितनी बार और किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके विधान सभा स्थगित की गई थी। परन्तु गहन के पश्चात्, यह विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विधान सभा को स्थगित करने के लिए सदैव ही एक आधार रखा जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह आधार पर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ बल्कि जो यह सरकार कहती है—और वह आधार है कांग्रेस पार्टी का हित।

इन बुनियादी धारणाओं को ध्यान में रखते हुये, आइये हम अब राज्यपाल की रिपोर्ट को देखें, जिसके आधार पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की गई थी। इसमें कहा गया है :

"मैं यह भी सिफारिश करता हूं कि तथापि विधानसभा को विघटित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु इसे स्थगित कर दिया जाये।"

इसके बाद रिपोर्ट समाप्त हो गई। इस संबंध में कोई कारण नहीं दिये गये हैं कि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुंचे कि विधानसभा को स्थगित कर दिया जाये। पहले मैं देख चुका हूं कि राज्यपाल की रिपोर्ट में उन कारणों का उल्लेख होता है जिनकी वजह से विधानसभा स्थगित करना आवश्यक है। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। क्यों ऐसा नहीं किया गया? यहां मैं किसी व्यक्ति, "कम्पनी" "लिमिटेड या गैर लिमिटेड का नाम नहीं लेना चाहता. परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि दिल्ली सरकार केरल सरकार को गिराना चाहती थी। इस बात के समुचित प्रमाण है कि नायनर सरकार स्वयं नहीं गिरी। केन्द्र ने ही साजिश करके कांग्रेस के एक वर्ग को अलग कर दिया। यह सब चाल, टांग खींचना, पर्दे के पीछे से चलाई रही। ये बातें सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हैं। उदाहरण के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष तथा बड़े पदाधिकारियों ने यह घोषणा की कि कांग्रेस (एस) के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कांग्रेस (आई) में नहीं लिया जायेगा जबकि श्री चह्वाण को काफी समय तक कांग्रेस (आई) में शामिल होने के लिये प्रतीक्षा करते रहे। कई महीनों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें कांग्रेस (आई) में स्थान दिया गया। अतः मेरा आरोप है कि कांग्रेस (एस) से कांग्रेस (आई) में आने का यह निमंत्रण एक विशेष राजनीति से प्रेरित कार्य था, और यह कार्य था केरल सरकार को गिराना। क्यों? क्या कारण है? इस बात को रिकार्ड में शामिल किया जाये कि केरल की वामपंथी लोकतन्त्रीय सरकार, जिसने प्रगति के अनेक कार्य किये, जो उस राज्य के कृषि मजदूरों और कामकाजी वर्ग के हितों की रक्षक थी, जिसने केरल राज्य के विकास के लिए कार्य किया, किसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि भारत संघ की एक इकाई के रूप में। अतः केन्द्र सरकार नहीं चाहती थी कि केरल की वामपथी लोकतन्त्रीय मोर्चे की सरकार बनी रहे, ताकि यह देश के अन्य राज्यों की जनता के लिए एक नया उदाहरण न पेश कर सके जिससे उनकी भूमिका की सही जानकारी जनता को प्राप्त हो सके।

इसलिये, मैं यह कहूंगा कि जब तक कांग्रेस (ई), गैर कांग्रेस (ई) सरकारों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलती, तब तक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों के लिए भी खतरा बना रहेगा। यह केवल केरल की जनता का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह समूचे राष्ट्र की समस्त लोकतन्त्रीय जनता के लोकतन्त्रीय हितों से संबंधित है। यदि वे इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि केरल सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, तो वे केरल की जनता की तुरन्त चुनाव कराने की मांग को स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि उन्होंने यह कदम 'विमोचन समरम' के लिये उठाया है तो वे मतदान क्यों नहीं कराते, वे जनता को अपना मत व्यक्त करने का अवसर क्यों नहीं देते? वे जनमत से क्यों डरते हैं? क्या वे इस बात से इसलिए डरते हैं कि जनमत उनके विरुद्ध जायेगा? जनमत अवश्य ही उनके विरुद्ध जायेगा। इसमें कोई शक नहीं है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह आग्रह करूंगा कि वे अपनी नैतिकता को सिद्ध करें, वे इस बात को सिद्ध करें कि केरल सरकार अपने ही भार से गिरी। ये सब बातें केवल केरल में नए चुनाव कराने का आदेश देकर ही सिद्ध की जा सकती हैं। यदि आप में साहस है तो इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और यदि आप में इतना साहस नहीं है तो मेरा आरोप स्वीकार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला अपना भाषण आरम्भ करें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसका उत्तर देने जा रही है, और आप तो सरकारी पक्ष से सम्बद्ध हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाडा) : अब मैं बोलूंगा, (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और मैं केरल की अनुपूरक अनुदान मांगों का भी समर्थन करता हूं।

महोदय, 20 अक्तूबर, 1981 को तथाकथित वामपंथी मोर्चे के मुख्य मंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और अगले दिन अर्थात 21 अक्तूबर को वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि तथाकथित वामपंथी मोर्चे की सरकार को काफी समय पूर्व चले जाना चाहिये था। केरल इस दुर्भाग्यपूर्ण सरकार के भार के नीचे पड़ा कराह रहा था। यदि इस मोर्चे के कुछ घटक इसमें से अलग हो गये तो इससे जनता का मत एवं उनकी भावनायें व्यक्त हो गई।

अध्यक्ष महोदय, हमने अभी माननीय सदस्य श्री चित्त बसु को सुना। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 356 में विधानसभा को स्थगित करूं की व्यवस्था नहीं है। मुझे उनके इस कथन पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अनुच्छेद के सही या गलत ढंग से इस्तेमाल किये जाने के बारे में उनकी अपनी राय कुछ भी हो सकती है, ये एक अलग मामला है। वह किसी भी मामले पर अपनी राय बना सकते हैं। परन्तु संविधान में ही उपबन्ध हैं तथा केरल की वर्तमान परिस्थितियों में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। कोई भी व्यक्ति इस बात तो नहीं कह सकता कि केरल सरकार को किसी ने गिराया है। ऐसा कहना एकदम बेतुका होगा तथा ऐसा कहना इतना बेतुका है कि किसी भी व्यक्ति को इस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल ने सुझाव दिया था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये और विधानसभा को स्थगित कर दिया जाये। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 356(1) (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट तौर से यह निर्धारित किया गया है कि उद्घोषणा करते समय राष्ट्रपति द्वारा :

> (ग) "राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलंबित करने के लिए उपबन्ध सहित ऐसे प्रसंगिक और अनुपंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें।"

निश्चित रूप से ही, विधान सभा एक "निकाय" है। यह एक "प्राधिकरण" है। विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, राष्ट्रपति के पास उस निकाय या उस प्राधिकरण को राज्य के हित में स्थगित रखने का स्पष्ट आदेश है। मुझे अत्यन्त आश्चर्य है ·· (**व्यवधान**)

जो बात जिस भावना से कही गई है आपको उसे उसी रूप में लेना चाहिये।

मुझे सदन में की गई कुछ अन्य कठोर टिप्पणियों से भी बहुत निराशा हुई। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दोहरी नीति अपनाई गयी है। एक शिकायत की गयी थी और हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने शिकायत की कि सब काम जल्दबाजी में किया गया था। 20 अक्तूबर को मुख्य मन्त्री ने त्याग पत्र दिया और 21 अक्तूबर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था वह कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व कुछ और समय दिया जाना चाहिये था ताकि वैकल्पिक सरकार बनने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता। एक ओर तो वह कहते हैं कि जब तक मुख्य मन्त्री "केयरटेकर" सरकार के रूप में सत्ता में रहता तब वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये था। परन्तु अब जबकि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है तथा विधान सभा स्थगित कर दी गयी है तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये आप इस विरोधाभास को देख सकते हैं। एक ओर तो वे कहते हैं कि केरल में तुरन्त चुनाव कराए जाने चाहिये तथा विधान सभा विघटित की जानी चाहिए परन्तु दूसरी ओर जब मुख्य मन्त्री ने त्याग पत्र दिया था उनके त्यागपत्र देने से पूर्व, उन्होंने विधानसभा भंग किये जाने के लिये सलाह नहीं दी और माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि वैकल्पिक मंत्रिमंडल (सरकार) बनाने के प्रयास करने की अनुमति दी जानी चाहिये थी। यह है विरोधाभास; इसे कहते हैं इधर-उधर की हांकना। वे केरल की वस्तु स्थिति नहीं जानते। वे केवल चुनाव कराने विधान सभा भंग करने, जनता का सामना करने, तथा जनमत प्राप्त करने की ही बात करते रहे हैं। ये सब झूठी डींग हांकने की बात है। हम जानते हैं तथा मुझे उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय मोर्चे में जिला परिषदों के चुनाव कराने के लिये जनता के पास जाने का साहस नहीं था। एक समय तो जिला परिषदों का चुनाव कराने का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया था और तब जल्दबाजी में उन्होंने इस कार्यक्रम को वापस ले लिया क्योंकि वह जनता के पास नहीं जाना चाहते थे। और तब हमें बताया जाता है जैसे कि हम जिला परिषदों के घोषित चुनाव कार्यक्रमों को टाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना की जानी है और इसलिए चुनाव कराना सम्भव नहीं था जनगणना का कार्य भी पूरा हो गया और उसके बाद महीनों गुजर गये। उन्होंने जनता के पास जाने का साहस नहीं किया। जाते भी तो किस मुंह से। किस रिकार्ड के साथ वे जनता के पास जाते? उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ केरल चलिये। आप जान जायेंगे कि यहां बैठे विपक्ष के कई माननीय सदस्यों की टिप्पणियां कुछ नहीं है, केवल राजनैतिक कुण्ठा का रोना चिल्लाना ही है। मुझे इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग जनता के पास जाने में लज्जा महसूस कर रहे थे क्योंकि इनका इतिहास राजनैतिक हत्याओं की घटनाओं से भरा पड़ा है। जी हां। नायनर सरकार ने दोष सिद्ध होने वाले जेलों में सजा भुगत रहे अपराधियों को सामूहिक रूप से क्षमादान प्रदान करने से ही कार्य आरम्भ किया था; उनसे क्या आशा की जा सकती थी? हमने उन्हें चेतावनी दी हमने तर्क दिया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जायेगी। 25 जनवरी 1980, जिस दिन सरकार ने कार्य भार संभाला था, से अक्तूबर 84 तक की अवधि के दौरान, एक अनुमान के अनुसार कुल 92 राजनैतिक हत्यायें की गई। मुझे कोई विस्तृत सूची देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए समय नहीं है। जब त्रिवेन्द्रम में एक पुलिस थाने में एक लड़के की हत्या हो गयी तो मुख्यमंत्री ने निर्दयता से कहा, "आप लाश का दावा कर सकते हैं"।

केरल की स्थिति इस प्रकार की थी। यह स्थिति समाप्त हो चुकी है और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमें उनसे छुटकारा मिल गया।

अर्थव्यवस्था को लीजिये। इस अवधि में अर्थव्यवस्था बरबादी के अप्रत्याशित शिखर तक पहुंच गई थी। वर्तमान योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये मूल्य के संसाधन बढ़ाने थे। परन्तु सरकार ने इसका दूसरा हिस्सा भी संसाधनों में वृद्धि नहीं की। जबकि गत योजना के दौरान केरल ने ससाधनों में वादे से दुगनी वृद्धि की थी। जब मैं केरल सरकार के कार्य-निष्पादन की बात करता हूं तो उन्हें दुख होता है। इसलिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, परन्तु मैं उन्हें, भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा सी. पी. आई. पार्टी जो बामपंथी मोर्चे का एक घटक है के एक सदस्य श्री अच्युत मैनन के कथन को याद दिलाना चाहता हूं।

समय अभाव के कारण मैं प्रकाशित लेख से केवल कुछ टिप्पणियां ही पढ़ कर सुनाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद आप अपनी बात समाप्त कर देंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : श्री अच्युत मैनन ने चेतावनी देते हुए कहते हैं :

"क्या वर्तमान राज्य सरकार का कोई कट्टर समर्थक भी सच्चाई से कह सकता है कि यह सरकार जनता की आशायें पूरी कर रही हैं।"

कृपया स्पष्ट करें। वह आगे कहते हैं :

"निरंकुश शासन तथा सर्वत्र व्यापी भ्रष्टाचार से जनता का दम घुट रहा है"

कृषि मजदूरों के लिये पेंशन देने तथा मछुआरों और अन्य व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए श्री अच्युत मैनन ने आगे कहा :

"परन्तु आजकल यहां तक कि ये योजनायें व कार्यक्रम भी संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे।"

इस लेख में, उन्होंने आगे कहा है :

"प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त असंगठित कार्यकरण अब राजनैतिक क्षेत्र में भी फैलता जा रहा है।"

"यद्यपि मंत्रीमण्डल के विपक्षी यह कहते हैं कि अब एकता सत्ता प्राप्त करने तक ही सीमित है, परन्तु क्या यह तथ्य नहीं है कि इसमें भी कुछ सच्चाई है ?"

यह बयान श्री अच्युत मैनन ने अपने लेख में दिया था न कि हमने जो 16 अक्तूबर से 1 नवम्बर के "आंनलुकर" में प्रकाशिक हुआ था। मैंने तो इस लेख के कुछ अंश उद्धृत किये थे। मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस सरकार का ध्यान एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिला रहा हूं।

उनकी केवल राजनैतिक सत्ता के खेल में रूचि है। किन्तु केरल के लोगों की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना है। एक समस्या समुद्र तट के क्षरण की है केरल का 320 किलोमीटर समुद्रतट का क्षरणीय है। इसमें से 253 किलोमीटर तट का बचाव कर लिया गया है किन्तु शेष 67 किलोमीटर तट क्षेत्र अविलम्ब बचाव की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पहले बचाए गए तट क्षेत्र में से 70 किलोमीटर तट क्षेत्र के पुर्ननिरूपण और पुनः

सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपरोक्त कार्य को हाथ में लिया जाए।

राज्य में इस प्रयोजन के लिए 90 लाख रुपये का और आवंटन किया गया है। केन्द्र द्वारा 180 लाख रुपए की और सहायता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा आवास कार्यक्रम के लिए भी आवंटन की आवश्यकता है।

केरल सरकार ने स्प्रिट घोटाले की जाँच के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की थी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस आयोग को रद्द कर दे और भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग मामले की पूरी जाँच करे।

इन शब्दों के साथ, क्योंकि आप मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं जबकि मैं पूरी स्थिति को सामने रखना चाहता था। आपकी इच्छानुसार मैं अपना भाषण सम्मप्त करता हूं और गृह मंत्रालय में राज्य मत्री द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प का और पूरक माँगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल राज्य में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

निवर्तमान केरल सरकार राज्य का शासन करने वाली एक श्रेष्ठ राज्य सरकार थी। यह ऐसी सरकार थी जिसने कुछ काम तो किया था। मैं उस सरकार की सारी उपलब्धियाँ नहीं बताने जा रहा हूं किन्तु बेरोजगारी के मामले में यह एक ऐसी सरकार थी जिसने राज्य के 1,10,000 बेरोजगार नौवजवानों को 50 रुपये प्रति मास बेरोजगारी भत्ता दिया। उन्होंने केन्द्र सरकार को भी सिफारिश की कि वह भी उतनी ही राशि अथात् 50 रुपए की राशि प्रदान करे।

एक माननीय सदस्य : यह राशि केवल एक मास के लिए दी गई थी।

श्री चन्द्रजीत यादव : चाहे जो भी हो। एक निर्णय लिया गया था और वे इसे दे रहे थे आपने तो एक दिन भी नहीं दिया है।

यह एक ऐसी सरकार थी जिसने पहली बार मेरे विचार से इस देश के इतिहास में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों के लिये वृद्धावस्था पैंशन की व्यवस्था की···(व्यवधान) कृपया मुझे रोकिये नहीं। पिछले 10 वर्षों से वह केरल का शासन करते रहे हैं। मैं संयुक्त वामपंथी मोर्चे, जिसमें पिछली निवर्तमान सरकार भी शामिल है, की कुछ उपलब्धियाँ बता रहा हूं।

कल वित्त मंत्री ने इस बात पर ठीक ही जोर दिया था कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही एक मात्र उपाय है। प्रधान मन्त्री बार बार कहती रही हैं कि राज्य सरकारों को इस दिशा में कुछ करना चाहिए जहाँ तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है यह एक मात्र ऐसी सरकार थी जिसने इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य किया। प्रत्येक गांव में उचित दर की दुकान खोली गई। उपलब्ध सभी आवश्यक वस्तुएं आम जनता को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करायी गई चाहे वह मूल्य उचित था या कम किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का हिस्सा दिया गया। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति शासक आरोपित किये जाने लिए शासन दल उत्तरदायी नहीं है। स्थिति ऐसी उत्पन्न की गई;

वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे का एक दल अलग हो गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसलिए मैंने कहा था कि "यह दुर्भाग्यपूर्ण है"। किन्तु मैं जो कह रहा हूं वह यह है। हम आपको दोष नहीं दे रहे कि आपने सरकार तोड़ी। हम आपको इसके लिए दोष नहीं दे रहे हैं। हम केवल यही कह रहे हैं। आज आप यह कहते हैं कि भारतीय मार्क्सवादी दल और भारतीय मार्क्सवादी दल के नेतृत्व वाली सरकार के विरूद्ध जनता में अत्याधिक रोष है। यदि आप कहते हैं कि उनके विरूद्ध अत्यधिक जन रोष है तो आप चुनाव कराने से क्यों डरते हैं? भारतीय मार्क्सवादी दल और उनके साथी कह रहे हैं कि "चुनाव कराया जाना चाहिए।" आखिर इस इस देश में जनता ही सर्वेसर्वा है।

यह ठीक ही कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति शासन को लोकतंत्र समाप्त करने या राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा (व्यवधान) अब समय है कि हम कुछ मानदण्डों पर सहमत होने की बात सोचें। ऐसी किसी असाधारण स्थिति को छोड़कर जब चुनाव न कराये जा सकें, चुनाव कराये जाने चाहिए। उदाहरणार्थ असम के मामले को मैं समझ सकता हूं वहां स्थिति वास्तव में असाधारण है। तत्काल वहां पर स्थिति वास्तव में असाधारण है। तत्काल वहां पर चुनाव नहीं हो सकते। किन्तु कोई समय सीमा तो होनी चाहिए। वैकल्पिक सरकार बनाये की सम्भवना का पता लगाने के लिए आप, एक महीने का समय दीजिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अभी चुनाव कराइये। वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावना की पता लगाने के लिये समय दीजिए। अब एक महीने से अधिक हो गया है ...

एक माननीय सदस्य : दो महीने से अधिक।

श्री चन्द्रजीत यादव : ...और ऐसा लगता है कि अब भी इसको बनाये रखेंगे। इसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन्हें लोगों की यह मांग मान लेनी चाहिए कि चुनाव कराये जाएं।

यदि राजनैतिक हत्याओं और झगड़ों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए; वहां न तो कोई कानून है और ही कोई सरकार; राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत कम से कम कोई सरकार तो होगी।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार को चुनाव कराने संबधी मांग को मान लेना चाहिये; केरल के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिये; सरकार को इसे अपने राजनैतिक लाभ के साधन के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रलेमेशन आफ प्रेसीडेंट रूल के संबंध में जो रेजोलूशन माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पचमेले लोग, पांच-छः पार्टियों के मिल कर, जिस प्रकार से इन्होंने जनता पार्टी बनाई और जिस तरीके की हालत जनता पार्टी की हुई, उसी प्रकार की हालत इस लेफ्ट-फ्रन्ट की हुई है। अलग-अलग विचारधारा के लोगों ने वहां इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनाई और वह सरकार चलने वाली

नहीं थी, निश्चित तरीके से चलने वाली नहीं थी और उसका जो अंजाम हुआ, वह होना ही था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सरकार कभी चल नहीं सकती।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों ने किस प्रकार से वहां पर गड़बड़ की। अभी ये कह रहे थे कि इलैक्शन कराना चाहिए। इलैक्शन कराने की इनकी नीयत होती, तो चीफ मिनिस्टर श्री नयनार ने जब अपना रेजिगनेशन किया, तो उस वक्त वे स्वयं कहते कि यहां पर चुनाव होने चाहियें और एसेम्बली भंग होनी चाहिये। यह उन्होंने नहीं कहा। उनकी नीयत क्या थी ? उनकी नीयत थी कि दल-बदल करा कर वहां पर अपनी नई सरकार बना लें। इस प्रकार की स्थिति वे पैदा करना चाहते थे और दूसरी तरफ से ये हमको बदनाम करते हैं। कांग्रेस ने तो आज तक कोई दखल नहीं दिया और आपको राज्य करने देना चाहे आप ने वहां पर कितना ही भ्रष्टाचार किया हो, चाहे स्प्रिट का घोटाला किया हो, जिसमें 35 करोड़ रुपया इनके मिनिस्टर खा गये और चाहे अन्य प्रकार के घोटाले किए हों, चाहे सहकारी समितियों से 10-10 हजार रुपया चन्दा लेकर इन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने की कार्यवाही की हो और चाहे चिट फण्ड कंपनियों से पैसा लेकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया हो। मगर उसमें सरकार ने कभी दखल नहीं दिया।

ए. आई. सी. सी. का एक अखबार 'डेमोक्रेसी' निकलता है। उसमें कहा गया है कि जो केरल और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है ये किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। जो वहां पर नेशनेलाइज्ड बैंक्स हैं उनसे बंदूक की नोक के जरिये से पैसा लेते हैं और उस काम में बड़े-बड़े चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, बड़े-बड़े अन्य प्रकार के लोग और उनके लड़के इन्वालव्ड हैं। इस प्रकार की वहां व्यवस्था है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा.

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में हजारों लोगों के साथ क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : *कांग्रेस (आई) ही यह कर रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये जो चुनावों के बारे में कहते हैं, वे इसलिए कहते हैं कि ये कि वहां लोगों से फर्जी तरीके से, चुनावों के जरिए से वोट लेकर सत्ता प्राप्त कर सकें और अपनी सरकार बना सकें। इस स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब जनता ने पांच साल के लिए मेम्बरों को चुनकर भेजा है तो उन्हें निश्चित तरीके से वहां काम करने दिया जाना चाहिए और जिस पार्टी का भी बहुमत हो उसे सरकार बनाने देनी चाहिए। यह जो आपने असेम्बली सस्पेंड की है, यह ठीक किया है। यह बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि कुछ अपमानजनक या असंसदीय हुआ तो उसे हटा दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो सरकार वहां थी, उसको निश्चित तरीके से खत्म कर देना चाहिए था। यह मेरा निवेदन है।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर राजनीतिक लोगों की हत्याएं करायी गयीं। इनके लोग वहां लोगों को आपस में लड़ाते हैं। इनके लोग दूसरे सूबों में भी काम करते हैं और बन्दूक, डंडे और तलवार के जरिए से लोगों में आतंक फैला कर काम करते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इस प्रकार के लोगों को निश्चित तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। इन लोगों ने लोगों के दिलों में डरा कर, उन्हें धमका कर भय भर रखा है और उसी भय के सहारे यह सी. पी. एम. के लोग वहां पर इलैक्शन जीतना चाहते हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि वहां इलेक्शन कराये जायं। वरना क्या होगा। लोगों के दिलों से अगर भय समाप्त हो जाएगा तो ये नहीं जीत सकेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने पहले डंडे और तलवार के जरिये से सत्ता हथियाई थी, उसी प्रकार से ये फिर हथियाने की कोशिश करेंगे। ये तलवार और बन्दूक के जरिए से लोगों में भय पैदा करते हैं। इस तरह से ये अपने आपको स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रजातंत्र के घातक लोगों को प्रजातन्त्र की हत्या नहीं करने देनी चाहिए। देश के अन्दर ऐसे लोगों को निश्चित तरीके से खत्म किया जाना चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ इस उद्घोषणा का समर्थन करता हूं।

*श्री ई. के. इम्बीदीबाबा (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नायर ने अपने भाषण में—अब वह यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं—1957 में केरल की सरकार को हटाने के कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि केरल के लोग सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। उस समय एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा था कि उनके अपने लोग अर्थात् कांग्रेस के लोगों पर राजनीतिक दौरा पड़ा हुआ है और उन्होंने इस संबंध में अपनी असहायता प्रकट की थी। विश्व में किसी भी नेता ने अपने अनुयायियों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन को राजनीतिक दौरा नहीं कहा है। जवाहरलाल नेहरू की पहली अनुभूति हमेशा सही रहती थी। इस मामले में भी यही सिद्ध हुआ। तथापि उन्हें कुछ पागलों के दबाव के कारण सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। जब सरकार बर्खास्त हुई थी तो विधान सभा में उसका स्पष्ट बहुमत था। मैं इन रोते और बिलखते हुये कांग्रेसियों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं। आप पूछते हैं कि क्या चुने हुए लोगों को पांच वर्ष तक शासन करने देना आवश्यक नहीं है। क्या आप ईमानदारी से यह पूछ रहे हैं? आप इस बारे में बिलकुल ईमानदार नहीं हैं और यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है। नयनार मन्त्रालय द्वारा त्यागपत्र दिये जाने से पहले जब केवल कांग्रेस-एस सरकार से अलग हुई थी, आपके मंत्री श्री वेंकट सुब्बया ने मद्रास से टेलिफोन पर श्री मणि के साथ संपर्क किया था और उन्हें धमकी दी थी। जानना चाहिये ऐसा क्यों किया गया। एक राजनीतिक दल को, जो पिछले चुनावों में पूरी तरह पराजित हुआ था, किसी न किसी प्रकार से गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सभी प्रकार के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं और वास्तव में एक षडयन्त्र रचा जा रहा है कि छोटे-छोटे ग्रुपों और दलों की सहायता से एक सरकार को पूरी तरह गिरा दिया जाए। यह उद्घोषणा एक उच्चस्तरीय षडयन्त्र का दुष्परिणाम है और इसीलिये मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं।

माननीय सदस्य श्री वनातवाला ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव इसलिए नहीं

* मलयालम में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कराये गये क्योंकि हम चुनावों से डरते थे। हम कभी चुनावों से नहीं डरे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनका दल कांग्रेस के साथ सत्ता में था तो उन्होंने पूरे 12 वर्ष तक इन निकायों का चुनाव नहीं कराया था यह आपकी कार्यरता का सबसे बड़ा उदाहरण है किन्तु अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं (व्यवधान) महोदय, मैं प्राय: सभा में नहीं बोला हूं, अत: मुझे कुछ और समय दीजिए।

महोदय, स्वर्गीय श्री ए. के गोपालन एक संमानित राष्ट्रीय नेता थे। वह इस सभा के दो दशकों से अधिक समय तक सदस्य रहे। वह बहुत वीरता के साथ जन संघर्ष करते रहे। हम एक समुचित स्मारक बनाकर उनका सम्मान करना चाहते थे किन्तु उसके लिए हमने पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से दान इकट्ठा नहीं किया जैसा कि श्री अन्तुले ने महाराष्ट्र में या किसी और ने किसी अन्य स्थान पर किया है। हमने निर्धनतम व्यक्तियों से पैसा लिया, बल्कि उन लोगों ने भी जिनके पास पूरे दो जून का खाना नहीं होता, इस स्मारक के लिये खुशी-खुशी अंशदान किया। हमें इसका गर्व है। लोग हमें प्यार करते हैं और कोई भी काम करने के लिये तैयार हैं। श्री अराकल यह अच्छी तरह से जानते हैं। वह इससे इनकार नहीं कर सकते। निस्संदेह जब हम सत्ता में आयेंगे तो शासन करेंगे किन्तु साथ ही केन्द्र की गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन भी करगे। किन्तु मैं श्री अराकल से पूछता हूं कि क्या किसी भी स्थिति कोई भी आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिए। क्या श्री अराकल यह महसूस नहीं करते हैं कि किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं अथवा क्या उन्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिये? मैं उनसे और उनके साथियों से पूछता हूं कि केरल में कौन किसान हैं? महोदय, वे सभी नारियल की खेती करते हैं। जब केन्द्रीय सरकार नारियल तेल के आयात की नीति अपनाती है, जिससे नारियल के मूल्य गिरते हैं और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि केरल सरकार को करोड़ों रुपये की हानि होती है तो क्या वह यह कहना चाहते हैं कि इस पर भी हम चुप बैठे रहें। ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते। हमें इसके विरुद्ध आंदोलन करना ही था। हमने यह किया है और हमें इसका गर्व है। आपकी रुचि केवल पद-लाभ में है। हमें वह नहीं चाहिए।

विपक्ष की ओर से जिन लोगों ने भाषण दिये हैं उनसे पता चलता है कि वे सी. आई टी. यू. को नहीं चाहते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हमारी नीति पूंजी पतियों के हितों के विरूद्ध है। हम कृषि मजदूरों और अन्य श्रमजीवियों के हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारी नीति यह है कि उन्हें इंसानों का जीवन जीने दिया जायेगा हमारी नीति है कि जमींदारों सामंतों और पुलिस को श्रमिकों का दमन न करने देने की है। यही संयुक्त लाभमंत्री मोर्चा श्री एन्थनी और उनका दल जिसका हिस्सा थे, की नीति थी जब हम इस नीति पर चलते हैं तो उससे भयभीत होने से कोई लाभ नहीं।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं मैं एक बार फिर इस संकल्प का डट कर विरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उपाध्यक्ष महोदय बहस में अठारह सदस्यों ने भाग लिया है। ग्यारह सदस्य बिरोधी दल के थे और सात मेरे दल के। बहस में नौ सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन तथा नौ सदस्यों ने इसका विरोध किया।

मेरी समस्या को मेरे साथियों-सर्व श्री बी. के. नायर, जेवियर अराकल, संतोष मोहन

देव, पी. एम. सईद के तथा श्री बनातवाला एवं मयातेवर जो कि मेरे दल के नहीं हैं सहित अन्य लोगों ने कम किया है। उन्होंने मेरी ओर से उत्तर देकर मेरी सहायता की।

महोदय, जहां तक उपबन्ध की संवैधानिकता का संबंध है श्री बनातवाला ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि वह सदन को जारी रखें था. स्थागित कर दें या निस्प्रभावी रखें। इसके बारे में अनुच्छेद 356 स· में स्पष्ट रूप से कहा गया है। महोदय, श्री चित्त वसु ने कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है। यह राजनीति से प्रेरित नहीं है। यह राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है।

महोदय, सभी नौ सदस्यों जिन्होंने इसका विरोध किया है सरकार तथ. विशेषकर मेरे एवं मेरे साथी श्री सी. एम. स्टीफन के विरूद्ध अनेक आरोप लगाए हैं कि हम दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। श्री चित्त वसु मुझे यह चुनौति देने की सीमा तक पहुंच गए कि मैं प्रमाणित करूं कि क्या सरकार अपनी ही समस्याओं के कारण गिरी या उसमें किसी केन्द्रीय मंत्री का प्रयास था। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह अपनी ही समस्याओं के कारण गिरी तथा किसी भी केन्द्रीय मंत्री की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना मत व्यक्त कर दिया है। अब आपको सरकारी पक्ष को भी सुनना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मार्क्सवादी दल, दल-बदल में व्यस्त था।

मेरे पास ऐसा कहने के उचित कारण हैं कि श्री अंथेनी ने अपना समर्थन वापिस ले लिया। अतः इन 5 दिनों में क्या घटित हुआ ? श्री नयनार बहुमत में थे। वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते थे। वह विधान सभा भंग करने के लिए भी कह सकते थे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे वास्तविकता का ब्यौरा दे रहे हैं। आप बार-बार प्रत्येक बात का विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्योंकि वह चाहते थे, अतः उन्होंने विधानसभा को भंग किए जाने की शिफारिश नहीं की अब, मैं आपको बताउंगा कि किस प्रकार अपनी ही समस्याओं के कारण यह सरकार गिरी, न कि किसी अन्य के प्रयासों के कारण। आप यह जानते हैं आप पड़ौसी राज्य हैं। आप केरल में प्रभावी अत्तमारी श्रमिकों की आतंक से परिचित हैं। उनका आतंक इस सीमा तक बढ़ गया कि हर व्यापारी इनसे डरता था। सड़क पर किसी सामान को साथ ले जाने वाला व्यक्ति भी इन अत्तीमारी मजदूरों से त्रसित था ये अत्तीमारी मजदूर जनता से पैसा खसोटते थे। एक आदमी ने बम्बई से तिजोरी खरीदी त्रिवेंदरम में उतरा बम्बई में खरीदी गई वह तिजोरी उसे 800 रुपये में पड़ी। लेकिन जब वह त्रिवेंदरम् में उतरा तो इस सी. आई पी. यू. श्रमिकों ने उससे 900 रुपये देने को कहा। तिजोरी की कीमत केवल 800 रुपये लेकिन उसे 900 रुपये अदा करने हैं क्यों ? केवल हवाई अड़े से कार तक लेजाने के लिए। केरल में यह स्थिति थी। (**व्यवधान**) राष्ट्रपति शासन के बाद मुझे केरल जाने का अवसर मिला। अधिकारियों से मेरी कानून और व्यवस्था के बारे में बात चीत हुई। पुलिस महानिरिक्षक से भी बात चीत हुई। अब वह पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार का व्यवहार यह अत्तीमारी मजदूर करते हैं; किस तरह सभी उनसे आतंकित थे। एक दिन, पुलित मैस के लिए चावल खरीदा जाना था। उन्होंने चावल खरीदा तथा उन्होंने इसे पुलिस ट्रक में लादा। पुलिस

कर्मियों द्वारा ही ट्रक में चावल लादा गया; तब सी. आई टी. यू के मजदूर आए और कहने लगे हमें 500 रुपये दो ; यह हमारा अधिकार है ; आपको देना ही होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान को रिकार्ड न करें। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया उन्हें सुनिये उन्होंने सदन को सूचित भी किया है कि उन्हें किसने बताया उन्होंने कहा है महानिदेशक पुलिस। आपने सुना नहीं। कृपया ध्यान दें। आप तथ्य के एक ही पक्ष को क्यों सुनना चाहते हैं। आप दूसरे पक्ष को भी क्यों नहीं सुनते ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहले तो पुलिस ने इन्कार कर दिया। तब कलक्टर महोदय आए। उन्होंने पुलिस को सी आई टी यू मजदूरों को 500 रुपये अदा करने को कहा जो कि उन्हें देने पड़े। यह वास्तव में घटित हुआ है अब आप समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। केरल का एक व्यापारी मुझे से मिला। यह केवल कहानियाँ नहीं हैं; मैं आपको नाम भी बताऊंगा। उन्होंने मुझे बताया (व्यवधान) उसका पड़ोसी एक भैंस को एक जगह से किसी दूसरी जगह भेजना चाहता था। अतः उसने एक ट्रक की व्यवस्था का तथा उसमें एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर घास डालकर रखा। तब वे मजदूर आए और कहने लगे कि हमारा अधिकार है नहीं तो हमें 500 रुपये दो लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैंने यह सब स्वयं किया है, मैं इसके लिये पैसा क्यों दूं ? तब मजदूरों ने कहा 'आप हमें 409 रुपये दीजिए" अब उन्होंने कम कर दिया। (व्यवधान) इस प्रकार का आतंक वहां। मजदूरों ने उत्पन्न कर रखा था तथा सी. पी. आई सरकार ने यह फैसला कर रखा था कि यदि मजदूर कोई चीज मांगे तो उन्हें कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता तथा पुलिस भी इस पर ध्यान न दे क्योंकि मजदूरों के विवाद में उन्हें उनका अधिकार दिया ही जाना चाहिए। यही कारण है कि केरल में लोग उनसे तंग आ गए थे।

फिर सार्वजनिक अभियोग दूसरा पहलू है। यह एक दैनिक प्रक्रिया बन गई थी। हर जगह उन्होंने निर्दोश व्यक्तियों को दंड दिया। इडुक्की जिले में किसी व्यक्ति को दंडित किया गया। वायनाड में एक व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाया गया, वह है, श्री मकाई का पुत्र तथा उसे मार डाला गया (व्यवधान)। फिर 15 दिन बाद, उन्होंने श्री मकाई पर मुकदमा चलाया तथा उन्होंने निर्णय दया कि श्री मकाई बुरा आदमी है तथा उसे मार दिया जाना चाहिए। यह सब समाचार-पत्रों में आया है। केरल में सभी व्यक्ति इसे जानते हैं और मेरे मित्र भी इससे अच्छी तरह अवगत हैं। (व्यवधान) महोदय, इस प्रकार के सार्वजनिक मुकद्मे वहां चल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात स्पस्ट करें। क्या सार्वजनिक न्यायालयों के निर्णय पर व्यक्तियों को फांसी दी जा सकती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा ही हुआ। श्री मकाई बुरे आदमी थे और उन्हें मार दिए जाने का आदेश हुआ। उन्हें तथा उनके पुत्र को भी मार दिया गया। यह सार्वजनिक न्यायालय था। (व्यवधान)

मैं कोजीकोड जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने गया। सभा की समाप्ति

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के पश्चात कुछ लोग मेरे पास आए और बताया कि सी. पी एम. कार्यकर्त्ताओं तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने धान की फसल एवं नारियल के बागों को लूट लिया हैं और पुलिस कह रही है कि "हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते।" (व्यवधान)

अन्य बात है गलियों में खेले जाने वाले नाटक। इन नाटकों में वे किसी विशिष्ट व्यक्ति की छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। इन नाटकों के पश्चात सार्वजनिक मुकदमे हैं। यह प्रक्रिया थी इस प्रकार एक चिकित्सक को परेशान किया गया। उसे अस्पताल से बाहर आकर अपने गले में मैं एक बुरा आदमी हूं की तख्ती लटकाकर चलने को कहा गया.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सब किसने किया (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकदाना : मार्क्सवादियों ने (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान नहीं, इन सभी व्यवधानों को रिकार्ड न करें।

एक तरफ आप कहते हैं कि ये केवल कहानियां हैं, तब आप इन कहानियों से इतने डरे हुए क्यों हैं? लोग इन्हें सुन रहे हैं। उन्हें ही इन पर निर्णय देना है।

कृपया किसी भी व्यवधान को रिकार्ड न करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सी. आई. टी. यू. से संबंद्ध टैक्सी व स्कूटर ड्राइवर लोगों से पैसा लूट रहे थे, उन्होंने कभी भी निर्धारित दरों को नहीं माना···(व्यवधान) इस चिकित्सक को नक्सलवादी संगठन के चाणक्य संस्कृति मोर्चा द्वारा परेशान किया गया (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी भी व्यवधान को रिकार्ड न करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : नक्सलवादी कांग्रेस (आई), के आदमी नहीं हैं। ये उन्हीं की उत्पत्ति हैं, उनकी ही शाखा है।

हाल ही में, कम्युनिस्ट पार्टी की त्रिचूर शाखा में मानव खोपड़ियां तथा हड्डियां पाई गईं। कन्ननौर जिले के पार्टी कार्यालय में संयुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हड्डियां पाई गई थी तथा उसे तुरन्त ही स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उसने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय से मानव हड्डियां ढूंढ निकाली थी। (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न करें, वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मंत्री महोदय विचलित नहीं हो रहे हैं आप व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : इस समय 6 बजे से ऊपर समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तथा अध्यक्ष महोदय ने प्रातः ही यह घोषणा कर दी थी कि आज इस मद को पूरा किया जाएगा।

क्या सदन का यह मत है कि हम इस मद के पूरा होने तक बैठें?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का मत है कि हम इस मद के समाप्त होने तक जारी रखें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब श्री करुणाकरन द्वारा विधान सभा में इस बात को उठाया गया तो मार्क्सवादी सरकार ने कहा कि वे पटाखे थे लेकिन हाल की अपनी यात्रा के दौरान मैंने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

अधिकारियों से पूछा कि विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों की क्या राय थी ? उन्होंने मुझे बताया कि विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों ने बताया है कि बम थे न कि पटाखे। यह सब केरल में हो रहा था। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना किसी प्रकार की टिप्पणी या व्यवधान को रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। कुछ भी रिकार्ड न करें। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगवान देव, यह भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री जी का उत्तर ही रिकार्ड होगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं ऐसी सैंकड़ों घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : ये कहना चाहते हैं कि हमने राज्यपाल से विधान सभा भंग करने के लिए क्यों नहीं कहा। यह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह इनके उपयुक्त न होता।

एक माननीय सदस्य : आपके पास केवल यही एक तर्क है।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : जिन छः विधान सभा सदस्यों ने उन्हें गिराया है ये उन्हें फुसलाना चाहते हैं जिससे आप वहां सरकार बना सकें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। श्री मकवाना, आप जारी रखें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय इसी वजह से प्रदेश कांग्रेस (स) के अध्यक्ष श्री के. सी. जोसेफ जिनका दल सरकार में सहभागी था, इस घोषणा के साथ अलग हो गए कि मार्क्सवादी मंत्री से यह मंत्री पद वापिस लिया जाए और यह किसी अन्य को दिया जाए। फिर श्री एन्थोनी अलग हुए, उनके बाद श्री उन्नीकृष्णन, जो कि यहां नहीं हैं, ने कहा कि यदि प्रदेश में कानून व व्यवस्था पूर्ण रूप में बिगड़ गई हो तो हमें अपना समर्थन वापिस लेना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालत नहीं सुधरी तो कांग्रेस (स) यू. डी. एफ. को छोड़ने में हिचकिचाएगी नहीं। यह उन्होंने दिनांक 24 या 25 सितम्बर को हुई यू. डी. एफ की समन्वय समिति की दो दिन की बैठक में कही। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तथ्यों का ब्यौरा है। आप बाधा क्यों डालते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : कांग्रेस (श) के इन वक्तव्यों के कारण मार्क्सवादी कांग्रेस (श) को दबाना चाहते थे, अतः उनके मुख्य प्रवक्ता दैनिक स्वाभिमान में बड़े शीर्षकों में खबर छपी। मैं केरल में था। मुझे उसका अनुवाद इस प्रकार बताया गया।

एक समाचार द्वारा उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा केरल में कांग्रेस (श) के कार्यकर्त्ताओं तथा नेताओं की हत्या का षडयंत्र रचा गया है। अतः अपनी सार्वजनिक सभाओं में मैंने इसे चुनौती दी और कहा कि यदि यह सच है तो वे इसे प्रमाणित करें। यहां आने पर हमने मुख्य मन्त्री से स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि राज्य के मंत्री ने भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया था। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। यह कम्युनिस्ट सरकार है। इसी कारण पहले कांग्रेस (ई) ने व बाद में केरल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन नहीं किया और उन्होंने अपना

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समर्थन वापिस ले लिया। क्योंकि वे अल्पमत में रह गए थे, मुख्यमन्त्री ने दूसरा त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया। न श्री स्टीफन ने और न ही श्री मकवाना ने श्री नयनार को त्यागपत्र देने को कहा। हम कभी भी यह नहीं चाहते थे। इसके विपरीत मैंने अपनी सभी सार्वजनिक सभाओं में तथा संसद में भी कई बार कहा है कि इस सरकार का केरल, पश्चिमी बंगाल व त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकारों को गिराने का कोई विचार नहीं है। हमें इसमें कोई रुचि नहीं है लेकिन वे सदा ही अपने ही कृत्यों के कारण डरे रहे। इस सब को डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा सही तरीके से बताया गया है। कभी-कभी वे सदन बहुत अच्छी सूचना व विश्लेषण प्रदान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम ही स्वामी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने ठीक ही कहा है :

"सी. पी. एम. की हिंसावादी संस्कृति है। वे हिंसा तथा संगठित अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं।"

यह सामूहिक एवं संगठित अधिनायकवाद है। उन्होंने आने से ही सम्बन्धित एक घटना का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार पुलिस कांस्टेबलों द्वारा एक पुलिस थाने में उन्हें तंग किया गया। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि मार्क्सवादी सरकारें स्वयं इस प्रकार की स्थिति की ओर अग्रसर थी और अन्त में वह स्थिति आई।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि नयनार सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान हरिजनों के आर्थिक विकास के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन* क्योंकि केरल में हरिजनों के सम्मेलन में सार्वजनिक सभाओं में मैंने सवाल उठाया", यह सरकार प्रतिदिन गरीब लोगों के बारे में बात करती है, परन्तु यह लोगों के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन का उपयोग भी उन्होंने नहीं किया है।" (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं केरल से लौटा संबंधित मन्त्री ने जिनका श्री लारेंस ने उल्लेख किया है विधान सभा में वक्तव्य दिया, "नहीं, हमने दिए गए सारे धन का उपयोग किया है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं है।"

श्री एम. एम. लारेंस : उन्होंने आपको तथ्य व आंकड़ों सहित लिखा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप सहनशील क्यों नहीं हैं? आप इसे सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। फिर जब मैं दुबारा वहां गया और मैंने कहा कि इस सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक का भी उपयोग नहीं किया है तब उन्होंने इस विषय में एक याचना सहित पत्र लिखा और वह पत्र मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालम) : क्या मन्त्री महोदय इसे संसद के पटल पर रखने को तैयार हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनिवार्य नहीं है कि वे इसे संसद के पटल पर रखें। यह जरूरी नहीं है।

श्री ए. के. बालन : लेकिन क्या मंत्री महोदय तैयार हैं?

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचलित होने वाले नहीं हैं। आप उदार क्यों नहीं हैं ? आपको उदार होना चाहिए। जब हम संसद में बैठे हैं आपको प्रतिपक्ष की आलोचना के लिए सहिष्णु होना चाहिए। अन्यथा, यह लोकतंत्र नहीं होगा। मैं श्री दालन से बैठने का अनुरोध करूंगा। प्रतिपक्ष के लगभग 11 सदस्य बोले हैं। मंत्री महोदय ने किसी अवसर पर हस्तक्षेप नहीं किया। अब जबकि वे न केवल आपके प्रश्न का परन्तु अन्य प्रश्नों का भी जवाब दे रहे हैं, आपको धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। इसे यहां लाने का हमारा यही उद्देश्य है यदि आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते, तो मैं इसे नहीं रोक सकता। यह बहस हमारे देश के लोगों के पास जाती है। अतः आप उन्हें अपना मत कहने दें। आप इसका विरोध कर सकते हैं और फिर लोगों के पास जा सकते हैं। आप इतने अधिक असहिष्णु क्यों हैं ?

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : अध्यक्ष पद से आप उनके हर उत्तर का स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि उनको बिना व्यवधानों के उत्तर देने का अधिकार है।

श्री एम. एम. लारेंस : आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी भी दल के नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जरूरी है कि यह न केवल केरल के लोगों तक बल्कि भारत के लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमें अपने विचार उन्हें बताने चाहिए। यदि आप बार-बार रूकावट डाल रहे हैं तो रिपोर्टिंग और अन्य कार्यों में बहुत कठिनाई होगी। यह उचित नहीं है।

श्री एम. एम. लारेंस : मैं यह बताना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्री महोदय विचलित नहीं हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य के एक मंत्री, श्री कृष्णन, ने अपने पत्र में लिखा है कि गिनने में खर्चे में हुए संसद को आंकड़े देने में कुछ गलती हुई है। वह अपनी गलती के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली है··· (**व्यवधान**)

कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वास्तव में यह समाप्त ही हो गई है। वहां लगातार राजनैतिक हत्यायें हुई हैं। श्री अच्युत मेनन ने **मेनस्ट्री** मेंम एक लेख लिखा है, जिसका श्री बनातवाला ने जिक्र किया है। इस लेख में उन्होंने यह बताया है कि केरल में एक मुख्यमंत्री (श्री नयनार) ही नहीं बल्कि 17 मुख्यमत्री हैं। श्री मेनन की यह राय थी कि केरल में 17 मुख्यमंत्री कार्य कर रहे थे। श्री मेनन ने यह प्रमाण पत्र दिया है।

बहुत से सदस्यों ने बताया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी केरल में बहुत हिंसा और राजनीतिक हत्यायें हुई हैं इसलिये, मैं कुछ आंकड़े देता हूं। 21 अक्तूबर 1981 से, राष्ट्रपति शासन लागू किया, 25 नवम्बर तक केरल में 7 हत्यायें हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि में 14 हत्यायें हुई, यह संख्या दुगनी है। इसलिये, स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन, क्योंकि उन्होंने स्थिति इतनी बिगाड़ दी है कि इसे ठीक करने में हमें कुछ और समय लगेगा। उनके सत्ता में रहने के एक वर्ष की अवधि के दौरान वहां 94 राजनीतिक हत्यायें हुई, जबकि 1979 में केवल 27 हत्यायें हुई थी। जहां तक अन्तर दलीय झगड़ों का प्रश्न है, 1979 में उनकी संख्या 319 थी

जो बढ़कर 1200 तक पहुंच गयी। हत्याओं के मामलें में सी. पी. एम. 50 प्रतिशत मामलों में शामिल थी; अन्तर-दलीय झगड़ों के 80 प्रतिशत मामलों में सी. पी. एम. शामिल थी।

अत: इससे यह स्पष्ट है कि केरल में राजनैतिक दल, सभी राजनीतिक दल और फ्रंट में शामिल दल भी इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि वे बना रहना चाहते हैं और अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से हट जाना चाहिए। उनके लिये और कोई विकल्प नहीं था। यदि वे उनके साथ रहें तो एक के बाद एक वे सबको समाप्त कर सकते हैं। इस तथ्य को सभी दलों ने महसूस किया और इसलिये, वे संयुक्त मंत्रिमण्डल से हट गये और नयनार मंत्रिमण्डल गिर गया और इस लिए यह अपने ही भार से गिर गया, जैसा कि मैंने पहले कहा है, और अब भी मैं यही कहता हूं। (**व्यवधान**) इसी कारणवश मुझे यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा और ऐसा करना सरकार के लिये उचित भी है और··· (**व्यवधान**)

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सिप्रेट स्कैंडल कमीशन, जो राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, के बारे में कहा है। मैं उस कमीशन के हटाने और तोड़ने के बारे में विचार करूंगा।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, यह हमारा और सरकार का सांवैधानिक दायित्व है। मैं संसद के समक्ष यह प्रस्ताव पेश करने आया हूं और जैसाकि मैंने बताया है, बहुत से सदस्यों ने इसका पक्ष लिया है। मैं समग्र सदन और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को पारित करें। धन्यवाद।

वित्तमंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली के अनुरूप मैं अनुपूरक मांगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा यद्यपि किसी भी सदस्य ने उनका जिक्र नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री कोसल राम ने इसे रिकार्ड किया है।

श्री आर. वेंकटरामन : और तब भी, उन्होंने गलत ढंग से किया।

इस प्रमुख प्रावधान में राज्य परिवहन निगम को विकास कार्य आदि करवाने के लिए 3 करोड़ रुपए के ऋण की ये अनुपूरक मांगें शामिल हैं। ग्रह निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कार्यों के लिये एक करोड़ रुपया, ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट एथोरिटी के लिये 50 रुपये के ऋण और जून 1981 में वर्षा, बाढ़ आदि से प्रभावित क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता कार्यों पर खर्च के लिये 15 लाख रुपये की राशि शामिल है।

मेरे माननीय मित्र, श्री कोसलराम ने बताया कि इसका गलत ढंग से वर्णन किया गया है। उन्होंने केवल उपशीर्षक पढ़ा है, उन्होंने पूरी चीज नहीं पढ़ी। पृष्ठ 18 पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था :

"भारी वर्षा, बाढ़, इत्यादि से प्रभावित क्षेत्रों के लिये जून 1981 में राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यों की स्वीकृति दी गई थी।"

अत: यह मांग एक शीर्ष है और इन्होंने इसे सारा नहीं पढ़ा और इन्होंने सोचा कि अन्य मद भी गलत हैं। मुझे इतना ही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा पेश किये सांविधिक संकल्प को सदन में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव पराति हुआ

श्री एम. एम. लारेंस : इसके विरोध में हम सदन से उठकर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का समाना करें।

श्री एम. एम. लारेंस तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं केरल राज्य के 1981-82 के बजट अनुदानों की अनुपूरक माँगों को सदन में मतदान के लिए पेश करूंगा।

श्री आर. वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पेश कर चुके हैं। यह विनियोग विधेयक नहीं है।

श्री आर. वेंकटरामन : नहीं नहीं, मुझे पेश नहीं करनी हैं

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटरामन, मैं विनियोग विधेयक बाद में लूंगा।

श्री आर. वेंकटरामन : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1981-82 की अनुपूरक अनुदान मांगे (केरल) संसद में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई माँगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियाँ केरल राज्य की संचित निधि से राष्ट्रपति को दे दी जाएं भाग संख्या 5,11,12,13,17,18,22,23,25,27,28,30 और 41"

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1981

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्य महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर. वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि वितीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2,3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2,3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जो दिए गये

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6. 30 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 18 दिसम्बर 1981/27 अग्रहायण 1903 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6